खण्ड-316, अंक-2
बुधवार, 26 चैत्र, शक संवत् 1897
(16 अप्रैल, 1975 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 316 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1975

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, 16 अप्रैल, 1975

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष; श्री वासुदेव सिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—340

अंगने लाल, श्री
अजीजुर्रहमान, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अजीत सिंह सेठी, श्री
अठई राम, श्री
अनवार जमील उर्फ जिमी मियां, श्री (एडवोकेट)
अनवार मोहम्मद, श्री
अबुल फैज शाह, श्री
अब्दुल बाकी, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल रहमान खां 'नशतर', श्री
अब्दुल वहीद, श्री
अम्बिका प्रसाद सिंह, श्री
अम्मार रिजवी, श्री
आगा जैदी, श्री
आबिद अली, श्री
आशाराम यादव, श्री
इन्द्रपाल सिंह, श्री
ईश्वरी सिंह, श्री
उदय नाथ, श्री
उमानाथ, श्री
ए० सी० आइस, श्री
ओम प्रकाश, श्री (जिला मुरादाबाद)
ओम प्रकाश, श्री (जिला शाहजहांपुर)
ओम प्रकाश श्रीवास्तव, श्री
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कबूल सिंह, श्री
काजी जलील अब्बासी, श्री
का० मु० मुहीउद्दीन, श्री
काली चरण यादव, श्री
काशी नाथ मेहरोत्रा, श्री
काशी नाथ मिश्र, श्री
काशी प्रसाद, श्री
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री
कुलतार सिंह, सरदार
कृपा शंकर आर्य, श्री
कृष्ण दत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्णा राय, श्री
केशरी लाल, श्री
कैलाश सिंह, श्री
क्रान्ति कुमार, श्री
खचेड़ू सिंह मोहरिया, श्री
खूब चन्द, श्री
ख्याली राम शास्त्री, श्री
गंगा देवी विशारद, श्रीमती
गंगा प्रसाद, श्री
गंगा सिंह, श्री
गंगा स्वरूप, श्री
गंजी प्रसाद, श्री
गजाधर प्रसाद आर्य, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गया सिंह, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरिजा किशोर मिश्र, श्री
गिरिजा शंकर पाठक, श्री
गुलाब सिंह, श्री
गुलाब सेहरा, श्री
गोपाल दत्त ओझा, श्री

गोपी नाथ कामेश्वरपुरी, श्री
गोरे लाल शाक्य, श्री
गोविन्द प्रसाद गैरोला, श्री
गोविन्द सिंह मेहरा, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गौरी शंकर, श्री (एडवोकेट)
चन्दन सिंह, कामरेड
चन्द्र नारायण सिंह, श्री
चन्द्रपाल सिंह, श्री
चन्द्र भान आजाद, श्री
चन्द्र शेखर सिंह, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरण सिंह, चौधरी
चरण सिंह, डाक्टर
चेत राम गंगवार, श्री
छज्जू सिंह, श्री
छेदा लाल चौधरी, श्री
जंग बहादुर, श्री (अतरौलिया, जिला आजमगढ़)
जंग बहादुर वर्मा, श्री (जिला बाराबंकी)
जंग बहादुर सिंह पटेल, श्री
जगदीश मिश्र, श्री
जगदीश अवस्थी, श्री
जगदीश नरायन त्रिपाठी, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री
जफर आजमी, श्री
जय नारायण सिंह, श्री
जयराज गौतम, श्री
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्र कुमार अग्रवाल, डाक्टर
जुगल किशोर यादव, श्री
झाम लाल अहिरवार, श्री
झिलमिट, श्री
तीरथ राम कोहली, श्री
तेज नरायन त्रिवेदी, श्री
तेज बहादुर, श्री
तेज सिंह, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री
त्रिवेनी, श्री

दधीच सिंह, श्री
दया किशन पाण्डेय, श्री
दया राम भास्कर, श्री
दलसिंह यादव, श्री
दशरथ सिंह, श्री
दीना नाथ सेवक, श्री
दीपनारायण बन महन्थ, श्री
दीपनारायण पाण्डेय, श्री
दुर्योधन, श्री
दुलारा देवी, श्रीमती
देव कुमार यादव, श्री
देव बहादुर सिंह, श्री
देवी सिंह, श्री
धरम राम, श्री
धर्म चन्द्र मिश्र, श्री
धर्मपाल सिंह, श्री
धर्मपाल सिंह, डाक्टर
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला बिजनौर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
धीरेन्द्र सहाय, श्री
ध्रुव नारायण सिंह, श्री
नजु राम, श्री
नत्थू सिंह यादव, श्री
नन्द राम, श्री
नन्हें लाल, श्री
नरेन्द्र सिंह भंडारी, श्री
नाथू राम, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायण हरी शर्मा, श्री
नियाज हसन खां, श्री
निर्भय नरायन सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निसार अहमद अन्सारी, श्री
पूरन चन्द, श्री
पूरन लाल, श्री
प्यारे लाल, श्री (जिला अलीगढ़)
प्यारे लाल, श्री (जिला मेरठ)
प्रकाश नारायण गुप्ता, डाक्टर

प्रताप नारायण, श्री
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री
प्रभाकर सिंह, बाबू
प्रभु नारायण, श्री
प्रभु दयाल, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेम दत्त, श्री
फरजन्द अली बेग, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंशीधर, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बांके लाल, श्री
बादाम सिंह, श्री
बाबूलाल वर्मा, श्री
बाल कृष्ण सनवाल, श्री
बृजपाल सिंह यादव, श्री
बेचन राम, श्री
बेनी प्रसाद वर्मा, श्री
बेनी बाई, श्रीमती
बैजनाथ यादव, श्री
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री
भगवत दयाल, श्री
भगवती चरण निर्मोही, श्री
भगवती प्रसाद, श्री
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भाभी, श्री
भारत सिंह, श्री
भीषम, श्री
भूप सिंह केन, श्री
मंगरे सिंह, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मनीराम, श्री
मन्जूर अली खां, श्री (उर्फ शन्नू खां)
मन्ना लाल, श्री
मलखान सिंह, डाक्टर
मलखान सिंह सैनी, श्री
मलिक मोहम्मद जमीर अहमद खां, श्री
महावीर प्रसाद, श्री
महावीर सिंह, श्री
महेन्द्र रिपुदमन सिंह, राजा
माखन लाल मिश्र, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री
मानबहादुर सिंह, श्री
मन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुलतान सिंह यादव, चौधरी
मुलायम सिंह यादव, श्री
मुहम्मद असरार अहमद, श्री
मुहम्मद मसूद खां, श्री
मुहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री
मुहम्मद हयात, श्री
मोतीलाल देहलवी, श्री
मोहनलाल कपूर, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद अयूब सिद्दीकी, श्री
मोहम्मद असलम, श्री
मोहम्मद महमूद अली खां, श्री
मोहम्मद शकील अहमद, श्री
मोहसिना किदवाई, श्रीमती
यशपाल सिंह, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ ललन जी)
रघुनाथ, श्री
रघुबीर, श्री
रघुबीर सिंह, श्री
रघुराज सिंह, श्री (जिला गोंडा)
रघुराज सिंह, श्री (जिला देवरिया)
रणजीत सिंह "जूदेव", श्री
रणधीर सिंह, श्री
रफीउल्ला, श्री
रमा पन्त, कुमारी
रमाकान्त द्विवेदी, श्री
रमेश चन्द्र श्रीवास्तव, श्री
राघवेन्द्र सिंह, श्री

राज किशोर तिवारी, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजबहादुर, श्री
राजबहादुर चन्द, श्री
राज ब्रजराज सिंह, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री
राजेन्द्र प्रसाद गुप्त, श्री
राजेन्द्र प्रसाद दौनेरिया, श्री
राजेन्द्र शाह, श्री
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
राधा चरण सिंह, ठाकुर
राम अवार, श्री
रामगरीब, कैप्टेन
रामचन्द्र बक्श सिंह, श्री
राम चरन शाह, श्री
राम जनम राय, श्री
रामजी सिंह, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
रामजी लाल केन, श्री
राम दयाल सिंह, श्री
राम दुलारे, श्री
राम देव, श्री
रामदेव यादव, श्री
राम नाथ, बाबा
राम नारायण पाठक, श्री
राम निहोर, श्री
राम पति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
राम पाल सिंह यादव, चौधरी
राम पूजन पटेल, श्री
राम प्यारे तिवारी, श्री
राम प्रकाश यादव, श्री
राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री
राम बचन, श्री
राम मूर्ति, श्री
राम रतन सिंह, श्री
रामरति बिन्दु एडवोकेट, श्री
रामरती देवी, श्रीमती
राम रेखा यादव, श्री
राम लखन, श्री (जिला इटावा)
राम लाल राही, श्री
राम शिरोमणि दुबे, श्री
राम सजीवन, श्री
राम समझावन, श्री
राम समुझ तिवारी, श्री
राम सुन्दर पाण्डेय, श्री
राम सेवक धोबी, श्री
राम हर्ष चौधरी, श्री
रामायण राय, श्री
रुद्र प्रसाद, श्री
रूप राम, श्री
रेवती शरण मौर्य, श्री
लक्ष्मी नारायण पांडेय, श्री
लक्ष्मी प्रसाद वर्मा, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालू राम, श्री
विजय कुमार, श्री
विजय पाल सिंह, श्री
विद्याधर, श्री
विमल प्रसाद तिवारी, श्री
विश्राम, श्री
वीर सिंह सेंगर, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र स्वरूप भटनागर, श्री
वेद प्रकाश अग्रवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शान्ति देवी यादव, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिव कुमार पाण्डेय, श्री
शिव कुमारी दुबे, श्रीमती
शिव कैलाश, श्री
शिवचरन लाल, श्री
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर
शिवपाल सिंह, श्री

शिव प्रसाद गुप्त, श्री
शिव प्रसाद, श्री
शिव लाल, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति राम, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्याम बिहारी सिंह, श्री
श्याम मिश्रा, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्यामा देवी, श्रीमती
श्रीनारायण, श्री (उर्फ भुलई भाई)
श्रीपाल सिंह, कुंवर
श्रीश चन्द्र, श्री
सच्चिदानन्द बाजपेयी, श्री
सत्तार अहमद, श्री
सत्यपाल सिंह यादव, श्री
सत्य प्रकाश, श्री
सत्य प्रकाश मालवीय, श्री
सत्यवीर सिंह, श्री
सन्त सिंह यूसुफ, श्री
सन्तोष कुमारी पाठक, श्रीमती
सरस्वती टम्टा, श्रीमती
सरस्वती प्रताप सिंह, श्री
सलाहउद्दीन उस्मानी, श्री (उर्फ नब्बन)
सीताराम निषाद, श्री
सुक्खन सिंह, श्री
सुभद्रा मिश्रा, श्रीमती
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दर लाल कुरील, श्री
सुरेन्द्र प्रताप नारायन, श्री
सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र, श्री
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री
सुल्तान सिंह यादव, श्री
सैयद मुर्तजा अली खां, नवाब
सोहनलाल, श्री (जिला बदायूं)
सोहन लाल धुसिया, श्री
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती
हरि केवल, श्री
हंरिराम, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकम सिंह, श्री
हुब राज, श्री
हेमराज, श्री
हेमवती नन्दन बहुगुणा, श्री

नोट:—लघु उद्योग मंत्री, श्री इस्तफा हुसैन एवं सार्वजनिक निर्माण मंत्री, श्री शिव प्रसाद सिंह भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

बुधवार, 16 अप्रैल, 1975

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

म्युनिसिपल इन्टर कालेज, फतेहगढ़ के अध्यापकों के वेतन का भुगतान

*1—श्री विमल प्रसाद तिवारी (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या शिक्षा मंत्री को यह जानकारी है कि म्युनिसिपल इन्टर कालेज, फतेहगढ़ के अध्यापकों को नवम्बर, 1974 से वेतन वितरण नहीं किया गया है जिससे गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो गयी है ? यदि हां, तो अविलम्ब वेतन वितरण की व्यवस्था कराने के लिये क्या उपाय कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

म्युनिसिपल इन्टर कालेज, फतेहगढ़ के अध्यापकों को जनवरी, 1975 तक के वेतन का भुगतान किया जा चुका है। उपलब्ध सूचना के अनुसार नगरपालिका के अध्यक्ष द्वारा फरवरी, 1975 के वेतन भुगतान किये जाने की व्यवस्था भी की जा रही है। नगरपालिकाओं एवं अन्य स्थानीय निकायों द्वारा संचालित उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों का नियमित वेतन भुगतान किये जाने के उद्देश्य से इन विद्यालयों को उत्तर प्रदेश हाई स्कूल तथा इन्टरमीडिएट कालेज (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) अधिनियम, 1971 के अन्तर्गत रखने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है।

श्री विमल प्रसाद तिवारी—

मान्यवर, जब प्रथम बार यह प्रश्न हुआ था तो उस समय इस कालेज के अध्यापकों का पांच महीने का वेतन बकाया था और उसके प्रयास से माह जनवरी तक के वेतन का भुगतान हो गया और अब भी वेतन बकाया है और क्या मंत्री जी को जानकारी है कि यह नगरपालिका अपने कर्मचारियों को वेतन नहीं दे पाई है, तो इनके वेतन देने की कहां से व्यवस्था कर रही है?

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, इस नगरपालिका के सम्बन्ध में बहुत से शिकायती-पत्र 10-8-74, 27-8-74 तथा 23-11-74 के मिले हैं। इनके मिलने पर कलेक्टर से रिपोर्ट मांगी गई तो उन्होंने बताया कि इसकी हालत बहुत खराब है और इसके कर्मचारियों तक को वेतन नहीं मिल सका है। कमिश्नर, इलाहाबाद को इस सम्बन्ध में लिखा गया है और शिक्षा निदेशक भी जांच कर रहे हैं।

श्री विमल प्रसाद तिवारी—

जिस तरह सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों को वेतन वितरण अधिनियम, 1971 के अधीन लिया गया है, उसी प्रकार से स्वायत्त शासी संस्थाओं द्वारा जो 80 विद्यालय चलाये जा रहे हैं, उनको भी इस अधिनियम के अधीन लेने में क्या दिक्कत है? जबकि यह अधिनियम, जिसका जिक्र किया गया है उसकी धारा 13 में लिखा है कि "राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा यह घोषणा कर सकती है कि इस अध्यादेश के सभी या कोई उपबंध स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा अनुरक्षित संस्थानों पर लागू नहीं होंगे अथवा उन पर ऐसे परिवर्तनों, परिष्कारों या परिवर्द्धनों के जो निर्दिष्ट किये जायं, अधीन रहते हुये लागू होंगे और तदुपरान्त, उन संस्थाओं के सम्बन्ध में, ऐसे उपबन्ध लागू न रहेंगे या जैसी भी दशा हो, ऐसे परिवर्तनों, परिष्कारों या परिवर्द्धनों के अधीन रहते हुये लागू होंगे"। इसके अन्तर्गत इन संस्थाओं के अध्यापकों और कर्मचारियों को वेतन मिलने में कठिनाई होती है तो उनको वेतन वितरण अधिनियम, 1971 के अधीन लेने में क्या कठिनाई है?

श्री अम्मार रिजवी—

माननीय सम्मानित सदस्य ने जो चिन्ता व्यक्त की है उससे मैं सहमत हूं कि बहुत से विद्यालयों में तनख्वाह नहीं मिलती है। खासतौर से यह विद्यालय एल0 एस0 जी0 डी0 के अधीन आता है। हम उसको कुछ ग्रांट देते हैं, बाकी खर्चा वही लोग करते हैं। यह शासन के विचाराधीन है कि उसी परिस्थिति में जब शिक्षकों को तनख्वाह नहीं मिल पा रही है, तो उनको इसके परव्यू में ले लिया जाय। यह विचाराधीन है और इसको, इसके अधीन ले लिया जायेगा।

श्री जगदीश अवस्थी (जिला कानपुर)—

मान्यवर, इसमें कितने अध्यापकों का वेतन बकाया है और कब से बाकी है ? साथ ही साथ माननीय मंत्री जी म्युनिसिपैलिटी को लोन देकर उनके वेतन का भुगतान करने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, कब तक का बकाया है, इसका मैं जबाब दे चुका हूं। जनवरी, 1975 तक का वेतन भुगतान किया जा चुका है। नगरपालिका के अध्यक्ष ने खत भेजा है कि उनके पास कितना शुल्क का पैसा है और कितना अनुदान का पैसा है। अब शासन के पास पूरी स्थिति आ गई है, हम देखेंगे कि इन शिक्षकों को किस प्रकार वेतन दे सकेंगे।

श्री विमल प्रसाद तिवारी—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि वहां के अध्यापकों के वेतन वितरण में बड़ी गड़बड़ी है और साथ ही साथ उनकी भविष्य निधि का पैसा सही मद में जमा नहीं है ?

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, यह सवाल जो है, इसमें जांच होगी तो बहुत से तथ्य सामने आयेंगे। प्राविडेंट फण्ड का पैसा जमा हुआ या लाइफ इन्श्योरेंस बेनीफिट स्कीम जो है, वह पूरी हो रही है कि नहीं, जांच होने पर ये तमाम तथ्य सामने आ जायेंगे।

श्री मोहन लाल कपूर (जिला मेरठ)—

क्या माननीय मंत्री जी यह अनुभव करते हैं, कि प्रदेश की अनेक नगरपालिकाओं में हजारों अध्यापकों को वेतन समय से नहीं मिलता, क्या माननीय मंत्री जी वेतन अधिनियम पर विचार कर रहे हैं ? मान्यवर, 4 साल हो गये विचार करते हुए, अभी कितना समय माननीय मंत्री जी लेंगे ? क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि अगले माह में उन पर नियम लागू हो जायगा ?

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, इस पर शासन विचार कर रहा है और वित्तीय पोजीशन देखते हुए इसमें कोई फैसला किया जायगा।

श्री राम सुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब विद्यालय के प्रबन्ध में नगरपालिका की तरफ से ढिलाई है, तो क्या वहां पर रिसीवर नियुक्त करके इस विद्यालय की अनियमितता को दूर करने की कृपा करेंगे ?

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, नगरपालिका का इस पर नियंत्रण है, तमाम बातों को देखा जा रहा है। इसी कारण से कमिश्नर, इलाहाबाद डिवीजन और डायरेक्टर, एजूकेशन दोनों इस काम को देख रहे हैं। इसके बारे में जो भी उचित कार्यवाही होगी की जायगी।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

नगर महापालिकाओं के प्राइमरी अध्यापकों के नये वेतनमान का निर्धारण

*1—श्री मोहन लाल कपूर—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ऐसी कौन-कौन नगर महापालिकायें हैं जिनमें प्राइमरी पाठशालाओं (बेसिक शिक्षा परिषद् के अधीन कार्यरत) के अध्यापकों को नवीन वेतनमान के अनुसार अभी वेतन मिलना प्रारम्भ नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्यों तथा कब से मिलना प्रारम्भ हो जायेगा ?

श्री अम्मार रिजवी—

नगर महापालिका,वाराणसी के प्राइमरी पाठशालाओं के अध्यापक/अध्यापिकाओं को नवीन वेतनमान के अनुसार वेतन मिल रहा है तथा अन्य 4 महापालिकाओं के सम्बन्ध में सूचना अभी एकत्र की जा रही है ।

श्री मोहन लाल कपूर—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आप यह देख लें कि मैंने प्रश्न 25-1-75 में किया था, आपकी कृपा से जल्दी ही आज यह उत्तर आया, परन्तु आज भी आप देखेंगे कि अपूर्ण उत्तर है ।

श्री अध्यक्ष—

यह 15 वें दिन फिर आयेगा, अभी एक ही का दिया है, चार का बाकी है ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मान्यवर, मुमकिन है कि 15 वें दिन तक यह सत्र न रहे ?

श्री अध्यक्ष—

आप ठीक कह रहे हैं, इसको देखेंगे ।

बदायूं-कादिर चौक सड़क का निर्माण

*2—श्री बृजपाल सिंह यादव (जिला बदायूं)—

विधान सभा के द्वितीय सत्र के पहले बुधवार दिनांक 12 जून, 74 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2 के सम्बन्ध में क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि बदायें से कादिर चौक तक सड़क केवल 6 किलोमीटर दोनों कोनों पर सड़क पोख्ता है बाकी सड़क अत्यन्त खराब और सवारी योग्य नहीं है ? यदि हां, तो उपरोक्त सड़क को कब पुख्ता कराने का सरकार विचार कर रही है ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री शिव प्रसाद सिंह)—

बदायूं से कादिर चौक मार्ग कि0मी0 1 से 4.1 कि0मी0 तक एवं कि0मी0 14 से 16.7 कि0मी0 तक लेपित सतह का है एवं मध्य भाग कि0मी0 4.1 से कि0मी0 13 तक कंकड़ एवं ईट की गिट्टी की सतह के हैं अर्थात् वाटर वाउन्ड है। यह वाटर वाउन्ड भाग खराब नहीं है। पूर्ण मार्ग पर बसें और यातायात बराबर चल रहा है। इस मार्ग के कि0मी0 1 से 13 तक सुदृढ़ीकरण एवं आधुनीकरण का कार्य धनाभाव के कारण संभव नहीं हो सका है ।

श्री बृजपाल सिंह यादव ---

मैंने इसको पहले भी उठाया था, यह कहा गया कि पूरी सड़क पोख्ता है। 8 किलोमीटर का भाग बिलकुल कच्चा है और सवारी चलने के काबिल नहीं है। तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी जांच करायेंगे कि क्यों सूचना गलत दी गयी ? इसको कब तक बनवाया जायेगा, इसका आश्वासन देंगे ?

श्री शिव प्रसाद सिंह–

दुबारा अगर माननीय सदस्य जांच चाहते हैं तो हमें कोई एतराज नहीं है।

श्री बृजपाल सिंह यादव---

जो बीच में कच्चा भाग पड़ा हुआ है उसको कब तक पूरा करा देंगे ?

श्री शिव प्रसाद सिंह---

उसको इस वर्ष विचार कर लूंगा।

वाराणसी जिले की अतिरिक्त बेसिक शिक्षा अधिकारी, कुमारी इन्द्रा चक्रवर्ती की उपलब्धियों का भुगतान

*3---श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला पौड़ी गढ़वाल)---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि अतिरिक्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महिला (कुमारी इन्द्रा चक्रवर्ती), वाराणसी को 14 नवम्बर, 73 को सेवा-निवृत्त कर दिया गया था ? यदि हां, तो क्यों और क्या उनकी समस्त उपलब्धियों के बकाये का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो इसके लिये कौन दोषी है ? अब कब तक बकाये का भुगतान कर दिया जायेगा ?

श्री अम्मार रिजवी---

कु0 इन्द्रा चक्रवर्ती की बाध्य सेवा-निवृत्ति के आदेश 7-11-73 को जारी किये गये थे। बाध्य सेवा-निवृत्ति उनकी कार्यकुशलता एवं उपयुक्तता का मूल्यांकन करने के बाद की गई। उपलब्धियों का भुगतान अभी नहीं हुआ है। कु0 चक्रवर्ती ने अपनी पैंशन, ग्रेच्युटी तथा जी0 पी0 एफ0 के कागजात नहीं भेजे अथवा अपूर्ण रूप में भेजे हैं। उनकी समस्त उपलब्धियों का भुगतान करने की कार्यवाही की जा रही है।

श्री शिवानन्द नौटियाल---

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे, जैसा कि उन्होंने अपने उत्तर में बताया है कि सेवा निवृत्ति कार्य कुशलता के आधार पर की जाती है। तो मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि कु0 इन्द्रा चक्रवर्ती की 30 अप्रैल, 1973 को प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति दी गयी और 5 मई, 1973 को अतिरिक्त बेसिक शिक्षा अधिकारी के पद पर पदोन्नति दी गयी तो किस आधार पर उनकी पदोन्नति दी जाती रही और अब उनको अलग कर दिया गया है। क्या कारण है ?

श्री अम्मार रिजवी---

जैसा कि आपको मालूम है कि सरकारी अफसरों के लिये दो तरीके रखे गये हैं। 50 साल की सर्विस पूरा कर लेने पर उनकी उपयुक्तता देखी जाती है और 55 साल की सर्विस पूरा कर लेने पर 56-ए के अन्तर्गत उनकी स्क्रीनिंग होती है। कुमारी इन्द्रा चक्रवर्ती ने 57

वर्ष की उम्र पूरी कर ली तो स्क्रीनिंग हुई तो जो आख्या है और जो गोपनीय है, उसको भी मैं बताता हूं। इनकी कई वर्षों की चरित्र पंजिका प्रतिकूल थी। एक स्क्रीनिंग कमेटी होती है जिसमें डाइरेक्टर आफ एजूकेशन और नियुक्ति सचिव के प्रतिनिधि रहते हैं, जिसमें यह पाया गया कि कु० चक्रवर्ती उपयुक्त नहीं हैं।

• श्री शिवा नन्द नौटियाल—

मान्यवर, मेरा प्रश्न यह है कि कौन सी ऐसी परिस्थितियां थी कि इनको बराबर पदोन्नत किया जाता रहा, उसका क्या कारण था और क्या इसी दिनांक को बहुत से अधिकारियों को जिनमें ज्वाइन्ट डाइरेक्टर भी हैं, को भी इसी तरह से निकाल दिया गया है और उन्होंने हाई कोर्ट में रिट कर दी और वह वहां से जीत कर आ गये, तो क्या कारण है कि ऐसा लगातार किया जा रहा है ?

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, इस प्रश्न को दो हिस्सों में बांटे। एक तो जो बकाया है, वह उनको मिला या नहीं और दूसरा जो मामला है, वह सबजुडिस है। हाई कोर्ट में रिट दायर कर दिया है तो इस मामले पर डिसकस न करें तो उपयुक्त होगा।

श्री अध्यक्ष—

हां, तो ठीक है।

बदायूं जिले के विकास क्षेत्र दातागंज के अन्तर्गत बेसिक शिक्षकों के वेतन का भुगतान

*4—श्री रामेश्वर नाथ चौबे (जिला बरेली) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बदायूं के विकास क्षेत्र, दातागंज में फरवरी, 1974 में कितना धन बेसिक प्राइमरी के अध्यापकों को वेतन रूप में वितरित किया गया और क्या विकास क्षेत्र के अन्तर्गत सभी बेसिक प्राइमरी शिक्षकों को फरवरी, 1974 का वेतन प्राप्त हो गया ? यदि नहीं, तो क्यों तथा जिन अध्यापकों को फरवरी, '74 का वेतन नहीं मिला है उनको वेतन दिलाने हेतु सरकार तत्काल क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री अम्मार रिजवी—

दातागंज विकास क्षेत्र के अध्यापकों को माह फरवरी, 74 में कुल 27,852.99 रुपये की धनराशि का वेतन भुगतान किया गया। विकास क्षेत्र, दातागंज के आठ अध्यापकों को छोड़ कर सभी अध्यापकों को माह फरवरी, 1974 के वेतन का भुगतान कर दिया गया था। शेष आठ अध्यापकों की सेवाओं को प्रमाणित किए जाने के पश्चात् उन्हें फरवरी, 74 के वेतन का भुगतान कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के प्राथमिक शिक्षकों के वेतनादि के अवशेष का भुगतान

*5—श्री हुकम सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वेतन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार प्राथमिक शिक्षकों को नये वेतनमानों के अनुकूल 1972 से बाजिब एरियर की देय धनराशि अभी तक

शिक्षकों में आवंटित नहीं की गयी है। यदि हां, तो आवंटन न होने के क्या कारण हैं और आवंटन में देर करने वाले दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री अम्मार रिजवी—

जी नहीं। वर्ष 1974-75 में 24 जनपदों में अपेक्षित धनराशि आवंटित कर दी गई थी तथा शेष जनपदों में आवश्यक स्वीकृति देना सम्भव नहीं हो सका। अब शेष जनपदों में वेतनादि के अवशेष का भुगतान वर्ष 1975-76 में यथाशीघ्र कराने की व्यवस्था करा दी जायेगी।

श्री हुकम सिंह —

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अब तक अध्यापकों के एरियर पेंडिंग रहने का कारण क्या है? 72 से लेकर अब तक उनका भुगतान अभी तक क्यों नहीं किया गया?

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, मैं इस सम्बन्ध में यहां पर एक वक्तव्य भी दे चुका हूं। 72 के बाद इनका जो पे फिक्सेशन का जी0 ओ0 है, वह 29-1-74 को हुआ था और उसी के बाद जो पे कमीशन बैठा, उससे शिक्षक सहमत नहीं थे, उसके परिणाम स्वरूप दिनांक 25-2-74 को आदेश हुआ जिसमें 10 रु0 की बढ़ोत्तरी हुई और विकल्प की तिथि 31-3-1974 कर दी गयी। बहुत से अध्यापकों ने विकल्प नहीं भरे, जिससे 74 का जो पैसा था, वह 75 में आ गया। उनकी कठिनाइयों को देखते हुए यह तय किया गया कि उस पैसे को राजकोष में जमा कर दिया जाये। इसलिये यह पैसा नहीं मिल पाया है। सरकार की कोई मंशा नहीं है कि इसको हड़प ले।

श्री जगदीश अवस्थी—

जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा कि विकल्प अध्यापकों ने नहीं भरा तो मैं कहना चाहता हूं कि विकल्प भराया नहीं गया है। मैं जानना चाहता हूं कि कितने ऐसे जनपद हैं, जहां पर विकल्प भर गये हैं और जिन्होंने नहीं भराया है, उनके खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे?

श्री अध्यक्ष—

व्यापक हो गया है। आपने ब्योरे का प्रश्न कर लिया।

श्री जगदीश अवस्थी—

कितने जनपद ऐसे हैं जहां पर बकाया है?

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, इसमें जो शिक्षक थे वह 3 लाख थे। विकल्प का पूरा होना बड़ा काम था। और जहां पर यह कार्य पूरा हो गया है, वहां पर इसका आवंटन कर दिया गया है। जहां पर यह कार्य पूरा हुआ उनकी संख्या 24 है।

श्री रामायण राय (जिला देवरिया)—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन जनपदों में धनराशि आवंटित की गयी, शासकीय आदेश प्राप्त हो गये, क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि वहां पर भी वह धनराशि वितरित नहीं की गयी है? उसका कारण यह है, मैं मुजफ्फर नगर का उदाहरण

देना चाहता हूं, उन विद्यालयों से पैसा मांगा जा रहा है और जिला विद्यालय निरीक्षक का आवश्यक सहयोग नहीं प्राप्त हो पा रहा है जिसकी वजह से यह धनराशि आज भी बिना वितरित हुए बैंकों में पड़ी हुई है।

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, मुजफ्फरनगर इस सूची में नहीं है।

श्री अध्यक्ष--

ये तो मिसाल के रूप में मुजफ्फरनगर बता रहे हैं।

श्री अम्मार रिजवी--

अगर कोई माननीय सदस्य सूचना देंगे तो देख लूगा। 24 जिलों में मुजफ्फरनगर नहीं है।

श्री रामायण राय--

मान्यवर, आप स्वयं जानते हैं कि जिन जनपदों में शासकीय आदेश प्राप्त हो गये हैं, उनमें भी जब तक डिप्टी डायरेक्टर और जिला विद्यालय निरीक्षक को शिक्षा संस्थाओं के द्वारा घूस नहीं दी जाती है, तो काम नहीं होता है। धनराशि बैंकों में जमा हो जाती है। तो क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस धनराशि के न बंटने के क्या कारण हैं और किन-किन जनपदों में वह वितरित नहीं हुई है?

श्री अम्मार रिजवी--

इसकी जांच करवा लूंगा।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)--

जिन अधिकारियों ने शासन के स्पष्ट आदेश के बाद भी विकल्प नहीं भरवाये हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही करने का क्या माननीय मंत्री जी आश्वासन देंगे ?

श्री अध्यक्ष--

यह तो कन्क्लअज वक्त है। पहले तो यह पता चल जाये कि कहां-कहां नहीं भरवाये गये।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल)--

कुछ जिलों में तो विकल्प भरवा दिए गये हैं और कुछ में नहीं। तो जिन में नहीं भरवाये गये हैं, वहां के अध्यापकों को कहा गया है कि उनके प्रोविडेन्ट फंड में जमा करा दिया गया, डाकखानों में भी नहीं। सरकारी कोषों की जैसी हालत है, वह आप देख रहे हैं, तो क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कब तक वह धनराशि आप सरकारी कोषों में रखेंगे और कब तक उनको एक्चुअल पेमेंट हो जायगा ?

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, कोशिश कर रहे हैं कि इस महीने में हो जाय। जहां तक प्रोविडेन्ट फंड में रुपये रखने का सवाल है, उसमें कुछ उसूल होते हैं। वह पैसा उनको उसी वक्त वापस नहीं किया जाता है। जब वे लेना चाहते हैं, तो नियमानुसार उनको मिल सकता है।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)--

31 मार्च तक सारा भुगतान हो जाना चाहिये था। तो इन 22 जिलों में कौन-कौन से ऐसे जिले हैं, जिनमें औप्शन भरे गये हैं और किन-किन में भरे नहीं गये हैं, पेमेंट नहीं हुआ है ?

श्री अम्मार रिजवी--

जिनमें कागजात भरे गये हैं, वे निम्न जिले हैं :

(1) बुलन्दशहर, (2) अलीगढ़, (3) एटा, (4) बरेली, (5) बिजनौर, (6) पीलीभीत, (7) रामपुर, (8) झांसी, (9) बस्ती, (10) फैजाबाद, (11) लखनऊ, (12) सीतापुर, (13) खीरी, (14) हरदोई, (15) उन्नाव, (16) गोंडा, (17) इटावा, (18) सहारनपुर और नैनीताल, पिथौरागढ़, टिहरी गढ़वाल (पर्वतीय जनपद)।

श्री त्रिवेणी सहाय--

जिन अधिकारियों ने औप्शन नहीं लिए हैं, उनमें से यह जान कर कि यहां पर ऐसी गड़बड़ी हुई है, क्या आप कोई ऐक्शन लेंगे ? जब तक आप कोई ऐक्शन नहीं लेंगे तब तक काम नहीं चलेगा ?

श्री अम्मार रिजवी--

जो भी अधिकारी दोषी होगा, उसके खिलाफ अवश्य ऐक्शन लिया जायगा।

फर्रुखाबाद जिले की प्राइमरी पाठशाला, पसेनी की अध्यापिकाओं के वेतन वितरण में गड़बड़ी

*6--श्री विमल प्रसाद तिवारी--

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि फर्रुखाबाद जनपद के बढ़पुर ब्लाक की प्राइमरी पाठशाला, पसेनी की अध्यापिकाओं के फरवरी, 74 माह के वेतन वितरण में कुछ गड़बड़ी हुयी थी जिसे लेकर कुछ शिकायतें हुयीं और बी0एस0 ए0 द्वारा जवाब तलब भी किया गया ? यदि हां, तो इस गड़बड़ी के लिये कौन दोषी पाया गया तथा क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी हां। तत्तकालीन प्रति उप विद्यालय निरीक्षक श्री काशी नाथ गुप्ता दोषी पाए गए। श्री गुप्ता के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है।

श्री विमल प्रसाद तिवारी--

फरवरी, 1974 में पसेनी पाठशाला की अध्यापिकाओं के वेतन वितरण सम्बन्धी गड़बड़ी थी और यह निश्चित पाया गया कि तत्कालीन उप विद्यालय निरीक्षक श्री काशी नाथ गुप्ता दोषी पाये गये। यह दुरुपयोग सरकारी धन का था, इस इरादे से कि उसका पूर्णरूपेण दुरूपयोग किया जाय जो वह कर नहीं सके। तो जब प्राइमाफ्रेसी केस इस्टैब्लिश हो गया और एक साल से ऊपर हो गया और मंत्री जी ने कहा कि कार्यवाही हो रही है, तो क्या उनको निलम्बित किया गया या नहीं ?

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, वह टेम्पोरेरी हैं और टेम्पोरेरी को निलम्बित करना जरा वैसा सवाल है। लेकिन उनके खिलाफ पूरी जांच कर के अगर जरूरत इस बात की प्रतीत हुई कि उनको पुलिस में दे दिया जाय तो पुलिस में दे दिया जायगा।

श्री विमल प्रसाद तिवारी—

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि एक मामूली सी जांच करने में 14 महीने लग रहे हैं, तो कितना समय और स्थानीय अधिकारी इस मामले की पूर्णरूपेण जांच करने में लगायेंगे ?

श्री अम्मार रिजवी—

ज्यादा से ज्यादा एक महीना।

वाराणसी जिले में नलकूपों का निर्माण

*7—श्री बल्देव (जिला वाराणसी) (अनुपस्थित)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वित्तीय वर्ष 1974-75 में वाराणसी जिले के लिये 20 (बीस) नलकूप लगाने का निश्चय किया गया था? यदि हां, तो सिंचाई समिति वाराणसी ने कहां-कहां नलकूप लगाने की स्वीकृति दी और कहां-कहां नलकूप लगे ? यदि स्वीकृति नहीं प्राप्त की गयी, तो क्यों ?

सिंचाई मंत्री (श्री मोहम्मद महमूद अली खां)—

जी हां। सब नलकूप जिले सिंचाई समिति, वाराणसी द्वारा मंजूर किये गये स्थानों पर ही लगाये गये है जिनकी सूची संलग्न है।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ. . 253 पर।)

फर्रुखाबाद जिले के जूनियर हाई स्कूल, गदनपुर तुर्रा के छात्रों को दी गई फोर्ज्ड मार्कशीट

*8—श्री विमल प्रसाद तिवारी—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद जनपद के जूनियर हाईस्कूल, गदनपुर तुर्रा के कई फेल छात्रों को पास की मार्कशीट 1971 की जूनियर हाई स्कूल परीक्षा की दी गयी थी ? यदि हां, तो यह बताने की कृपा करेंगे कि इसमें क्या जांच की गयी तथा दोषी पाये जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां। दो अनुत्तीर्ण छात्रों को फोर्ज्ड (forged) मार्कशीट दी गई थी। इस मामले में अतिरिक्त जिलाधीश (नियोजन), फर्रुखाबाद द्वारा जांच की गई है। दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही विचाराधीन है।

श्री विमल प्रसाद तिवारी—

मान्यवर, 1971 की जूनियर हाई स्कूल परीक्षा की फोर्ज्ड मार्कशीट छात्रों को पास की दी गयी और उस वक्त अतिरिक्त जिलाधिकारी, नियोजन ने इसकी जांच की। आज सन् 75 है और उत्तर में यह आया है कि आवश्यक कार्यवाही विचाराधीन है। तो कितना वक्त

इस किस्म की कार्यवाहियों पर विचाराधीन रहने में लगेगा ? क्या इसका कारण यह नहीं है कि कोई विभागीय अधिकारी इस मामले को दबा देना चाहता है ताकि दोषी व्यक्ति बच जावं ?

श्री अम्मार रिजवी--

सम्मानित सदस्य ने जो बात कही उससे मैं स्वयं सहमत हूं कि इसमें बहुत विलम्ब हुआ है। यह मामला आज मेरे पास आया है। मैं इसमें भी उनको आश्वासन दे सकता हूं कि इसके ऊपर कार्यवाही 15 दिन के अन्दर की जायगी।

टिहरी गढ़वाल जिले की सेमत्तासू नहर का निर्माण

*9--श्री गोविन्द प्रसाद गैरोला (जिला टिहरी गढ़वाल)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि सेमत्तासू नहर निर्माण कार्य जो विकास खंड देवप्रयाग, जिला टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत शासन द्वारा स्वीकृत है उसे प्रारम्भ क्यों नहीं किया जा रहा है ? क्या सरकार यह भी बताने का कष्ट करेगी कि यह योजना कितने समय में बने कर तैयार होंगी और कितने एकड़ भूमि इस योजना के बन जाने पर सिंचित हो सकेगी ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां--

प्रथम भाग--

अभी इस योजना का सर्वे कराया जा रहा है।

द्वितीय भाग--

कार्य शुरू होने के बाद इस योजना को पूर्ण करने में चार वर्ष का समय लगने का अनुमान है।

तृतीय भाग--

इस योजना से लगभग 64 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा प्राप्त होने का अनुमान है ।

श्री गोविन्द प्रसाद गैरोला--

इसका सर्वे आप कब से करवा रहे हैं ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां--

सन् 73 से ।

श्री गोविन्द प्रसाद गैरोला--

सन् 72 में श्रीनगर (गढ़वाल) में जो मंडलीय स्तरों का सेमिनार हुआ था उसमें विभाग ने जो आंकड़े हमारे सामने प्रस्तुत किये थे, उसमें इस नहर की लम्बाई, इस पर होने वाला परिव्यय और इससे सिंचित होने वाले क्षेत्र के आंकड़े हमें दिये थे। तो क्या वह बिना सर्वेक्षण के दिये थे ?

श्री अध्यक्ष--

आप प्रश्न करें। इसका ब्योरा कैसे बता सकते हैं ?

श्री गोविन्द प्रसाद गैरोला--

प्रश्न यह है कि सिंचाई विभाग जो अपनी योजनायें तैयार करता है, उनके माध्यम से एक सर्वेक्षण रिपोर्ट सन् 72 में जब यहां के तत्कालीन मुख्य सचिव श्री सतीशचन्द्र जी

की अध्यक्षता में हुई थी तो तत्कालीन आयुक्त कुमारी कुसुम मित्तल ने हमारे सामने जो आंकड़े दिये थे, उसमें इस नहर की लम्बाई, इस पर होने वाले परिव्यय और इससे सिंचित होने वाली भूमि का क्षेत्रफल, यह तीनों चीजें दी थीं और कहा था कि यह चतुर्थ पंच वर्षीय योजना में बनकर पूरी हो जायगी। तो क्या मैं जान सकता हूं कि यह जो सूचनायें दी गयी थीं, यह बिना सर्वेक्षण के दी गयी थीं ?

श्री अध्यक्ष—

आप कोई तत्काल मंत्री जी से प्रश्न करें।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

क्या माननीय मंत्री जी को यह विदित है कि श्रीनगर में जो सेमिनार हुआ था, उस सेमिनार में इस योजना के बारे में कितना परिव्यय होगा, यह सब दिया गया था ? यदि हां, तो जो वह परिव्यय दिया गया था, क्या बगैर किसी सर्वेक्षण के दिया गया था ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

इसके बारे में तो मुझे जानकारी नहीं है।

श्री गोविन्द प्रसाद गैरोला—

इस नहर की लम्बाई आपके सर्वेक्षण के अनुसार कितनी होगी ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

लम्बाई लगभग 8.4 किलोमीटर होगी।

वाराणसी जिले के भारतीय हायर सेकेन्डरी स्कूल, परसीपुर के प्रधानाचार्य के विरुद्ध शिकायती-पत्र और छात्रों का रोका गया परीक्षाफल

*10—श्री गिरिजा शंकर पाठक (जिला वाराणसी)—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जनपद के भारतीय हायर-सेकेन्डरी स्कूल, परसीपुर के प्रधानाचार्य के विरुद्ध तमाम आरोपों के साथ दिनांक 31-1-75 को चौरी निवासी श्री गुलाब धर दूबे ने माननीय मुख्य मंत्री, शिक्षा मंत्री, शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश के नाम से कोई पत्र भेजा है, यदि हां, तो अब तक पत्र के संदर्भ में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां, कथित शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ था। शिक्षा निदेशक को जांच एवं आवश्यक कार्यवाही करने के लिये आदेश दिये गये हैं।

*11—श्री गिरिजा शंकर पाठक—

क्या शिक्षा मंत्री यह बतायेंगे कि उक्त स्कूल के वर्ष 1972-73 में 59 छात्रों का परीक्षा फल रोक लिया गया था जिसके मुख्य दोषी प्रधानाचार्य थे ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां, विद्यालय अभिलेख अपूर्ण एवं संदिग्ध होने के कारण 59 परीक्षार्थियों का परीक्षाफल माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा रोका गया था। इस हेतु प्रधानाचार्य को भविष्य में सतर्क रहने के लिये सचेत किया गया।

श्री गिरिजा शंकर पाठक--

क्या मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि उक्त प्रधानाचार्य के संबंध में शिकायतें क्या हैं ?

श्री अम्मार रिजवी--

शिकायते ये हैं--प्रधानाचार्य द्वारा रुपया लेकर गलत टी0 सी0 देना, अध्यापकों का प्राविडेन्ट फंड ठीक समय से तथा हर माह जमा न करना, हरिजन छात्रों की छात्रावृत्ति का दुरुपयोग अपने निजी कार्य में खर्च करना, पुस्तकालय की पुस्तकों का विक्रय कर देना, छात्रों से हर प्रकार की फीस वसूलते हुये उन्हें किसी प्रकार की सुविधा न देना, आदि-आदि हैं।

श्री गिरिजा शंकर पाठक--

59 छात्रों का जो परीक्षाफल का रहा इसमें दोष किसका है छात्रों का या प्रधानार्य का ?

श्री अध्यक्ष--

वह तो उत्तर में बताया है। दूसरा प्रश्न करें।

श्री गिरिजा शंकर पाठक--

कारण में अभिलेखों का अपूर्ण होना बताया है तो अपूर्ण होने की जिम्मेदारी किस की है ?

श्री अम्मार रिजवी--

किसी चीज को छिपाया नहीं गया है, जो स्थिति थी बता दी गयी। विद्यालय से कागज भेजने में देर हुई। बाद में 59 में से 57 का परीक्षाफल घोषित हो गया, 2 लड़कों का भईयालाल तथा दूसरा सुरेन्द्र नाथ दुबे, रुका है। ये एलीजिविल ही नहीं थे।

श्री गिरिजा शंकर पाठक--

इसमें 59 छात्रों का क्या दोष था जो उनका परीक्षा फल रुका रहा ?

श्री अम्मार रिजवी--

57 का मामला तय हो गया। अब जांच हो रही है, जो भी दोषी पाया जायेगा उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

श्री गिरिजा शंकर पाठक--

किस अधिकारी द्वारा जांच करवायी जा रही है और क्या प्रधानाचार्य के विरुद्ध कोई कार्यवाही की जायेगी ?

श्री अम्मार रिजवी--

जांच के पहले कोई फैसला करना ठीक नहीं है।

*12--श्री ऊदल--

[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर स्थगित।]

जालौन जिले की नगरपालिका कोंच की अप्रशिक्षित अध्यापिकाओं का वेतन

*13--डाक्टर मलखान सिंह (जिला जालौन) (अनुपस्थित)--

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जिला जालौन में बेसिक शिक्षा में काम कर रही अप्रशिक्षित अध्यापिकाओं को उनके साथ काम कर रही अप्रशिक्षित उर्दू अध्यापिकाओं एवं नौकरानियों से भी कम कुल एक सौ अस्सी रुपये मात्र मासिक वेतन मिल रहा है? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

केवल नगरपालिका, कोंच की अप्रशिक्षित अध्यापिकाओं को 180 रु0 मासिक नियत वेतन दिया जा रहा है। अभी इनको महंगाई तथा अतिरिक्त महंगाई भत्ते का भुगतान नहीं किया जा सका है। इसके लिये आदेश दिये जा चुके हैं और भुगतान की शीघ्र व्यवस्था करा दी जायेगी।

शिक्षा पुनर्व्यवस्था योजना के अन्तर्गत प्रसार अध्यापकों, शिल्प शिक्षकों तथा ग्रूप सुपरवाइजरों का स्थायीकरण और डाक्टर रामदास कमेटी की रिपोर्ट की सिफारिशों का कार्यान्वयन

*14—श्री हरीश कुमार गंगवार (जिला बरेली) (अनुपस्थित)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षा पुनर्व्यवस्था योजना के अप्रैल, 1965 में स्थायी घोषित किये जाने के उपरान्त भी उसके अन्तर्गत 1954 या उसके बाद से कार्य कर रहे कितने प्रसार अध्यापकों, शिल्प शिक्षकों तथा ग्रूप सुपरवाइजरों को अभी भी स्थायी घोषित नहीं किया गया है और किन कारणों से ?

श्री अम्मार रिजवी—

सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ पर 254 पर)

*15—श्री हरीश कुमार गंगवार (अनुपस्थित)—

[क्या शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि पुनर्व्यवस्था योजना का मूल्यांकन करने वाली श्री रामदास कमेटी की 1963 की रिपोर्ट में "कन्क्लूजंस एण्ड रिकमेंडेसन्स" शीर्षक के अन्तर्गत प्रसार शिक्षकों, शिल्प शिक्षकों, प्रवक्ताओं, कृषि पर्यवेक्षकों आदि की सेवाओं के सम्बन्ध में क्या मुख्य-मुख्य सिफारिशें की गयी हैं ? क्या सरकार उक्त कमेटी की उपरोक्त सिफारिशों को सदन के पटल पर रखते हुये बतायेगी कि उन्हें अब तक लागू न किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री अम्मार रिजवी—

डा0 राम दास कमेटी की रिपोर्ट के "कनक्लूजेन्स ऐन्ड रिकमेन्डेशन्स" शीर्षक अध्याय की प्रति संलग्न है। उक्त अध्याय में प्रसार-अध्यापकों आदि की सेवाओं के सम्बन्ध में मुख्य-मुख्य सिफारिशें इस आशय की हैं कि—(1) प्रसार-अध्यापक के पदों का धीरे-धीरे स्थायीकरण कर दिया जाय, (2) प्रसार-अध्यापकों के संवर्ग को शिक्षा विभाग के अन्य अध्यापकों के समक्ष ही माना जाय, और उनका प्रशिक्षण एल0 टी0, सी0 टी0 के समक्ष माना जाय, तथा (3) पदोन्नति हेतु प्रसार-अध्यापकों को पूर्ण अवसर प्रदान किये जायें। मद (1) की सिफारिश वर्ष 1965 तथा 1968 में कार्यान्वित हो चुकी है और मद (2) तथा (3) की सिफारिशें अभी शासन के विचाराधीन हैं।

*16—श्री गजाधर प्रसाद आर्य—

[दो विभागों से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त।]

---

†छापी नहीं गयी।

नैनीताल जिले के ग्राम पनियाली की सिंचाई की व्यवस्था

*17—श्री इन्द्र लाल (जिला नैनीताल) (अनुपस्थित)—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला नैनीताल, तहसील हल्द्वानी के अन्तर्गत ग्राम पनियाली की असिंचित भूमि की सिंचाई के प्रबन्ध हेतु तत्कालीन सिंचाई मंत्री द्वारा दिनांक 5 जनवरी, 1972; 10 फरवरी, 1972 तथा 8 मई, 1972 को जो आदेश सिंचाई विभाग को दिये गये थे उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

जिला नैनीताल तहसील हल्द्वानी के अन्तर्गत ग्राम पनियाली में सिंचाई की सहूलियत दिलाने के बारे में सिंचाई मंत्री ने दिनांक 5-1-72 व 10-2-72 को आदेश दिये थे ।

इस ग्राम की सिंचाई के लिये कठघरिया नहर के कुलाबा नं0 8 की गूल को पक्का किया जाना है। इसका इन्तजाम जमरानी बांध प्रायोजना में किया गया है।

फर्रुखाबाद जिले के कन्था नाला व काली नदी पर पुल निर्माण की मांग

*18—श्री अनवार जमील (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फर्रुखाबाद में कमालगंज विकास खंड के अन्तर्गत चियासर ग्राम सभा में बाढ़ के समय आवागमन बिलकुल अवरुद्ध रहता है ? यदि हां, तो ऐसी स्थिति में कन्था नाला व काली नदी पर पुल बनाने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोम्मद महमूद अली खां—

इस ग्राम में बाढ़ के समय आमदरफ्त में परेशानी होती है ।

पैसे वगैरह की कमी को देखते हुए इस जगह पर पुल बनाना मुमकिन नहीं है।

श्री अनवार जमील—

मान्यवर, आपके जरिये, मैं माननीय मंत्री जी को बतलाना चाहता हूं कि कई साल हो चुके हैं, बराबर यह देखने में आ रहा है कि कन्था नाला व काली नदी में बाढ़ आने से आस-पास के गांवों में आवागमन के कोई साधन न होने से खाने-पीने की चीजें वहां नहीं पहुंच पाती हैं, इस वजह से वहां पुल बनाना बहुत जरूरी है ।

श्री अध्यक्ष—

यह तो आप सुझाव दे रहे हैं ।

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

सिंचाई विभाग ऐसी कुदरती नदियों पर विभाग की तरफ से पुल नहीं बनाता है, इस-लिये मेरी मजबूरी है ।

श्री शिव कुमार पांडेय (जिला सुल्तानपुर)—

उन नदियों पर जिनसे सिंचाई विभाग, सिंचाई के लिये पानी लेता है, क्या माननीय मंत्री जी आर्थिक स्थिति सुधर जाने पर उन नदियों पर पुल बनवाने की कृपा करेंगे ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां--

मैंने तो अर्ज किया कि इस तरह की नदियां जो हैं, उन पर हमारे विभाग की तरफ से पुल नहीं बनता है, बल्कि पी0 डब्लू0 डी0 की तरफ से बनता है।

श्री अनवार जमील--

मैंने तो सवाल सार्वजनिक निर्माण विभाग से ही किया था।

श्री मोहम्मद अहमद अली खां--

पी0 डब्लू0 डी0 ने मेरे पास भेज दिया इसलिये मुझे जवाब देना पड़ रहा है।

श्री अध्यक्ष--

अगर आपसे सम्बन्धित सवाल नहीं था तो उसे पी0 डब्लू0 डी0 को भेज देना चाहिये था कि इसका मुझसे मतलब नहीं है।

श्री राम प्रकाश त्रिपाठी (जिला फर्रुखाबाद)--

मान्यवर, यह अजीब बात है कि पी0 डब्लू0 डी0 कहता है कि सिंचाई विभाग बनायेगा और सिंचाई विभाग पी0 डब्लू0 डी0 के लिये कहता है।

श्री अध्यक्ष--

(सिंचाई मंत्री से) जब आपके पास पी0 डब्लू0 डी0 ने सवाल भेजा तो आपको फौरन ही उसके पास भेज देना चाहिये था न।

गैर सरकारी सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों के अध्यापकों एवं कर्मचारियों का वेतन-क्रम

*19--श्री मूल चन्द राजपूत (जिला मुजफ्फरनगर) (अनुपस्थित)--

क्या शिक्षा मंत्री को यह ज्ञात है कि उत्तर प्रदेश में गैर-सरकारी सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों के अध्यापकों एवं अन्य कर्मचारियों को दिनांक 30 सितम्बर, 1971 से कोई भी बढ़ाया हुआ महंगाई भत्ता प्राप्त नहीं हुआ है? यदि हां, तो क्यों?

श्री अम्मार रिजवी--

जी हां। इस श्रेणी के अध्यापकों एवं कर्मचारियों के वेतनमान संशोधित न होने के कारण। प्रश्न शासन के विचाराधीन है।

शिक्षा विभाग के प्रसार शिक्षकों की सीनियारिटी लिस्ट और उनके प्रमोशन की मांग

*20--श्री मुलायम सिंह यादव (जिला इटावा)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पुनर्व्यवस्था योजना के अन्तर्गत शिक्षा विभाग द्वारा सन् 1974 में प्रसार शिक्षकों की नियुक्ति की गयी थी परन्तु 20 वर्ष के बाद भी न तो उनका कोई प्रमोशन चैनल ही बनाया गया है और न ही सीनियारिटी लिस्ट ही प्रकाशित की गयी है तथा विभागीय प्रशिक्षण के बाद भी उन्हें ट्रेण्ड घोषित नहीं किया गया है? यदि हां, तो ऐसा क्यों?

श्री अम्मार रिजवी--

प्रसाराध्यापकों की सिनियारिटी लिस्ट प्रकाशित की जा चुकी है।

शेष मामले विचाराधीन हैं।

श्री मुलायम सिंह यादव—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि शेष मामले क्या हैं और सरकार उन पर कब तक निर्णय ले सकेगी ?

श्री अम्मार रिजवी—

प्रसार अध्यापकों के सिलसिले में कई कमेटियां बैठीं और कई रिपोर्ट्स सामने आयीं। उस सिलसिले में दो-तीन चीजें मुख्य हैं, वह मैं आपकी सेवा में रख रहा हूं। एक तो यह कि इन लोगों का कनफरमेशन कर दिया जाय जितने कि एक्सटेंशन टीचर्स हैं, और इनका जो सामन्य शिक्षक हैं उनके साथ मर्जर कर दिया जाय और प्रमोशन के लिये एवेन्यू हो जाय, यानी उसके अन्दर इनकी तरक्की होनी चाहिये। ये तीन चीजें खास हैं।

श्री मुलायम सिंह यादव—

इन पर निर्णय कब तक हो जायेगा ? क्योंकि यह सवाल 54 से अब तक चला आ रहा है ?

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, इस पर निर्णय शीघ्र हो जायेगा।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मान्यवर, यह जो प्रसार अध्यापक हैं, इनकी स्थिति सोचनीय है और प्रमोशन के कोई चांसेज नहीं हैं। तो क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो यह सिफारिश है, प्रोमोशन के लिये उनको अन्य अध्यापकों के समकक्ष माना जाय तो क्या शासन सिद्धांतः इस बात को स्वीकार करता है ?

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, इस संबंध में निवेदन करूंगा कि एक्सटेंशन टीचर्स के बेटरमेंट के लिये, भलाई की तरफ शासन पूरी तरह से सतर्क है और मैं आंकड़े रखना चाहता हूं कि जिससे माननीय सदस्य को पता चल जाय। अविस्नातक वेतन क्रम की 1,826 पोस्टें थीं जिसके अन्तर्गत 1,693 पोस्टें परमानेंट बना दी गयी हैं। बाकी 133 पर विचार हो रहा है। एल0 टी0 ग्रेड 737 में 693 को दिया गया है, शेष 44 बाकी हैं। सी0 टी0 वेतन-क्रम में 146 में से 123 को दिया गया है, 23 बाकी हैं। तो देखेंगे कि इस तरह कार्यवाही हो रही है और बाकी चीजें हो जायेंगी।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मान्यवर, मेरा यह प्रश्न नहीं था। प्रश्न था कि सिद्धान्तः आप क्या इस बात को स्वीकार करेंगे कि इन अध्यापकों के लिये कोई प्रमोशन चैनल होना चाहिये ?

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, इस समय भी विचाराधीन है कि इनको 20 परसेंट–10 परसेंट प्रमोशनल एवेन्यूज दिये जायं और हायर ग्रेड दिये जायं।

श्री मुलायम सिंह यादव—

मान्यवर, क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि सन् 54 से लेकर अभी तक इन अध्यापकों का प्रमोशन नहीं हुआ है जबकि इनकी योग्यता अन्य जो सरकारी अध्यापक हैं, उनके बराबर है। तो इस बीच प्रमोशन न होने के कारण जो इनका नुकसान हुआ है तो जब इनका प्रमोशन करेंगे तो उस समय जो इनका नुकसान हुआ है उसका हरजाना देंगे ?

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, सन् 54 में यह स्कीम सरकार की आ गयी थी, कि एग्रीकल्चर और क्राफ्ट की तरफ प्रोत्साहन दें। 10 साल तक पाइलेट प्रोजेक्ट की तरह से यह स्कीम रही। इसके बाद शासन ने यह सोचा कि परमानेंट किया जाय तो इसके बाद बराबर परमानेंट करते रहे। जो 2663 अध्यापक हैं, इनके बारे में पूरी तरह से शासन विचार कर रहा है कि इनको प्रमोशन के एवेन्यूज प्रोवाइड किये जायं।

मिर्जापुर जिले के आर्य कन्या इन्टर कालेज के भवन का तथा कथित स्थानान्तरण

*21—श्री आशाराम यादव (जिला मिर्जापुर)—

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जिला मिर्जापुर स्थित आर्य कन्या इन्टर कालेज के भवन का कुछ भाग दिनांक 3 अक्तूबर, 1974 को किसी दूसरी संस्था को हस्तान्तरित कर दिया गया है जिससे छात्राओं के पठन-पाठन में कष्ट हो रहा है और जनता में असन्तोष है? यदि हां, तो क्यों तथा वहां के प्रधानाचार्या या जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध शासन ने क्या कार्यवाही की?

श्री अम्मार रिजवी—

जी नहीं, शेष का प्रश्न नहीं उठता।

श्री आशाराम यादव—

मान्यवर, यह लगभग 2 महीने का प्रश्न हो गया है। इस प्रश्न का आपने पहले उत्तर दिया कि सूचना नहीं प्राप्त हुयी है। मान्यवर, इनके पूरे अधिकारी नीचे से ऊपर तक. . . .

श्री अध्यक्ष—

आप प्रश्न करें।

श्री आशाराम यादव—

मान्यवर, प्रश्न मैं कर रहा हूं। इसमें लिखा है कि 3 अक्तूबर, 74 को किसी दूसरी संस्था को हस्तान्तरित कर दिया गया है। पूरी बातों को लिखित रूप से दिया गया है। जबकि उत्तर आ रहा है 'जी नहीं' तो क्या माननीय मंत्री जी इस मामले में किसी को भेजेंगे और जो दोषी हो उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे?

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, यह कई बार वहां से पुछवाया गया लेकिन सम्मानित सदस्य के यह पूछने के पहले, मैंने आदेश कर दिया है कि किसी अधिकारी को भेजा जाय जो जाके स्वयं देखे और स्थिति बताये।

इटावा जिले के बन्द नलकूपों को चालू करने की मांग

*22—श्री मुलायम सिंह यादव—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इटावा जिला में अधिकांश सरकारी ट्यूबवेल बन्द पड़े हैं? जिससे खेती सूख रही है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अभी तक क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

इटावा जिले में पिछले महीने केवल 13 राजकीय नलकूप मुख्तलिफ वजूहात से बन्द थे। बन्द नलकूपों को ठीक करने की कोशिश की जा रही है।

श्री मुलायम सिंह यादव—

माननीय अध्यक्ष महोदय, 13 फरवरी को मैंने यह सवाल किया था और उस समय फसल को पानी की अति आवश्कता थी। उस समय के खराब हुये ट्यूबवेलों की अभी कोशिश की जा रही है ठीक करने की। तो इस बीच में ट्यूबवेल पानी नहीं दे पाये और फसल नष्ट हो गयी। सिंचाई नहीं हो पायी तो क्या उन किसानों की लेवी आप माफ करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

यह तो अलग प्रश्न हो गया।

श्री मुलायम सिंह यादव—

मान्यवर, क्या सिंचाई मंत्री उन किसानों को मुआवजा देंगे ?

श्री मोहम्मद महमूदअली खां—

इसके बारे में तो मैं क्या कह सकता हूं। वहां के डी० एम० को लिखें कि सिंचाई नहीं हुयी, नहीं हुयी होगी तो वह सोचेंगे।

श्री मुलायम सिंह यादव—

मान्यवर, इतन दिनों तक ट्यूबवेल खराब पड़े रहे और अभी तक कर्मचारियों ने ठीक नहीं कराया, तो क्या मंत्री जी उनके विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

मान्यवर, कई बातों से नलकूप खराब रहे। 5 नलकूप तो ट्रान्सफारमर चोरी हो जाने से नहीं लग पाये, 4 ट्यूबवेलों की मशीन खराब थी और 5 नलकूप ऐसे थे जिनके बनने के बाद मालूम हुआ कि डिस्चार्ज कम हैं इस लिये व दुबारा बनाये जायगे।

इलाहाबाद जिले के विकास खंड प्रतापपुर के कतिपय नलकूपों का न चलना

*23—श्री अठई राम (जिला इलाहाबाद)—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि इलाहाबाद जनपद के विकास खंड, प्रतापपुर में खखैचा नलकूप नं० 130–एच, वेलाखास नं० 126–एच, राजपुर 58–एच, देवली, मिश्री व बन्दी पट्टी लगभग 6 माह से बन्द पड़ी है जिससे सिंचाई नहीं हो पा रही है ? यदि हां, तो सरकार ने इन नलकूपों को तुरन्त ठीक कराने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की और कब तक यह ठीक हो जायेंगे ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

जी नहीं। इन नलकूपों से पिछले 6 महीने में 25–2–75 तक निम्न प्रकार सिंचाई हुई :—

130 एच० खखेचा	..	..	28 एकड़
126 एच० बेलाखास	..	..	121 एकड़
58 एच० रामपुर	..	..	110 एकड़

246 एच0 देवती .. .. .. 235 एकड़
85 एच0 मिश्री .. .. .. 86 एकड़
164 एच0 बन्दी पट्टी .. .. .. 75 एकड़

इस समय नलकूप संख्या 130 एच खखेचा बिजली की खराबी से बन्द है जिसको विद्युत् विभाग द्वारा ठीक कराया जा रहा है।

श्री अठई राम—

माननीय सिंचाई मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूं कि एक ट्यूबवेल से सिंचाई 400–500 एकड़ के रखी गयी है जबकि जवाब दिया है खखेंचा नलकूप से केवल 28 एकड़ की सिंचाई हुई है, इसी तरह से और नलकूपों से 40–50 एकड़ की सिंचाई हुयी है। तो मंत्री जी बताने की कृपा करें कि जो एरिया नहीं सींचा गया जिससे फसल बरबाद हो गयी तो वह उन किसानों को कोई राहत देने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

मान्यवर, इस तरह से नलकूपों का न चलने का कारण बिजली की कमी रही है।

श्री अठई राम—

मैं जानना चाहता हूं कि 6 ट्यूबवेल में बिजली की कमी रही या एक-दो में। दूसरे ट्यूबवेलों में 100 एकड़ तक सिंचाई हुई है, लेकिन खखेचा से 28 एकड़ ही सींचा गया है, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

मान्यवर, यह ट्यूबवेल बिल्कुल आखिर में लगा हुआ है, वोल्टेज वहां कम रहता है। इसलिये कम चल पाया। विद्युत् विभाग को लिखा गया है कि बिजली ज्यादा दें।

श्री हुकुम सिंह—

मान्वयर, पहले और इस प्रश्न में उत्तर संक्षेप में दे दिया और बताया कि बिजली की कमी से नहीं चल पा रहे हैं। तो कोई ओब्लीगेशन सरकार पर किसानों की तरफ से इस बात का है कि नहीं कि बिजली की खराबी से या मेन्टीनेन्स की खराबी से सिंचाई नहीं हो पा रही है और फसल उससे खराब हो जाती है। तो उसको कम्पेनसेट करने की क्या मंत्री जी कोई व्यवस्था करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

यदि कोई अदालत में चला जाय तो मामला साफ हो सकता है।

श्री मुहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—

मान्यवर, बिजली कम पहुंची है या कितने दिनों से नहीं पहुंच रही है। तो उसके लिये मंत्री जी ने कोई व्यवस्था किया कि बिजली पहुंचे ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

विद्युत् विभाग से बराबर लिखा-पढ़ी हो रही है कि बिजली पहुंचायें।

श्री मुहम्मद असरार अहमद—

मान्यवर, विभाग को लिखा जा रहा है और इतने दिनों से नहीं, तो इसके लिये मंत्रीजी को या विभाग को खत्म किया जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

सुझाव अच्छा है।

श्री अठई राम—

जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा कि विद्युत् विभाग को लिखा गया है तो मैं यह जानना चाहता हूं कि विद्युत् विभाग को कब लिखा गया और उन्होंने क्या जवाब भेजा ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

इसकी तो मेरे पास सूचना नहीं है।

श्री मुहम्मद असरार अहमद—

क्या माननीय मंत्री जी ने टालने के लिये उत्तर दिया है ?

श्री प्यारे लाल (जिला मेरठ)—

मैं माननीय मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि चाहे बिजली की कमी की वजह से, चाहे मेन्टीनेंस की कमी की वजह से जो ट्यूबवेल चल नहीं पाते हैं तो क्या मिनिमम गारन्टी कम करवायेंगे ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

यह तो विद्युत् विभाग से सम्बन्धित है, वही जबाब दे सकते है।

मेरठ जिले के सिंचाई विभाग के कर्मचारियों के बकाया वेतन का भुगतान

*24—श्री रेवती शरण मौर्य (जिला मेरठ) (अनुपस्थित)—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि मेरठ जिले में सिंचाई विभाग में संशोधित वेतन की दरें लागू होने के परिणाम स्वरूप वाजिब बकाया वेतन का भुगतान अमीन, पतरौल, हरकारा, बेलदार, मेठ आदि कर्मचारियों को कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

जी हां, संलग्न सूची (क) में बताये हुये लोगों को छोड़कर बाकी सबका बकाया भुगतान किया जा चुका है। जिन बजूहात से इन लोगों का भुगतान होने से रह गया है, वे संलग्न सूची (ख) में लिखे गये है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 255 पर)

बहराइच जिले की अप्रशिक्षित अध्यापिकाओं की सेवा समाप्त

*25—श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिला बहराइच) (अनुपस्थित)—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि बहराइच जिले की कौन-कौन अप्रशिक्षित अध्यापिकाओं को वर्ष 1973-74 के बी0 टी0 सी0 प्रशिक्षण में न जा पाने के कारण सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं ? क्या यह सही है कि शिक्षा निदेशक, लखनऊ के पत्र संख्या शि0 मु0/ वि0 नि0/ आई (1) 1-475/31—41 (4) 74-75, दिनांक 31-8-74 के अनुसार बहराइच जिले में सेवा समाप्त अप्रशिक्षित अध्यापिकाओं में से किन-किन को अब तक सेवा में पुनः पद स्थापित नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों?

श्री अम्मार रिजवी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

[16 अप्रैल, 1975 के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

बस्ती जिले के माध्यमिक विद्यालयों के कतिपय श्रेणी के अध्यापकों को पुनरीक्षित वेतन का भुगतान और शारीरिक शिक्षा अध्यापकों को प्रवक्ता वेतनमान दिये जाने की मांग

*1—श्री बाबू लाल वर्मा (जिला बहराइच), श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी (जिला गोंडा), श्री दशरथ सिंह (जिला गोंडा) तथा श्री राम पति (जिला गोंडा)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले के माध्यमिक विद्यालयों के कला, पी0 टी0 एवं संगीत अध्यापकों को, वेतन आयोग के अनुसार 1 अगस्त, 1972 से पुनरीक्षित वेतन दिया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों और कब से पुनरीक्षित वेतन देना प्रारम्भ किया जायेगा ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां। दूसरे भाग का प्रश्न नहीं उठता।

*2—श्री बाबू लाल वर्मा, श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री दशरथ सिंह तथा श्री राम पति—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा अध्यापकों को प्रवक्ता वेतनमान देने का प्राविधान है ? यदि हां, तो क्या उनको प्रवक्ता वेतन दिया जा रहा है ? यदि नहीं, तो कब से प्रवक्ता वेतन देना प्रारम्भ किया जायगा ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी नहीं। प्रश्नगत अध्यापकों को प्रवक्ता वेतनमान देने का न तो कोई प्राविधान है और न कोई प्रस्ताव ही विचाराधीन है।

श्री बाबूलाल वर्मा—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो पी0 टी0, कला और संगीत के अध्यापक हैं, उन्हें जो नया वेतन मान दिया जा रहा है, वह कितना है और पहले इन्हें कितना दिया गया था और अन्य अध्यापकों को जो मिल रहा है, उसमें कितना अन्तर है ?

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, इन्हें इस वक्त एल0 टी0 और सी0 टी0 का ग्रेड दिया जा रहा है जैसी उनकी क्वालीफिकेशंस हैं।

श्री बाबू लाल वर्मा—

दूसरे प्रश्न के सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी ने बताया कि उन अध्यापकों को जो प्रवक्ता हैं, नया वेतन मान नहीं दिया जा रहा है, तो मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इनका वेतन मान दूसरे अध्यापकों के वेतन मान में कितना अन्तर है और उनके बराबर वेतन देने में क्या कठिनाई है ?

श्री अध्यक्ष—

अन्तर तो बता दिया गया है। कठिनाई क्या है इसका उत्तर दें।

श्री अम्मार रिजवी—

सम्मानित सदस्य ने जो बताया है, उसको देखेंगे और जो कुछ हो सकेगा वही किया जावेगा।

गोरखपुर जिले के बेसिक शिक्षा परिषदीय अध्यापकों के अवशेष वेतन का भुगतान

*3—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले में बेसिक शिक्षा परिषद् के अध्यापकों के वेतन में जो बढ़ोत्तरी अगस्त, 1972 से हुयी इसका जनवरी, 1974 तक के बकाये का भुगतान अभी तक नहीं हुआ ? जिससे अध्यापकों में असंतोष व्याप्त है ? यदि हां, तो क्यों ? और भुगतान की व्यवस्था मंत्री जी कब तक करायेंगे ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां। अभी तक अगस्त, 72 से बढ़े हुये वेतन आदि के बकाये का भुगतान नहीं हुआ है, क्योंकि शासन द्वारा राज्य की अर्थोपाय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये फरवरी, 1975 में भुगतान पर रोक लगा दी गई है। अब इसका भुगतान वर्ष 1975–76 में यथा शीघ्र कराने की व्यवस्था करा दी जायेगी।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या माननीय शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1972 से अब तक जो बढ़ोत्तरी हुई है, वह अब तक भुगतान क्यों नहीं हुआ ?

श्री अम्मार रिजवी—

इस सम्बध में मैं निवेदन कर चुका हूं और फिर आपके माध्यम से निवेदन कर देना चाहता हूं कि जब पे कमीशन बैठा तो 1974 में जी0 ओ0 ईश्यू हुआ कि इन सब अध्यापकों की तनख्वाह रिवाइज कर दी गई। शिक्षक इससे सन्तुष्ट नहीं थे और उन्होंने बढ़ाने के लिये कहा। एक बार फिर जी0 ओ0 ईश्यू हुआ और 31–3–74 विकल्प भरने और कागज पूरे की तारीख रखी गई।

बहुत सी जगह कागज पूरे हो गये और बहुत सी जगह कागज पूरे नहीं हुए। जहां कागज पूरे नहीं हो पाये वहां 74-75 में सारा खर्चा आ गया और यह किया गया कि इसको कोषागार में जमा कर दिया जाय।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि 31 मार्च, 1974 तक आप्शन भरने थे और गोरखपुर जिले में निर्धारित तिथि तक शिक्षकों के आप्शन भरे गये या नहीं ?

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, यह जिम्मेदारी दोनों की थी। अध्यापकों की भी और अधिकारियों की भी। मैंने एक सूची भी दी है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, मेरा प्रश्न स्पष्ट था। प्रश्न यह था कि क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले में आप्शन भरा गया या नहीं ? अगर नहीं भरा गया तो किसकी जिम्मेदारी थी और जिनकी जिम्मेंदारी थी क्या मंत्री जी उनके विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ? आप्शन से मतलब विकल्प से है।

श्री अम्मार रिजवी--

मैंने अभी जैसा निवेदन किया था जो फैरिस्त 24 जिलों की है, उसमें गोरखपुर का नाम नहीं है। लेकिन किसकी जिम्मेदारी थी यह कहना बड़ा मुश्किल होगा क्योंकि उसमें शिक्षकों को भी कुछ खानापूरी करनी थी। खाली अधिकारियों का ही काम नहीं है।

गोंडा जिले में बालिका प्राइमरी पाठशाला और जूनियर हाई स्कूल खोलने का प्रस्ताव

*4--श्री त्रिवेणी सहाय---

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षा निदेशक ने गोंडा जिले में इस सत्र में (1974-75) 69 बालिका विद्यालय एवं 48 जूनियर बेसिक मिश्रित विद्यालय खोलने के आदेश अपने पत्र संख्या आई/1-23989, दिनांक 26-10-74 एवं तार दिनांक 14-1-75 द्वारा बेसिक शिक्षा अधिकारी गोंडा को दिये ? यदि हां, तो उपरोक्त के अनुसार कितने विद्यालय खोले गये ? क्या सरकार ने इनमें कटौती कर दी है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी --

जी नहीं। एक दूसरे पत्र द्वारा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, गोंडा को यह सूचित किया गया था कि वर्ष 1974-75 में गोंडा जिले में 69 बालिका प्राइमरी पाठशाला तथा 48 मिश्रित जूनियर हाई स्कूल खोलने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

28 बालिका विद्यालय तथा 18 मिश्रित विद्यालय खोले गये।

जी हां।

आर्थिक परिव्यय में कमी होने के कारण।

श्री त्रिवेणी सहाय--

माननीय अध्यक्ष जी, गोंडा जिला बड़ा अभागा है, जो मिलता है, वह भी ले लेते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि इन विद्यालयों को खोलने के लिये राज्य सरकार ने कितना पैसा आवंटित किया था और उसमें से कितना खर्च हो चुका है ?

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, इसमें अलाटमेंट नहीं हुआ था। यह था कि इतने स्कूल खोले जाने हैं। हर जगह कमी की गयी इसलिये गोंडा में भी कमी की गयी। गोंडा के साथ कोई डिस्क्री-मिनेशन नहीं किया गया।

श्री त्रिवेणी सहाय--

जहां तक मुझे जानकारी है, पैसा गया था और प्रश्न में पत्र का हवाला भी दिया है। क्या इस वित्तीय वर्ष में जो स्कूल बाकी रह गये हैं उनको खोलने पर पुनः विचार करेंगे ?

श्री अम्मार रिजवी--

यह तो वित्तीय परिस्थिति पर निर्भर करेगा। अगर वित्तीय परिस्थिति ठीक होगी तो खोले जायेंगे।

श्री त्रिवेणी सहाय--

गोंडा जिले का जहां मामला आता है, वहीं यह पीछे हट जाते हैं।

मुख्य मन्त्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) --

अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं। अपनी नीति के बावजूद कि नये स्कूल जहां खोलने की जरूरत नहीं है वहां नहीं खोलेंगे, गोंडा उसमें शामिल नहीं है। मैं आश्वासन देता हूं कि हम उत्तर प्रदेश का जिलेवार एक नक्शा बना रहे हैं, क्योंकि किन्हीं जिलों में ओवर कन्सेन्ट्रेशन हो गया है। गोंडा ऐसा जिला है, जहां स्कूल कम हैं। ऐसे स्थानों की जो भी हमसे सहायता हो सकेगी, जरूर सहायता करेंगे।

*5--श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

[9वें मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या 5 पर स्थानान्तरित।]

*6--श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

[स्पष्टीकरण के लिये हटाया गया।]

राजकीय प्रसार अध्यापक प्रशिक्षण केन्द्र, प्रतापगढ़ के प्रवक्ता की ज्येष्ठता का निर्धारण

*7--श्री रामजनम राम (जिला गाजीपुर), श्री काली चरण यादव (जिला गाजीपुर), श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद), श्री शतरुद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी), श्री मधुकर दिघे (जिला गोरखपुर) तथा श्री पुरुषोतम कौशिक (जिला देवरिया)--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय प्रसार अध्यापक प्रशिक्षण केन्द्र, प्रतापगढ़ के ज्येष्ठतम प्रवक्ता कौन हैं ? क्या उनका नाम लोक सेवा आयोग के पास स्थायीकरण हेतु भेजा गया है ? यदि नहीं, तो सरकार ज्येष्ठतम प्रवक्ता को स्थाई करने हेतु क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री अम्मार रिजवी--

ज्येष्ठता निर्धारण का विषय विचाराधीन है।

श्री राम जनम राय--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से शिक्षा मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि सन् 1954-55 में जिस प्रवक्ता के पद का सृजन किया गया, सन् 1965 में जो पद स्थायी कर दिया गया, तो सन् 1975 तक प्रवक्ता की ज्येष्ठता निर्धारित करने में क्या कठिनाई है ?

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, प्रसार अध्यापकों का जब जिक्र सामने आया था, तो यह प्रश्न सामने आया था। यह मामला शासन के विचाराधीन है और जैसा फैसला होगा, सूचित किया जायेगा।

उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ की मांगें

*8--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन को उत्तर प्रदेश, प्राथमिक शिक्षक संघ का दिनांक 22 फरवरी, 1975 का एक मांग-पत्र मिला है, यदि हां, तो मांगें क्या हैं एवं सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

नोट--तारांकित प्रश्न संख्या 7 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

श्री अम्मार रिजवी--

जी हां। उनकी मांगें संलग्न तालिका में अंकित है और उन मांगों पर शासन द्वारा अभी विचार किया जा रहा है।

(देखिये नत्थी "घ" आगे पृष्ठ 256 पर)

बरियारपुर बांध से सम्बन्धित निर्माण कार्य पर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लगायी गयी रोक

*9--श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बांदा जिला में बरियारपुर बांध की मरम्मत आदि करने के लिये मध्य प्रदेश सरकार विरोध कर रही है जिससे 17 हजार क्यूसेक पानी की बरबादी हो रही है। यदि हां, तो विवाद क्या है तथा कब से चल रहा है ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां--

जी हां, बरियारपुर वियर मध्य प्रदेश पर केन नदी के पानी के इस्तेमाल के लिये प्रस्तावित कार्यों पर मध्य प्रदेश सरकार ने रोक लगाई है।

बरियारपुर वियर से केन नहर निकलती है। नहर को पूरी क्षमता से लाने के लिये एक दूसरा हेड रेग्युलेटर के बनाने का काम दिसम्बर, 1971 में शुरू किया गया था। मध्य प्रदेश सरकार ने इसके बनाने पर रोक लगा दी है। इसके मुतालिक बात-चीत चल रही है।

*10--श्री राम पति, श्री बाबू लाल वर्मा, श्री श्रीनारायण तथा श्री दशरथ सिंह--

[छठें शुक्रवार में तारांकित प्रश्न संख्या 28 पर स्थानान्तरित]

गंडक नहर निर्माण खंड तृतीय के सहायक अभियन्ता श्री वीरेन्द्र कुमार नागिया का स्थानान्तरण

*11--श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि गण्डक नहर निर्माण खण्ड तृतीय के सहायक अभियन्ता तृतीय (श्री वीरेन्द्र कुमार नागिया) का स्थानान्तरण दिनांक 17 दिसम्बर, 1974 से 22 फरवरी, 1975 तक की अवधि में पांच बार किया गया और निरस्त किया गया। यदि हां, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां --

जी हां, ऐसा जनहित में किया गया है।

बस्ती जिले के तेतरी बाजार के चौराहा लुम्बनी रोड की मरम्मत और पटरियों पर रखी गयी टंकी को हटाने की मांग

*12--श्री रामरेखा यादव (जिला बस्ती)--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि विकास खंड नवगढ़, जिला बस्ती में तेतरी बाजार के चौराहा लुम्बनी रोड पर सड़क के दोनों पटरियों पर जनवरी, 1974 से आज तक गिट्टी नहीं पड़ी है ? यदि हां, तो क्या और कब तक गिट्टी पड़ जायेगी ?

श्री शिव प्रसाद सिंह--

वर्ष 1974-75 में प्रश्नगत मार्ग के दोनों पटरियों पर मार्ग को चौड़ा करने हेतु ईंटें तथा पत्थर की गिट्टी का एकीकरण किया गया था। इस वित्तीय वर्ष में समुचित धन के उपलब्ध होने पर ही गिट्टी की कुटाई एवं लेपन कार्य करके मार्ग को चौड़ा किया जाना सम्भव हो सकेगा।

***13--श्री रामरेखा यादव--**

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह भी बतायेंगे कि उपर्युक्त मार्ग की पटरियों पर टंकिया पड़ी हैं जिससे यातायात अवरुद्ध है ? यदि हां, तो कब तक टंकिया हटा दी जायेंगी ?

श्री शिव प्रसाद सिंह--

प्रश्नगत मार्ग पर टंकियां बहुत पहले से रखी हुई थीं जिनको हटा लिया गया था। लेकिन कुछ टंकियां पुन : रख दी गई हैं। इनको हटाने के लिये कार्यवाही की जा रही है ? मार्ग पर यातायात में असुविधा नहीं है।

बाराबंकी जिले के सफदरगंज--राम नगर मार्ग का निर्माण

***14--श्री शिव कैलाश (जिला बाराबंकी), श्री रघुनाथ सिंह (जिला झांसी) तथा श्री रामचन्द्र बक्श सिंह (जिला बाराबंकी) --**

क्या सरकार बताने का कष्ट करेगी कि जिला बाराबंकी के अन्तर्गत जो महत्वपूर्ण कस्बे 'सफदरगंज' से 'राम नगर' को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण सड़क जो कि योजना बद्ध है, का निर्माण अभी तक आरम्भ नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों तथा इसका निर्माण कब कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रसाद सिंह---

प्रश्न का प्रथम भाग--

इस सड़क का 7 किलोमीटर मार्ग जो निर्माणाधीन है को छोड़कर शेष भाग का निर्माण सार्वजनिक निर्माण विभाग की किसी योजना म स्वीकृत नहीं है।

प्रश्न का द्वितीय व तीसरा भाग--

प्रश्न नहीं उठता।

***15--श्री काशीनाथ मिश्र--**

[7वें बुधवर के लिये स्थगित।]

***16--श्री इन्द्रपाल सिंह--**

[7वें बुधवार में तारांकित प्रश्न संख्या 45 पर स्थानान्तरित।]

लखनऊ शहर में सहायता प्राप्त हाई स्कूलों और इन्टर कालेजों के अध्यापकों का नया वेतन-क्रम न मिलना

***17--श्री श्रीनारायण (जिला देवरिया)--**

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि लखनऊ शहर में सहायता प्राप्त कौन-कौन ऐसे हाई स्कूल या इन्टर कालेज लड़के और लड़कियों के हैं जिनमें दिनांक 18 जनवरी, 1974 तक नय वेतन क्रम से वेतन नहीं दिया जा रहा है ? यदि हां, तो ऐसे कालेजों के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां। अगस्त, 1972 से वेतन पुनरीक्षण तथा नवम्बर, 1973 से समान वेतन-क्रम देने हेतु राजाज्ञा संख्या 345/पन्द्रह-8-3031-1973, दिनांक 18 जनवरी, 1974 को तथा राजाज्ञा संख्या 480/पन्द्रह-8-3099-1973, दिनांक 24 जनवरी, 1974 को निर्गत की गई थी। अत: 18 जनवरी, 1974 तक नये वेतन-क्रम में वेतन दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

बस्ती जिले के बेसिक शिक्षा अधिकारी का निलम्बन

*18—श्री बांके लाल (जिला देवरिया) —

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बस्ती के बेसिक शिक्षा अधिकारी कुछ दिनों से निलम्बित हैं ? यदि हां, तो क्या निलम्बन के पूर्व उनके विरुद्ध तथा कथित आरोपों की जांच करा ली गई थी ? यदि हां, तो रिपोर्ट क्या है ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां। श्री गणपति राम धुसिया, भूतपूर्व जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बस्ती के विरुद्ध आरोपों की प्रारम्भिक जांच कराई गई। जांच रिपोर्ट में राजकीय धन का दुरुपयोग एवं अपव्यय, आर्थिक नियमों का उल्लंघन, आदेशों की अवहेलना आदि के आरोप सिद्ध हुए।

सार्वजनिक निर्माण विभाग के सुप्रिन्टेन्डिंग इंजीनियर्स के रिक्त पदों पर स्थायीकरण

*19—श्री मुहम्मद असरार अहमद—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि विभाग में 3 वर्ष से सुप्रिटेंडिंग इन्जीनियर्स के कितने स्थायी स्थान रिक्त हैं, जिन पर आफिसियेटिंग सुप्रिन्टेन्डिंग इन्जीनियर्स कार्य कर रहे हैं और उनको अभी तक स्थायी न करने के क्या कारण हैं ?

श्री शिव प्रसाद सिंह—

गत 3 वर्ष से सुप्रिन्टेंडिंग इन्जीनियर्स के केवल दो स्थायी स्थान रिक्त हैं। इन पदों पर स्थायीकरण की नीति अभी तक शासन के विचाराधीन थी जो अब हाल ही में निर्धारित हो गई है।

देवरिया और बलिया जिलों को जोड़ने हेतु घाघरा नदी पर पैन्टून ब्रिज का निर्माण

*20—श्री रफी उल्ला (जिला बलिया) —

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिला देवरिया तथा बलिया जिले को जोड़ने के लिये घाघरा नदी पर पैन्टून ब्रिज बनाने का कार्य अब तक अधूरा ही पड़ा है ? यदि हां, तो क्यों और अब कब तक कार्य शुरू होने की सम्भावना है ?

श्री शिव प्रसाद सिंह—

जी हां। प्रश्नगत पुल पर कार्य आरम्भ किया जा चुका है। लेकिन इस पुल के निर्माण के लिये जितने पीपों की आवश्यकता है उनके लिये लोहे की चादरों के मिलने में अत्यधिक कठिनाई होने के कारण पीपे बनाने में प्रगति नहीं हो सकी है। अब कुछ

चादरों के मिलने की सम्भावना है तथा पीपें बनाने का कार्य शीघ्र ही प्रारम्भ करने की कार्यवाही की जा रही है।

*21—श्री मधुकर दिघे तथा श्री केशरी लाल—

[8वें मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या 7 पर स्थानान्तरित।]

बहराइच जिले के अलक्षेन्द्र इन्टर कालेज में मैगजीन छपवाने हेतु ली गयी धनराशि

*22—श्री कमला प्रसाद वर्मा—

क्या शासन को पता है कि वर्ष 1971 से 1974 तक प्रत्येक वर्ष श्री अलक्षेन्द्र इन्टर कालेज, भिनगा, जनपद बहराइच में प्रत्येक विद्यार्थी से दो-दो रुपया कालेज मैगजीन छपवाने के लिये लिया जाता रहा है लेकिन मैगजीन छपाई नहीं गई? यदि हां, तो क्यों और उक्त वर्ष में लिये गये मैगजीन के रुपयों का किन-किन मदों में खर्च किया गया?

श्री अम्मार रिजवी—

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री अलक्षेन्द्र इन्टर कालेज, भिनगा में सत्र 1971-72 में कक्षा 9, 10, 11 व 12 के छात्रों से मैगजीन शुल्क रुपये 1105.50 प्राप्त किया। वर्ष 1972-73 तथा 1973-74 में कोई शुल्क प्राप्त नहीं की गई। मैगजीन कोष को किसी अन्य मद में नहीं खर्च किया गया है। मैगजीन न छपवाने के कारण अब तक रुपये 516.00 क्षात्रों को वापस किया गया है। रुपये 589.50 वापस करना शेष है।

हाईस्कूल परीक्षा में अनुत्तीर्ण छात्रों द्वारा उत्तर पुस्तकों की सन्निरीक्षा हेतु दिया गया प्रार्थना-पत्र और उक्त छात्रों को उत्तीर्ण घोषित करने की मांग

*23—श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर) तथा श्री तीरथ राम कोहली (जिला इलाहाबाद)—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि वर्ष 1974 की हाई स्कूल परीक्षा में अनुत्तीर्ण छात्रों ने अपनी परीक्षा पुस्तिकाओं की जांच (स्क्रूटनी) के लिये प्रार्थना-पत्र दिये थे और इनमें से बहुत से ऐसे छात्र थे जो एक से 5 अंक कम प्राप्त करने के कारण अनुत्तीर्ण रहे?

श्री अम्मार रिजवी—

वर्ष 1974 की हाईस्कूल परीक्षा के कुल 3468 परीक्षार्थियों ने उत्तर पुस्तकों की सन्निरीक्षा हेतु आवेदन-पत्र दिये थे। दिनांक 5/6 नवम्बर, 1974 को माध्यमिक शिक्षा परिषद् के स्कूटिनी विभाग में हुये अग्नि दुर्घटना में इन परीक्षार्थियों की उत्तर-पुस्तिकायें, उनके आवेदन-पत्र एवं अन्य सम्बन्धित अभिलेख जल जाने के फलस्वरूप इनके सम्बन्ध में कोई अन्य विवरण देना सम्भव नहीं है।

*24—श्री अब्दुल रऊफ लारी तथा श्री तीरथ राम कोहली—

क्या यह सही है कि इस जांच कराने वाले छात्रों की परीक्षा पुस्तिकायें जल जाने के कारण इनकी जांच (स्क्रूटनी) सम्भव नहीं है? क्या माननीय मन्त्री जी ऐसे छात्रों का परीक्षा फल बिना जांच कराये ही घोषित करने पर विचार कर रहे हैं। यदि हां, तो कब तक?

श्री अम्मार रिजवी--

जी हां, उत्तर-पुस्तिकायें जल जाने के कारण उनकी सम्निरीक्षा सम्भव नहीं है ऐसे परीक्षार्थियों के पूर्व घोषित परीक्षाफल में संशोधन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

*25-26--श्री राम सुन्दर पांडेय--

[12वें बुधवार में तारांकित प्रश्न संख्या 1-2 पर स्थानान्तरित ।]

*27--श्री मोहम्मद रफी खां --

[माननीय सदस्य ने प्रश्न वापस लिया।]

कानपुर जिले के प्राइमरी स्कूलों के भवनों की मरम्मत हेतु आवंटित धनराशि

*28--चौधरी रामपाल सिंह यादव--

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर जनपद में प्राइमरी स्कूल भवनों को मरम्मत हेतु आवंटित धनरशि में घोटाले के सम्बन्ध में 10 दिसम्बर, 1974 का उन्हें किसी विधायक का पत्र तथा उससे सम्बन्धित तथ्य प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो उक्त पत्र और तथ्य क्या हैं तथा इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? दोषी कर्मचारियों और अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी इसमें विलम्ब किये जाने का क्या कारण है ?

श्री अम्मार रिजवी--

माननीय सदस्य का ही दिनांक 10 सितम्बर, 1974 का पत्र प्राप्त हुआ था (प्रतिलिपि †संलग्न है) उक्त पत्र पर शिक्षा निदेशक (बे0/मा0) उत्तर प्रदेश, लखनऊ से किसी वरिष्ठ अधिकारी द्वारा जांच करने को कहा गया जिसके उत्तर में शासन को सूचित किया गया कि उक्त धन का आवंटन जिला परिषद् ने अपने स्रोत से किया था जिस कारण वांक्षित सूचना अध्यक्ष, जिला परिषद्, कानपुर से प्राप्त की गई। अध्यक्ष के कथनानुसार धन का कोई दुरुपयोग नहीं किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता ।

अतारांकित प्रश्न

देवरिया जिला परिषदीय जूनियर हाई स्कूलों के अध्यापकों को प्राइमरी अध्यापकों का ग्रेड दिया जाना और उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा भविष्य निधि नियमावली पर विचार

1--श्री हरिकेवल (जिला देवरिया)--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिला परिषद् के जूनियर हाई स्कूलों में कार्यरत अध्यापकों को प्राइमरी स्कूल का ग्रेड दिया जाता है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी हां। बेसिक शिक्षा परिषद् के गठन के पूर्व जिला परिषद्, देवरिया द्वारा प्रस्ताव पारित कर स्वीकृत स्कूलों के अतिरिक्त 53 जूनियर हाई स्कूल खोले गये और उनमें प्राइमरी स्कूल स्तर के अध्यापकों की नियुक्ति कर संचालन कराया गया। परिषद् के गठन के बाद 8 विद्यालयों का समायोजन कर अध्यापकों को जूनियर हाई स्कूल ग्रेड दिया जा

† छापी नहीं गयी ।

रहा है। शेष विद्यालयों में अभी स्वीकृत विद्यालयों के अभाव में प्राइमरी अध्यापकों का ही ग्रेड दिया जा रहा है।

2—श्री हरिकेवल—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले में जिला परिषद् के अधीन कार्यरत अध्यापकों के भविष्य निधि का व्यक्तिगत हिसाब न होने के कारण उसके भुगतान में उत्पन्न कठिनाइयों को दूर करने के निमित्त कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री अम्मार रिजवी—

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 की धारा 19(1) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् के अधीन शिक्षण एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के लिये उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा भविष्य निधि नियमावली शासन के विचाराधीन है।

मथुरा जिले के बुखरारी रजबहा (अपर आगरा कैनाल) के विस्तार की योजना

3—श्री चन्दन सिंह (जिला झांसी)—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बुखरारी रजबहा (अपर आगरा कैनाल) मथुरा के विस्तार का प्रश्न शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

जी हां। 4.4 किलोमीटर की लम्बाई में कार्य हो चुका है। शेष 0.2 किलोमीटर में भूमि का कब्जा मिलने पर कार्य पूरा होगा।

गोरखपुर जिले के हाई स्कूलों और इन्टरमीडिएट कालेजों के अन्तर्गत प्राइमरी सेक्शन को दी गयी धनराशि

4—श्री अब्दुल रऊफ लारी—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले में कौन-कौन से हाई स्कूल व इन्टरमीडिएट कालेजेज हैं जिसमें कक्षा एक से पढ़ाई होती है ? उनको प्राइमरी सेक्शन को कितना-कितना धन सरकार ने इस साल 1974 में दिया है ? उसके देने का आधार क्या है ?

श्री अम्मार रिजवी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

5—श्री अब्दुल रऊफ लारी—

[विस्तीर्ण होने के कारण निरस्त।]

निर्माणाधीन दोहरी घाट नहर सहायक परियोजना और बलिया जिला स्थित बहेरा नाला पर बांध का निर्माण

6—श्री निर्भय नरायन सिंह (जिला बलिया) तथा श्री धर्म सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दोहरीघाट नहर सहायक परियोजना का कार्य अपने निर्धारित समय के अनुसार प्रगति पर है तथा उससे पूर्ण हो जायेगा ? तथा बलिया जिला स्थित बहेरा नाला पर बनने वाला वृत्त बांध कितना बन चुका है तथा शेष कब तक बन जाने की सम्भावना है ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

सूचना एकत्र की जा रही है।

बस्ती जिले के चौरासी माइनर के निर्माणार्थ अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा

7—श्री राम रेखा यादव—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले के विकास खंड, नवगढ़ में चौरासी माइनर नाम की नहर निकाली गयी है? यदि हां, तो क्या जिस भूमि से नहर निकाली गयी है उस भूमि पर मुआवजा कृषकों को दे दिया गया है? यदि नहीं, तो किस-किस का कितना-कितना मुआवजा बकाया है तथा उसे कब तक भुगतान कर दिया जायेगा?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

सूचना एकत्र की जा रही है।

आजमगढ़ जिले में बिजली के अभाव में बन्द नलकूप

8—श्री राम सुन्दर पांडेय—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले में लगभग 50 विभागीय नलकूप बिजली न मिलने के कारण लगभग एक वर्ष से बेकार पड़े हैं? यदि हां, तो इसका कारण क्या है?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

साल भर या इससे ज्यादा अर्से से बिजली न होने के कारण काम न आ रहा हो, ऐसा केवल एक नलकूप संख्या 22 लालगंज ग्रुप है जो 15 माह से काम नहीं आ रहा है। विद्युत् विभाग द्वारा इसका विद्युतीकरण नहीं किया जा सका है।

बहराइच जिले में प्राइमरी पाठशाला खोलने की स्वीकृति

9—श्री फजलुर्रहमान अन्सारी (जिला बहराइच)—

क्या सरकार बताने का कष्ट करेगी कि जिला परिषद्, बहराइच को सन् 1967-68, 1968-69, 1969-70, 1970-71, 1971-72, 1972-73, 1973-74 में प्रति वर्ष कितने प्राइमरी पाठशाला खोलने की स्वीकृत दी गयी और प्रत्येक पाठशाला की इमारत बनवाने का कितना-कितना प्रतिवर्ष रुपया दिया गया? कितने पाठशाला के भवन किन-किन स्थानों पर बनाये गये?

श्री अम्मार रिजवी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

बहराइच जिले की मिहीपुरवा–लौकाही सड़क के निर्माण की मांग

10—श्री फजलुर्रहमान अन्सारी—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच विकास खंड, मिहीपुरवा से नेपाल सीमावर्ती गांव मौजा लौकाही तक सड़क व पुल बनाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो कब तक इस पर अमलदरामद करने की सम्भावना है?

श्री शिव प्रसाद सिंह—

सड़क तथा पुल का कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग की किसी योजना में प्रस्तावित नहीं है। अत: उसके निर्माण का प्रश्न ही नहीं उठता।

बाराबंकी जिले का अव्यवस्थित राजकीय बालिका इन्टर कालेज

11—श्री रामचन्द्र बक्श सिंह—

क्या शिक्षा मन्त्री को ज्ञात है कि राजकीय बालिका इन्टर कालेज, बाराबंकी में लड़कियों के बैठने तथा पठन सामग्री की समुचित व्यवस्था नहीं है, जिस कारण पढ़ाई लिखाई में लड़कियों को बड़ी हानि हो रही है ? यदि हां, तो क्या मन्त्री जी तत्काल इस विषय में कोई आदेश जारी करके यह कष्ट निवारण करेंगे ?

श्री अम्मार रिजवी—

किराये पर चले आ रहे विद्यालय भवन में कमरों की न्यूनता इत्यादि के कारण कुछ असुविधा है जिसके निवारण हेतु भवन स्वामी (जिला परिषद्) द्वारा उक्त भवन की उचित मरम्मत आदि कराये जाने का प्रयास किया जा रहा है। पठन सामग्री की समुचित व्यवस्था कर दी गयी है।

बस्ती जिले के इन्टरमीडिएट कालेजों के प्रधानाचार्यों का अपने पदों पर अनुमोदन

12—श्री बाबू लाल वर्मा—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जनपद के इन्टरमीडिएट कालेजों में ऐसे कार्यरत प्रधानाचार्य कौन-कौन हैं जिनके प्रधानाचार्य के पद का अनुमोदन एक बार निरस्त होने के बाद दुबारा 1972-73 और 1973-74 में हुआ है ?

श्री अम्मार रिजवी—

बस्ती जनपद में ऐसा कोई प्रकरण नहीं है।

इटावा जिले की 'केसरे हिन्द' नाम की सड़क निर्माण की मांग

13—श्री गोरे लाल शाक्य (जिला इटावा)—

क्या सरकार को जानकारी है कि जिला इटावा की एक अत्यन्त महत्वपूर्ण केसरे हिन्द नाम की सड़क जो उदी चितभवन, दिनारपुरा, बेटीपुरा, गोपियागंज, भोली, रमाइन, लहराई, बाहरपुर, सम्हो, अछल्दा, पाता, दिबियापुर हो कर कचौसी तक जाती है चिंताजनक हालत में पड़ी हुयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क का निकट भविष्य में निर्माण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रसाद सिंह—

प्रश्न में उल्लिखित स्थानों को मिलाने वाले मार्ग का प्रथम 15 किलोमीटर मार्ग इटावा-ग्वालियर राज्य मार्ग का भाग है, जो तारकोल लेपित एवं सन्तोषजनक दशा में है। यह भाग सार्वजनिक निर्माण विभाग के अन्तर्गत है। इटावा से आगे 8 किलोमीटर का भाग सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा विशेष रोजगार योजना के अन्तर्गत तारकोल लेपित निर्माण किया जा चुका है। इसके आगे 5 किलोमीटर के भाग में तथा 5 किलोमीटर के

आगे भी कुछ छोटी-छोटी लम्बाइयों में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा टेस्ट वर्क के अन्तर्गत वर्ष 1973-74 में मिट्टी का कार्य कराया गया है। शेष सड़क कच्ची है तथा जिला परिषद् के अधीन है और इस भाग को सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निकट भविष्य में पक्का किये जाने की कोई योजना विचाराधीन नहीं है ?

14—श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

[8वें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 15 पर स्थानान्तरित।]

मिर्जापुर जिले के पचौरा घाट स्थित लिफ्ट सिंचाई योजना

15—श्री गिरिजा शंकर पाठक—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मिर्जापुर जनपद के ग्राम पचौरा घाट पर गंगा का पानी लिफ्ट द्वारा (काशी सहकारी चीनी मिल के विकास के लिये) उठा कर वाराणसी जनपद के औराई, भदोही, सेवापुरी, ज्ञानपुर, अराजी लाइन, दीघ और सुरियावां आदि ब्लाकों की सिंचाई हेतु प्रशासन द्वारा प्रस्ताव कब से स्वीकृत है ? यदि हां, तो उसे कार्यान्वित करने में देर क्यों ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

पचौरा घाट पर 10 क्यूसेक कैपिसिटी की लिफ्ट योजना मिर्जापुर जनपद के कोन ब्लाक एवं वाराणसी जनपद के औराई ब्लाक के इलाके की सिंचाई के लिये दिनांक 10 फरवरी, 1971 से मंजूर है। नहर निर्माण हेतु अस्थायी भूमि न मिलने एवं धन की कमी के कारण निर्माण कार्य रुका हुआ है।

16—श्री जंग बहादुर वर्मा—

[2 अप्रैल, 1975 के तारांकित प्रश्न 64 पर उत्तरित।]

17—श्री जगदीश मिश्र तथा श्री जंगबहादुर सिंह पटेल—

[5वें शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 3 पर स्थानान्तरित।]

"हाफ ए मिलियन जाब्स" प्रोग्राम के अन्तर्गत सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा प्रशिक्षित किये गये व्यक्ति

18—श्री हरिकेवल—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि 'हाफ एमिलियन' के अन्तर्गत सन् 1973-74 में कितने व्यक्ति सार्वजनिक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश के द्वारा प्रशिक्षित किये गये और प्रशिक्षण काल में प्रशिक्षार्थियों पर कितना-कितना रुपया राजकोष से व्यय किया गया ?

श्री शिव प्रसाद सिंह—

'हाफ ए मिलियन जाब्स प्रोग्राम' के अन्तर्गत वर्ष 1973-74 में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा 931 व्यक्ति प्रशिक्षित किये गये तथा उस वर्ष उन पर कुल व्यय 4.047 लाख रुपये किया गया।

नेहरू स्मारक कन्या इन्टर कालेज, गोरखपुर के विरुद्ध शिकायती-पत्र

19—श्री शारदा प्रसाद रावत (जिला गोरखपुर), श्री फिरंगी प्रसाद विशारद (जिला गोरखपुर) तथा श्री विश्राम (जिला आजमगढ़)—

10 जुलाई, 1974 के तारांकित प्रश्न संख्या 4 के क्रम में क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि नेहरू स्मारक कन्या इन्टर कालेज, गोरखपुर के विषय में अब तक कुल कितनी शिकायतें प्राप्त हैं तथा उन पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री अम्मार रिजवी—

अब तक कुल सात शिकायतें प्राप्त हुईं जिनकी जांच कराई गई। संस्था के लेखे का एकांकी संचालन कर दिया गया है तथा लेखों के विशेष आडिट की व्यवस्था की जा रही है।

बेसिक शिक्षा को जिला परिषद् के अधीन करने की मांग

20—श्री रामरति बिन्द (जिला वाराणसी)—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बेसिक शिक्षा विभाग को जिला परिषदों के अधीन करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। यदि हां, तो सरकार का निश्चय इस सम्बन्ध में कब तक हो जायेगा ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी नहीं।

आजमगढ़ जिले के बूढ़नपुर-अम्बारी और फूलपुर-मार्टीनगंज सड़क के निर्माण की मांग

21—श्री दयाराम भास्कर (जिला आजमगढ़)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद में बूढ़नपुर से अम्बारी तथा फूलपुर से मार्टीनगंज तक सड़क बनाने के सम्बन्ध में वर्ष 1974 में वहां के किन-किन विधायकों द्वारा कब-कब प्रार्थना-पत्र दिया गया ? तथा उस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री शिव प्रसाद सिंह—

आजमगढ़ जनपद में बूढ़नपुर से अम्बारी तथा फूलपुर से मार्टीनगंज तक सड़क बनाने के सम्बन्ध में वर्ष 1974 में निम्नलिखित विधायकों द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया था :—

(1) बूढ़नपुर-अम्बारी मार्ग के आधुनीकरण के लिये सर्वश्री राम वचन यादव, जंगबहादुर सिंह तथा स्वयं प्रश्नकर्ता, श्री दयाराम भास्कर विधायकों ने क्रमश: दिनांक 3 जून, 1974, 7 जून, 1974 तथा 22 अगस्त, 1974 को प्रार्थना-पत्र दिये। धनाभाव के कारण इस मार्ग के आधुनीकरण का कार्य शासन द्वारा स्वीकृत नहीं किया जा सका है।

(2) फूलपुर मार्टीनगंज मार्ग के लिये श्री लालसाराम तथा स्वयं प्रश्नकर्ता श्री दयाराम भास्कर द्वारा क्रमश: 16 जनवरी, 1974 तथा 22 अगस्त, 1974 को प्रार्थना-पत्र दिये गये। इस मार्ग पर मार्च, 1974 तक 5.14 किलोमीटर लम्बाई में टेस्ट वर्क योजना के अन्तर्गत मिट्टी का कार्य किया गया। तत्पश्चात् धनाभाव के कारण कोई कार्य नहीं किया जा सका है।

गोरखपुर जिला परिषद् के सेवानिवृत्त अध्यापकों की पेंशन तथा भविष्यनिधि का भुगतान

22—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या सरकार को ज्ञात है कि जनपद गोरखपुर की जिला परिषद् से सम्बन्धित प्राइमरी व जूनियर हाई स्कूलों में कितने ऐसे प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक (महिला एवं पुरुष) हैं जो सन् 1964 से 1973 के बीच सेवा निवृत्त हुये तथा मरे हैं? इनमें से कितने लोगों को तथा उनके आश्रितों के पेन्शन आदि की सुविधा प्रदत्त की गयी है?

श्री अम्मार रिजवी—

जनपद गोरखपुर के ग्रामीण क्षेत्रों के प्राइमरी व जूनियर हाई स्कूलों में कार्यरत प्रधानाध्यापक व सहायक अध्यापक (महिला एवं पुरुष) जो प्रश्नगत अवधि में सेवा-निवृत्त हुये तथा मरे उनकी संख्या निम्नवत् है :—

(1)	सेवा निवृत्त	.. 202
(2)	मृतक	.. 16

इन 202 सेवानिवृत्त अध्यापकों एवं अध्यापिकाओं में से 187 अध्यापकों को पेन्शन की सुविधा दी जा चुकी है और शेष 15 अध्यापकों को पेन्शन प्रकरण विचाराधीन है। 16 मृतक अध्यापकों में से 13 को ग्रेच्युटी तथा 6 को परिवार पेन्शन स्वीकृत की जा चुकी है। 3 अध्यापकों के ग्रेच्युटी प्रकरण विचाराधीन हैं। 3 अध्यापकों के परिवार पेन्शन के प्रकरण विचाराधीन हैं? शेष 7 अध्यापकों की सेवायें 20 वर्ष से कम होने के कारण पेन्शन की सुविधा से वंचित रह गये हैं।

प्रदेश की प्राइमरी पाठशालाओं में बी० टी० सी० में अनुत्तीर्ण छात्रों की नियुक्ति

23—श्री कमला प्रसाद वर्मा—

क्या शिक्षा मन्त्री को जानकारी है कि वर्ष 1973-74 में बी0 टी0 सी0 ट्रेन्ड अध्यापकों को प्राइमरी पाठशालाओं में जगह न देकर अनुत्तीर्ण बी0 टी0 सी0 छात्रों को जगह दे दी गयी है? यदि हां, तो वे कौन-कौन हैं तथा ऐसा करने का क्या कारण है?

श्री अम्मार रिजवी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

विभागीय चयन समिति, शिक्षा विभाग द्वारा अध्यापकों का चयन

24—श्री त्रिवेणी सहाय तथा श्री दशरथ सिंह—

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि फरवरी, 1966 के विभागीय चयन समिति के सम्मुख साक्षात्कार में सम्मिलित तथा अतिरिक्त शिक्षा निदेशक के आदेश संख्या ए0 (आई0)/84एक्स एक्सIII—17-66-67, दिनांक 4 अगस्त, 1966 द्वारा नियुक्त सामान्य सी0 टी0 वेतन क्रम के प्रशिक्षित 49 अध्यापकों को अब तक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश ने अनुमोदित और स्थायी क्यों नहीं माना है?

श्री अम्मार रिजवी—

विभागीय चयन-समिति द्वारा इन अध्यापकों का विधिवत् चयन नहीं हुआ है अत: इन्हें अनुमोदित मानने और स्थायी करने का प्रश्न नहीं उठता।

भूतपूर्व सदस्य, श्री कैलाश नारायण गुप्त तथा श्री रामकुमार दीक्षित के निधन पर शोकोद्गार

मुख्य मन्त्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)—

अध्यक्ष जी, यह मेरा दुखद कर्त्तव्य है कि मैं इस माननीय सदन में अपने दो भूतपूर्व विधायकों, माननीय कैलाश नारायण गुप्त और श्री रामकुमार जी के निधन के ऊपर सम्वेदना का प्रस्ताव प्रस्तुत करूं। श्री कैलाश नारायण गुप्त, इलाहाबाद शहर के उत्तरी क्षेत्र से इस सदन के माननीय सदस्य एक टर्म के लिये रहे हैं। कांग्रेस कमेटी के विभिन्न पदों पर वह काम करते रहे। वह एक अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता थे और सभी के साथ मिल-जुल कर रहने वाले व्यक्ति थे। उनके निधन से उनके परिवार को तो हानि हुई ही है, उनकी बड़ी संख्या में मित्रों को बहुत क्लेश हुआ होगा।

उसी तरह, हमारे रामकुमार जी को देखने सुनने से ऐसा लगता था कि वैसा स्वस्थ सदस्य शायद ही इस सदन में कोई हो। सन् 1967 में वह निर्दलीय चुनकर आये थे। 1969 में वह कांग्रेस के टिकट पर चुनकर आये और कांग्रेस के विभाजानोपरान्त भी सदस्य बने रहे। उनकी मृत्यु भी एक दुखद प्रकरण है। उनके स्वस्थ शरीर के अन्दर बीमारी का ऐसा कीड़ा लगा कि जो कैन्सर या ब्रेन ट्यूमर में बदल गया।

मान्यवर, मैं इन दोनों सज्जनों को हास्पिटल में देखने गया था। बड़ी तकलीफ हुई देखकर, जैसा मैंने पहले कहा, रामकुमार जी के शरीर को देखकर ऐसा कतई नहीं लगता था कि इतनी जल्दी वह संसार से चले जायेंगे। उनका जन्म सन् 1924 का था जब कि श्री गुप्ता की 1907 की पैदाइश थी। मान्यवर, इन दोनों सामाजिक और राजनैतिक कार्यकर्ताओं के निधन से उनके क्षेत्र को जो क्षति हुई है उसका मैं वर्णन आसानी से नहीं कर सकता। हमारी भगवान से प्रार्थना है कि मृत-आत्माओं को शान्ति प्रदान करें और उनके दुखी परिवार को इस बज्रपात को सहने की शक्ति दें। आपसे भी मान्यवर, मेरी प्रार्थना है कि इस माननीय सदन की, मेरे दल की और मेरी सम्वेदना उन दोनों के दुखी परिवारों तक पहुंचाने की कृपा करें।

चौधरी चरण सिंह (जिला मेरठ)—

मान्यवर, माननीय नेता सदन ने जो श्री कैलाश नारायण गुप्त और श्री राम कुमार दीक्षित के निधन के सम्बन्ध में कहा है, मैं उससे अपने दल को और अपने को पूर्णत: सम्बद्ध करना चाहता हूं। मुझे भी इन दोनों व्यक्तियों के साथ इस माननीय सदन में सदस्य रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं चाहता हूं कि भारतीय लोक दल की ओर से उनके सन्तप्त परिवारों को, मान्यवर, सम्वेदना भेजने का कष्ट करें, साथ ही मेरी प्रार्थना परमात्मा से है कि मृत आत्माओं को शान्ति दें और उनके परिवार को धैर्य।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

अध्यक्ष महोदय, श्री कैलाश नारायण गुप्त और श्री राम कुमार जी के निधन के सम्बन्ध में जो विचार नेता सदन तथा नेता विरोधी दल ने व्यक्त किये हैं उनसे मैं अपने और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं। मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि इन दोनों व्यक्तियों की आत्मा को शान्ति प्रदान करे और आपसे प्रार्थना है कि मेरी और मेरी पार्टी की सम्वेदना उनके परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल)--

मान्यवर, स्वर्गीय कैलाश नारायण तथा राम कुमार जी के बारे में जो विचार माननीय नेता सदन, नेता विरोधी दल तथा नेता जनसंघ ने व्यक्त किये हैं उनसे मैं अपने दल और अपने को सम्बद्ध करता हूं और आपसे यह निवेदन करता हूं कि हमारी पार्टी की ओर से जो सन्तप्त परिवार हैं उनको हमारी सम्वेदना का संदेश भेजने की कृपा करें।

श्री राममूर्ति (जिला बरेली)—

श्री कैलाश नारायण और श्री राम कुमार दीक्षित के सम्बन्ध में जो विचार माननीय नेता सदन, नेता विरोधी दल तथा नेता जनसंघ ने व्यक्त किये हैं। मैं अपने को और अपनी पार्टी के लोगों को उनसे सम्बद्ध करता हूं। इन दोनों ही माननीय सदस्यों के साथ रहने का मुझे मौका मिला था। गुप्त जी बड़े ही हंसमुख तथा सौजन्यपूर्ण आदमी थे तथा पुराने कांग्रेसी भी थे। राम कुमार जी बड़े कर्मठ आदमी थे और उनकी कुछ कम उम्र भी थी? थोड़ी ही उम्र में उनका निधन हो गया। मेरी पार्टी के लोगों को उनके निधन से बड़ा दुख है। मान्यवर से प्रार्थना है कि उनके सन्तप्त परिवार तक हमारी ओर से सम्वेदना भेजने की कृपा करें और मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि दोनों आदमियों की आत्मा को शान्ति मिले।

चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर)--

मान्यवर, नेता सदन, नेता विरोधी दल ने स्वर्गीय कैलाश नारायण तथा राम कुमार जी दीक्षित के बारे में जो अपनी भावनायें व्यक्त की हैं मैं अपने और अपने दल को उनसे सम्बद्ध करता हूं। राम कुमार जी दीक्षित कानपुर के बहुत ही कर्मठ और होनहार नेता थे। जब वह बीमार थे तो दो बार मैं उनको अस्पताल में देखने भी गया था। उनकी मृत्यु से मैं व्यक्तिगत रूप से भी बहुत दुखी हुआ हूं। मान्यवर, इन दोनों महान् आत्माओं का हमारे बीच से उठ जाने से हमारे दल को बड़ा दुख है। आपसे मैं प्रार्थना करता हूं कि उनके दुखी परिवार को हमारे दल और हमारी ओर से सम्वेदना भेजने की कृपा करेंगे।

श्री अध्यक्ष--

माननीय नेता सदन, नेता विरोधी दल और अन्य दलों के माननीय नेताओं ने जो शोकोद्गार व्यक्त किये हैं, उनसे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं। माननीय कैलाश नारायण गुप्त और राम कुमार जी दीक्षित इस सदन के सम्मानित सदस्य थे और उनके निधन से निश्चय ही सार्वजनिक जीवन में रिक्तता आई है। मैं आप द्वारा इच्छित समवेदना का संदेश दोनों शोक-सन्तप्त परिवारों तक पहुंचा दूंगा और ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को शान्ति प्रदान करें और आपसे निवेदन है कि दो मिनट मौन धारण करके दिवंगत आत्माओं के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें।

(सभी सदस्य दो मिनट के लिये अपने-अपने स्थान पर खड़े हुए)

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् का वार्षिक वित्तीय विवरण-पत्र (1975-76)† तथा वर्ष 1972-73 का वार्षिक लेखा विवरण-पत्र†

श्रम मन्त्री (श्री राज मंगल पांडेय)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् के वार्षिक वित्तीय विवरण-पत्र (1975-76) की तथा उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् के

†छापा नहीं गया।

वर्ष 1972-73 के वार्षिक लेखा विवरण-पत्र को, लेखा सम्प्रेक्षक की रिपोर्ट सहित, दि इलेक्ट्रिसिटी (सप्लाई) ऐक्ट, 1948 की क्रमश: धारा 61 की उपधारा (3) तथा धारा 69 की उपधारा (5) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

फर्रुखाबाद के उपविद्यालय निरीक्षक श्री शिव शंकर तिवारी के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष---

माननीय सदस्य श्री झामलाल अहरवार ने जो विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाया था उसके बारे में मैं निर्णय देना चाहूंगा। उन्होंने दिनांक 28 फरवरी, 1975 को फर्रुखाबाद के उप विद्यालय निरीक्षक के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना तथा सदन के अवमान का प्रश्न उठाने की सूचना दी थी। माननीय सदस्य का कहना था कि जब वे अपने निर्वाचन क्षेत्र के प्राइमरी विद्यालयों की दुर्व्यवस्था के सम्बन्ध में 22 फरवरी, 1975 को फर्रुखाबाद उप विद्यालय निरीक्षक, श्री शिव शंकर तिवारी से वार्ता करने हेतु गये तो उन्होंने उत्तेजित होकर कहा कि "आप उसी तरह अनाप शनाप बातें बता रहें हैं जिस प्रकार आये दिन विधान सभा के भीतर एम0 एल0 ए0 लोग अनाप शनाप बातें घूस लेकर उठाते रहते हैं।" दिनांक 12 मार्च, 1975 को इस सूचना के सम्बन्ध में मैंने यह कहा था कि इसे मुख्य मन्त्री के पास वस्तु स्थिति जानने के लिये तथा उप विद्यालय निरीक्षक, श्री शिव शंकर तिवारी का स्पष्टीकरण प्राप्त करने हेतु भेज रहा हूं। तदनुसार श्री शिव शंकर तिवारी का स्पष्टीकरण शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, लखनऊ तथा शासन के माध्यम से प्राप्त हुआ है। श्री तिवारी ने अपने स्पष्टीकरण में स्थिति को स्पष्ट करते हुये, अन्य बातों के अलावा यह कहा है कि ---

"मेरा विनम्र निवेदन है कि मैं किसी बात पर श्री झामलाल जी (विधायक) कन्नौज से उत्तेजित नहीं हुआ और न मैं यह दुस्साहस ही कर सकता हूं। अन्य विधान सभा अथवा किसी माननीय मन्त्री जी का कोई प्रसंग वार्ता में आया भी नहीं। मेरी बात करने एवं व्यवहार की शैली में आप अन्य अधिकारियों, जन प्रतिनिधियों, मेरे सहायकों एवं कार्यालय से जानकारी कर सकते हैं। मुझे वस्तुत: खेद है कि मेरे व्यवहार से एक सम्मानित विधायक को दु ख पहुंचा।

मुझे ईश्वर का एवं आपका भरोसा है। यदि पत्र में वर्णित एक भी वाक्य मैंने कहा हो तो मुझे अवश्य कठोर से कठोर दन्ड दिया जाय। पर यदि सत्य जीवन और संसार में है तो मैं शपथ पूर्वक कहता हूं कि यह वाक्य मेरी जबान से नहीं निकले हैं और न इस प्रकार के वाक्य मेरी वाणी से कभी निकल ही सकते हैं।"

तो इस स्पष्टीकरण को देखते हुये आप सब सहमत होंगे। अत: यह प्रश्न अग्राह्य किया जाता है।

जिलाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक रायबरेली के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष---

दूसरा माननीय श्री दीनानाथ सेवक ने सूचना दी है कि उन्हें 12 अप्रैल, 1975 को लगभग 2 बजे गिरफ्तार करके 5 घंटे तक हिरासत में रखा गया किन्तु उनकी गिरफ्तारी

[श्री अध्यक्ष]
तथा रिहाई की सूचना जिलाधिकारी ने माननीय अध्यक्ष को नहीं दी है और उन्हें अकारण गिरफ्तार करके तथा गिरफ्तारी व रिहाई की सूचना सदन को न देकर जिलाधिकारी, रायबरेली तथा पुलिस अधीक्षक, रायबरेली ने माननीय सदन का अवमान किया है और विशेषाधिकार भंग किया है।

जिला मैजिस्ट्रेट, रायबरेली ने श्री दीनानाथ सेवक की गिरफ्तारी व रिहाई की सूचना 12 अप्रैल, 1975 को ही दे दी थी जो यहां पर प्राप्त हुई। उक्त सूचना विधान सभा सचिवालय के बुलेटिन संख्या 5 द्वारा प्रसारित की जा रही है। माननीय श्री दीनानाथ सेवक की गिरफ्तारी दन्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के अन्तर्गत हुई थी। किसी माननीय सदस्य के फौजदारी आरोप पर गिरफ्तार किये जाने के विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं बनता। अत: इसे अस्वीकार करता हूं।

श्री दीनानाथ सेवक (जिला रायबरेली)--

मान्यवर, प्रधान मन्त्री मेरे जिले में आई थी और जो विकास गोष्ठी वहां पर हुई उसके लिये मेरे पास निमन्त्रण था। मुझे दो एक बातें प्रधान मन्त्री से करनी थीं। मैंने उनसे वारन्ट भी पूछा.....

श्री अध्यक्ष--

आप जो कह रहे है उसका उपचार तो अदालत है लेकिन विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं है। अगर आप लिखकर देंगे तो मुख्य मन्त्री को कार्यवाही के लिये भेज दूंगा, अगर आप यह समझते है कि बिना कसूर के आप पकड़े गये...

श्री मधुकर दिघे (जिला गोरखपुर)--

मान्यवर, अगर मैजिस्ट्रेट से पूछा जाय कि हमें किस धारा में गिरफ्तार किया जा रहा है तो वह बताना चाहिये। अगर वह नहीं बताता है तो क्या उससे सदन का अपमान नहीं करता है? माननीय सदस्य का यह कहना है कि जब मैंने मैजिस्ट्रेट से पूछा कि मेरे को क्यों गिरफ्तार कर रहे हो और उन्हें नहीं बताया गया तो क्या यह विशेषाधिकार की अवहेलना का सवाल नहीं बनता है?

श्री अध्यक्ष--

अगर फौजदारी का है। (व्यवधान) गलत किया है तो अदालत है इसके लिये।

श्री मधुकर दिघे--

गलत है या सही इसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। माननीय सदस्य का कहना है कि मैंने अधिकारी को कहा कि मेरी गिरफ्तारी जो हो रही है यह किस धारा में हो रही है, मेरे खिलाफ वारन्ट है या नहीं। वह अगर नहीं बताते हैं तो फिर सदन की अवहेलना होती है या नहीं। और मामला बनता है या नहीं।

श्री अध्यक्ष--

वह तब बनेगा जब वह अदालत में जाय और अदालत इस राय की हो कि गलत किया गया है। बिना कारण बताये जो गिरफ्तार किया गया वह गलत किया तब बनेगा। इसको हम नहीं देखते हैं वैधता और अवैधता का प्रश्न न्यायालय को देखना है।

श्री मधुकर दिघे—

मैं बैधता का प्रश्न नहीं उठा रहा हूं। जब माननीय सदस्य ने पूछा कि मेरी गिरफ्तारी किस धारा में हो रही है और मेरे खिलाफ वारन्ट है या नहीं वह बताना चाहिये या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—

वह आप जानते हैं। कहने की जरूरत नहीं है। आप बेहतर जानते हैं। यहां पर वकील भी हैं। आप लोग (व्यवधान) बहस क्यो करते हैं ? उनको हमने सुन लिया। जो माननीय सदस्य को कहना था वह मैंने सुन लिया। हम ऐसे सवाल को स्वीकार नहीं करते हैं। यह अगर न्यायालय के जरिये से सिद्ध हो जाय कि माननीय सदस्य को अकारण या कोई बदनीयती से पकड़ा गया तब तो बात अलग है।

श्री मधुकर दिघे—

कारण तो बताना चाहिये ....

श्री अध्यक्ष—

आवश्यक नहीं है पुलिस कारण बताये। जनता को रोक सकती है, या दूसरे किसी आदमी को रोक सकती है तो फिर विधायक को भी रोका जा सकता है। यह कहलाने से क्या फायदा निकलेगा। वह तो रोक लेते हैं बिना किसी कारण बताये, शान्ति भंग की आशंका समझ कर ।

मिर्जापुर निवासी श्री हेमन्त कुमार माहेश्वरी के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

आज मुझे माननीय आशाराम यादव ने सूचना दी है ....

श्री आशाराम यादव (जिला मिर्जापुर)—

मुझे अपनी बात कहने के लिये अवसर देंगे।

श्री अध्यक्ष—

माननीय श्री आशाराम यादव ने सूचना दी है कि श्री हेमन्त कुमार माहेश्वरी ने मुझे एक पत्र लिख कर उनके विरुद्ध जानबूझकर, अनर्गल, तथ्यहीन आरोप दुर्भावनावश लगाये हैं और इस प्रकार आरोप लगा कर श्री हेमन्त कुमार माहेश्वरी ने माननीय आशाराम यादव को बदनाम करने का प्रयास किया है। तो यह कैसे बनता है ....

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मान्यवर, इस सम्बन्ध में मुझे निवेदन करना था, कल भी इस प्रकार का प्रश्न आया था। माननीय सदस्य ने कहा था कि उसमें ब्रीच आफ प्रिवेलेज हुआ है। कल जो आपने कहा उस पर मुझे कुछ कहना नहीं है। लेकिन आपने साथ ही एक पत्र पढ़ा और मैं समझता हूं कि एक अनयूजवल किया अंग्रेजी में वह था। दो एक बातें हमारी समझ में नहीं आई। प्रिवलेज का इश्यू उठाते हैं तो उस पर आपने जो व्यवस्था दी ...

श्री अध्यक्ष—

कल नहीं दी थी।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

म दी हो। मैं व्यवस्था के बारे में नहीं कह रहा हूं। उस पर आप फिर विचार करेंगे।

श्री अध्यक्ष—

निरस्त भी नहीं किया।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

ब्रीच आफ प्रिवेलेज बनता है या नहीं इस पर मैं नहीं कहता हूं। दूसरी चीज है आज तक मान्यवर आप कभी नहीं करते थे। आपके पास कोई प्राइवेट चिट्ठी पहले से आ जाय और उसको पढ़कर हमारे खिलाफ जो बातें हैं वह सदन में आयें मैं समझता हूं कि यह अशोभनीय बात थी।

श्री अध्यक्ष—

पत्र मैंने नहीं रखा।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, कल भी आपने अंग्रेजी के शब्द आये मैंने ध्यान नहीं दिया। एक अंग्रेजी का पत्र था जिसे आपने पढ़ा और ब्रीच आफ प्रीविलेज का जो मतलब था वह खत्म हो गया, फीका पड़ गया—

श्री अध्यक्ष—

मैंने यह कहा कि मुझे माननीय सदस्य के प्रति एक शिकायत मिली है और.....

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

यह तो ठीक है, यदि उन्होंने जुर्म किया है तो फांसी दीजिये, 304 का उन पर मुकदमा चलाया जाये, लेकिन जब ब्रीच आफ प्रीविलेज का प्रश्न उठता है, तो पहले से जो सूचना भेजी थी, उसका रेफरेन्स देने की क्या जरूरत थी? (व्यवधान) मेरा जो कहना है कि कल का पढ़ना बिलकुल अनुचित था।

श्री अध्यक्ष—

मैंने तो कहा कि माननीय सदस्य के विरुद्ध भी है .....

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

विरुद्ध है तो वह कोर्ट में जाये? आप क्या दवा है उसकी? आप क्या उसको सजा देंगे?

श्री अध्यक्ष—

इसमें यह बात कहां से आ गई.....

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मैं तो केवल यह कहना चाहता हूं कल की जो प्रक्रिया अपनाई गई वह अनयूजवल थी।

श्री अध्यक्ष—

स्पष्टीकरण तो बहुतों से मांगा है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

कल तो उन्होंने आपके सामने एक रखा, आपने ....

श्री अध्यक्ष—

वह जब बार-बार बोलना चाहते हैं और मैं कह रहा हूं स्पष्टीकरण के लिये भेज रहा हूं। (व्यवधान) तो मैंने कहा स्पष्टीकरण के लिये भेज रहा हूं। जब बोलना चाहें तो कहा कि इधर की भी सुनना चाहिये। तब मैंने कहा कि आपके खिलाफ भी शिकायत आई है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

उधर की भी आई है यह ठीक है, लेकिन एक आदमी पेशबन्दी के लिये पहले से भेज दे, तो क्या हो, इस पर भी आपको देखना चाहिये ....

श्री अध्यक्ष—

यह कैसे हो सकता है —

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

आप अपनी चिट्ठी कभी नहीं पढ़ा करते, फिर जब वह अंग्रेजी में थी, तब तो उसका और भी कोई मतलब नहीं था, लेकिन फिर भी आपने उसे माना और—

श्री अध्यक्ष—

जब माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं और मैं रोक रहा हूं, फिर भी नहीं मानते तो मैंने उनसे कहा कि दूसरा भी इसका एक पहलू है। उसने भी हमें एक चिट्ठी दी है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

यह ठीक है कि जुर्म को छिपाने का यह स्थान नहीं होना चाहिये, लेकिन जब—

श्री अध्यक्ष—

आपके ही सदस्य ने किया, जिससे हमको और आपको जलालत उठानी पड़ी। इसलिये उससे पूछा गया।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

जब उनके खिलाफ एक प्रश्न उठाया गया, और जब पहले का एक पत्र आया था तो उसके साथ उसकी रेलिवेंसी कुछ नहीं थी उसमें।

श्री अध्यक्ष—

यह असर प्रदेश में जनता पर हम नहीं आने देना चाहते कि एक विधायक के कारण हम एक तरफा कार्यवाही करते हैं।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

यह तो कोई नहीं चाहेगा। लेकिन कोई ऐसी भी कार्यवाही न करें, जिससे दूसरों पर कोई असर पड़े।

श्री अध्यक्ष—

हो सकता है कि माननीय सदस्य ने कोई अग्रेतर कार्यवाही की हो और हो सकता है कि दूसरे ने ?

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

लेकिन इसमें यह भी तो देखने की बात है . . .

श्री अध्यक्ष—

न्याय की जो प्रक्रिया है उसके अनुसार हमको करना चाहिये। उनके मोटर का शीशा तोड़कर उनके लड़के ने चोट पहुंचाई लिखा है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, मुझे बड़ा क्लेश है आपके इस ऐक्शन पर।

श्री अध्यक्ष—

न्याय की विधि से कोई कार्य करे तो उसमें क्लेश या खेद की क्या बात है ?

श्री आशा राम यादव—

आपको माननीय सामलाल और मलखान सिंह जी ने एक दिया आपने बिना उसमें दूसरे तथ्य को सुने ही उसे प्रिविलेज कमेटी को भेज दिया था। लगता है कि माननीय मन्त्री को टेलीफोन किया और आपको गुमराह करने की कोशिश की फिर भी प्रिविलेज कमेटी को देने के पहले ही इन्क्वायरी मंगा ली, जो आपको नहीं करनी चाहिये। यह अधिकार तो प्रिविलेज कमेटी का था।

श्री अध्यक्ष—

यह एक प्रक्रिया है। जब कोई हमारे पास पर्याप्त कारण हो, माननीय सदस्य जो बात उठा रहे हैं, उसमें तथ्य के बारे में संदेह हो सकता है तो छानबीन की भी जरूरत है।

श्री आशा राम यादव—

मान्यवर, हमारे ऊपर 307 का केस चलाते।

चौधरी चरण सिंह (जिला मेरठ)—

अध्यक्ष महोदय, जब एडमिट कर लेते तो छानबीन की बात थी। ग्राह्य और अग्राह्य आपको तय करना था। मान्यवर, अगर इस तरह का मोशन लाये और यह प्रैक्टिस हो जाय और आप पढ़ने लगें तो स्थिति बड़ी वैसी हो जाती है।

श्री अध्यक्ष—

मैं निवेदन करूं कि मैं सभी नहीं पढ़ता और सीधे विशेषाधिकार समिति को भेज देता हूं। लेकिन जब मुझे संदेह हो तो क्या करूं ? हमारे विवेक के अनुसार भी तो होना चाहिये।

चौधरी चरण सिंह—

यदि आप उसको पढ़ कर सुनायें तो माननीय सदस्य को भी जवाब देने का मौका मिलना चाहिये। राज्य कर्मचारी और माननीय सदस्य दो फरीक हैं जिनका मुकदमा यहां हो रहा है। इसका नतीजा क्या होगा ?

श्री अध्यक्ष—

जैसा कि प्रारम्भ में हुआ कि वह बनता है या नहीं, यह हमें देखना पड़ता है। जब कोई तथ्य माननीय सदस्य और दूसरी पार्टी दे तो मैं दोनों से पूछ लूंगा और सुनकर निर्णय करूंगा।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, प्राग्दर्शन में यों ही केस बनता है। इसे पढ़ कर कोई मैटेरियल नहीं मिल सकता है। जब कोई जज बैठता है तो यह समझा जाता है कि वह वुडन है, लकड़ी की तरह से है। लेकिन यदि आप अपने संदेह की बात लाने लगेंगे तो इन्साफ नहीं रह जाता है। इसलिये आप इस शब्द का प्रयोग न करें। आप को संदेह हो जाये तो आप खारिज कर दें। जैसा कि श्री माहेश्वरी के खिलाफ प्रश्न उठा। उसकी चिट्ठी मौजूद है। यह नहीं कह सकते हैं कि 307 का मामला उठे तो वह अदालत में जाये। लेकिन जहां हम आप से रिलीफ चाहते हैं वहां बात दूसरी है। लेकिन आपके पास पहले से ही चिट्ठी पहुंची है और आपको उसके आधार पर सन्देह हो जाता है तो यह बड़ी दुखद बात है।

श्री अध्यक्ष—

अभी मामला झामलाल यादव जी का था। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

मान्यवर, अभी तक परम्परा यह रही है कि जो माननीय सदस्य सदन के सामने तथ्य रखते हैं तो यह प्रिज्यूम किया जाता है कि वह सही है। अगर वह शर्तों को पूरी करता है तो प्रिविलेज कमेटी के सामने जाय और वह छानबीन करें और शर्तें पूरी हो जाने के बावजूद और फैक्ट्स के तथ्य के आधार पर पहले जांच शुरू हो जायेगी तो बहुत वाइड स्कोप हो जायेगा। यह चीज अच्छी नहीं है। जो माननीय सदस्य ने तथ्य रखे हैं वह सही हैं।

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य ने कहा है कि तथ्यों के बारे में प्रश्न नहीं है, बल्कि प्रक्रिया के बारे में है। माननीय झामलाल अहिरवार ने कहा तो मैंने भेज दिया। एक मौका मिल जाता है खेद प्रकाशन का या तथ्य रखने का। अभी तो उन्होंने कुछ कहा नहीं है सिवाय इसके कि मुझे दिया है। उनकी बात हम सुनेंगे। मैंने इसलिये उनसे कहा कि उनसे पूछ रहा हूं क्योंकि बहुत पहले वहां से भी कुछ आया है। जैसा कि झामलाल जी के मामले में और लोक सभा में भी ऐसा कई बार हुआ है, सम्बन्धित अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा गया है। हो सकता है कि आप सही हों। आप अधीर क्यों हो रहे हैं। हो सकता है कि वह जो सदस्य है वह लिखकर खेद प्रकाश करें। तो उसको भी मौका मिलना चाहिये।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, हम अधीर नहीं हो रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

आपका जो अधिकार है वह अक्षुण्य है। प्रश्न यह है कि किस स्टेज पर करें?

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

हां, मान्यवर।

श्री अध्यक्ष—

बस वही तो कर रहा हूं।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, अगर कोई मामला होता तो क्या करते ?

श्री अध्यक्ष—

वह तो ठीक है।

श्री आशा राम यादव—

मान्यवर, 307 का केस मेरे ऊपर नहीं था। मान्यवर, इसकी सही इन्क्वायरी हो पायेगी कि नहीं ?

श्री अध्यक्ष—

एक हेमन्त कुमार का नाम है, एक और दूसरें हैं। उस नाम में भ्रम हो रहा है। इसलिये इसको अग्राह्य किया।

प्रदेश में ओला वृष्टि से हुई क्षति के सम्बन्ध में वक्तव्य

श्री अध्यक्ष—

प्रदेश के विभिन्न जिलों में आंधी, तूफान, ओला से क्षति के सम्बन्ध में माननीय राजस्व मन्त्री का वक्तव्य।

श्रम. मन्त्री (श्री राज मंगल पांडेय)—

माननीय सर्वश्री त्रिवेणी राय, दयाराम भास्कर, रामबचन यादव, विश्राम राय, जर्नादन प्रसाद ओझा, हरिकेवल प्रसाद, जमुना प्रसाद, दुर्योधन, यादवेन्द्र सिंह,पुरुषोत्तम कौशिक, हिम्मत सिंह, कालीचरण यादव, राम जी सिंह, रघुबीर राम, झिलमिट, सूबेदार प्रसाद, उमानाथ सिंह, मुलायम सिंह यादव; रामनाथ, बाबा, हरप्रसाद यादव, अठई राम, सत्य प्रकाश मालवीय, जंगबहादुर सिंह पटेल, राम सजीवन, मुहम्मद रफी खां, सत्य पाल सिंह यादव, दल सिंह यादव तथा बाबू लाल वर्मा, शिव सम्पत्ति राम एवं कतिपय अन्य सदस्यों ने आजमगढ़, गोरखपुर, देवरिया, अलीगढ़, बुलन्दशहर, गाजीपुर, मिर्जापुर, जौनपुर, मैनपुरी, इलाहाबाद, बांदा, शाहजहांपुर, तथा बहराइच जिलों में ओला-वृष्टि से रबी की खड़ी फसल को क्षति पहुंचने के फलस्वरूप उत्पन्न स्थिति की ओर शासन का ध्यान आकर्षित किया है।

इस सम्बन्ध में सदन के समक्ष मुझे यह निवेदन करना है कि शासन द्वारा जिलाधिकारियों से ओलावृष्टि के सम्बन्ध में रिपोर्ट प्राप्त की गयी। कुल 18,957 गावों की रबी की फसल को क्षति पहुंची है जो नगण्य से 100 प्रतिशत तक है। कुल 43 जिलों में ओला से फसल का कमोवेश क्षति पहुंची है। रिपोर्ट प्राप्त होने तक फसल की क्षति की पड़ताल बराबर की जा रही है और उसके परिणाम पूरे तौर पर कुछ समय बाद ही मालूम हो सकेंगे। जिलाधिकारियों ने क्षति का अनुमान मोटेतौर पर दे दिया है। ओला प्रदेश में तीन बार पड़ा है जनवरी, फरवरी में मार्च के दूसरे सप्ताह में तथा मार्च के अन्तिम सप्ताह में। जनवरी, फरवरी में उपलवृष्टि के कुछ जिलों जैसे—अलीगढ़ इत्यादि को छोड़कर शेष जिलों में विशेष क्षति नहीं हुई थी। मार्च के दूसरे सप्ताह में अपेक्षाकृत अधिक क्षति हुई। 24-25 मार्च को अन्तिम दौर में कुछ जिलों में तेज हवा तथा वर्षा के साथ ओले गिरे। प्रारम्भिक रिपोर्टों के आधार पर प्रभावित जिलों में हानि का तहसीलवार विवरण संलग्न है।

जहां तक सहायता का प्रश्न है जिन जिलों में हानि अधिक होने की सूचना मिली वर्ष 1974-75 में उन्हें नि: शुल्क सहायता तथा तकावी के लिये आवश्यक धन आबंटित कर दिया गया था। अन्य जिलों के सम्बन्ध में स्थिति यह थी कि दैवी आपदाओं के सम्बन्ध में सभी जिलों में नि:शुल्क सहायता तथा तकावी के लिये धन उपलब्ध था जिसका उपयोग जिलाधिकारी वर्तमान आपदा से पीड़ित लोगों की सहायता देने में कर सकते थे। मार्च के अन्त में ओला-वृष्टि के कारण फैजाबाद जिले को वर्तमान वित्तीय वर्ष में नि:शुल्क सहायता के लिये धन आबंटित कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त प्रदेश के सभी जिलों को रु0 5,000 नि:शुल्क सहायता के लिये आबंटित कर दिया गया है जिसका वितरण ओला पीड़ित क्षेत्र में किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त गत वर्ष में आपदा तकावी के लिये भी विभिन्न जिलों को धन आबंटित कर दिया गया था। तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष में भी किया गया है। जिलाधिकारियों द्वारा मांग आने पर आपदा तकावी के लिये आवश्यकतानुसार अतिरिक्त धन भी आबंटित किया जायेगा।

जहां तक भू-राजस्व, भूमि विकास कर आदि में छूट/स्थगन आदि की सुविधा प्रदान करने का प्रश्न है, शासन ने सभी जिलाधिकारियों को आदेश दिये हैं कि ओला पीड़ित क्षेत्रों में सरकारी कृषि देयों की वसूली में उत्पीड़ित कार्यवाही न की जाय। जिन क्षेत्रों में हानि 50 प्रतिशत या उससे अधिक हो वहां जिला अधिकारी स्वयं अपने अधिकार से वसूली स्थगित कर सकतें हैं। मालगुजारी आदि में छूट का साधारण नियम यह है कि यदि हानि 50 प्रतिशत से अधिक किन्तु 60 प्रतिशत से अधिक न हो तो 40 प्रतिशत, 60 प्रतिशत से 74 प्रतिशत तक हानि पर 60 प्रतिशत तथा 75 प्रतिशत से अधिक हानि हो तो पूरी छूट दी जा सकती है। इसके अतिरिक्त आगरा, मथुरा, इटावा एवं इलाहाबाद जिलों के जमुनापार क्षेत्र तथा बुन्देलखंड के जिलों में 40 प्रतिशत से 49 प्रतिशत की हानि पर भी 35 प्रतिशत तक की छूट का प्राविधान है। जैसाकि ऊपर कहा गया है, क्षतिग्रस्त क्षेत्रों की पड़ताल की जा रही है। जिन खातों में हानि 50 प्रतिशत या उससे अधिक होगी उनके सम्बन्ध में छूट/स्थगन के प्रस्ताव जिला अधिकारी आयुक्त/राजस्व परिषद् के माध्यम से शासन को भेजेंगे जिन पर शासन उक्त नियम के अनुसार छूट/स्थगन की स्वीकृति प्रदान करेगा।

क्रम-संख्या	जिलें का नाम	घटना की तिथि	प्रभावित तहसील	प्रभावित ग्रामों की संख्या	प्रभावित क्षेत्रफल (एकड़)	हानि का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
1	आजमगढ़	10/11-3-75	लालगंज	314	22,429	155 गांवों में 80 प्रतिशत से 90 प्रतिशत तक शेष 50 प्रतिशत से कम।
			मुहम्मदाबाद	161	10,558	55 गांवों में 50 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक शेष में 50 प्रतिशत से कम।
		24/25-3-75	फूलपुर	87	717	40 गांवों में 50 प्रतिशत से 75 प्रतिशत तक शेष में 50 प्रतिशत से कम।
2	गोरखपुर	31-1-75 1-2-75	फरेंदा	54	4,580	27 गावों में 50 प्रतिशत से 75 प्रतिशत तक शेष में 50 प्रतिशत से कम।
		10/11-3-75	महराजगंज	279	40,735	
		24/25-3-75	फरेंदा	148	29,600	10 प्रतिशत से 25 प्रतिशत तक
			सदर	1334	3,26,040	5 प्रतिशत
			बांसगांव	300	93,660	15 प्रतिशत
3	देवरिया		पड़रौना	82		
		10/11-3-75	हाटा	70	40,325	20 प्रतिशत से 40 प्रतिशत तक
			सदर	66		

4	अलीगढ़	13-2-75	अतरौली	23	8,007	75 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक
			कोल	23	10,564	
			हाथरस	18	8,438	
5	गाजीपुर	10-3-75	सेदपुर	371	31,583 हे0	99 गांवों में 50 प्रतिशत
		23/24-3-75	जमानियां	52	13,226 हे0	110 गांवों में 60 प्रतिशत से अधिक
			मुहम्मदाबाद	131	1,011 हे0	162 गांवों में 50 प्रतिशत से अधिक
		23-3-75	जमानियां	50	..	..
		24-3-75				
6	मिर्जापुर	9-3-75	..	399	66,000	25 प्रतिशत से 75 प्रतिशत तक
		11-3-75				
7	जौनपुर	10/11-3-75	केराकत	86	51,165	10 प्रतिशत से 25 प्रतिशत
		25-3-75	जौनपुर		14,537	10 प्रतिशत से 25 प्रतिशत
			मड़ियाहूं	176	..	60 प्रतिशत
				574		40 प्रतिशत
			मछलीशहर		5,268	5 प्रतिशत से 25 प्रतिशत
			शाहगंज		90,346	20 प्रतिशत से 40 प्रतिशत
			केराकत		51,165	10 से 25 प्रतिशत
8	मैनपुरी	6-3-75	मैनपुरी	113	10,740 हे0	83 गांवों में 50 से 100 प्रतिशत तक
		24-3-75	शिकोहाबाद	180	15,028 हे0	शेष 50 प्रतिशत तक
			करहल	34	2,645 हे0	
9	इलाहाबाद	9-3-75	मेजा	185		100 गांवों में 40 से 100 प्रतिशत
			करछना	125		शेष में 40 प्रतिशत से कम

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम-संख्या	जिले का नाम	घटना की तिथि	प्रभावित तहसील	प्रभावित ग्रामों की संख्या	प्रभावित क्षेत्रफल (एकड़)	हानि का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
		25-3-75	फूलपुर	15		40 प्रतिशत से 75 प्रतिशत 10 प्रतिशत से 50 प्रतिशत
10	बांदा	9-3-75	बांदा	18	27,984	25 प्रतिशत से 75 प्रतिशत
		24/-25-3-75	बबेरू	25	8,320	25 प्रतिशत से 40 प्रतिशत
			नरैनी	188	7,080	20 प्रतिशत से 80 प्रतिशत
			कर्वी	485	1,28,195	10 से 75 प्रतिशत
			मऊ	215	2,03,185	5 प्रतिशत
11	शाहजहांपुर	13-2-75	पुवायां	103	3,503	324 गांवों में 50 प्रतिशत के 100 प्रतिशत शेष में 50 प्रतिशत से कम
		6-3-75	जलालाबाद	76	28,426	
			तिलहर	351	66116	
			सदर	381	54,798	
12	बहराइच	13-2-75	बहराइच	359	1 21,224	15 प्रतिशत से 40 प्रतिशत
		12-3-75	केसरगंज	850	1,58,085	10 प्रतिशत से 100 प्रतिशत
		24/-25-3-75				
13	एटा	13-2-75 19-2-75 9-3-75	..	90	..	40 गांवों में 75 प्रतिशत शेष में इससे कम
		23/25-3-75	कासगंज	230	7,109	10 प्रतिशत से 30 प्रतिशत

			अलीगंज	8	720	
			जलेसर	35	..	
14	देहरादून	13-2-75	देहरादून	226	27,986	119 गांवों में 50 प्रतिशत से 75 प्रतिशत शेश में 25 प्रतिशत
		5-3-75	चकराता	183	7,511	5 प्रतिशत से 20 प्रतिशत
		11-3-75.				
		25-3-75		61		22 गांवों में 50 प्रतिशत से अधिक, शेष में कम।
			..			
15	वाराणसी	10-3-75		97	22,195	45 गांवों में 60 प्रतिशत से 100 प्रतिशत, शेष में 25 प्रतिशत 40 प्रतिशत
		24-3-75	चकिया	9	613	25 प्रतिशत
			चन्दौली	12	3,376	
16	सीतापुर	13-2-75	सदर	12	14,086	
			सिधौली	13		
			मिश्रिख	13		
17	बस्ती	13/14-2-75	नौगढ़	206	..	25 प्रतिशत से कम
			बांसी	885	1 16,900	302 गांवों में 50 प्रतिशत से अधिक, शेष में 50 प्रतिशत से कम
		24/25-3-75	डुमरियागंज	326	1,02 112	290 गांवों में 50 प्रतिशत से अधिक, शेष में 50 प्रतिशत से कम।
			हरैया	364	35,303	72 गांवों में 50 प्रतिशत से अधिक, शेष में 50 प्रतिशत से कम।
			बस्ती	309	..	25 प्रतिशत से कम

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम-संख्या	जिले का नाम	घटना की तिथि	प्रभावित तहसील	प्रभावित ग्रामों की संख्या	प्रभावित क्षेत्रफल (एकड़)	हानि का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
18	फैजाबाद ..	1-2-75	सदर ..	1.2	12,785 हे0	25 प्रतिशत से 75 प्रतिशत तक
		24/25-3-75	अकबरपुर ..	366	21.326 ,,	50 प्रतिशत से 100 प्रतिशत
			बीकापुर ..	135	9,282 ,,	25 प्रतिशत से 75 प्रतिशत
			टांडा ..	54	3,085 ,,	40 प्रतिशत से 80 प्रतिशत
19	हमीरपुर ..	9-3-75	महोबा ..	23	..	25 प्रतिशत
		24/25-3-75	राठ ..	35	12,995 ,,	25 प्रतिशत से 50 प्रतिशत
			चरखारी ..	18	872	
20	रायबरेली ..	1-1-75	सलोन ..	25	3,225 ,,	20 प्रतिशत तक
		22/1-75	महराजगंज ..	53	6,541 ,,	20 प्रतिशत से 25 प्रतिशत
				77	..	नगण्य
21	बदायूं ..	13-2-75	बदायूं ..	183	57,446 ,,	50 प्रतिशत से कम
		6-3-75	गुन्नौर ..	9	1,370 ,,	,, ,,
		9-3-75	सहसवां ..	55	8,430 ,,	,, ,,
		24-3-75	विसौली ..	25	11,830 ,,	,, ,,
			दातागंज ..	319	67,998 ,,	303 गांवों में 50 प्रतिशत, 16 गांवों में 50 प्रतिशत से अधिक।

22	मुरादाबाद	..	10-3-75	अमरोहा	..	41	16,175 ,,	40 से 75 प्रतिशत
			25-3-75					
23	मेरठ	..	10/11-3-75	मवाना	....	112	10,493 ,,	27 गांवों में 50 प्रतिशत से 75 प्रतिशत शेष में 20 से 40 प्रतिशत।
			24/25-3-75	मेरठ	..	26	3,157 ,,	16 गांवों में 50 से 74 प्रतिशत शेष में 10 से 49 प्रतिशत।
				हापुड़	..	4	268 ,,	2 गांवों में 10 से 50 प्रतिशत शेष में 10 से 25 प्रतिशत।
				गाजियाबाद	..	37	7,031 ,,	5 से 20 प्रतिशत
				बागपत	..	35	16,789 ,,	15 से 49 प्रतिशत
				सरधना	..	10	2,190 ,,	12 से 30 प्रतिशत
24	नैनीताल	..	6/11-3-75	खटीमा	..	30	0,204 ,,	16 गांवों में 75 से 90 प्रतिशत तक शेष में 20 से 50 प्रतिशत।
25	बलिया	..	10/11-3-75	बांसडीह	..	175	14,188 ,,	10 से 80 प्रतिशत 40 से 50 प्रतिशत
26	बिजनौर		25-3-75	रसड़ा	..	800	29,890 ,,	नगण्य
		..	13/14-3-75	नजीबाबाद	..	105	.	50 प्रतिशत तक
				बिजनौर	..	26	..	
27	सुल्तानपुर	..	22-1-75	सदर	..	125	20,375 ,,	52 प्रतिशत
			9-3-75	कादीपुर	..	10	500 ,,	20 प्रतिशत
			24/25-3-75	मुसाफिरखाना	..	435	1,13 000 ,,	12 से 25 प्रतिशत तक
28	फतेहपुर	..	15-2-75	फतेहपुर	..	21	8,051 ,,	12 से 40 प्रतिशत
			12-3-75	बिन्दकी	..	65	14,535 ,,	25 प्रतिशत
			24/25-3-75	खागा	..	217	41,202 ,,	20 से 40 प्रतिशत

क्रम-संख्या	जिले का नाम	घटना की तिथि	प्रभावित तहसील	प्रभावित ग्रामों की संख्या	प्रभावित क्षेत्रफल (एकड़)	हानि का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
29	पीलीभीत ..	6/9-3-75	बीसलपुर ..	239	55,200	6 गांवों में 59 प्रतिशत तक, शेष में 50 प्रतिशत से कम।
30	बरेली ..	6/12-3-75	बरेली ..	39	42,000	10 से 15 प्रतिशत
			बहेड़ी ..	135	40,500	25 प्रतिशत तक
			आंवला ..	74	8,725	30 से 40 प्रतिशत
			नवाबगंज ..	92	23,652	25 प्रतिशत
31	गोण्डा ..	1-2-75	बलरामपुर ..	36		
		24/25-3-75	गोण्डा ..	143	26,533	15 से 75 प्रतिशत
			तरबगंज ..	189	47,307	25 से 50 प्रतिशत
			उतरौला	315	79,665	25 से 75 प्रतिशत
32	जालौन ..	13-2-75	जालौन ..	141	59,295	40 से 50 प्रतिशत
		24/25-3-75	कौंच ..	70	26,183	25 से 60 प्रतिशत
			कालपी ..	35	4,537	25 से 40 प्रतिशत
			उरई ..	17	3,733	12 से 35 प्रतिशत
33	खीरी ..	13-2-75	लखीमपुर ..	109	8,000	10 से 25 प्रतिशत
		9/10-4-75	मोहम्मदी ..	92	4,240	15 से 25 प्रतिशत
		25-3-75	निघासन ..	413	17,760	10 से 20 प्रतिशत

उत्तर प्रदेश विधान सभा

34	मुजफ्फरनगर	13-2-75	मुजफ्फरनगर	87	7,139	20 प्रतिशत से 30 प्रतिशत
		24-3-75	कैराना	2	1,000	5 से 10 प्रतिशत
			जानसठ	60	37,464	5 से 30 प्रतिशत
			बुढ़ाना	8	1,200	20 प्रतिशत
35	सहारनपुर	24/25-3-75	देववन्द	11	2,404	10 से 40 प्रतिशत
			सहारनपुर	9	7,875	75 प्रतिशत तक
				12	33,241	10 से 40 प्रतिशत
			नकुल	61	21,407	10 से 25 प्रतिशत
			रुड़की	45	6,975	10 से 38 प्रतिशत
36	चमोली	23-3-75	कर्णप्रयाग	27	..	1 गांव में 75 प्रतिशत, शेष में 10 प्रतिशत तक।
37	ललितपुर	22-1-75	ललितपुर	26	..	3948 एकड़ में 25 से 50 प्रतिशत
		19-2-75	महरौनी	68	..	
		20-2-75				
		25-2-75				
		8-3-75				
38	आगरा	20-2-75	खैरागढ़	35		20 से 25 प्रतिशत
		6-3-75	बाह	3		20 से 25 प्रतिशत
		24-3-75	एतमादपुर	21		20 से 40 प्रतिशत
				97	35,000	25 से 40 प्रतिशत
39	मथुरा	23-3-75	छाता	87	41,621	33 गांवों में 50 से 100 प्रतिशत
			माट	14	6,840	7 गांवों में 50 से 90 प्रतिशत
			मथुरा	25	7,931	50 प्रतिशत से कम

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम-संख्या	जिले का नाम	घटना की तिथि	प्रभावित तहसील	प्रभावित ग्रामों की संख्या	प्रभावित क्षेत्रफल (एकड़)	हानि का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
40	बुलन्दशहर	24-3-75	..	107	..	37 गांवों में 50 से 100 प्रतिशत
41	झांसी	24-3-75	..	..	3,500	2500 एकड़ में 25 प्रतिशत से कम, शेष में 40 से 80 प्रतिशत
42	कानपुर	24-3-75	..	183	16,290	10 से 15 प्रतिशत
43	इटावा	24/25-3-75	..	508	49,256	22 गांवों में 60 प्रतिशत से अधिक, शेष में 10 प्रतिशत से 50 प्रतिशत

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री त्रिवेनी (जिला आजमगढ़)—

ओले के सिलसिले में माननीय मन्त्री जी ने जो रिपोर्ट सदन में पढ़ी है, मान्यवर, आजमगढ़ के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि वहां की लालगंज तहसील है वह सम्पूर्ण तहसील ओले से प्रभावित हुई है। रिपोर्ट में प्रभावित गांवों की संख्या 314 बतायी गयी है। मान्यवर, यह अधूरी रिपोर्ट है। मैं कहता हूं कि सम्पूर्ण तहसील ओले से प्रभावित है। जहां पर यह बताया गया है कि 50 प्रतिशत से कम हानि हुई है वहां पर 100 प्रतिशत हानि हुई है। अधिकारियों ने इसमें भी गड़बड़ी की है। सारी फसल नष्ट हो गयी है। मकानों के खपरैल टूट गये हैं और छप्पर उड़ गये। वहां की हालत बड़ी दयनीय है। हम लोग चाहते हैं कि वस्तु स्थिति का ज्ञान कराया जाये।

श्री राज मंगल पांडेय—

मान्यवर, जो कुछ माननीय त्रिवेणी राय ने कहा है उसको अगर आधार मान लिया जाये तो आजमगढ़ का 2/3 हिस्सा ओले से प्रभावित हो जायेगा। ओला एक बेल्ट में पड़ता हुआ आगे चला गया और उसके कारण 22429 एकड़ क्षेत्रफल प्रभावित हुआ। 155 गांवों में 80 से 90 प्रतिशत तक शेष 50 प्रतिशत से कम। 55 गांवों में 50 से 100 प्रतिशत तक शेष में 50 प्रतिशत से कम नुकसान हुआ है। अभी तक जो तरीका रहा है वह तहसील के माध्यम से ही इसका अनुमान लगाया जाता रहा है अगर त्रिवेणी राय जी कोई दूसरा तरीका बता सकें तो हम उससे भी अनुमान लगा लेंगे।

श्री राम समुझ तिवारी (जिला बस्ती)—

मान्यवर, मैं जिस क्षेत्र से चुना गया हूं उसमें राम नगर ब्लाक है वह पूरा का पूरा नष्ट हो गया है। माधो बाबू जो बांसी से चुने गये वहां से राम नगर तक की बेल्ट ओले से प्रभावित हो गयी है। जहां पर 15 प्रतिशत तक का नुकसान हुआ है उस क्षेत्र को लेवी से मुक्त किया जाय। जहां पर ओले का प्रभाव चाहे वह 15 प्रतिशत हुआ है या 20 प्रतिशत हुआ है, उन इलाकों को मुक्त कंठ से आपको लैवी से मुक्त करने की घोषणा करनी चाहिये। सदन में कोई गोलमाल रिपोर्ट नहीं देनी चाहिये। माननीय मन्त्री जी ने अभी सदन में बताया कि इस प्रकार की रिपोर्ट तहसील के माध्यम से ही प्राप्त की जाती है जो जीवन में कभी सही रिपोर्ट देते ही नहीं हैं। अगर उनसे पूछा जाय कि गांव में कितने बन्दर थे तो कह देंगे कि 150 क्योंकि उनको गिनने कौन जायेगा। हमारे माननीय मन्त्री जी वकील रहे हैं और वे जानते हैं कि वहां पर क्या-क्या रिपोर्ट दी जाती है। ऐसे मामले में अगर गलत रिपोर्ट दी जाय तो सरकार को कोई लाभ नहीं होने वाला है। इसलिये अगर ओले के सम्बन्ध में जांच गलत की गई तो क्या वे उस इलाके में राहत के कार्य, टेस्ट वर्क्स खुलवाने के आदेश देंगे और वहां के सभी किसानों को लेवी से मुक्त करेंगे और लगान और जो अन्य वसूलयाबियां हो रही हैं उनको मुल्तवी कराने की कृपा करेंगे ?

श्री राज मंगल पांडेय—

ऐसा मालूम पड़ता है कि शायद माननीय सदस्य ने बस्ती जिले की जो रिपोर्ट दी गई है, उसको उन्होंने गौर से नहीं देखा है। नौगढ़ में 206 गांव प्रभावित हुए हैं, बांसी में 885 गांव, डुमरियागंज में 328, हरैया में 364 और बस्ती में 309 गांव प्रभावित हुए

[श्री राज मंगल पांडेय]

हैं। इस प्रकार से जो प्रभावित क्षेत्र हैं, वह कई लाख एकड़ आ जाता है। इसी से साफ जाहिर है कि बस्ती में काफी गांव प्रभावित हुए हैं।

जहां तक लैवी का प्रश्न है, मैं इतना अवश्य कह देना चाहता हूं कि जिलाधिकारी के विवेक पर छोड़ दिया गया है कि जहां पर वे देखें कि अधिक नुकसान हुआ है, वे जो भी उचित समझें निर्णय लें, उसमें जिलाधिकारियों को आदेश दे दिये गये हैं। यदि माननीय सदस्य स्वयं कोई रिपोर्ट जिलाधिकारी को दे दें तो इस मुसीबत के जमाने में जो लेवी उनको नहीं लेनी चाहिये, उसको वह वसूल नहीं करेगा।

श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव (जिला जौनपुर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि यह जो जौनपुर के बारे में रिपोर्ट दी गई है, इसमें 2 तहसीलें हैं एक केराकत और एक जौनपुर। रिपोर्ट में कहा गया है कि केराकत में 86 गांव और जौनपुर में 176 गांव प्रभावित हुए हैं और रिपोर्ट में यह भी दिया हुआ है कि वहां के किसानों की 10 से लेकर 25 प्रतिशत तक फसल बरबाद हुई है। अभी जैसा माननीय राम समुझ तिवारी जी ने बतलाया कि वहां पर बहुत ओला पड़ा। आपके नियमों में यह है कि जब 50 प्रतिशत तक हानि होती है तो प्रभावित किसानों को कुछ नहीं मिलता। रिपोर्ट में यही दिया हुआ है कि वहां पर 50 प्रतिशत से कम हानि हुई है। तो स्पष्ट है कि जो रिपोर्ट दी गई है वह सही नहीं है। तो क्या आप फिर से जांच कराकर सदन में रिपोर्ट पेश करने की कृपा करेंगे ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया है।)

श्री अब्दुल बाकी (जिला आजमगढ़)—

मान्यवर, मैं जिस इलाके से चुना गया हूं, मैं किसी की रिपोर्ट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं खुद उस इलाके में पैदल गया हूं। आजमगढ़ में रबी की फसल बिल्कुल मूसा हो गई है। किसान अपने खेतों को झाड़ू से साफ कर रहे हैं। मैंने स्वयं रिकवारेंडी, अहिलाद, उन्हाइच, कुसमौर, हरपुर, सलहाबाद और दूसरे गांव पैदल जा-जा कर देखे हैं। वहां के किसान उचक-उचक कर कह रहे थे कि उन्होंने किसी शक्ल में अपने खेतों में खाद दिया, 10-10 पानी भी दिये और पूरी पूंजी को खेत में लगाया और जब फसल पकने को तैयार होने वाली थी तो ओले से तबाह हो गई। ऐसी हालत में भी हमसे बकाया कर, विकास कर और लगान की वसूली हो रही है। उनकी प्रार्थना है कि ये सब चीजें उनकी माफ होनी चाहिये। आम तरीके से शिकायत थी कि तहसील और हाकिम परगना सड़क के जरिये से आये और चले गये, गांव के अन्दर वह दाखिल नहीं हुये। मैं तो उन गांवों के अन्दर गया हूं। मैंने देखा कि किसानों की हालत बहुत ही जर्जर है। इसलिये अब दोबारा जांच होनी चाहिये और विकास कर और लगान पूरे का पूरा उन इलाकों का माफ होना चाहिये।

श्री भवगती प्रसाद (जिला फैजाबाद)—

जो मन्त्री महोदय ने कहा है कि ओला जो पड़ता है लहटा से यह सही है, लेकिन मैं क्या बताऊं, मैंने बाकायदा लिख कर आपके कार्यवाही विभाग को सूचना दिया था लेकिन हमारा नाम नहीं आया। वह तहसील आनी चाहिये थी। हमारे जिला फैजाबाद में तहसील सदर को दिखाया है वहां के अधिकारियों ने। मैं समझता हूं कि जो विधायक हमारे

उस क्षेत्र के सत्ता पक्ष के हैं उनके दबाव से कलेक्टर या मन्त्री महोदय का वक्तव्य है। अगर इसकी इन्क्वायरी मन्त्री महोदय करायें तो मालूम होगा कि सदर तहसील से ज्यादा ओला अकबरपुर तहसील में पड़ा है। मैंने भी दो दिन तक मुतवातिर उस क्षेत्र का दौरा किया और अरहर, चना, गेहूं और खासतौर से जौ की फसल जो हमारे यहां विशेष होती है एकदम जमीन पर पड़ गयी लेकिन सहायता मिली है सदर तहसील को। 102 गांवों की फसल नष्ट हुई सदर तहसील में। मालूम होता है कि फैजाबाद की किसी और तहसील में ओला नहीं पड़ा है। ऐसी गलत रिपोर्ट से किसान का बड़ा अहित होगा और जिन क्षेत्रों में भारी मात्रा में ओला पड़ा है उन क्षेत्रों के लोग लेवी देने में बिलकुल असमर्थ हो जायेंगे और सरकार को भी कठिनाई उठानी पड़ेगी और जनता को भी ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे कि जिससे सरकार की नीतियों पर कुठराघात हो। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि नियमावली के अनुसार कोई बात न हो तो दूसरी बात है लेकिन यह सूचना ऐसी थी जो मैं खुद कार्यवाही विभाग देने गया। आपके कर्मचारी ने कहा कि मैं आपका नाम जोड़ दूंगा क्योंकि बहुत से लोगों का आया है। लेकिन उन्होंने मेरा नाम नहीं जोड़ा, मेरी तहसील नहीं जोड़ी, इसका मुझे दुःख है।

श्री बाबू लाल वर्मा (जिला बहराइच)—

मान्यवर, बहराइच जिले में तहसील कैसरगंज में 13 फरवरी, 1975 को ओला पड़ा था और जिलाधिकारी ने रिपोर्ट दी है कि इसमें 359 गांवों में 1,21,224 हैक्टेयर में ओला पड़ा है, लेकिन इसमें कहा है कि 15 से 40 प्रतिशत तक हानि हुई है। ओला पड़ने के तीसरे दिन मैं स्वयं मथेरा, मखरौली, साहबापुर, भभीवां, बदरौली, कुनासर, कड़सर, गठौरा, सिदरखा, मुल्हन, देवलखा, मनारा, पाखली, ददौरा, परसेंडी, इन गांवों में गया हूं। इन गांवों में अनाज का एक दाना नहीं बचा है, सारी फसल नष्ट हो गयी है। अरहर, गेहूं, चना, जौ और आम की फसल भी चौपट हो गयी है और इन्होंने दिखलाया है कि 15 से 40 प्रतिशत तक हानि हुई है। मेरा दावा है कि हमारे यहां 60 से 90 प्रतिशत तक हानि हुई है। उसके बाद दिनांक 12 मार्च, 1975 और दिनांक 24 मार्च, 1975 को जो ओला पड़ा है उसको आपने कहा है कि 50 गांवों में 1,50,005 हैक्टेयर में नुकसान हुआ है 10 से 100 प्रतिशत तक। यह सूचना भी सही नहीं है। 50 गांवों में सूचना गलत है, कम से कम 150 गांवों में ओला गिरा है और जो प्रतिशत दिखाया है इसमें भी 50 से 75 प्रतिशत तक नुकसान हुआ है। माननीय मन्त्री जी फिर से जांच करायें हमारी सूचना को सही मान कर।

श्री अध्यक्ष—

मेरा इरादा यह है चूंकि बयान में सारे सवाल नहीं आ सकते हैं, इसके लिये घंटा आधा घंटा का समय आप ले लें।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

यह ठीक रहेगा।

श्री अध्यक्ष—

(कई सदस्यों द्वारा खड़े होने पर) मैं तो स्वयं मान रहा हूं कि यह महत्वपूर्ण विषय है और इस पर चर्चा के लिये समय दे दूं।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, मन्त्री जी से एक बात कहना चाहता हूं। जैसा अभी माननीय सदस्य ने कहा, यह रिपोर्ट सही नहीं है, तो जब तक चर्चा हो, मन्त्री जी सही रिपोर्ट मंगा लें।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

(वक्तव्य की प्रति को फाड़ कर सदन में फेंकते हुये ।)

[× × × ×]

श्री अध्यक्ष—

यह प्रदर्शन है, यह असंसदीय है, इस तरह का व्यवहार आपको नहीं करना चाहिये (श्री जनार्दन प्रसाद ओझा के बोलते रहने पर) मैं आपको इजाजत नहीं दे रहा हूं। आपकी कुछ भी बात लिखी नहीं जायेगी। यह प्रदर्शन ठीक नहीं है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

[× × × ×]

श्री अध्यक्ष—

यह कुछ भी नहीं लिखा जायेगा।

मैंने स्वयं कहा है कि चर्चा के लिये मैं समय दूंगा। बहुत से माननीय सदस्य कुछ कहना चाहेंगे अपने-अपने जिलों के बारे में इसीलिये मैंने समय देने के लिये स्वीकार किया। मैंने इसमें स्वयं देखा है कि कहीं 25 प्रतिशत से 75 प्रतिशत नुकसान दिखाया है। बस्ती जिले में भी काफी नुकसान हुआ है (व्यवधान)

श्री राज मंगल पांडेय—

मान्यवर, मैंने जो स्टेटमेंट दिया है उसमें मैंने स्वयं कहा है कि मोटे तौर पर जिलाधिकारी ने यह अन्तरिम रिपोर्ट दी है और अभी असेसमेंट हो रहा है। जब हम स्वत: कह रहे हैं कि यह परफेक्ट रिपोर्ट नहीं है तो इस पर आपत्ति क्या है? आप चर्चा के लिये समय दे दें, 2 घंटा दे दें, जैसा आप चाहें, हमें एतराज नहीं है।

(कई सदस्यों द्वारा व्यवधान।)

श्री अध्यक्ष—

इसको हम एक घंटा के लिये चर्चा के लिये स्वीकार करते हैं। (व्यवधान) इस तरह से अगर आप बोलेंगे तो कुछ भी सुनायी नहीं देगा। कुछ सुनायी नहीं पड़ रहा है। मैंने इसको स्वीकार तो कर लिया है। समय बाद को बताया जायेगा।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

नियम 56 के अन्तर्गत एक सूचना श्री बाबू लाल वर्मा जी ने दी है, जो इस प्रकार है—"माडल जेल लखनऊ में बन्दी, जनसंघर्ष समन्वय समिति के आन्दोलनकारियों का तथाकथित नारकीय जीवन ।"

इसके बारे में कल भी आपको याद होगा, माननीय मुख्य मंत्री जी नेकहा था कि माननीय जेल मंत्री जायं। और वहां तक जेल मंत्री गये थे और उन्होंने कल ही शाम को मेरे पास लिख कर भेज दिया था, शायद उनको कहीं आज जाना था इसलिये, अगर आप चाहते हैं तो उसको मैं आपको सुना दूं।

[××××] श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार निकाल दिया गया।

चौधरी चरण सिंह (जिला मेरठ)--

अध्यक्ष महोदय, माननीय जेल मंत्री जी किस नतीजे पर पहुंचे उससे आप इस सदन को आगाह करें, उसके पहले मैं कुछ अर्ज कर देना चाहता हूं। कल हम 5 विधायक शाम को जेल में गये। हमें वहां मालूम हुआ कि जेल मंत्री जी वहां हैं आये। मैं, माननीय त्रिपाठी जी, माननीय राममूर्ति जी, एक एम0 एल0 सी0 थे और यहां की एक विधायिका थीं। हम-लोग वहां घंटे दो घंटे काफी समय तक रहे और मैंने अपनी आंखों से जो कुछ देखा है, आपके जरिये माननीय जेल मंत्री जी को बतलाना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, जो वहां पाखाने का इन्तजाम है वह अत्यन्त असन्तोषजनक है। जिस जेल में वे रखे गये है वह कहलाता है रिफार्मेटरी जेल, यानी बच्चों का। वहां फारिग होने के लिये बैठने का जो स्थान है, वहां एडल्ट यानी वयस्क को बैठने में कठिनाई होगी, बैठ ही नहीं सकता है। हमने जेलर को बुला कर पूछा तो उन्होंने कहा कि बेशक कठिनाई है लोगों को। बच्चों के लिये बना हुआ था। इसके लिये जब गवर्नमेंट से रुपया मिले, ऊपर से कोई आर्डर हो तब ये शायद कुछ कर सकें, उनको इतना अधिकार नहीं है कि उसका रिकंस्ट्रक्शन करवा सकें। मैं समझता हूं कि इसका तो बिलकुल ही पुनर्निर्माण होना चाहिये। एक तो यह बात मैं सदन के नोटिस में लाना चाहता था।

दूसरी बात यह है कि उन लोगों की यह भी शिकायत है कि पीछे की तरफ पर्दे का कोई इन्तजाम नहीं होने की वजह से कोई फारिग होने के लिये बैठ नहीं सकता है। कल जब हम गये तो कोई फटा हुआ टाट का पर्दा लगा दिया गया जो कि नाकाफी है। वह भी बदलना जरूरी है।

तीसरी बात यह कि जो चाय हमने देखी, उसे चाय नहीं कहा जा सकता है। उसे कुत्ता भी नहीं पीयेगा। वह तो एक तरह का जहर है जिसका बयान किया ही नहीं जा सकता। वे लोग एक बोतल में भर कर हमें दे रहे थे, मैंने कहा कि नहीं इसकी जरूरत नहीं है; आपकी तकलीफों को हम सदन के सामने बयान करेंगे। जैसा कि मैंने कहा कि वह जहर था इससे अच्छा है कि चाय न दी जाय और कह दिया जाय कि पैसा नहीं है। अगर आपने दिया तो इससे लोगों का हाजमा खराब करना होगा और लोगों को बीमार कर देना होगा।

फिर कम्बल लेटने के लिये दिया जाता है। जहां तक मुझे याद पड़ता है पहले एक चादर भी दी जाती थी। कम्बल पर गर्मी के दिनों में कौन लेटेगा, इससे तो जमीन पर लेट जाना ज्यादा अच्छा है। कम्बल तो बहुत गर्म होता है इसलिये अच्छा है कि उनको चादर भी दी जाय। ये सब चीजें मैं आपके नोटिस में लाना चाहता था। माननीय त्रिपाठी जी और चीजों के बारे में कहना चाहेंगे।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती) —

मान्यवर, चौधरी साहब ने जो कुछ कहा, मैं उनसे सहमत हूं। लेकिन मैं इस सम्बन्ध में दो-तीन चीजें और कहना चाहता हूं। मान्यवर, मैं भी ऐसा समझता हूं कि अंग्रेजों के जमाने में राजनैतिक कैदियों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होता था जैसा कि कांग्रेस सरकार अपने विरोधी पक्ष के राजनैतिक कैदियों के साथ कर रही है। पहली बात तो यह कि शौचालय वहां है ही नहीं, और माननीय नेता विरोधी दल एक बात भूल ही गये। यह बात सही है कि जो वहां कदमचे हैं उन पर बिलकुल कोई बैठ ही नहीं सकता है। दूसरी बात जो महत्व की है वह यह कि वहां शौचालय है ही नहीं। दीवार की तरफ एक परदा कर दिया गया है, पेट से जो

[श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी]

चीज खारिज होने को है, मालूम होता है कि वह मुंह से निकला जा रहा है, ऐसी स्थिति है वहां गन्दगी की। यह स्थिति है। वहां बेहद गंदगी है। सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। शौचालय का बिलकुल प्रबन्ध नहीं है। जो है वह न होने के बराबर है। मान्यवर, वहां 300 से ऊपर कैदियों की संख्या पहुंच गयी है।

मान्यवर, रोटी की बात अभी कल ही आयी थी। मान्यवर, आपको एक रोटी दिखायी गयी थी। कुछ लोग कह सकते हैं कि वह रोटी वहां की नहीं थी, अपने पास से लाये हैं। पर मान्यवर, भांटे की तरकारी में कीड़ा पाया गया। मैंने तो उस वक्त नहीं देखा, पर उसको निकाल कर फेंका गया। यह मुझ से एक कैदी ने कहा। मान्यवर, जो मिल रहा है अगर उससे कोई बीमार हो जाय तो दवा का कोई प्रबंध नहीं है। केवल एक डाक्टर है। वहां लाइन लगी थी रेगुलर कैदियों की और कोई तो दवा ले ही नहीं सकता। केवल एक ही डाक्टर है जो सबको अटेंड ही नहीं कर सकता। चाय पानी का जो प्रबन्ध है उसके बारे में चौधरी साहब ने कहा है। इनकी ओर कुछ ध्यान देना चाहिये। यह राजनैतिक कैदी हैं। इनकी दशा साधारण बंदियों से भी खराब है।

श्री राममूर्ति (जिला बरेली)—

अध्यक्ष महोदय, यह गर्मी का जमाना है। और गर्मी के जमाने में कम्बल जो दिया गया है वह बिछाने के काम में आ सकता है। लेकिन रात के लिये जहां मच्छर हों, सूती चादर के बिना वहां आदमी के लिये सोना मुमकिन नहीं है कि वह मच्छरों से अपना बचाव कर सके।

अध्यक्ष महोदय, सुबह को जो नाश्ते में चना दिया जाता है वह बिल्कुल घुर्री है। फूलता नहीं है और दांतों से कटता नहीं है। इन चीजों का भी ख्याल रखा जाय।

श्री हरिकेवल (जिला देवरिया) —

अध्यक्ष महोदय, जानवरों को भी.....

श्री अध्यक्ष—

आपको मालूम होना चाहिये कि नेता विरोधी दल ने जाकर स्वयं देखा है और उन्होंने बताया है। माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी और माननीय राममूर्ति जी ने कहा है तो आपके कहने का कोई प्रयोजन नहीं है। जो कल जेल मंत्री जी को कहा गया था, उसमें कुछ बातें जो हैं मैं पढ़े देता हूं। उनको कुछ सुबिधायें दी हैं। इसमें कहा है:—

"अध्यक्ष, बिधान सभा—

आपके आदेशानुसार मैंने आज सायंकाल रिफार्मेटरी जेल, जहां पर सत्याग्रह करने वाले राजनैतिक बन्दी बंद हैं, का निरीक्षण किया। कल कुल बंदियों की संख्या 150 थी जिसमें से दो विधायक सर्वश्री कमला प्रसाद वर्मा व प्यारे लाल वर्मा, दो संसद सदस्य सर्वश्री राज नरायन एवं महादीपक, दो भूतपूर्व विधान सभा सदस्य सर्व श्री रूपसिंह एवं नेतराम सिंह हैं। कल सायंकाल डी0 आई0 जी0 (कारागार) लगभग 7 बजे जेल में गये थे। कुल 8 व्यक्तियों को मैजिस्ट्रेट द्वारा सुपीरियर क्लास दिया गया है और 24 अन्य आदमियों का नाम सुपीरियर क्लास हेतु मैजिस्ट्रेट के पास विचाराधीन है। इन लोगों को बाहर सोने की सुविधा दे दी गयी है। आज से इन लोगों को इनकी इच्छानुसार अपना भोजन स्वयं बनाने की व्यवस्था

भी कर दी गयी है। चाय की भी व्यवस्था हेतु आदेश दे दिया गया है। समुचित रोशनी एवं पंखों की व्यवस्था का प्रबंध कर दिया गया है। कुछ पेट्रोमैक्स एवं लालटेन की भी व्यवस्था की गयी है जिससे बिजली जाने पर इनका उपयोग किया जा सके और किसी व्यक्ति को कोई कठिनाई का आभास न हो। इन लोगों के लिये किराये की 20 दरियां (बड़ी) मंगायी गयी हैं। कल तक इन लोगों के लिये मूंज की चटाई, कम्बल और चादर दी गयी थी।"

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मान्यवर, यह गलत है। चादर दी ही नहीं गयी है। यही तो शिकायत है कि गरमी में कम्बल क्यों दिये गये ?

श्री अध्यक्ष--

"आज से बिस्तर पर दरी तथा ऊपर चादर की व्यवस्था करा दी गयी है। सुपीरियर क्लास में शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन की व्यवस्था करा दी गयी है। छोटे एक हाल में 2 पंखे तथा बड़े हाल में तीन पंखों की व्यवस्था हेतु मैंने कह दिया है। कल तक 150 कैदियों के लिये 50 पीने के लिये मिट्टी के घड़े मंगाये गये थे और आज 45 और बड़े मंगाये गये हैं। सफाई का समुचित प्रबंध कर दिया गया है और दो अतिरिक्त स्वीपर आज से लगाये गये हैं। सभी लोगों के लिये 2 सिद्धदोष बंदी पानी भरने व सफाई की व्यवस्था हेतु लगा दिये गये हैं। नहाने का साबुन व कपड़ा धोने का जेल का बना हुआ साबुन दिये जाने का आदेश दे दिया गया है। अधिक बृद्ध अथवा ऐसे लोग जिनके लिये चारपाई अनिवार्य है या जो बिना चारपाई के तख्त आदि पर नहीं सो सकते उनके लिये भी प्रबंध कराया गया है। सभी लोगों के लिये दोपहर में एक प्याला मट्ठे की व्यवस्था कल से की जायगी जैसा कि इन लोगों ने मांग की थी। हरी मिर्च, प्याज, चटनी व दातून की भी व्यवस्था करा दी गयी है। पढ़ने के लिये हिन्दी के अखबार व कुछ चालू पत्रिकाओं के लिये भी कह दिया है।" यह जेल मंत्री का कहना है।

चौधरी चरण सिंह--

श्रीमन्, जेल मंत्री ने कहा है कि व्यवस्था कर दी गयी है। तो उन्होंने आदेश दिये हैं किन्तु अभी तक व्यवस्था नहीं हुई है। दूसरे श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी और श्री राममूर्ति जी ने जो अर्ज किया है वह भी गवर्नमेन्ट की नोटिस में आ गया है।

श्री अध्यक्ष--

नेता विरोधी दल, चौधरी चरण सिंह, श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी और श्री राममूर्ति जी ने जो बातें कही हैं उनको आपने सुना है।

श्रम मंत्री (श्री राजमंगल पांडेय)--

मान्यवर, उनकी बातों को मैंने सुन लिया और जो नियम के अनुसार.....।

श्री बाबू लाल वर्मा (जिला बहराइच)--

मान्यवर, मैं आज साढ़े आठ बजे जेल के दरवाजे पहुंचा और जेलर साहब मौजूद नहीं थे। एक घंटे तक खड़ा रहा और जब निकले तब जाना पड़ा। तो विधायकों को मिलने में

[श्री बाबू लाल वर्मा]

जब इतनी कठिनाई होती है तो साधारण आदमी कैसे मिल सकता है ? साढ़े आठ बजे तक शौचालय के लिये उनको पानी नहीं मिला था इसलिये कोई नहीं गया था। कुयें में ताला पड़ा है और अलग से कोई व्यवस्था नहीं थी। दूसरे 'बी' क्लास के जो कैदी हैं उनके पास वही सामान एक कटोरी और एक तसला है जो एक साधारण कैदी और जरायम वाले कैदी को मिलता है। उसको देखने के बाद जो मंत्री जी ने वक्तव्य पढ़ा है उसमें एक अंश भी सत्य नहीं है। वहां कोई व्यवस्था नहीं की गयी है।

श्री अध्यक्ष--

यह तो सदन के संज्ञान में आ गया है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)--

मान्यवर, जो जेल में जाते हैं उनको सब को दिक्कत महसूस करनी पड़ती है। मंत्री जी से कहूंगा कि इसकी व्यवस्था होनी चाहिये। लेकिन मैं चौधरी साहब से भी निवेदन करना चाहता हूं कि कृपा करके जब हम लोग जेल में रहें तब भी जेल में आने की कृपा करें।

(हंसी)

श्री अध्यक्ष--

नियम 56 की सूचनाओं में पहली तो हो गयी है। एक श्री राम नाथ बाबा, श्री हरि केवल और श्री जनार्दन प्रसाद ओझा की चकबन्दी योजनान्तर्गत चकबन्दी आयुक्त के आदेशानुसार तथाकथित किये गये अनियमित कार्य से कर्मचारियों में क्षोभ है। यह नियम 51 में दिया गया है। तो नियम 51 में इसको हम देखेंगे।

दूसरी श्री रामचन्द्र बख्श सिंह और श्री अब्दुल बाकी ने मिर्जापुर में रेनकूट स्थित हिंडालको में तैनात पुलिस की असामाजिक तत्वों के लाठी के प्रहार से मृत्यु। यह भी नियम 51 में दिया गया है। तो यह दोनों उस वक्त देखेंगे।

तीसरी सूचना श्री राम प्रकाश त्रिपाठी ने दिया है जिसको हम अस्वीकार करते हैं।

श्री राम अधार राय ने इस्पात मंत्री द्वारा अपने को तथाकथित रूसी एजेन्ट कहने में गौरव अनुभव करने की सूचना दी है।

श्री राम अधार (जिला आजमगढ़)--

मान्यवर, सारे प्रदेश में रूसी शक्ति की सांठगांठ से एक केन्द्रीय मंत्री जी इस साजिश में लगे हुये हैं कि वह इस प्रदेश में साम्प्रदायिक दंगा कराकर लखनऊ बहुगुणा सरकार को गिराकर एक मिली जुली सरकार बनायी जाय। इसलिये भारत-सोवियत सांस्कृतिक कार्यक्रमों में कई लाख रुपये चन्द लोगों को दिये गये कि वह इस साजिश को बड़े पैमाने पर लागू करें। पीलीभीत और अन्य कई जगहों पर जो दंगे हुये हैं उनमें केन्द्रीय इस्पात मंत्री और रूसी लोगों का हाथ था।

श्री अध्यक्ष--

अगर राष्ट्रहित में कोई मूल्यवान सुझाव हों तो कृपया भेज दें.....

(व्यवधान)

नियम 200 के अन्तर्गत दी गई सूचना के सम्बन्ध में जानकारी

(श्री अध्यक्ष द्वारा कार्यसूची 9 कहने पर)

चौधरी चरण सिंह (जिला मेरठ)---

अध्यक्ष जी, आपने मद संख्या 9 को बुला लिया। इससे पहले कि आप इसको लें, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि कल एक प्रस्ताव नियम 200 के अधीन आपको दिया गया था। वह एक ऐसी चीज थी जिस पर उसी वक्त निर्णय हो सकता था क्योंकि उसकी ग्राह्यता के बारे में कोई शक नहीं है। लेकिन आप उस पर विचार करना चाहते थे और यही तय हुआ था कि आज सबेरे उस पर आप निर्णय दे देंगे .....

श्री अध्यक्ष---

मैं समझता हूं कि निर्णय हो गया होगा।

प्रश्नों के सम्बन्ध में शिकायतें

चौधरी चरण सिंह (जिला मेरठ)---

दूसरी छोटी सी बात यह है कि अब्दुल रऊफ लारी साहब आज सुबह खड़े हुये थे परन्तु आपकी दृष्टि उन पर नहीं पड़ी... ....

श्री अध्यक्ष---

उस समय प्रश्नों का समय समाप्त हो गया था.....

चौधरी चरण सिंह---

छोटी सी बात यह थी कि अब्दुल रऊफ साहब दो महीने से लगातार यह कोशिश करते रहे कि उनका प्रश्न एक्सेप्ट हो जाय, उस पर तरह-तरह के आब्जेक्शन्स हुये और बमुश्किल तमाम वह एक्सेप्ट हुआ। वह चाहते थे कि तारांकित प्रश्न हो, लेकिन वह अतारांकित हो गया। दो महीने बाद जो जवाब आया है उसको आप जरा देख लें हालांकि गवर्नमेंट के रिकर्डस् में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर वह मौजूद होगा लेकिन फिर भी जो उत्तर आया है उस पर गौर कर लें। यह अतारांकित प्रश्न संख्या 4 पृष्ठ 8 पर है---"क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले में कौन कौन से हाई स्कूल व इन्टरमीडिएट कालेज हैं जिसमें कक्षा एक से पढ़ाई होती है ? उनको प्राइमरी सेक्शन को कितना कितना धन सरकार ने इस साल 1974 में दिया है ? उसके देने के आधार क्या हैं ?" जो उत्तर आया है वह भी देख लें "सूचना इकट्ठी की जा रही है।" अध्यक्ष महोदय, यह सदन तो मखौल हो गया। किस कालेज को कितना धन प्राइमरी क्लासेज के लिये दिया गया है, यह गोरखपुर में डिस्ट्रिक्ट इन्सपेक्टर के आफिस में मौजूद होगा जो टेलीफोन पर चाहें तो इत्तिला मिल सकती है, लेकिन ऐसा न कर जो दो महीने के बाद इस तरह से इत्तिला आती है उससे क्या फायदा और हमारे यहां मौजूद रहने से क्या फायदा ? इसका इलाज होना चाहिये ।

श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)---

मान्यवर, बात यह है कि प्राइमरी सेक्शन स्कूलों में मौके पर मौजूद नहीं हैं और जो चट्टे-बट्टे हैं वह लाखों रुपया ले लेते हैं। जब मेरी नालिज में यह बात आई तो मैंने सोचा कि क्विश्चन के द्वारा पूछूं। बमुश्किल तमाम वह प्रश्न एक्सेप्ट हुआ और तारांकित के

[श्री अब्दुल रऊफ लारी]

बजाय अतारांकित हो गया। मैंने सोचा चलो लिखकर मिल जायेगा, लेकिन वह जवाब भी घर नहीं पहुंचा, मेरे कहने पर आज मिला और जो जबाब मिला उसमें लिखा है कि सूचना एकत्र की जा रही है। मान्यवर, डिस्ट्रिक्ट इन्सपेक्टर आफ स्कूल्स में जो हिस्सा बैठता है उससे लोग लाखों रुपया गबन कर गये हैं। इसलिये यह बात उठी और अब टाला जा रहा है।

श्री अध्यक्ष--

आप लिखकर देदें, अगर टालने की बात होगी तो हम देख लेंगे।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

मान्यवर, इसी तरह से आप तारांकित प्रश्न संख्या 16, पृष्ठ 7 देखें। श्री इन्द्रपाल सिंह जी बीच में खड़े हुये थे, लेकिन मेरे मना करने पर वह बैठ गये। यह प्रश्न एक माननीय मंत्री जी के रिश्तेदार से सम्बन्धित है। एतराज केवल इतना है कि यह प्रश्न अल्पसूचित था और आज तारांकित में आया है और उसके बाद भी 7वें बुधवार में तारांकित प्रश्न संख्या 45 पर स्थानान्तरित कर दिया गया है। यानी आयेगा नहीं। तो इसको भी देखें। एक तो समय बढ़ाया जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष--

अगर ऐसा कोई मामला आ जाय तो उस पर आप चर्चा मांग सकते हैं।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

पहले सूचना तो आ जाय। इस प्रश्न का उत्तर क्या है ?

श्री अध्यक्ष--

उसका जतन बतायेंगे तब न।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

यह टाला जा रहा है।

श्री अध्यक्ष--

इस समय तो कागज चला गया।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मैं उन्हें आपके पास भेज दूंगा।

सुजाता काण्ड सम्बन्धी वक्तव्य के बारे में जानकारी

श्री मुहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)--

आपके यहां से एक पत्र मिला है। इसमें 15 तारीख को यानी कल जो निकल गया, सुजाता कांड के बारे में मुख्य मंत्री जी को वक्तव्य देना था। उन्होंने कल भी नहीं दिया और आज भी नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष--

वह आयेगा। अभी तो वह स्थगित है।

श्री धीरेन्द्र सहाय (जिला पीलीभीत)—

हमारा प्रश्न भी नहीं आया.....

श्री अध्यक्ष—

इस तरह से नहीं। मैंने खाली नेता विरोधी दल को अवसर दिया था।

परिवहन मंत्री, श्री राज मंगल पाण्डेय के विरुद्ध जांच करने हेतु सदन की समिति गठित करने के सम्बन्ध में नियम 200 (1) के अन्तर्गत सूचना

चौधरी चरण सिंह (जिला मेरठ)—

मैंने सवाल उठाया था तो उस पर क्या हुआ ? कल जो रेजोलूशन नियम 200 (1) में दिया था ।

श्री अध्यक्ष—

उस पर मैंने आदेश कर दिये हैं। यह प्रस्ताव के रूप में नहीं है। नियम 200 (1) के अधीन तीन प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। पहला प्रस्ताव सर्वश्री मलखान सिंह, सत्य प्रकाश, ओम प्रकाश, पूरन लाल, बृजपाल सिंह यादव, गया प्रसाद मेहरोत्रा, सत्यप्रकाश मालवीय आदि का है, जो माननीय अध्यक्ष को सम्बोधित है तथा जिसमें दिनांक 14-4-75 को मंत्रि-परिषद् के सदस्य माननीय राजमंगल पांडेय के विरुद्ध भ्रष्टाचार तथा पद का दुरुपयोग सहित स्वार्थों की पूर्ति के लिये किये जाने के सम्बन्ध में माननीय मुख्य मत्री को दिये गये आरोप पत्र की जांच के लिये तथा मंत्रि-परिषद् के अन्य सदस्यों के विरुद्ध आरोपों की जांच के लिए उक्त नियम 200(1) के अधीन एक संसदीय समिति नाम निर्दिष्ट करने का माननीय अध्यक्ष से निवेदन किया गया है। दूसरा प्रस्ताव भी इसी प्रकार से सर्वश्री मुलायम सिंह यादव, सत्य-प्रकाश मालवीय तथा बेनी प्रसाद वर्मा द्वारा दिया गया है, जो माननीय अध्यक्ष को सम्बोधित है तथा जिसमें उत्तर प्रदेश संघर्ष समिति द्वारा प्रदेश के परिवहन मंत्री के विरुद्ध आरोपों की जांच के लिये सदन से यह अनुरोध किया गया है कि सदन की एक कमेटी माननीय उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में गठित कर दी जाय। उक्त दोनों सूचनायें पत्र के रूप में हैं। उनमें न तो कोई प्रस्थापना है और न प्रस्ताव के ही रूप में हैं बल्कि प्रतर्क आदि भी हैं। अतएव उक्त दोनों प्रस्ताव नियमानुकूल नहीं हैं और ग्राह्य करने योग्य नहीं हैं।

तीसरा प्रस्ताव सर्वश्री मुलायम सिंह यादव, सत्य प्रकाश मालवीय तथा बेनी प्रसाद वर्मा ने दिया है, जिसका विषय भी वही है, जिसका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है, परन्तु उसे प्रस्ताव का रूप देने का प्रयत्न किया गया है। इस प्रस्ताव में भी प्रस्थापना के अतिरिक्त प्रतर्क और अनुमान सम्मिलित है। अत: यह प्रस्ताव भी नियमानुकूल नहीं है। इसमें यह भी है कि शकधर और कौल की किताब में ऐसा लिखा हुआ है कि अगर किसी मंत्री के विरुद्ध कोई शिकायत हो तो केन्द्र के केस में प्रधान मंत्री और राज्यों में मुख्य मंत्री और यदि मुख्य मंत्री के विरुद्ध हो तो प्रधान मंत्री द्वारा जांच करायी जाय। लेकिन कहीं ऐसा नहीं है कि सदन की बिना सहमति के कोई कमेटी बने। कमेटी सदन के बहुमत से बनती है।

एक सदस्य—

बहुमत से बनेगी तो वह कभी नहीं बन सकती ।

चौधरी चरण सिंह—

आपने जो रूलिंग दी है उसको हम एक्सेप्ट करने के लिये तैयार नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष—

कौन सी व्यवस्था ।

चौधरी चरण सिंह—

आप जो यह कह रहे हैं कि आ ही नहीं सकता ।

श्री अध्यक्ष—

यह तो हम रूप के बारे में कह रहे हैं । प्रस्ताव एक लाइन में या दो लाइन में दे दें तो भी प्रस्ताव हो जायगा ।

श्री मुलायम सिंह यादव (जिला इटावा)—

मान्यवर, पहले जो प्रस्ताव दिया था, उसकी सचिव महोदय ने कुछ कमियां बतायी । तब उसके तुरन्त बाद दूसरा प्रस्ताव दिया है, जिसको सून लें । यह लेटर नहीं, प्रस्ताव है :—

'हम आपकी अनुमति से आज सदन में नियम 200 के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहते हैं :—

"उत्तर प्रदेश संघर्ष समिति द्वारा प्रदेश के परिवहन मंत्री जी के विरुद्ध स्पष्ट आरोप लगाते हुये माननीय मुख्य मंत्री जी को एक ज्ञापन दिया गया है जिससे यह स्पष्ट होता है कि परिवहन मंत्री का आचरण अपने पद का दुरुपयोग करने से सदन की मर्यादाओं के अनुकूल नहीं रहा और उससे सदन की गरिमा का ह्रास हुआ है। यदि किसी सदस्य अथवा मंत्री द्वारा सदन की मर्यादा को धूमिल किया जाता है तो अथवा जनता की आस्था संसदीय प्रणाली में कम करने का प्रयास किया जाता है, तो ऐसा व्यक्ति सदन का सदस्य नहीं रह सकता, ऐसी जनतांत्रिक प्रणाली में मान्य परम्परा रही है ।"

श्री अध्यक्ष—

सवाल आप सीधा कर सकते हैं । आप कह सकते हैं उनकी यह शिकायत है । आप प्रस्ताव कर सकते हैं । तो यह तो हम समझ सकते हैं । लेकिन प्रस्ताव में ये सारी बातें कहें, जिसमें आक्षेप हो तो वह प्रक्रिया का दोष है । जहां तक समिति की बात है, वह अध्यक्ष तो बनायेगा नहीं, बनायेगा तो सदन .....

चौधरी चरण सिंह—

मान्यवर, आप भी बना सकते हैं । यह मामूली रश्न है फिर हाउस की जरूरत नहीं रहेगी, अगर प्रस्ताव मंजूर करते हैं । नियम 200 में है कि सदन की कमेटी किसी प्रयोजन के लिये मुकर्रर की जा सकती है । वह तो बड़े बाइडवर्ड्स हैं । किसी भी मेम्बर के आचरण पर उसको जांचने के लिये सदन की कमेटी मुकर्रर की जा सकती है और वह जांच कर सकती है । वह तो लिखा है । नोन-कानफीडेन्स आ सकता है .....

श्री अध्यक्ष—

वह तो आ सकता है ।

चौधरी चरण सिंह—

उसके लिये अलहदा प्रोसीजर है कि सदन की कमेटी बने ।

श्री अध्यक्ष—

उसको बनायेगा कौन ?

चौधरी चरण सिंह—

सदन बनाये। मालुम तो हो जायेगा कि सदन बनायेगा या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—

उससे सहमत हूं। वह 2-3 वाक्य सीधे-सीधे लिखकर दे दें।

श्री मुलायम सिंह यादव—

मान्यवर,.....

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें.....

चौधरी चरण सिंह—

मान्यवर, उनकी बात तो सुन लें।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

मान्यवर, नियम 200 में जो समिति बनानी है, वह प्रक्रिया उसमें उल्लिखित है। ये किस नियम के अनुसार प्रस्ताव ला रहे हैं ?

कुंवर श्रीपाल सिंह (जिला सुल्तानपुर)—

मान्यवर, नियम 200 के बारे में निवेदन करना चहता हूं। नियम 200 में दिया है—

"समय-समय पर जब कभी अन्यथा अवसर उत्पन्न हो, विभिन्न समितियां विशिष्ट या सामान्य प्रयोजन के लिये सदन द्वारा निर्वाचित या निर्मित की जायेंगी या अध्यक्ष द्वारा नाम निर्देशित होंगी"

तो मान्यवर, उसमें यह सारी प्रक्रिया अलग हो जाती है। विशिष्टता सारी प्रक्रिया से अलग है। उस विशिष्ट प्रयोजन के लिये, जिसके लिए माननीय नेता विरोधी दल ने कहा, आप स्वयं कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष—

तो मैं अग्राह्य कहां कर रहा हूं ? मैं तो कह रहा हूं कि नियमानुसार जैसा प्रस्ताव होता है, वह दे दें।

श्री चौधरी चरण सिंह—

वह तो है।

श्री अध्यक्ष—

उसमें तो प्रतर्क नहीं होना चाहिये। उसमें तथ्य होना चाहिये। एक या दो वाक्य लिख कर दे दें। आप प्रस्ताव दे सकते हैं। लेकिन तर्क देंगे और प्रतर्क देंगे, तो वह अग्राह्य होगा।

श्री गंगा प्रसाद (जिला एटा)—

[* * * *]

श्री अध्यक्ष—

यह सब नहीं लिखा जायगा।

जहां तक प्रस्ताव की ग्राह्यता तथा अग्राह्यता का सवाल है यह आदेश मैंने दे दिया है कि प्रस्ताव जब नियमानुसार दिया जायगा तभी उसे ग्राह्य करूंगा और तभी वह सदन के समक्ष आयेगा ।

श्री मुलायम सिंह यादव—

प्रस्ताव को मैं पढ़े देता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

पहले आप उसे नियमानुकूल लिख कर दें। उसे ग्राह्य कर लूं तभी उसे आप सदन के समक्ष पढ़ सकते हैं ।

चौधरी चरण सिंह—

क्या खराबी है ?

श्री अध्यक्ष—

मैंने उसे पढ़ लिया । सवाल यह है कि कोई विधि है 200 के बारे में। उसके मुताबिक वह नहीं है ।

चौधरी चरण सिंह—

क्या विधि है ? कल आपके सेक्रेटरी ने कहा कि वह ठीक प्रकार सेवर्डेड नहीं है। मुलायम सिंह जी से बातचीत हुई। उन्होंने उसका संशोधन करके आपके यहां दे दिया। आप उसे पढ़ना नहीं चाहते और आप यह भी नही बतलाते कि क्या खराबी है ?

श्री अध्यक्ष—

बतला तो रहा हूं कि यहां उठने के पहले ग्राह्यता हमको तय करनी होती है। वह मेरे कक्ष में आ जायं वहां मैं बतला दूंगा क्यों ग्राह्य नहीं किया।

श्री मधुकर दिघे (जिला गोरखपुर)—

इसमें तो केवल यह है कि सदन इस निश्चित राय का है कि सदन की एक समिति माननीय उपाध्यक्ष विधान सभा की उपाध्यक्षता में गठित की जाय। अब आप उसे खारिज कर दें तो अलग बात है ।

श्री अध्यक्ष—

खारिज नहीं करूंगा लेकिन उसकी ग्राह्यता पर विचार करने का तो हक मुझे है ही । अब वह प्रस्ताव ठीक नहीं है ।

श्री मुलायम सिंह यादव—

पहले आप मेरी बात तो सुन लें ।

श्री अध्यक्ष—

सुनने का सवाल इस समय यह है। आप सुनाना चाहते हैं तो नियमानुसार सुनाइये ।

[* * *] श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार निकाल दिया गया ।

श्री मधुकर दिघे—

हमको क्या प्रस्ताव रखने का अधिकार नहीं है ? प्रस्ताव सिर्फ इतना है कि यह सदन एक समिति गठित करता है जिसके अध्यक्ष माननीय उपाध्यक्ष होंगे।

श्री अध्यक्ष—

आप निश्चय किये हुए हैं कि हम समझेंगे नहीं। मुझे कोई आपत्ति नहीं है ग्राह्य कर देने में।

एक सदस्य—

आप मत समझाइये।

श्री अध्यक्ष—

कक्ष में आयेंगे तो समझा दूंगा।

चौधरी चरण सिंह—

आपको ग्राह्य करने में क्या आपत्ति हो सकती है जब आपके सचिव ने इसकी शब्दावली मंजूर कर ली थी ?

श्री अध्यक्ष—

आपको सूचना गलत दी गयी है। मैं इस तरह से इजाजत नहीं देता। यह विवादास्पद है।

श्री मुलायम सिंह यादव—

मुझे इस पर एतराज है.....

श्री अध्यक्ष—

आपको कैसे एतराज हो सकता है जब कि आपके तो बहुत से सवाल स्वीकार किये जाते हैं और उतने कभी आज तक विरोधी पक्ष ने नहीं दिये।

श्री मुलायम सिंह यादव—

सचिव महोदय ने कह दिया था कि प्रस्ताव ठीक है।

श्री अध्यक्ष—

जो प्रस्ताव होता है उसकी ग्राह्यता की एक विधि होती है उसमें वह नहीं आता। जब वह ग्राह्यता के नियम के अनुकूल होता है तभी वह आ सकता है।

श्री मुलायम सिंह यादव—

आप सुनना क्यों नहीं चाहते ?

श्री अध्यक्ष—

आप जबरदस्ती कर रहे हैं।

मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपको कोई शिकायत नहीं हो सकती। माननीय सदस्य की सबसे ज्यादा बातों को सुना गया है और सबसे ज्यादा आपके सवालों को स्वीकार किया गया है। तो क्यों आप उसे सुनाना चाहते हैं ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

मैं यह कहना चाहता हूं कि.....

श्री अध्यक्ष--

आपको इजाजत नहीं देता.....

श्री मुलायम सिंह यादव--

इस तरह से सदन नहीं चल सकता है ।

श्री अध्यक्ष--

अगर आप नहीं चलाना चाहते है तो न चले।

चौधरी चरण सिंह--

अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं, पहले तो आप माफ करें, अगर मैं इस नाकाबलियत का इजहार करूं कि मेरी समझ में नहीं आया कि आपको आपत्ति क्या है ?

श्री अध्यक्ष--

नियम 200 में जो प्रस्ताव आयेगा उसको हम पहले कक्ष में देखते हैं कि क्या वह नियमानुकूल है अथवा नहीं। आरोप वाला है या जैसा आप कह रहे है वैसे ही इधर भी शांति हो सकती है । ये भी कह सकते हैं कि आपने मनमाने ढंग से कर दिया। मैंने आपसे कह दिया कि प्रस्ताव तो कोई भी ला सकता है । इसमें सिर्फ शब्दों का हेर-फेर है.....

चौधरी चरण सिंह--

कल यह सवाल यहां पर उठा था और आपने कहा था कि हम देखेंगे कि पार्लियामेन्टरी प्रोसीजर क्या है । उसके प्रिंसिपुल्स कोड हो सकते हैं । सभी लेजिस्लेचर के रूल्स अलग-अलग होते हैं । हमारा जो रूल है वह बिलकुल अलग है और क्लियर है । उधर बैठे माननीय मित्रों को क्या भ्रांति होगी ? इसकी ग्राह्यता के बारे में तो आपको कुछ नहीं कहना है..... अध्यक्ष महोदय, हम स्पीकर से बहस नहीं करना चाहते हैं । इस मैच में हम आपसे हार जायेंगे । तो जहां तक इसकी ग्राह्यता का सवाल है उसमें आपको भी कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ लफ्जों की बात है और उसी को देखना है..... माननीय पांडेय जी जो बार-बार खड़े हो रहे हैं, मैं समझता हूं उनके लिये यह मुनासिब नहीं होता। मैंने मजबूरी में अपने कर्त्तव्य का पालन करते हुये इस प्रस्ताव को लाने की इजाजत दी है । माननीय राज मंगल पांडेय जी से मेरे बहुत मधुर सम्बन्ध हैं लेकिन कर्त्तव्य पालन में उनका कोई स्थान नहीं रहेगा। इसलिये मैं बड़ी नम्रता के साथ और दुख के साथ अपने साथी जो इस प्रस्ताव को लाना चाहते हैं, उसके लिये अपनी रजामन्दी दी है। मैंने पूरे आरोप भी नहीं पढ़े हैं । जल्दी-जल्दी में उन्हें देख लिया। मैं माननीय राजमंगल जी से कहना चाहता हूं कि यह मेरी स्टार्क ड्यूटी थी, पब्लिक ड्यूटी थी तभी मैंने इस प्रस्ताव को लाने की स्वीकृति दी है। जब ग्राह्यता के बारे में आपको कोई दिक्कत नहीं है, शब्दावली का ही सिर्फ ताल्लुक है तो जैसा कल आपके सचिव ने एप्रूव कर दिया, वैसा ही रखा है।

श्री अध्यक्ष--

वह इन्कार कर रहे हैं ।

चौधरी चरण सिंह--

इन्कार कर रहे हैं तो हो सकता है गलत हो.....

श्री मुलायम सिंह यादव—
मेरी बात सुनें.....

चौधरी चरण सिंह—
आप इनकी बात क्यों नहीं सुनते हैं ?

श्री अध्यक्ष—
वे मेरी बात क्यों नहीं सुनना चाहते हैं ।

चौधरी चरण सिंह—
आपको उनकी बात सुननी चाहिये और सुननी पड़ेगी ।

श्री अध्यक्ष—
सुननी पड़ेगी नहीं । नियमानुकूल देंगे तभी सुनी जायेगी । मैं कहना चाहता हूं कि माननीय मुलायम सिंह यादव को कोई शिकायत नहीं होनी चाहिये । वे जो बार-बार खड़े हो रहे हैं, मैं कहता हूं कि उनका कौन सा सवाल ऐसा है जिसको आपने चाहा हो और स्वीकार न हुआ हो ?

श्री मुलायम सिंह यादव—
ऐसी बात नहीं है..... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—
आपको मैं सलाह देता हूं ।
(व्यवधान)

श्री बाबूलाल वर्मा (जिला बहराइच)—
भ्रष्टाचार की बात हम उठा रहे हैं । ..... (व्यवधान)
मान्यवर उन्होंने पोलिटिकल सफरर का सर्टिफिकेट बनवाया है जब कि वह जेल नहीं गये हैं । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—
बात यह है कि स्वीकार करने की जो बात है जो प्रस्ताव प्राप्त होता है वह गवर्नमेन्ट को भी भेजना चाहिये, हम भेजते हैं ।

श्री मुलायम सिंह यादव—
मेरी बात सुन लें । (व्यवधान)

चौधरी चरण सिंह—
इसमें क्या दिक्कत है ? यह बहस करने से आपकी भी इनरजी नष्ट होगी, आपको उनकी बात सुनने में क्या दिक्कत है ?

श्री अध्यक्ष—
उनको हम समझा रहे हैं, वह हमारे पास आयें, हम उनको बता देंगे ।

चौधरी चरण सिंह—
आपको ग्राह्यता की आपत्ति नहीं है । इसमें सिर्फ शब्दों को फेरबदल का है । फिर बात आयेगी समय की ।

श्री अध्यक्ष—

इसमें समय की बात नहीं है, यह नहीं है कि 10 बजे तक दे दिया जाय। जब हम खाली हों हमारे कक्ष में मिल लें।

चौधरी चरण सिंह—

आप खाली नहीं होंगे।

ी अध्यक्ष—

कमरे में देख लें।

परिवहन मंत्री (श्री राजमंगल पाण्डेय)—

मान्यवर, मैं चौधरी सहब से निवेदन करूंगा, मान्यवर मैं चौधरी साहब का बड़ा आभारी हूं जैसा उन्होंने स्वयं बताया कि उनके मेरे साथ बड़े अच्छे सम्बन्ध हैं। इसमें मैं चौधरी साहब को साथ नहीं लेना चाहता हूं कि वह मेरे साथ मुरव्वत करें। मैं आपके ऊपर यह बात छोड़ता हूं। कोई कमेटी बैठाई जाय मेरी जांच करने के लिये। अगर वह मुझे दोषी साबित कर दे तो जैसे मैं कहता हूं मैं राजनीतिक जीवन से रिटायर हो जाऊंगा उसी तरह अगर मैं निर्दोष साबित हो जाऊं तो चौधरी साहब भी अपने राजनीतिक जीवन से रिटायर हो जायेंगे। तो मुझे कोई एतराज नहीं है।

(व्यवधान)

चौधरी चरण सिंह—

मुझे खुशी होगी अगर कमेटी का यह फैसला हो।

श्री गंगा प्रसाद—

अध्यक्ष महोदय, यह बात यही है.....

श्री अध्यक्ष—

माननीय गंगा प्रसाद आप अव्यवस्थित न हों। ..... (व्यवधान)

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी–आप बोलें। (व्यवधान)

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मान्यवर, एक बहुत गंभीर प्रश्न आपके सामने है, मैं समझता हूं कि अपने कर्त्तव्य पालन के लिये सारे विरोधी दलों की इच्छा है जिसे आपको स्वीकार करना है। सही कार्य बड़ा कठिन होता है। लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट मेंजब कहा जाता है तो वह अपनी ड्यूटी समझ कर किया जाता है। तो यह एक गंभीर प्रस्ताव आपके सामने आया है। मान्यवर, मैं समझता हूं कि इस सदन की मर्यादा हर एक सदस्य की मर्यादा से मिली जुली है। अगर सदस्य की मर्यादा घटती है तो सदन की भी नीचे जाती है क्योंकि उससे यह सदन रिफलेक्ट होता है और वह सदन की डिगनिटी रहती है। एक बहुत बड़ा प्रश्न आपके सामने आया है इसमें कोई दो मत नहीं हैं।

अब एक प्रश्न आया ग्राह्यता का, उसमें आपने कह दिया कुछ फेर बदल की बात है। आपको वह अग्राह्य नहीं है, मैं उसमें नहीं उलझता हूं क्योंकि आपने स्वयं मान लिया है। एक बात कहना चाहता हूं जब मुख्य मंत्री जी भी कहते हैं और पाण्डेय जी भी कहते हैं, मान्यवर, जब कोई उन पर लांच्छन लगाते हैं तो उसका निराकरण होना चाहिये। मान्यवर, जब मुझे कोई लांच्छन लगाये कि इसने जबरदस्ती किताब छीन ली और

मैं कहूं कि अगर यह साबित हो जाय तो वह ऐसा करेंगे और साबित नहीं हुआ तो ऐसा करेंगे। तो यह बात नहीं होनी चाहिये। ऐसी बात मुख्य मंत्री या सरकार की ओर से नहीं आनी चाहिये। अगर ऐसी बात आयेगी तो फिर दुनिया में कोई इन्क्वायरी नहीं हो सकती है। इनक्वायरी हो जाय अगर निर्विवाद निकल जायं तो बहुत अच्छा है। सदन की भी उसमें गरिमा रह जाती है और पान्डेय जी की भी। तो मुझे चैलेन्ज नहीं फेंकना चाहिये, चैलेन्ज फेंकने से गलतफहमी हो जाती है। जैसा चौधरी साहब ने कहा, मैं भी बड़ा शुभ चिंतक हूं केवल कर्त्तव्य पालन के लिए कह रहा हूं। ऐसे अनेक अवसर आये हैं अगर कोई दाग लगा दे तो उसकी जांच के लिए हमें तैयार होना चाहिये। इसमें कोई बीच में खड़े होने की बात नहीं होनी चाहिये। मान्यवर, इसमें प्रस्ताव की भी आपको कोई आवश्यकता नहीं है। केवल शब्दों के हेर-फेर की बात है वह कल आ जाएगा। इसमें सदन के लोगों को नांमाकित करने या नामिनेट करने का आपका व्यक्तिगत अधिकार है, आप जैसा समझें करें। अब रह गया कि यह प्रस्ताव आज लिया जाए या कल लिया जाए। मैं नेता सदन से अनुरोध करूंगा कि वह इस पर विचार कर लें। मैं तो यह मानता नहीं हूं कि कोई प्रस्ताव इस पर आना चाहिये। यदि प्रस्ताव की आवश्यकता है तो उस पर आप विचार कर लें।

(मुख्य मंत्री को पुकारे जाने पर)

श्री श्रीनारायण (जिला देवरिया)—

मान्यवर, मुझे राजमंगल पान्डेय जी की चुनौती स्वीकार है। इनके क्षेत्र में चुनाव होगा, अभी चौधरी चरण सिंह बैठे रहें, एक लड़का इनके खिलाफ खड़ा होगा। यह चुनाव जीत कर चले आवें तो मैं इन्हें ईमानदार समझूंगा। यह चलकर एक लड़के से लड़ लें।

श्री गंगा प्रसाद—

[* * *]

(व्यवधान)

मुख्य मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)—

श्रीमन्, क्या इनको आपने अनुमति दी है बोलने की ?

श्री अध्यक्ष—

यह बिना अनुमति के शुरू से ही बोल रहे हैं, यह नहीं लिखा जाएगा।

श्री गंगा प्रसाद—

[* * *]

श्री अध्यक्ष—

आप बिना अनुमति के बोल रहे हैं, इसकी मैं अनुमति नहीं देता हूं।

[* * *] श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार निकाल दिया गया।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मैंने इसलिये यह बात कही कि सदन में मंत्रियों के खिलाफ यह आने वाला है, अनेक मंत्रियों के खिलाफ यह आएगा, एक नहीं। इसलिये चैलेंज देना कि इन्क्वायरी हो ही न पावे अनुचित है।

श्री राममूर्ति (जिला बरेली)—

अध्यक्ष महोदय, मैं किसी उत्तेजना में नहीं हूं। मेरे ताल्लुकात राजमंगल जी जानते हैं, इनसे बहुत पुराने हैं और बहुत मीठे हैं। मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूं कि चाहे यह हों चाहे कोई दूसरा हो, चाहे हम में से ही कोई क्यों न हो, हम सब यहां पर जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं और यदि हमारे बारे में गलतबयानी हो या हमारे बारे में गलत अफवाहें उठें या कोई सही बात कहे, उसका फैसला एक ही बात से हो सकता है कि हमारे बारे में जांच की जाए और उसके बाद सर्वसाधारण को बताया जाए कि हमारा करेक्टर बिलकुल साफ है। तभी वातावरण साफ हो सकता है और उससे सारी शंकाएं साफ हो सकती हैं। यह पहला मर्तबा नहीं है। केन्द्रीय सरकार में भी जब-जब यह मामला उठाया गया, तो उस पर सफाई हुई और लोगों के दिल साफ हो गये। मैं एक किताब पढ़ रहा था, जिसमें गांधी जी और नेहरू जी के बीच का पत्र व्यवहार दिया था। उसमें गांधी जी ने उन्हें लिखा था कि तुम्हारी मेरी राय में इख्तिलाफ हो सकता है, कुछ ऐसी भी बातें हो सकती हैं, जिनको पसन्द न करता हूं, लेकिन मैं इसको अच्छा समझता हूं कि इख्तिलाफ दूर करने के लिये आपस में बैठकर हम राय-मश्विरा करें। अतः इस दृष्टि से तथा इसके औचित्य और महत्व को आप देख लें, ताकि किसी को कोई शक न रहे। इसमें राजमंगल पान्डेय जी या हमारे किसी व्यक्तिगत आदमी का सवाल नहीं है। यह इसलिये है कि यह एक अच्छी परम्परा रही है जो बनी रहे। अगर कोई बात होती है, तो उसके बारे में बताया जाता है, जिससे सभी के दिमाग साफ हो जाएं। अतः मामूली से प्रस्ताव की टेक्निकलटी पर आपत्ति करके उसको टाला नहीं जाना चाहिये। श्रीमन्, आप उसकी ग्राह्यता के बारे में सोच लें और आप स्वयं सक्षम हैं कि इस तरह की कमेटी बनाई जाए। मेज पार्लियामेन्टरी प्रैक्टिस में भी लिखा हुआ है कि सदस्य केवल विधान भवन में ही नहीं हैं यहां के अलावा है। अगर उसका कंडक्ट बाहर खराब है तो उसका असर सदन में भी पड़ता है। इस नजरिये से आवश्यक है कि एक कमेटी बना दी जाये और सारे मामले की सफाई हो जाये।

श्री हरिकेवल (जिला देवरिया)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आपके नेता बोल चुके हैं। बिना इजाजत के आप बोलेंगे तो यह नहीं लिखा जायेगा। में मान्यता नहीं देता हूं किसी के बोलने को।

श्री बाबूलाल वर्मा—

मान्यवर, रामचन्द्र के राज्य में भी.....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

मेरा राज्य नहीं बाबूलाल जी। आपके नेता ने इतना गम्भीर सवाल उठाया है हल्का न करें आप।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--

अध्यक्ष जी, परसों शाम एक जन संघर्ष समिति की ओर से कुछ माननीय नागरिकों के दस्तखतों से, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में वे अपना-अपना स्थान रखते होंगे, एक पत्र मेरे पास आया उसमें उन्होंने कुछ बातें मेरे सहयोगी माननीय पांडेय जी के सम्बन्ध में लिखी। मैंने कल ही उनको उत्तर भी भेजा है। आशा है कि उनको मिलता होगा और उसमें कहा है कि आपने जो अपेक्षा की है, उसके मुताबिक मैं देखूंगा।

अब प्रश्न यह है कि जब इस माननीय सदन के किसी सदस्य के ऊपर कोई आक्षेप आये तो उसका निराकरण कैसे हो। पिछले सत्र में इसी तरह का एक सवाल सदन की कमेटी बनाने के सम्बन्ध में आया था तब एक बात कही गई थी कि हाउस आफ कामन्स ने जो मारकोनी का फेमस केस है 1912 का था, उसके बाद तय कर दिया था कि हाउस आफ कामन्स बना कर किसी प्रकार की जांच पड़ताल करें तो वह डिले करता है जस्टिस में बजाय इसके कि वह सहायता कर सके। तब हाउस आफ कामन्स ने इस परम्परा को तोड़ दिया।

चौधरी चरण सिंह--

इसका हवाला दे दीजिये।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

यह मारकोनी का 1912 का मामला है। मैं याददाश्त से कह रहा हूं। बहरहाल हमारे दल की स्पष्ट नीति है कि जब इस सदन के किसी माननीय सदस्य के ऊपर कोई लांछन लगाया जाये तो उसका एक प्रक्रिया के अनुसार उसका निवारण होना चाहिये। उसके लिये हमने लोक आयुक्त विधेयक प्रस्तुत कर रखा है किसी दिन सायंकाल बैठ कर, बजट के चलते हुये, उस बिल को यह सदन पास कर ले। उसमें प्रक्रिया दे रखी है कि हाई कोर्ट जज उसको किस तरह से देखेगा। जब माननीय सदस्यों को जिनको आप नामांकित करेंगे तो जाहिर है कि उसकी रिपोर्ट सदन में आयेगी तो यह सदन बहुमत से तय करेगा कि वह इस रिपोर्ट को स्वीकार करता है या नहीं करता है। बहुमत में जो लोग हैं अगर उन्हीं के सम्बन्ध में चार्ज होगा, तो इसीलिए हाउस आफ कामन्स ने इस परम्परा को तोड़ा है, नहीं माना है और मैं यह कहता हूं कि इसमें न कोई चुनौती का सवाल है, न कोई बात का सवाल है। जो चार्ज हमारे पास आये हैं, वह कुछ व्यक्तियों ने हस्ताक्षर करके भेजे हैं। सार्वजनिक जीवन में और राजनैतिक जीवन में जो बहुत पुराने-पुराने लोग यहां पर बैठे हैं उन्हें याद होगा। 1951 की याद माननीय राम मूर्ति जी को और चौधरी साहब को दिलाना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में वह रिकार्ड है कि कितने चार्ज लगे थे। अगर उस पर कार्यवाही की गई होती तो न जाने कितने लोगों के राजनैतिक जीवन उसी समय समाप्त हो गये होते। किसी ने उसको देखा तक नहीं है, समझ लिया कि प्राइमाफेसाई नहीं है। हमने तो लोक आयुक्त बिल पेश कर दिया, जब लोक आयुक्त बिल 2 दिन या 10 दिन में यह सदन पास कर सकता है, तो पास करे। इस सदन में तय करना न तो न्यायोचित है और न जनता के लिए सम्पूर्ण रूप से विश्वास का स्थान ही बना सकता है। उसके लिये प्राविधान लोक आयुक्त बिल में कर दिया गया है। वह बिल इस सदन में पुरः स्थापित भी हो चुका है। यह प्रश्न न तो ग्राह्य ही है और न मुझको स्वीकार ही है।

*चौधरी चरण सिंह—

माननीय मुख्य मंत्री जी ने तीन बार एक आर्गूमेंट को दोहराया, लोक आयुक्त के सम्बन्ध में एक बिल ला रहे हैं, इसे स्थापित हो चुका है, सदन जब पास कर ले, तब उसको पास कर लिया जाय। यह उनका कहना है अध्यक्ष महोदय। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि कोई बिल पास हो या न हो, लोक आयुक्त के सम्बन्ध में यह जो हमारा नियम है, इसको कोई ओवर राइट नहीं कर सकता। उसका जो प्रोवीजर हो उसको आप फालो करें या न करें, लेकिन जो अपना नियम है, यह नियम यहां रहेगा। अगर इस नियम का इस्तेमाल होता रहेगा, इसको अमल करने का अधिकार इस सदन को है, लिहाजा उस चीज का जिक्र करना है। बहुगुणा जी ने 1951-52 का जिक्र किया, मैं उसको छोड़ देता हूं, लेकिन इतना कहना चाहता हूं कि मैंने कभी इन्क्वायरी से इनकार नहीं किया था। आपको जो अब यह परेशानी हो रही है, मुझको कभी काई परेशानी नहीं हुई। मेरी तरफ से कभी कहा ही नहीं गया। मेरी माननीय मन्त्री जी से बातचीत हुई, तो उसका हवाला देना मैं नहीं समझता कि कहां तक गैर मुताल्लिक था? इन बातों से कोई फायदा नहीं है। अगर एक भी मिनिस्टर के आचरण के सम्बन्ध में कोई सन्देह हो तो चीफ मिनिस्टर को चाहिये कि उसका समाधान करने की कोशिश करें। साल भर से बराबर गवर्नमेन्ट के करप्शन की बात कही जा रही है, क्यों नहीं अब तक कार्यवाही की? करप्शन मिटाने की बातें करते हैं। पब्लिक मेन इन्क्वायरी आर्डिनेन्स जैसे बेहतर लेजिस्लेशन कौंसिल नहीं हो सकता है, जिसमें किसी की इजाजत की जरूरत नहीं थी।

हमारे कांग्रेस के लीडरों ने उसका विरोध किया था। करप्शन करने की डिजायर का सबूत है। मैं हवाला दे चुका हूं अपनी स्पीच में महीने भर पहले कि मिनिस्टर के खिलाफ शिकायतें हैं, लेकिन हुआ कुछ नहीं। इन्क्वायरी होनी चाहिये। इन्क्वायरी हो और सही साबित हो जाये तो आपकी प्रेस्टिज बढ़ती है। आप कहते हैं कि बिल बनायें, काउन्सिल में आयेगा फिर उस पर गवर्नर के दस्तखत होंगे फिर जुलाई में आयेगा, जुलाई में न मालूम क्या हो जायेगा? जहां तक राजमंगल पान्डेय ने एक बात कही, जैसा माननीय त्रिपाठी जी ने कहा। मैं तो पहले कह चुका हूं कि मुझको इस बात की तकलीफ है। ऐसे मामले आते हैं जो सेट एसाइड कर दिए जाते हैं। परसनल चीज होगी। मुझको तो खुशी होगी कि वह गलत साबित हो जाये और आपकी यह कोशिश होनी चाहिये कि इन्क्वायरी हो। आपको यह चाहिये कि आप कहें कि यह कमेटी बने तब यहां जनतंत्र कामयाब होगा और जनता का विश्वास आप में होगा, लेकिन कांग्रेस ने उनको गलत साबित करने की कोशिश नहीं की। 1912 की रूलिंग है। मैं यह नहीं कहता वह कान्स्टीट्यूशनल लायर हैं। वह कल पूछे होंगे। हमारे यहां बाकायदा डेफनिट प्राविजन है और रूल्स बने हुए हैं। हाउस आफ कामन्स यहां तभी लागू होगा जब उसके मुताबिक यहां रूल बनें।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

मैं तो अपनी बात कह चुका था, लेकिन चौधरी साहब ने कई प्रश्न किए। उन्होंने कहा कि बिल लायेंगे, जुलाई में आयेगा तो मुझको ऐसा लगा कि समरी ट्रायल 3 घंटे में वह

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

करना चाहते हैं। आप कमेटी बनायेंगे और तत्काल फैसला हो जायेगा। उसमें न मई लगेगी और न जुलाई लगेगी। जैसा मैंने कहा कि मारकोनी केस की रूलिंग है उसके अनुसार हाउस के फैसले बहुमत से होते हैं।

चौधरी चरण सिंह—

जब यह लोक आयुक्त वाला ऐक्ट बन जायगा तो क्या उसके ऐक्ट बनते ही फैसला हो जायगा ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

ऐक्ट तो अपने पास कीजिये। जितने दिन में आपकी कमेटी फैसला करेगी, उससे पहले उसका फैसला हो जायगा। वह तेरह रेगुलेटरी है, डिस्क्रीशनरी नहीं है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, माननीय चौधरी साहब की स्पीच में मैं 2 बातें कहना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि हमारे पूर्व मंत्री जी ने कहा कि हम लोग आयुक्त बिल पास करने जा रहे हैं। हम आपकी नीयत की कैसे परीक्षा लें ? पब्लिक इन्क्वायरी बिल आया था, पार्लियामेंट में लोक आयुक्त बिल बन गया, वायदा किया गया कि इसी सत्र में पास हो जायगा लेकिन कोल्ड स्टोरेज में चला गया। कहा गया कि यह बिल आया। इस बिल पर उसका नामोनिशान नहीं है। पता नहीं वह गहरा दबा या नहीं। माननीय चौधरी साहब ने जैसा कहा, हमारे मन में भी शंका है कि यह बिल इस बार पेश भी होगा या नहीं। दूसरी बात एक व्यक्ति का प्रश्न नहीं है। विरोधी पक्ष की ओर से आपकी सेवा में यह उपस्थित है। श्रीमन्, यह बड़े महत्व का प्रश्न है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या ऐसी प्रगतिशीलता कहीं अपनाई गई या नहीं। श्री कौल ने 11 वें चैप्टर में कहा है कि मिनिस्टर के मामले में हाउस की समिति मुकर्रर कर सकते हैं या आप नोमीनेट कर सकते हैं। उसका रूल भी दिया हुआ है कि प्राइमा फैसी केस दिया जायगा। अगर हमने गल्ती की है और आपका बहुमत नहीं मानता है तो नहीं मानी जायगी। आपने बड़ा अच्छा किया है कि इस बार चैलेन्ज नहीं किया है। सी0 आई0 डी0 और पुलिस सब आपकी है। अभी यहां पर सुजाता वाला मामाला हुआ। उस लड़की से तो हमारी सहानुभूति है, हमें कुछ नहीं कहना है लेकिन चूंकि इसमें ऐडमिनिस्ट्रेटर्स, पोलिटिशियन्स और मिनिस्टर्स तक का नाम लिया जाता है और भगवान जाने किस-किस का नाम लिया जाना है, लेकिन इस मामले में कुछ नहीं हो पाया है। इस समिति में हमारे भी सदस्य होंगे और दूसरे भी सदस्य होंगे, क्या मुंह रखकर वे देखा करेंगे ? मान्यवर, नियम 201 में आपको अधिकार है, उसमें आप हमारे हितों की रक्षा करें ताकि हमारी शंकायें दूर हो जायें। मान्यवर, मुझे शंका है कि जो लोक आयुक्त बिल, जिसको पुरःस्थापित हुआ बताया जाता है, पास भी होगा या नहीं ?

(न्याय, परिवहन एवं राज्य सम्पत्ति मंत्री को पुकारे जाने पर)

कुंवर श्रीपाल सिंह—

माननीय, आप मेरी बात तो सुन लें।

1975-76 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान--अनुदान संख्या 4--न्याय प्रशासन तथा अनुदान संख्या 5--निर्वाचन

न्याय मंत्री (श्री राज मंगल पांडेय)--

माननीय, आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 4--न्याय प्रशासन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 5,33,14,400 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

कुंवर श्रीपाल सिंह (जिला सुल्तानपुर)--

माननीय, आप मेरी बात तो सुन लें । मैं मारकोनी की स्लिंग के बारे में कुछ कहना चाहता हूं ।.....

श्री राज मंगल पांडेय--

माननीय, आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 5--निर्वाचन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,10,32,700 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(व्यवधान)

(कुंवर श्रीपाल सिंह बराबर बोलते रहे)

इस सम्बन्ध में, माननीय, मुझे यह निवेदन करना है कि आज उच्च न्यायालय में कार्य अधिक है किन्तु न्यायाधीशों के केवल 30 स्थाई तथा 13 अतिरिक्त जजों के पद हैं जिनमें से भी कुछ रिक्तियां भरी जाने को हैं। इनमें से अब 10 पद स्थाई हो गये हैं अर्थात् 40 स्थाई और केवल 3 अस्थाई हैं। इन पदों में से 37 जज हमारे काम कर रहे हैं और 6 अभी तक रिक्त पद हैं । चार और बढ़ाने का प्रस्ताव है ।

श्री बाबूलाल वर्मा (जिला बहराइच)--

माननीय मंत्री जी पढ़ रहे हैं । पहले मंत्री जी इस्तीफा दें । हम इसके विरोध में जा रहे हैं ।

(श्री बाबू लाल वर्मा सदन से बाहर चले गये ।)

श्री राज मंगल पांडेय--

प्रदेश के 55 जिलों में से 49 में जिला जज कार्य कर रहे हैं। इनमें से 48 स्थायी हैं। तीन जगह और जिला जजी कायम हो रही है अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ तथा ललितपुर में। पर्वतीय जनता की सुविधा के लिये चमोली को पौड़ी से, उत्तर काशी को टेहरी से और पिथौरागढ़ को अल्मोड़ा से सम्बद्ध कर दिया गया है। आप देखेंगे कि हम कितना सस्ता और शीघ्र न्याय देने के लिये कृतसंकल्प हैं। इसी दृष्टि से 150 मुन्सिफ मैजिस्ट्रेटों की नियुक्ति की जा रही है। बहुतों की नियुक्ति हो चुकी है। 150 स्पेशल जुडीशियल मैजिस्ट्रेटों की नियुक्ति भी शीघ्र हो जायगी। हर जिले में चीफ जुडीशियल मैजिस्ट्रेट की नियुक्ति करने जा रहे हैं। न्यायालय कक्षों की कमी को देखते हुये 75-76 के वर्ष में 34,62,900 रुपये का प्राविधान सार्वजनिक निर्माण विभाग के बजट में किया गया है।

नई दंड प्रक्रिया संहिता लागू हो जाने के फलस्वरूप हमने एक विज्ञप्ति जारी कर के न्यायालयों में हिन्दी के अधिकाधिक प्रयोग के लिये यह कर दिया है कि एक साल की अधिक से अधिक सजा पाने वाले जो मुकदमे हैं उनमें निश्चित रूप से हिन्दी का प्रयोग होगा। इसके अतिरिक्त दो हजार रुपये तक के जो मनी सूट्स हैं उनके फैसले हिन्दी में ही होंगे। न्यायालयों में हिन्दी को और प्रोत्साहित करने के लिये हमने कुछ और भी निर्णय लिये हैं। इस सम्बन्ध में यह भी निवेदन कर देना चाहूंगा कि आज जिन परिस्थितियों में हम गुजर रहे हैं और जिस तरह से हमारा खर्चा बढ़ रहा है उसको देखते हुये जितने धन की हमको आवश्यकता थी वह नहीं मिल सका। फिर भी न्यायपालिका को सुदृढ़ बनाने के लिये उच्च न्यायालय में सरकारी दीवानी वकीलों को शपथ-पत्र तैयार करने की फीस में वृद्धि की गयी है। महाधिवक्ता पुस्तकालय के लिये विधि पुस्तकों के क्रय हेतु अतिरिक्त प्राविधान किया गया है। शासकीय अधिवक्ता इलाहाबाद के कार्यालय में नियत आकस्मिक व्यय में वृद्धि की गयी है। उच्च न्यायालय के लिये 1 अतिरिक्त स्टाफ कार की व्यवस्था की गयी है। पौड़ी, अल्मोड़ा तथा ललितपुर जिलों में नई जिला जजी की स्थापना की व्यवस्था कर दी गयी है। फीरोजाबाद तथा बलरामपुर में मुंसिफ मैजिस्ट्रेट के एक न्यायालय तथा हापुड़ में मुंसिफ तथा जुडीशियल मैजिस्ट्रेट के एक न्यायालय की व्यवस्था कर दी गयी है। विधि परामर्शी पुस्तकालय के अनुदान में वृद्धि की गयी है तथा महाधिवक्ता के कार्यालय में टेलेक्स की व्यवस्था भी कर दी गयी है। कभी-कभी ऐसा होता था कि हाई कोर्ट के फैसले समय पर कार्यान्वित न होने की वजह से सरकार की स्थिति बड़ी गड़बड़ हो जाती है। इसकी सम्भावना अब नहीं रहेगी।

निर्वाचन के सम्बन्ध में आप देखेंगे कि जितने बजट की आवश्यकता थी एकोनामी मेजर्स लेते हुये हमने निर्वाचन का बजट रखा है। इन सारी परिस्थितियों के बावजूद भी हमने इस सम्बन्ध में काफी तरक्की की है। न्याय पालिका के अलग हो जाने के बाद हमने देखा कि न्यायापालिका में भी धीरे-धीरे कुछ भ्रष्टाचार पनप रहा है। उसको मिटाने के लिये हमने बहुत सख्त कार्यवाही की है और बहुत से लोगों को निकालने में संकोच नहीं किया है। हमने जो भी कदम उठाये हैं ठोस उठाये है। न्याय पालिका जो हमारे समाज की रीढ़ की हड्डी है उसको सुदृढ़ करने के लिये हमने कदम उठाये हैं और हमें विश्वास है कि यह बजट बिना किसी कटौती के पास किया जायगा।

श्री सत्यपाल सिंह यादव (जिला शाहजहांपुर)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 4—सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाय।

आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 5—सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की धनराशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

अभी चन्द क्षणों के अन्दर हमारे न्याय मंत्री महोदय ने न्याय की प्रगति के बारे में कुछ ब्योरा प्रस्तुत किया है। हमारे देश के अन्दर चूंकि पार्लियामेंटरी फार्म आफ डिमोक्रेसी है कहना यह चाहिये कि संसदीय लोकतन्त्र में न्यायपालिका का विशेष महत्व होता है; उस पर विशेष बल दिया जाना चाहिये। न्याय पालिका ही वह शस्त्र है जिसके द्वारा हम संविधान की रक्षा कर सकते हैं। इंग्लैन्ड के अन्दर न्यायपालिका का कार्य कानून की विवेचना करना है।

[श्री सत्यपाल सिंह यादव]

(इस समय 2 बजकर 10 मिनट पर उपाध्यक्ष, कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा पीठासीन हुये।)

इंग्लैन्ड के अन्दर पार्लियामेन्ट ही सर्वोच्च होती है जब कि हमारे यहां संविधान सर्वोच्च है। जब भी कभी संविधान की धारा का खण्डन होता है तो हम न्यायपालिका के ही सामने जाते हैं और वही हमारी रक्षा करती है। इसी विषय में मिस्टर एम० सी० छागला ने कहा था—

The judgement of the Supreme Court became the Law of the Land unless the Parliament acting under its amending power changes the Law as declared by the Supreme Court."

कहने का मतलब यह है कि न्यायपालिका को ही सर्वोच्च अधिकार है। अभी पार्लियामेन्ट के सदस्य के विरुद्ध चुनाव याचिका में जो कुछ हुआ उस पर न्यायपालिका ने जो निर्णय दिया वह आपने देखा। उसने यह निर्णय दिया कि प्रत्याशी विशेष के खर्चे में पार्टी का खर्चा भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को पार्लियामेन्ट ने अध्यादेश द्वारा बदल दिया जिससे न्यायपालिका को गहरा धक्का पहुंचा। चुनाव में धन के दुरुपयोग का मौका और बढ़ा दिया गया।

बड़े-बड़े विद्वानों का मत है कि देश के अन्दर न्याय सस्ता होना चाहिये, सुलभ होना चाहिये और शीघ्र होना चाहिये। उत्तर प्रदेश के अन्दर 1944 तक के केसेज पेंडिंग पड़े हुये हैं। जो रिपोर्ट न्याय विभाग की ओर से बांटी गयी है उसके अनुसार 1 लाख से अधिक मुकदमें हाई कोर्ट में पेंडिंग हैं। साढ़े 4 लाख के करीब मुकदमें जुडिशियल मैजिस्ट्रेट और मुंसिफ के यहां पड़े हैं। इसका कारण यह है कि जितने जजों की हमें जरूरत है उतने जजों की नियुक्ति नहीं होती है। देरी के कुछ और कारण भी हैं। लखनऊ में मुन्सिफ तथा मैजिस्ट्रेटों के यहां लगभग 16–1700 केसेज पड़े हैं। यहां दो मुन्सिफस की सीट्स खाली पड़ी हैं। दूसरी तरफ भूमि-भवन आदि के मामलों के निबटारे के लिये 6 अधिकारी नियुक्त कर रखे हैं जब कि काम केवल 2 अधिकारियों का ही है। देरी के सम्बन्ध में भी उत्तर प्रदेश की Administration of Justice रिपोर्ट में लिखा है—

"To keep pace with increasing rate of institution. It will be necessary to increase the number of sessions judge by about 73 but the Government instead of increasing the number of additional Courts is always inclined to reduce the number by abolishing the additional Court."

जहां तक न्याय सस्ता होने की बात है, मान्यवर, लगातार कोर्ट फीस बढ़ती चली गयी है। पहले 12 आने का स्टाम्प लगता था, आज चौगुने हो गये हैं, रिट्स पर पहले 5 रुपये का स्टाम्प लगाया जाता था, आज उसकी फीस 50 रुपये कर दी गयी है। न्याय सस्ता दिलाने के लिये सरकार का जो कर्त्तव्य है वह कर्त्तव्य सरकार पूरा नहीं कर रही है। सीतलवाड कमीशन रिपोर्ट में भी इस विषय में कहा गया है कि —

प्रदेश का हवाला आंकड़ों में देते हुये कहा है "यहां न्याय बिल्कुल व्यवसायिक हो गया है कोर्ट फीस उतनी ही ली जानी चाहये जिससे कि न्याय का खर्च चल सके"। मुकदमा लड़ने वालों से न्याय का खर्च नहीं पड़ना चाहिये। बल्कि सामान्य राजस्व भुगतान करने वाले से पड़ना चाहिये।

Law Commission की Report में कहा है "Our states provide Hospital which give free treatment to persons who are physically afflicted but if a person is injured in the matter of fundamental right or other legal right, we bar his approach to the Courts except on payment of heavy Court fee."

मेरे कहने का मतलब यह है कि हमे न्याय सस्ता नहीं मिल रहा है। हमारे न्याय की प्रक्रिया सुलभ होनी चाहिये थी जिसके न होने से हमें न्याय आसानी से नहीं मिल पा रहा है। इस तरह से गांव का आदमी, शहर का आम आदमी समझ नहीं पा रहा है कि किस तरह से वह न्याय का दरवाजा खटखटाये। इंग्लैन्ड में तो यह पद्धति है कि जज दोनों फैरीकैन से पूछता है कि तुम न्यायालय के डिसीजन से सन्तुष्ट हो? अगर वह नहीं कह देता है तो अपीलेंट कोर्ट में उसकी मिसिल भेज दी जाती है। लेकिन हमारे यहां न्याय की प्रक्रिया बड़ी कठिन है जिसके मातहत न्याय सुलभ नहीं मिल पा रहा है। फरीक नकल लेता है, वकील करता है, अपील दायर करता है, सम्मन जाते हैं, तब कहीं सुनवाई होती है।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय सदस्य अब समाप्त करें क्योंकि ढाई बजे तक इसे समाप्त होना है।

श्री सत्यपाल सिंह यादव—

मुझे भी अभी न्याय और निर्वाचन के सबन्ध में भी बोलना है। अभी तो केवल 4 मिनट ही हुये हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

आपने 2 बजकर 4 मिनट पर प्रारम्भ किया था, 11 मिनट हो गये। यह सही है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर आपको अपना विचार प्रकट करने का पूरा मौका नहीं मिला लेकिन मेरी भी विवशता है, दो मदें और हैं जिनको पेश होना है। इस पर ढाई बजे तक विवाद समाप्त हो जाना है। आप जल्दी समाप्त करें।

श्री सत्यपाल सिंह यादव—

मान्यवर, बहुत दिनों से यह पुरानी मांग होती आ रही है कि पश्चिमी जिलों के अन्दर हाई कोर्ट की एक बेंच खोली जाय। यह प्रश्न नहीं है कि वहां पर हाई कोर्ट की स्थापना की जाय, केवल बेंच खोलने की बात है। मैं समझता हूं कि वहां बेंच खुल जाने से किसी तरह से भी न्यायालय की गरिमा कम नहीं होगी, बल्कि इससे वहां के लोगों को न्याय सुलभ, सस्ता और जल्दी मिल जायेगा। इसलिये मेरी मांग है कि पश्चिमी जिलों में एक बेंच की स्थापना होनी चाहिये और इसके बारे में न्याय मन्त्री जी को यहां घोषणा करनी चाहिये इससे प्रदेश की एकता पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। जहां तक न्यायालयों की कार्य क्षमता का प्रश्न है, किसी विद्वान ने कहा है—"जजेज शुड बी समथिंग लाइक हिन्दू विडोज"। जिस तरह से हिन्दू विधवायें किसी तरह के फैशन वगैरह नहीं करतीं, पवित्रता से रहती हैं; उसी तरह से जजों को जनता से दूर रहना चाहिये, किसी दावत वगैरह में नहीं जाना चाहिये और पवित्र रहते हुए अपने कर्त्तव्यों का पालन करना चाहिये। वरना जनता को न्याय नहीं मिल सकेगा और किसी भी हाल में देश और प्रदेश का भला नहीं हो सकेगा। इसके लिये आवश्यक है कि जुडिशियरी के न्याय के प्रति यहां की जनता बहुत बड़ा विश्वास प्रकट करे।

मुख्य न्यायाधीश अस्थाना ने कहा है :—

"If public in general lost the faith in judiciary the democracy in the country would come to an end and the Constitution would be reduced to a mere codified subject with a dead soul."

[श्री सत्यपाल सिंह यादव]

साथ ही साथ मुझे यह भी कहना है कि चुनाव प्रजातन्त्र की सबसे बड़ी कड़ी है। चुनाव पर से विश्वास उठ जाय तो कोई भी संसदीय प्रजातन्त्र कायम नहीं रह सकता। चुनाव बिलकुल निष्पक्ष और पवित्र होने चाहिये लेकिन आज देखा जा रहा है कि चुनाव किसी भी हालत में निष्पक्ष नही हो पा रहा है। चुनाव प्रणाली के सम्बन्ध में चाहे कम्युनिस्ट पार्टी हो, चाहे जनसंघ पार्टी हो, चाहे कोई अन्य पार्टी हो, सभी कहते हैं कि हमारे देश व प्रदेश में चुनाव की प्रक्रिया बिलकुल गलत है। इसलिये न्याय मन्त्री जी को इस पर भी गम्भीरता से विचार करना चाहिये कि इसमें सुधार हो। पहले 71 में जो मतदाता सूची बनी थी, और फिर 75 में जब पार्लियामेन्ट का चुनाव होने वाला था तो एलेक्शन कमीशन ने कहा था कि 71 की सूची के आधार पर चुनाव हो सकता है। उनका यह कहना बिलकुल राजनीति से प्रभावित होकर कहना था। 71 की सूची के आधार पर चुनाव होने का कोई औचित्य नहीं था। इस तरह से बहुत से लोग अपने मताधिकार से वंचित रह जाते हैं। इसलिये मैं चाहूंगा कि इस मतदाता सूची को पुनरीक्षित किया जाय ताकि कुछ भी लोग अपने अधिकारों से वंचित न रह जायं। इसके लिये आवश्यक है कि सही तरीके से सूची को तैयार कराया जाय।

साथ ही साथ मुझे कहना यह है कि कन्नौज के अन्दर विधान सभा का चुनाव हुआ था और वहां से श्री झामलाल अहेरवार जनसंघ से जीत कर आये थे। तो वहां के भूमि संरक्षण अधिकारी ने खुलकर उनका विरोध किया। कांग्रेस का खूब सपोर्ट किया। इसके लिये लिखित शिकायत की गयी उसके हस्तलिखित पत्र भी संलग्न किये गये और प्रश्न भी पूछा गया था तो कृषि मन्त्री ने जवाब दिया था कि सारे कागज गायब कर दिये गये। तो ऐसी हालत में मेरा आपसे अनुरोध है कि निर्वाचन के सम्बन्ध में जो शिकायतें आती हैं। उन पर अवश्य विशेष ध्यान देना चाहिये। इस प्रकार की घटना के बारे में जब शिकायत की जाती है तो उसके खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिये। और कड़े कदम उठाने चाहिये। एम0 पी0 के मध्यावधिक चुनाव होने वाले थे। इसमें बड़ा भारी परचेज किया गया और कई लाख रुपये का सामान खरीदा गया। इसके विषय में भी शिकायत की गयी कि जो टेंडर मांगे गये थे उनमें से हाईयेस्ट कास्ट वाले टेंडर को स्वीकार किया गया। इसके बारे में वित्त मन्त्री जी ने बताया कि पैसा नहीं था इसलिये हमने सारे खर्चे को रोक दिया। मेरा कहना यह है कि जहां जो खर्च हुआ है उस विषय की जांच न्याय मन्त्री करायें और अगर यह बात साबित हो जाती है कि हाईयेस्ट कास्ट का टेंडर स्वीकार किया गया तो मन्त्री महोदय इसमें कड़े कदम उठायें क्योंकि इसमें लगभग 3 लाख रुपये का गोल माल हुआ है।

एक बात और कहना चाहता हूं। आप देखें कि विधान सभा और लोक सभा क्षेत्रों का परिसीमन होता है। लेकिन न्याय पंचायतों का परिसीमन नहीं होता है। कुछ गांव सभायें ऐसी होती हैं जिनमें कई हजार की आबादी होती है और कुछ गांव सभायें छोटी-छोटी होती हैं। तो गांव सभाओं का परिसीमन कराया जाय जिससे ग्राम सभा का सही सही प्रतिनिधित्व हो सके। साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि न्याय पंचायतों को जो अधिकार दे रखे हैं वह नगर पालिका जैसे हैं। उनका दुरुपयोग हो रहा है। इसके लिये जरूरी है कि विशेषज्ञों की एक समिति बैठायी जाय जो सही तरीका निकाले कि किस तरह से न्याय होना चाहिये। राजनीति से प्रभावित होकर न्याय स्थानीय लोगों के बीच न टिक सके।

श्री उपाध्यक्ष--

अब आप समाप्त करें।

(श्री हुकम सिंह का नाम पुकारने पर)

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)--

मान्यवर, समय कम दिया जा रहा है।

श्री उपाध्यक्ष--

ऐसा है कि ढाई बजे तक इसको समाप्त कर लेना है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने ढ़ाई बजे तक का समय दिया है। इसके लिये मैं मजबूर हूं। समय के विषय में मै मजबूर हूं। मैं इसको बढ़ा नहीं सकता।

एक सदस्य--

समय और देना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष--

समय बढ़ाने का अधिकार मुझे नहीं है। इसको ढ़ाई बजे तक समाप्त कर लेना है।

(श्री हुकम सिंह का नाम पुकारने पर)

श्री राम अधार (जिला आजमगढ़)--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का सवाल है। जब एक सब्जेक्ट को लेकर समय निकल गया और अभी चर्चा बाकी है तो जब चर्चा अधूरी रह जायगी और सारे सदस्यगण जो बोलना चाहते हैं, तो बोल नहीं पायेंगे इसलिये समय बढ़ाना जरूरी है। समय जो था वह दूसरे में चला गया इसलिये समय बढ़ाना जरूरी है।

श्री उपाध्यक्ष--

ऐसा है कि माननीय विरोधी दल के नेता ने टाइम एलाट किया है। वह टाइम तो निकल गया। मैं समय नहीं बढ़ा पाऊंगा।

श्री हुकम सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)--

मान्यवर, न्याय को सुलभ और सस्ता बनाने के लिये कुछ कदमों का उल्लेख किया गया है, उनका मैं स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि वह और भी अच्छे कदम उठाते रहेंगे, जिससे उत्तर प्रदेश में न्याय सुलभ, सुगम और सस्ता हो। मान्यवर, किसी मैजिस्ट्रेट की अदालत कहीं कर दें, जिला जज की अदालत आप कहीं कर दें तो उससे तमाम प्रदेश की समस्यायें हल नहीं होंगी। मैं न्याय मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं। एक मांग तमाम पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आज से नहीं 10-15 साल से चली आ रही है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक हाई कोर्ट की बेंच की स्थापना हो। समझ में नहीं आता है कि क्या कारण है? क्या दिक्कतें हैं कि नहीं की जा रही है। कभी कहा जाता है कि इससे हाई कोर्ट की गरिमा कम हो जायगी। दूसरा कारण यह हो सकता है कि खर्च बढ़ जायगा। तो मैं मान्यवर, पूछना चाहता हूं कि हाई कोर्ट की गरिमा अगर एक स्थान पर रहने से ही कायम रह सकती है तो इसकी बेंच को लखनऊ में रहने का क्या हक है? लखनऊ और इलाहाबाद में बहुत अधिक फासला भी नहीं है। मान्यवर, विचार करें जो लोग मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, देहरादून, मेरठ से चलकर यहां पर आते हैं, इलाहाबाद में आते हैं उनका कितना

[श्री हुकम सिंह]

खर्च होता है, कितनी असुविधा होती है ? उस तथाकथित सस्ते न्याय को प्राप्त करने में क्या इसी प्रकार हम सस्ता और सुलभ न्याय देने की व्यवस्था बना रहे हैं ? समझ में नहीं आता किस प्रकार की भाषा सरकार समझती है। जब से उच्च न्यायालय में अब एलेक्शन पिटीशन फाइल होने लगी हैं तब से और भी दिक्कतें बढ़ गई हैं। इस विषय पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस समस्या को एक सदस्य की समस्या न समझ कर पूरे प्रदेश की जनता की समस्या समझ कर इस पर विचार करें।

मान्यवर, दूसरा निवेदन यह है कि अदालतों का विकेन्द्रीकरण होना चाहिये। अभी तक जिला हेड क्वार्टरों में सभी अदालतें केन्द्रित हैं और जिले के मुख्य नगरों से 25 और 40 मील की दूरी पर हैं। विशेषत: इक्जिक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के न्यायालय उनके सब डिवीजन में कोई भी बाधा नहीं है। जितने एक्जिक्यूटिव मैजिस्ट्रेट हैं उनकी अदालतें वहां पर हों जहां के वह इन्चार्ज हों।

मान्यवर, तीसरा, निवेदन यह है कि हमारी न्याय प्रणाली की व्यवस्था ऐसी बनी है कि जो भी मुकदमा होगा वह वकील के माध्यम से तय होगा। तो ऐसा क्यों ? इसलिये आप कानून को इतना सुलभ बनायें कि जो साधारण आदमी न्यायाधीश को अपनी बात स्वयं समझा सके, और दोनों के बीच में ठेकेदार की आवश्यकता कम से कम पड़े। आशा है इस समस्या पर न्याय मन्त्री जी विचार करेंगे।

मान्यवर, चौथा निवेदन यह है कि गत वर्ष नया जाब्ता फौजदारी कानून आया जिसमें उसमें जुडीशियरी एक्जीक्यूटिव से अलग हो गयी। ए0 पी0 पी0 को भी पुलिस विभाग से अलग करके उच्च न्यायालय के अन्तर्गत कर दिया। ए0 पी0 पी0 का बड़ा महत्व होता है न्याय दिलाने में। परन्तु दुर्भाग्य है उन्हें फिर से हटाकर पुलिस के अन्तर्गत कर दिया है। क्यों ? यह हम किसको धोखा दे रहे है ? और किसी को नहीं अपने आपको। केवल यही कारण इसका है कि गलत मुकदमें में सजा नहीं हो पाते थे। यदि यही दृष्टिकोण है न्याय दिलाने का तो इसके लिये केवल एक ही शब्द है और वह है दुर्भाग्य।

*श्री त्रिवेणी सहाय—

मान्यवर, मैं केवल दो विषयों पर बोलूंगा। एक यह कि मैं अपेक्षा करता था, कि जो गरिमा की बात है कि हमारे देश की न्यायपालिका स्वच्छ, ईमानदार और चुस्त होगी। जिस समय जुडिशियरी और एक्जीक्यूटिव अलग हुई थी हमें इस बात का अभिमान था कि हमारे देश का न्यायाधीश और न्याय में काम करने वाले लोग ईमानदार होंगे और हिन्दुस्तान की जनता को न्याय ठीक से दे सकेंगे, लेकिन साल भर का जो समय बीत गया है उसके बाद मुख्य न्यायाधीश को आम सभाओं में कहना पड़ता है जैसा कि स्वतन्त्र भारत का अंक है उसमें लिखा है कि मुख्य न्यायाधीश अदालतों में बढ़ते हुये भ्रष्टाचार से चिन्तित हैं। स्थानीय जिलाधीश, श्री बी0 पी0 अग्रवाल को लिखे गये अपने पत्र में मुख्य न्यायाधीश ने लिखा है कि आज अदालतों में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है और वह न्याय व्यवस्था में एक कलंक है। यह मुख्य न्यायाधीश का भाषण है और मैं उसे पढ़कर बहुत दुखी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हुआ लेकिन इसमें न्यायाधीश का दोष नहीं है। मान्यवर, एक रोग है जिसके बारे में कोई नहीं जानता और वह रोग इस सरकार की ओर से, सत्ता पक्ष की ओर से फैलाया गया है और वह रोग है, 'पिंड रोग'-भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार--जिसकी दवा इनके पास नहीं है, परन्तु इनके इस रोग का इन्तजाम पटना में श्री जयप्रकाश नारायण ने कर दिया है। मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि न्यायाधीशों के सम्बन्ध में जो आज भ्रष्टाचार की बात फैली हुई है उसको दूर करने के लिये अब प्रयास होना चाहिये अन्यथा यह होगा कि आगे चलकर जैसे आज हम प्रदेश के अन्दर आफिसरों के खिलाफ बोलते हैं और आज कोई भी डिपार्टमेंट बचा नहीं है कि जो भ्रष्टाचार से पीड़ित न हो, वह रोग इस विभाग को भी नहीं छोड़ेगा। माननीय राजमंगल पांडेय को 'बस' का काम दे दिया गया है। न्याय प्रशासन एक बहुत ही जिम्मेदार यूनिट है और इस विभाग को ऐसे हाथों में होना चाहिये ताकि वह मन्त्री सजग होकर प्रहरी के रूप में काम कर सके और यह देखता रहे कि न्यायपालिका कलंकित तो नहीं हो रही। जिस मन्त्री के खिलाफ रोज अनापशनाप बोला जाता हो अगर वह स्वयं स्टेटमेंट दे दे तो ठीक है, और अगर नहीं कहता तो अपने पद की गरिमा को देखते हुये उसे नहीं बैठना चाहिये।

दूसरी बात यह है कि एक बयान इसी तरह का जागरण में भी है जिसमें छागला साहब ने लिखा है "स्वस्थ न्यायपालिका की समस्या"। मैं यह मानता हूं कि उनकी तनख्वाह कम है? और अपना पेट भरने के लिये कोई आदमी कुछ भी काम कर सकता है और अगर न्यायपालिकाओं में यह रोग फैलता है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मुझे मालूम है कि पहले बम्बई हाई कोर्ट में 1000 रुपये तनख्वाह मिला करती थी और आज उनको 3500 रुपये मिलता है, तो उसे क्या होता है और सम्भव है कि तनख्वाह मिलने की वजह से लोग बेईमानी करते हों। लेकिन यह कारण नहीं है, कारण तो दूसरा है जैसे ही आपके हाथों पद आया और आपने यह समझा कि हमको यह अधिकार मिल गया है तो आप उस अधिकार का दुरुपयोग स्वतन्त्र होकर करने लगते हैं।

हमारे जिला परिषद् के अध्यक्ष गोंडा के खिलाफ शिकायत आई, बार काउन्सिल ने शिकायत की और मूख हड़ताल हुई और जो जांच हुई तो रिपोर्ट में कह दिया गया कि कोई भी शिकायत नहीं है? इसी सिलसिले में एक बात मुझे यह भी कहनी है कि जज के खिलाफ जो इन्क्वायरी होती है उसमें मुख्य न्यायाधीश को मत फंसाइये। अगर उसमें न्याय प्रक्रिया सम्बन्धी कोई बात है तो ठीक है, लेकिन अगर प्रशासन सम्बन्धी मामला है और 500 रुपये का पेड़ 10 रुपये में बेचा दिखाया है तो सरकार की ओर से आदमी जाना चाहिये था तब शिकायत सही आ सकती है, लेकिन ऐसा नहीं होता।

दूसरी बात यह है कि अब इस सरकार ने अपनी गाड़ी रिवर्स गेयर में लगा दी है, इसका मतलब यह है कि गाड़ी आगे जाने के बजाय पीछे चलने लगती है। पहले कहा कि सवा छ: एकड़ का लगान माफ करेंगे। फिर कहा नहीं, राजकीय व्यापार होगा, फिर कहा नहीं होगा--वापिस लिया। चीनी की मिलों का राष्ट्रीयकरण होगा, लेकिन नहीं किया। आपने किया क्या? न्यायपालिका के अन्दर जो पब्लिक प्रासीक्यूटर्स थे उनको आपने एस0 पी0 के अन्डर दे दिया। क्या वहां स्वतन्त्र काम कर सकेगा? आखिर आप किस दिशा में जा रहे हैं। यह सब इस सरकार का निकम्मापन ही है। जहां ब्रह्मा, विष्णु महेश बैठ जाते हैं वहां ऐसा ही होता है। यह मैं इसलिये कहता हूं कि काम धाम कुछ नहीं, खाली

[श्री त्रिवेणी सहाय]

फाइल देखकर दस्तखत मारते हैं। मैं राजमंगल पांडेय जी से कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार अपनी योग्यता से आप कोर्ट में वकालत करते थे, वैसे ही इस विभाग को भी देखने की आवश्यकता है, नहीं तो यह गणेश की जगह बन्दर ही बन जायगा। मान्यवर, एक आर्टिस्ट था। उसने सोचा कि गणेश की मूर्ति बनावें। कूंची लेकर बैठ गया। लेकिन सूंड़ जहां लगनी चाहिये थी वह न लगकर पीछे लगा दी और इस तरह गणेश के स्थान पर बन्दर बन गया। अगर आप भी ध्यान नहीं देंगे तो इस विभाग का हाल भी ऐसा ही होगा इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री सत्यपाल सिंह यादव—

उपाध्यक्ष महोदय, इस विभाग की बहुत उपेक्षा की जा रही है। मैंने सोचा भी नहीं था कि सदन में इस पर इतना कम समय दिया जायगा कि दो चार सदस्य भी न बोल सकें।

श्री उपाध्यक्ष—

समय तो विरोधी दल के नेताओं ने ही बैठकर तय किया है।

श्री सत्यपाल सिंह यादव—

सारा समय तो नियम 200(1) में चला गया। न्याय में जो सबसे ज्यादा न्याय दिलाने में सहायक होते हैं वह वकील हैं और आज उनकी स्थिति बहुत दयनीय है। एक किसान और मजदूर 11 बजे सोचता है कि घर के लिये जाय और फिर 4 बजे सोचता है कि काम के लिये जाय वहां वकील की स्थिति उसके विपरीत है। वह दोपहर में कोर्ट में आता है और 4 बजे घर जाता है। आप उत्तर प्रदेश में जहां भवनों का निर्माण कर रहे हैं वहां वकीलों के बैठने के लिये काई सुविधा नहीं है तो इस पर विचार करें ? 109 और 110 की जो धारायें थीं जिनमें गरीबों को सताया जाता था तो उनको समाप्त करने के बजाय आपने उनको जुडिशियल मजिस्ट्रेट के अधिकार से निकाल कर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के अधिकार में दे दिया जहां उनको और सताया जायेगा और उनको न्याय नहीं मिल सकेगा। इन धाराओं के विषय में भी न्यायाधिकारियों का परिवर्तन करना चाहिये। इसी प्रकार बेंच के विषय में पुन: निवेदन करना है कि पश्चिमी जिलों के लिये एक बेंच हो जो वहां काम करे। अगर वह काम नहीं करते, तो इससे उन जिलों में निराशा पैदा होगी। प्रदेश में गरीबों को सुलभ और सस्ता न्याय दिया जाना चाहिये, लेकिन उसकी कोई व्यवस्था नहीं है ? इसी तरह से ए0 पी0 पी0 और पैनेल लायर्स और डी0 जी0 सी0 के बारे में कहना चाहता हूं कि उनको बड़ी निराशा है। ए0 पी0 पी0 तो पी0 पी0 बन जाता है लेकिन पी0 पी0 को कोई पदोन्नति पर जाने का मार्ग नहीं। उनका वेतन भी कम है। मैं चाहता हूं कि पैनिल लायर्स का डी0 ए0 30 रुपये के बजाय 50 रुपये कर दिया जाय। इसी तरह से मुन्सिफ तो पदोन्नत होकर जज बन जाता है लेकिन जुडीशियल मैजिस्ट्रेट के लिये बड़ी दिक्कत है प्रमोशन के मामले में। वह मुश्किल से जिन्दगी में ए0 डी0 एम0 (जे0) तक पहुंच जाता है। उसके पदोन्नति की जो गति है, वह बहुत धीमी है। इस तरफ भी कृपया मन्त्री जी ध्यान दें।

मान्यवर, इस समय न्याय के लिये जनता की जो आस्था है, वह खत्म हो रही है। निर्वाचन के विषय में किसी सदस्य को लिटरेचर नहीं दिया गया। एक बात यह भी कहना चाहता हूं कि जो इलेक्शन पिटीशन होते हैं, वे कई वर्षों तक चलते रहते हैं। 1971 में पार्लियामेन्ट

का चुनाव हुआ लेकिन इन्दिरा जी के खिलाफ पिटीशन अभी भी चल रही है जबकि दूसरा चुनाव पार्लियामेंट का होने वाला है। इसलिये इलेक्शन पिटीशन के निर्णय जल्द हों और अगर जरूरत हो तो उसके लिये अलग से जजेज नियुक्त करायें। इसी तरह से जहां रेडियो और टेलीवीजन हैं, इसका प्रयोग सरकार अपने लिये न करें। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव सदन के समर्थन हेतु पेश करता हूं और आशा है सदन स्वीकार करेगा।

श्री राजमंगल पांडेय--

मान्यवर, मैं थोड़े में ही अपनी बात समाप्त करूंगा।

जहां तक जुडीशियल मजिस्ट्रेट्स की बात है, उनकी जुडिशियल अफसर की सेवायें मान ली गयी हैं और वे हाई कोर्ट के अन्दर हो गये ह। जहां तक पश्चिमी जिलों के लिये अलग बेंच स्थापित करने की बात है उसके बारे में कई बार बताया जा चुका है और घोषणा कर चुका हूं, लेकिन कमीशन की जो फाइन्डिंग थीं, उसमें यह है कि प्रदेश में केवल एक हाई कोर्ट हो, दूसरा न हो। वहां लखनऊ में उसकी एक बेंच हो जाने के बाद फिर पश्चिमी जिलों के लिये बिल्कुल सम्भावना नहीं, क्योंकि फिर कहा जाता है है कि न्याय के स्तर में गिरावट आ जाती है, क्योंकि अलग-अलग हाई कोर्ट के फैसले अलग होने के कारण जनजीवन में एक भ्रान्ति पैदा हो सकती है? तो अब पश्चिमी जिलों के लिये अलग हाई कोर्ट की बेंच की सम्भावना नहीं है।

जहां तक इलेक्शन पिटीशन की बात है कि उसमें बहुत देर हो जाती है, तो उसके विषय में निवेदन करना है कि उसमें तो जिम्मेदारी पिटीशनर्स की ही है, क्योंकि उसमें गवाही में वे लोग बड़ा समय ले लेते है।

श्री त्रिवेणी सहाय--

और वह पिन्ड रोग वाली बात रह गयी ....भ्रष्टाचार के बारे में।

श्री राजमंगल पांडेय--

ए0पी0पी0 के बारे में कहा गया कि वह पुलिस अफसर की कटेगरी में नहीं आते हैं। उसमें कारण यह है कि बहुत कुछ देखने के बाद जब उनको अलग कर दिया गया, तो जो कार्य-पद्धति थी और जो कन्विक्शन की प्रक्रिया थी उसमें महसूस किया कि वह इफेक्टिव नहीं कर पा रहे। इसलिये ए0पी0पी0 को उसमें नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी उसमें विचार करेंगे, वैसे उसमें गुन्जाइश नहीं है।

एक निवेदन यह करना चाहता हूं कि जो लोग ए0पी0पी0 के बारे में शिकायतें करते रहते थे, वे आज उनके समर्थक हो गये हैं, यह उनकी हमदर्दी समझ में नहीं आती।

श्री त्रिवेणी सहाय--

ए0पी0पी0 को जुडीशियल में कर दें तो जो हम लोगों की शिकायतें थीं, उनको दूर करने का मौका तो मिलेगा? वहां तो लूट मची है।

राज मंगल पांडेय--

मान्यवर, हमारे त्रिवेणी सहाय जी इसीलिये यह अस्तव्यस्तता चाहते हैं कि उनका मनोरथ सिद्ध हो।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 4 के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 4—न्याय प्रशासन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 5,33,14,400 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 5 के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 5—निर्वाचन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,10,32,700 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 54—ग्राम एवं लघु उद्योग

लघु उद्योग मन्त्री (श्री इस्तफा हुसैन)—

मैं श्री राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 54—ग्राम एवं लघु उद्योग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 4,70,70,200 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

दीर्घा में बैठने वाले अधिकारी जरा ठीक से बैठा करें। यह विधान सभा है इसके लिये जरा सावधानी बरती जाय। माननीय सदस्य भी आसन ग्रहण करें तथा ठीक से बैठें।

श्री इस्तफा हुसैन—

मैं निवेदन यह कर रहा था कि अनुदान संख्या 54—के अन्तर्गत कुल मांग 5 करोड़ 13 लाख 24 हजार 2 सौ रुपये की है। इसमें लेखानुदान द्वारा 42 लाख 59 हजार स्वीकृत किये जा चुके हैं। अनुदान संख्या 54 के अन्तर्गत 1974-75 के आय व्ययक में 3 करोड़ 28 लाख 77 हजार 6 सौ रुपये का प्राविधान था और वित्तीय वर्ष 1975-76 में इस अनुदान के अन्तर्गत 5,13,24,200 रुपये का प्रस्ताव है। इस तरह से 1,84,51,600 रुपये की वृद्धि हुई है जिसके लिये इस बजट में प्रस्ताव है और उसका कारण यह है कि हमने कुछ नई योजनायें रखी हैं जैसे एम्प्लायमेंट प्रोमोशन प्रोग्राम। यह एक

नया प्रोग्राम है जो नवजवान बेकार हैं उनको इसके अन्तर्गत रोजगार दिलाने की व्यवस्था है। दूसरे लघु उद्योगों को बिजली हासिल करने में दिक्कत होती है उनको जनरेटर्स दिये जाते हैं। उसके लिये हम 50 प्रतिशत की सबसिडी देते हैं। यह स्कीम 31 मार्च तक थी उसे हमने एक साल के लिये और रखा है और उसके लिये रुपये का प्राविधान किया गया है। लखनऊ के इर्द-गिर्द बहुत सी महिलायें जो पर्दानशीन हैं और चिकन का काम करती हैं उनके लिये हमने एक केन्द्र मोती महल में खोला है। उसके जरिये लखनऊ और उसके आस-पास के जिले जैसे बाराबंकी, हरदोई आदि हैं उनमें करीब 45 हजार महिलायें चिकन के काम में लगी हुई हैं जिनका बीच के लोग शोषण करते थे उससे बचाने के लिये 3,85.000 रुपये की योजना बनाई गई है जिससे इनको अच्छी तरीके से काम में लगाया जायेगा। इसी तरह से चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने के लिये भी एक अग्रगामी योजना बनाने का प्रस्ताव है। हथकरघे उद्योग में जो छोटी-छोटी समितियां कोआपरेटिव के माध्यम से चलाई जा रही हैं उनमें और नई सोसाइटीज बनाकर उनकी दशा को सुधारने के लिये भी प्रस्ताव रखा गया है। इससे इस उद्योग को बढ़ावा मिलेगा और अधिक वीवर्स इस कार्य में लगाये जा सकेंगे। इस तरह से जो पुराने लूम्स थे उनको नये किस्म के लूम्स में तबदील किया जायेगा ताकि उनका उत्पादन अच्छा और ज्यादा हो सके। इसके लिये भी बजट में पैसा रखा गया है।

मान्यवर, लघु उद्योग और कुटीर उद्योग ऐसे उद्योग हैं जिनके जरिये से हम बहुत ज्यादा लोगों को रोजगार दिला सकते हैं। इन उद्योगों की एक खासियत यह भी है कि इन उद्योगों को चलाने में बिजली आदि की बहुत कम जरूरत होती है। स्थानीय कच्चे माल को इन उद्योगों में लगाकर ज्यादा लोगों को रोजगार मिल सकता है। जो लोग उद्योग चलाना चाहते हैं उनकी हम मदद करना चाहते हैं और इसके लिये कई निगमें भी हम बना चुके हैं जिनके जरिये हम हर प्रकार की सुविधा लोगों को देते हैं। हमने एक फोल्डर किस्म का बनवाकर के सभी माननीय सदस्यों के पास उनके पीजन होल में रख दिया है जिसका नाम है "उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास हेतु सुविधायें"। इस फोल्डर में इस उद्योग से सम्बन्धित सभी बातो का जिक्र किया गया है ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा हो सके और लोग फायदा उठा सकें। उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम उत्तर प्रदेश वित्त निगम, यू0 पी0 निर्यात निगम आदि निगम हमने बनायें हैं। मुरादाबाद में पीतल और ब्रास के बरतन बनाये जाते हैं। वहां पर 15 हजार यूनिट ऐसे हैं जो सिर्फ इसी उद्योग में लगी हुई थी, जिनका काम ठीक से नहीं चल रहा था, उनके तैयार माल की निकासी में दिक्कत होती थी। इन्हीं बातों को देखते हुये हमने ब्रास वेयर कारपोरेशन की स्थापना की है। वह पारसाल से चलना शुरू हो गया और उससे लोगों को काफी सुविधा हो गई है। शहर के अन्दर ही हमने निगम का दफ्तर खोल दिया है ताकि वहां के उसके स्टोर से जो कच्चा माल मिले उससे वह फायदा उठावें।

मान्यवर, कानपुर और आगरे में चमड़े के जूते का काम होता है। इस जूते के काम के लिये आगरे में एक चमड़े का कारपोरेशन बना दिया गया है जिसने कि काम शुरू कर दिया है। इस लेदर कारपोरेशन के जरिये से पुलिस आदि के जो जूते हैं, सप्लाई किये जायेंगे साथ ही बाहर भी जो जूते एक्सपोर्ट किये जायेंगे वे इसी कारपोरेशन के जरिये करवाये जायेंगे। इसके अलावा हमारे दस्तकारी के काम भी होते हैं। मुरादाबाद

[श्री इस्तफा हुसैन]

सम्भल में सींगों का बहुत अच्छा काम होता है। वहां का सामान एक्सपोर्ट भी होता है। मेरठ में कैंची बनाने का काम होता है। बहुत से लोग इस उद्योग में लगे है इन उद्योगों को प्रोम्प्ट करने के उपाय किये गये है। कुछ और खास-खास केन्द्र है जहां पर लोग बहुत अच्छे तरीके से काम करते है उनके काम में भी हम मदद करना चाहते है। मसलन सहारनपुर में लकड़ी का काम बहुत अच्छा होता है। वहां पर जो लोग काम करते है उनको सीजन्ड लकड़ी नहीं मिल पाती थी तो उसके लिये हमने इन्तजाम किया है और उसे एक्सपोर्ट कारपोरेशन के हवाले कर दिया है। हमारे पास एक प्लान्ट था जिसमें दूसरे इरादो से काम हो रहा था उसको भी हमने इस कारपोरेशन के य0 पी0 एक्सपोर्ट कारपोरेशन के हवाले कर दिया है। हम समझते हैं कि हमारे प्रदेश में जितने लोग दस्तकारी में लगे हुये है जो छोटे-छोटे है सबको रोजी मिले और वे अपने काम में महारत हासिल कर सकें और उनको भी हम रोजगार दिला सके इसका हमने प्रयत्न किया है। मैं अधिक न कह कर चाहूंगा कि माननीय सदस्य इस पर विचार करें और इस अनुदान को पास करें।

*श्री धीरेन्द्र सहाय (जिला पीलीभीत)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 54—सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य—वर्तमान प्रशासन की नीतियों की आलोचना करना एवं स्वच्छ प्रशासन चलाने का सुझाव देना।

मान्यवर, उपाध्यक्ष जी, जो आज हमारे प्रदेश और देश की स्थिति है और जो बेरोजगारी की समस्या भयंकर रूप धारण किये है जिसके कारण अनेक समस्यायें उत्पन्न हो गई हैं। यह सबको विदित है कि आज हमारी बेरोजगारी की समस्या का जो प्रकोप है चाहे वह विद्यार्थियों में हो चाहे वह देहातों में हो किस तरह से दिखाई दे रहा है जगह-जगह चोरियां हो रही है, डकैतियां पड़ रही है जो इसका सबसे बड़ा कारण है वह बेरोजगारी है। आज यूनिवर्सिटी में विद्यार्थियों का मन नहीं लगता है। बराबर लोग यही कहते है कि लड़के अनुशासनहीन हो गये है। तो मान्यवर इसके साथ बेरोजगारी की समस्या जुड़ी हुई है। आज यूनिवर्सिटी में जो पढ़ाई हो रही है उसमें ज्यादातर लोग जानते है कि पढ़ने के बाद उसके लिये भविष्य में कोई प्रबन्ध नहीं है। वे समझते है कि जो नौकरियां है, या काम-धन्धे है उनमें वही लोग लिये जायेंगे जो बड़े-बड़े नेताओं के बच्चे हैं, जो बड़े-बड़े पूंजीपतियों के बच्चे है या जो बड़े-बड़े आफिसरो के बच्चे है। तो जिस जगह पर यह स्थिति हो और लोग जानते हों कि पढ़ाई से कोई फायदा नहीं है तो स्वाभाविक है कि उसका मन पढ़ने में नही लगेगा और फिर तरह-तरह की तोड़ फोड़ की समस्यायें जैसे आज उत्पन्न हो रही हैं होंगी। मैं मन्त्री जी से इस सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि यह जो समस्या है इसको आप गहराई से देखें।

आज जो इस देश की 27 साल में हालत हो गई है और लोगों की जो उपेक्षा की गई है उसके लिये सरकार की नीति जिम्मेदार है। बेरोजगारी के कारण लोगों की दुर्दशा हो गई है? फिर कभी मैं देखता हूं कि 27 साल के बाद भी कोई

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

खास ध्यान इस तरफ नहीं दिया गया है। यह बात साफ है कि जो बेरोजगारी की समस्या है उसको सबसे पहले हल करना है। और उसके लिये जहां तक लघु उद्योग का सवाल है, वही एक हमारा ऐसा जरिया है, जिससे हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को काम दे सकते हैं। पिछले वर्षों से बराबर होता रहा है कि जो हमारे बड़े-बड़े उद्योग हैं, उन पर ज्यादा ध्यान दिया गया, किन्तु लघु उद्योगों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। गांधी जी का भी कहना था किये ऐसे क्षेत्र जहां लघु उद्योग लग सकें, जिनमें छोटे पैमाने पर काम हो सके, उनमें बड़े उद्योग नहीं लगाने चाहिये। लेकिन इन सारी बातों के बावजूद, पता नहीं जाने या अनजाने में, लगातार इस बात की उपेक्षा की गई। अभी भी शुगर कारखानें और स्पिनिंग मिल्स बराबर लगाई जा रही हैं और आपकी योजनायें भी हैं, जबकि यह लघु उद्योग के पैमाने पर हो सकते थे। तो जब इतनी भयंकर बेरोजगारी है, उस समय भी वहां छोटे उद्योगों की इतनी उपेक्षा की जाये, यह हमारे लिये बड़े दुर्भाग्य की बात है।

आज इस मुल्क की आर्थिक दशा बड़ी खराब है, हमारे यहां धन कम है और जो श्रम शक्ति है, वह बहुत ज्यादा है। श्रम शक्ति ज्यादा है तो हमारी योजनायें ऐसी होनी चाहिये, जिनमें से कम के कम पैसे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को काम मिले। यानी हमारी योजनायें लेबर इन्टेंसिव होनी चाहिये कैपिटल इन्टेंसिव नहीं होनी चाहिये। लेकिन आज जो हाल चल रहा है जितने भी क्षेत्र हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेरोजगार किया जा रहा है। लघु उद्योग के विस्तार की जितनी चेष्टा होना चाहिये, वह आज नहीं हो रही है। इसका प्रमाण यह है कि अभी कानपुर में एक लाइसेंस डबल रोटी बनाने के लिये दिया गया। यह एक कारखाने के लिये नया लाइसेंस था, उसके अतिरिक्त जो पहले दिये गये हैं वह अलग है। हजारों-लाखों लोग ऐसे हैं जो बेकरी का काम करते हैं, किन्तु इन कारखानों के कारण उनको धन्धा नहीं मिल पा रहा है। हमारे यहां बिजली की कमी है, आदमी बेकार हैं, और हो रहे हैं, फिर भी कानपुर में लाइसेंस डबल रोटी बनाने के लिये दिया जाता है। इसे मैं क्या कहूं, यह तो जान-बूझकर लघु उद्योग की उपेक्षा की जारही है।

आज जो नीति अपनाई जा रही है, कहने को तो लघु उद्योग पर जोर देने की बात हो रही है, लेकिन वास्तव में बराबर उसकी उपेक्षा की जा रही है। यह बात तो सर्वविदित है कि छोटे उद्योगों के विस्तार से लोगों को काम ज्यादा मिलेगा। किन्तु इसके अतिरिक्त भी एक बड़ा लाभ और है कि यदि छोटे उद्योग लग जायंगे तो पैदावार भी ज्यादा होगी? इसके मैं एक—दो उदाहरण आपको दूंगा, आपके कपड़ा उद्योग पर भी यह बात लागू होती है। मेरे पास जो इसकी जानकारी है वह दूंगा। यह बात मानी गई है कि जो वर्कर्स है वह काटेज इन्डस्ट्री में कई गुना ज्यादा काम पर आ रहे हैं, साथ ही साथ प्रोडक्शन भी चौगुना-पंचगुना के करीब है उतने कैपिटल से। एक बात ध्यान रखने की है कि उतने ही कैपिटल से यदि लघु उद्योग लगाये तो उससे ज्यादा पैदावार होती बनिस्बत हैवी उद्योग के फिर भी लघु उद्योगों की उपेक्षा हो रही है।

एक बात मैं यह कहना चाहूंगा जो स्पिनिंग मिल की बात कही गई है उसके ऊपर कोई रोशनी नहीं डाली कि लघु उद्योगों को बड़े पैमाने पर चलाने की बात नहीं सोची गई। यह बात साफ है कि बहुत से लघु उद्योगों से पैदावार भी ज्यादा होती है। आज हमारे सामने जो समस्या है कि बनकरों को धागा कहां से दिया जाये। इसके लिये

[श्री धीरेन्द्र सहाय]

आपने योजना बनाई है कि स्पिनिंग मिल लगाई जाये जिससे बुनकरों को सूत मिल सके तो क्यों नहीं लगाते हैं? मैंने पिछली बार भी जिक्र किया था कि कोटेज इन्डस्ट्रीज के बजाय स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज के स्केल पर भी इस बात को सोचा जाये ताकि बड़े पैमाने पर इस काम को किया जा सके। लेकिन इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया गया कि स्पिनिंग भी लघु उद्योग के बेसिस पर चले। अगर चलता है तो बुनकरों को सूत देने की समस्या बहुत बड़े पैमाने पर हल हो जायेगी? मैं चाहूंगा कि आप इस पर ध्यान दें और इसको कार्यान्वित करने की कोशिश की जाये।

अब यह जो लघु उद्योग कपड़े का है। इसमें शिवरमन कमेटी की रिपोर्ट थी लेकिन उसका अमल नहीं हुआ और न उसके ऊपर कोई ध्यान ही दिया गया है। उस कमेटी की रिपोर्ट यह थी कि जो हमारे हैन्डीक्राफ्ट्स हैं, उसमें आठ वैराइटीज फिक्स की थीं कि इनको लघु उद्योगों के लिये ही रखा जाये। पहले पावर लूम और लघु दोनों बना रहे थे। लघु उद्योग कायम रहे इसलिये यह सजेशन था। मैं चाहूंगा कि इसको प्रोटेक्शन दिया जाये ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें लग सकें और जो सामान इनके द्वारा तैयार हो उसके बाजार में बिकवाने के लिये सुविधा दी जाय।

अमेरिका वगैरा में ऐसा होता है कि जिस उद्योग को प्रोटेक्शन देना होता है उसके लिये सप्ताह में कोई दिन ऐसा तय करते हैं कि उस दिन वही चीज बेची जाये। यहां भी यही किया जाये कि उनके लिये दिन निश्चित किये जायं और उस दिन वही चीज बिके। इससे इनको बढ़ावा मिलेगा। जो ट्रेनिंग सैन्टर्स बने हैं उनका डिसेन्ट्रेलाइजेशन हो जाना चाहिये। अगर डिसेन्ट्रेलाइजेशन इनका हो जायेगा तो लोग इनमें ज्यादा जायेंगे। हमारे बेसिक और सैकन्ड्री हाई स्कूलों में काटेज इन्डस्ट्रीज की जानकारी दी जानी चाहिये ताकि बड़े पैमाने पर उनको ट्रेनिंग दी जा सके। तो इसके जो कुछ हमारे इस सम्बन्ध मे मुखालिफ लोग हैं वे कहते हैं कि काटेज इन्डस्ट्रीज में कुछ कमी है, जिसके कारण वह इनको बड़े पैमाने पर ले जाने के लिये तैयार नहीं है। तो उसमें कोई खास बात नहीं है। इसमें दो-चार बातें हैं। इसमें शुगर कंटेंट्स ज्यादा निकलता है। इसमें वैस्टेज ज्यादा है, लेकिन वह कुछ माने नहीं रखता है। एक मेन प्वाइन्ट कहता हूं कि जो सरप्लस ज्यादा एक्रू नहीं करता है, हैवी इन्डस्ट्रीज को बढ़ावा देने से सरप्लस ज्यादा होता है। यह बात कोई ज्यादा उचित नहीं है क्योंकि यह बात ज्यादा सिद्ध भी नहीं हो पाई है बल्कि जापान में यह जो सेविंग्स हैं, जो उसमें स्माल सेविंग्स हैं, उसके कारण यह कहना कि वहा कोई सेविंग्स नहीं है, यह कोई उचित नहीं समझी जाती है, गुड्स जो हैं वे अच्छे नहीं बनते हैं, वह कज्यूमर्स के लिये अच्छे नहीं बनते हैं, यह दलील ज्यादा अच्छी नहीं है। जो कज्यूमर्स होगा वही प्रोड्यूसर होगा। अपने यहां की जो इन्डस्ट्री रही है पहले वह मलमल की होती थी, आज उसकी जोड़ की लोग नहीं बना पाये हैं। यह कहना कि माल बढ़िया नहीं बनता है, यह बात सही नहीं है बल्कि इसके रिसोर्सेज उस ओर नहीं हो रहे हैं। मैं यह बातें आपके समक्ष रख रहा हूं और मैं यह चाहता हूं कि लघु उद्योग के ऊपर जो आपका ध्यान है, वह रस्मी तौर पर नहीं होना चाहिये। आज उसको बड़े पैमाने पर लाने की आवश्यकता है क्योंकि जब तक लोगों को काम न मिल पाये तब तक कोई माने नहीं रखता है। हमारे यहां कागज की आज कमी है। आज इस कमी को अगर हम बड़े पैमाने पर ले जायं तो बहुत कुछ लघु उद्योग तय हो जायं।

जो आपने रस्मीतौर पर कुछ थोड़ा सा कह दिया है, तो उससे कोई विशेष फायदा होने वाला नहीं है। अगर आप कुछ फायदा पहुंचाना चाहते हैं तो आप इस लघु उद्योग को बड़े पैमाने पर ले जायें। इन शब्दों के साथ मेरा आग्रह है कि माननीय सदस्य मेरे इस कटौती के प्रस्ताव का सामूहिक रूप से समर्थन करने की कृपा करेंगे।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो लघु उद्योग का प्रस्ताव हमारे सामने है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, यह मद ऐसा है कि इससे लाखों बेकार लोगों को काम दिया जा सकता है और उन्हें रोजी-रोटी की सहायता इससे मिल सकती है। मान्यवर, आपको याद होगा कि द्वितीय महायुद्ध के बाद जापान जर्जर हो गया था, लेकिन इस लघु उद्योग के कारण आज जापान की गिनती उन सभी देशों में है जो हर प्रकार से सम्पन्न हैं। मैं सरकार का अनुग्रहीत हूं खासतौर से लघु उद्योग मन्त्री जी का। मान्यवर, आपको याद होगा हक हमने इस विधान सभा में अनेकों बार प्रश्न उठाया कि जो खादी बोर्ड इनका है, वहां व्यापक रूप से भ्रष्टाचार है। लाखों-लाखों पये का गबन है। 6-7- महीने के बाद सरकार को हमारी बात का एहसास हुआ और खादी बोर्ड को भंग कर दिया गया है। खादी बोर्ड जिसमें लाखों-लाखों रुपये की अनियमितता है और जो अधिकारी थे वह सभी भ्रष्टाचार में लगे हुए थे। मैं आपके जरिये कहना चाहूंगा कि सरकार पूरा रिकार्ड देखें? जो क्षेत्र पिछड़े हुए हैं वहां पर लघु उद्योग के लिये ऋण और अनुदान कम दिया गया है उनके मुकाबले में जो विकसित क्षेत्र हैं। यह मेरा स्पष्ट लांक्षन है।

मैं बताना चाहता हूं कि एक कार्यकर्ता मेरे यहां के हैं इन कामों को बहुत ही अच्छी प्रकार से करते हैं। उनको इस विभाग से कर्जा दिया गया ईंट का भट्ठा चलाने के लिये और ग्रामोद्योग अधिकारी ने सिफारिश भी की। श्रीमन् लाखों लाखों ईंट गल कर समाप्त हो गयीं पर रुपया नहीं दिया गया। ऐसी अनेक अनियमिततायें हैं, उनकी जांच होनी चाहिये और जो अधिकारी उनके दोषी हों उनके खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिये। जो अनियमिततायें हुई हैं उनमें छोटे-छोटे कर्मचारियों को सजा दी जा रही है किसी बड़े अधिकारी को सजा नहीं मिल रही है जब कि सारा कार्य उन्हीं के निर्देश पर किया गया है। मैं चाहता हूं कि सरकार का ध्यान इस ओर भी जाना चाहिये। जब सूती कपड़े की महंगी आयी तो उस समय खादी पहनने वालों पर आफत आयी।

श्रीमन्, बिना दाम आंके केवल कपास की कीमत बढ़ी थी, बुनकरों की कोई मजदूरी नहीं बढ़ायी गयी और खादी के दाम दुगने कर दिये गये जो खादी पहनते हैं उनको परेशानी हुई। मैं माननीय मन्त्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो पिछले सालों में बढ़ोत्तरी हुई है उनकी जांच करें आखिर खादी की कीमत इतनी क्यों बढ़ गयी। खादी आश्रम है यह जितना पैसा कमाता है उतना पैसा यह अपने कर्मचारियों को नहीं देता है। यहां पर एक बार आन्दोलन भी हुआ था लेकिन आन्दोलन करने वाले लोगों को हटाकर आन्दोलन को दबा दिया गया। मैं निवेदन करूंगा कि वहां के कार्यकताओं की दशा को सुधारें और वहां के लोगों को पूरी मजदूरी मिले। इस ओर माननीय मन्त्री जी का ध्यान जाना बहुत आवश्यक है। मैं जिस जिले से आता हूं उस जिले में हथकरघा

[श्री राम सुन्दर पाण्डेय]

उद्योग बहुत है। मऊ में एक मिल खोली जा रही है, उसमें तेजी के साथ काम होना चाहिये। जाली सोसाइटी बनाकर लोग पैसा ले लेते हैं और लाखों रुपया अपनी जेब में डाल लेते हैं। मैं चाहता हूं कि उनकी जांच-पड़ताल होनी चाहिये और जो उसके दोषी हों उनको सजा मिलनी चाहिये। आप जानते हैं कि गोबर गैस प्लान्ट की एक स्कीम है। इसको श्रीमन् कृषि विभाग देखता है। और लगवाता कौन विभाग है, लघु उद्योग। तो यह दुतर्फा जो राज काज है, वह ठीक से नहीं चलता है। मान्यवर जैसा कि आप भी जानते हैं आजमगढ़ जिला बहुत ही पिछड़ा हुआ है लेकिन आबादी उस जिले की लगभग 30 लाख है जो उत्तर प्रदेश में दूसरे या तीसरे नम्बर पर है।

गोबर गैस प्लान्ट्स जो वहां पर लग रहे हैं, वे बहुत कम यूनिट्स में दिये गये हैं, उनकी तादाद बहुत कम है। इससे भी बढ़ कर एक बात वहां पर हुई है कि जो इस काम को अच्छी तरह से जानने वाला व्यक्ति था उसे 2-3 महीने बाद ही मेरठ स्थानान्तरित कर दिया गया है जो पहले ही बहुत विकसित जिला है। जब इस प्रकार से अच्छे आदमी को वहां से अन्य स्थानों पर भेज दिया जाता है तो वहां पर कैसे काम होगा।

अभी माननीय सदस्य, जिन्होंने कटौती का प्रस्ताव सदन में पेश किया है कहा था कि इस मद में बहुत कम रकम रखी गई है। मैं तो कहूंगा कि ऐसा कहने के बाद भी अगर उन्होंने कहा कि सम्पूर्ण मांग की राशि को घटा कर एक रुपया कर दी जाय तो यह उन्होंने अपने कटौती के प्रस्ताव को ही हास्यास्पद बना दिया है। वास्तव में उन्हें तो कहना चाहिये था कि इस विभाग के लिये सरकार को अधिक से अधिक रकम देनी चाहिये थी ताकि लोगों को अधिक से अधिक रोजगार मिल सके। इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करता हूं।

*श्री गिरिजा शंकर पाठक (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय वीरेन्द्र सहाय जी ने जो कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, उसका समर्थन करता हूं।

मान्यवर, वाराणसी तहसील प्रोपर, तहसील ज्ञानपुर, इलाहाबाद में हंडिया, जौनपुर में मछलीशहर और मिर्जापुर प्रोपर तहसील में 3 लाख मजदूर कालीन सम्बन्धी कार्य करते हैं। यदि माननीय मन्त्री जी वहां पर लघु उद्योग के तहत 10,000 चर्खों का प्रबन्ध कर दें, उन्हें लोन दे दिया जाय, वहां पर काम करने वाली महिलाओं को लोन रा मैटीरियल के लिये दे दिया जाय तो वे बहुत सामान तैयार कर सकती हैं। वहां के बुनकरों को यदि कम ब्याज पर आप लोन दिलाने की व्यवस्था करा दें तो वे कालीन स्वयं तैयार करके अन्तियों को बेच सकते हैं और उससे अपने प्रदेश की तरक्की हो सकती है। वर्ष 1958 में जब विदेशों में कार्पेट की समीक्षा हो रही थी तो भारत का नम्बर तीसरा था और पाकिस्तान का नवां नम्बर था लेकिन वर्ष 1974 में भारत का स्थान नवां था और पाकिस्तान का स्थान तीसरा था। इतनी गिरावट आ गई क्योंकि लघु उद्योग के नाम पर छोटे लोगों ने सहयोग नहीं दिया जिनसे प्रगति हो सकती थी। अगर बढ़ावा दिया गया है तो वह बड़े-बड़े पूंजीपतियों को दिया गया है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हमारे गांव की तरफ उद्योग मन्त्री जी दौरे पर गये लेकिन हमें स्थानीय विधायक होने के नाते पता तक नहीं दिया। वे हमारे गांव में भी नहीं गये। यदि हमें सूचना मिल जाती तो हम मन्त्री जी को ले जाकर दिखाते और उन्हें जानकारी कराते कि गांवों में कहां-कहां क्या हो रहा है। गोपीगंज, भदोही और ज्ञानपुर में लोग अड़तियों से माल ले आते हैं जिन्हें वे मनमाने ढंग से मजदूरी देकर उनसे माल खरीद लेते हैं। मेरी प्रार्थना है कि कोई न्यूनतम मजदूरी तय होनी चाहिए। दूसरे यदि इन बुनकरों को मैटीरियल मिल जाय तो वे अपने आप ही कालीन तैयार कर सकते हैं और अड़तियों को अच्छे दाम पर सकते हैं, इससे सरकार को भी फायदा हो सकता है।

इसी प्रकार से हमारे यहां पर बनारसी साड़ियां भी बनती हैं। उनको बेचकर सरकार फारेन एक्सचेन्ज भी कमाती है लेकिन यदि उन बुनकरों को सस्ते दाम पर रेशम आदि दिया जाय तो उनकी समस्या भी हल हो जाय और प्रदेश का विकास भी हो। आज विदेशों में लगभग 3 या साढ़े 3 करोड़ रुपये की साड़ियां जाती हैं, यदि कच्चे माल की इनको सहायता मिल सके तो इनका भी उत्पादन अधिक हो सकता है। ये गरीब लोग बनारस के अड़तियों के पास से रेशम या सूत लाते हैं और फिर माल तैयार करके उन्हीं को बेच आते हैं, जो मन माने ढंग से रेट लगाते हैं। मान्यवर, हमारे यहां गांवों में मूंगा, मोती और तार की जाली का काम बड़े पैमाने पर लोग करते हैं, अपने खेत वगैरह गिरवी रख कर लेकिन लघु उद्योग के तहत इन लोगों को कोई लाभ नहीं दिया जाता है। यदि सरकार इन लोगों को लोन दे तो उत्तर प्रदेश का नक्शा भी बदल सकता है और लघु उद्योग को बढ़ावा भी मिल सकता है और गरीबी भी मिट सकती है। तीन हजार औरतें चर्खा चलाती हैं। माननीय मन्त्री जी 3-4 सौ रुपये प्रति चर्खा वाली को लोन देने की व्यवस्था कर दें। 50 रुपये में 10 किलो मेड़ के बाल मिलते हैं। 10 रुपये उसकी कताई हो जाती है और 30 रुपये उसकी रंगाई और धुनाई के रख लीजिये। 90 रुपये में 10 किलो ऊन तैयार हो जाती है और बाजार में उनका रेट 20 रुपये किलो है। तो तीन रोज में 110 रुपये चर्खा कातने वाली को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन वह 15-20 मील चल कर मेड़ के बाल लाती है। एक दिन लाने में और एक दिन पहुंचाने में लग जाता है और वह बेचारी गरीबी में अपना लघु उद्योग करती है। माननीय मन्त्री जी बड़े-बड़े आढ़तियों की तरफ ध्यान देना छोड़ कर इन गरीब लोगों की तरफ ध्यान दें। अगर वह कभी बनारस का दौरा करें तो गांवों में जरूर जायं। उनकी सारी कमाई बड़े-बड़े आढ़ती खा जाते हैं। इन शब्दों के साथ मैं समाप्त कर रहा हूं और धीरेन्द्र सहाय जी के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री निसार अहमद अन्सारी (जिला फैजाबाद)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे समय दिया। मन्त्री जी ने जो बजट सदन में प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करता हूं। हमारे इस प्रदेश में सबसे ज्यादा लोग जिस पेशे में लगे हुये हैं वह खेती है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री निसार अहमद अन्सारी]

खेती के बाद अगर आंकड़े देखे जायं और इसका जायजा लिया जाय तो दूसरे नम्बर पर जो सब से बड़ा उद्योग आता है जिसमें प्रदेश की भारी जनता लगी हुई और उससे अपनी रोजी रोटी का साधन कर रही है वह बुनकरी का पेशा है, हैन्डलूम और पावर लूम का। एक बात और मैं यही वाजेह कर देना चाहता हूं कि हथकर्घा और पावरलूम का जो पेशा है यह केवल मुसलमानों से ही सम्बन्धित नहीं है। इस प्रदेश में ऐसे कस्बे और जिले हैं जहां हमारे हिन्दू भाई लोग भी इस पेशे में भारी संख्या में लगे हुये हैं। एक गलत-फहमी आज तक अधिकारियों के दिलो दिमाग में बस गयी है कि बुनकरी का पेशा केवल मुसलमानों से मुताल्लिक है। इसलिये इस पेशे में लगे हुये लोगों के साथ अभी तक सौतेला बरताव होता रहा और इसी तकलीफ और दर्द को महसूस करके हमारे माननीय मन्त्री जी ने 1972 में एक आन्दोलन छेड़ा था और उस आन्दोलन के बाद बुनकरों को राहत देने की तरफ सरकार ने कदम उठाना शुरू किया। एक आयोग की मांग की गयी थी, उसका गठन हुआ। उसकी रिपोर्ट भी सरकार को प्राप्त हो गयी। उस रिपोर्ट में जितनी सिफारिशें की गयी थीं उनमें से बहुतों पर सरकार की तरफ के अमल भी हुआ, लेकिन बहुत सी सिफारिशें ऐसी हैं जिन पर अभी तक सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया है। मसलन किसी भी प्रदेश या देश की जनता के पिछड़ेपन को दूर करने के लिये यह जरूरी है कि जहां उसके लिये रोटी-रोजी का प्रबन्ध किया जाय वहीं तालीम की भी उचित व्यवस्था हो। बुनकरों के बच्चों को पढ़ाई के साधन उपलब्ध कराये जायं। उस कमीशन की रिपोर्ट में भी सिफारिश की गयी है कि बुनकरों के लिये तालीम की सहूलियतें दी जायं। उनको भी तालीम दी जाय। इस सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये। मन्त्री जी से मैं प्रार्थना करूंगा कि वे सरकार में इस चीज पर जितना ज्यादा बल दे सकें दें। पैसे की अगर कमी हो तो कम से कम जूनियर हाई स्कूल तक की ही फ्री तालीम पहले कर दी जाय, उसके बाद और कदम आगे बढ़ाये जायं।

उस रिपोर्ट में यह भी है कि जिनके पास रहने के साधन नहीं है उनको सरकार जमीन दे तथा मकान बनाने के लिये कर्जा दे। इस पर भी अमल होना चाहिये।

इस उद्योग को पैसे की बहुत जरूरत है। कुछ दिन पहले सूत, रेशम तथा स्टेपिल आदि के दाम बहुत ऊंचे हो गये थे। अब कुछ हालत सुधरी है। उसमें सरकार का भी सहयोग रहा है और इनके दाम कम हुये हैं। लेकिन साथ ही साथ तैयार माल के दाम आधे रह गये हैं। इस कारण बुनकरों के सामने बड़ी कठिनाइयां आ गयी हैं। पहले हैन्डलूम को 1500 रुपये तथा पावर लूम को 5000 रुपये तक बैंक कर्ज दे दिया करते थे। अब उन्होंने भी कर्जा देना बन्द कर दिया है। उनका कहना है कि कुछ बुनकरों ने कर्ज का पैसा अदा नहीं किया। हो सकता है कि किसी ने इस सुविधा का गलत इस्तेमाल किया हो, मगर कुछ के कारण सभी को उसका दन्ड मिले यह ठीक नहीं है। जिन लोगों ने वापस नहीं किया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिये और जिस तरह से अन्य बकायाजात की वसूली होती है, इसकी भी वसूली सरकार करे ताकि कुछ लोगों के कारण पूरी बुनकर जात को परेशानी न उठानी पड़े। अगर उनके लिये कर्ज देने की व्यवस्था न की गयी तो यह कारोबार ही खतरे में पड़ जायेगा।

*श्री अब्दुल बाकी (जिला आजमगढ़)--

मोहतरिम, उपाध्यक्ष महोदय, छोटे उद्योगों पर जो हमारे मन्त्री जी ने रिपोर्ट पेश की, उसमें एक कदम और आगे बढ़ते हुये उन्होंने कहा कि यह सरकार बुनकरों के लिये ज्यादा काम देने के लिये कदम उठा रही है। मसलन चिकन का काम या मुरादाबाद में कुछ निगम बनाने का काम। मगर मेरा कहना यह है कि बजट में, जो छोटे उद्योग हैं, उस पर बिलकुल तवज्जह दिया ही नहीं। हमारे प्रदेश में यह काम मामूली काम नहीं है। हमारे प्रदेश में हैंडलूम और पावरलूम में लाखों लोग काम मे लगे हुये हैं। राम सहाय कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक 3 लाख 75 हजार हैन्डलूम हैं जब कि हमारी रिपोर्ट के मुताबिक इस प्रदेश में 5 लाख हैन्डलूम्स हैं और 25 हजार पावरलूम्स हैं। इस प्रकार लगभग 40 से 50 लाख लोग इनमें काम कर रहे हैं और रोजी हासिल करते हैं। हमें देखना चाहिये कि इसकी दिशा क्या है। हमारी सरकार कहती है कि हमने इस ओर कदम बढ़ाया है, या बहुत आगे की तरफ बढ़ना चाहती है? लेकिन आज उस दिशा की हालत क्या है, यानी जो कुछ हम देख रहे हैं, बिलकुल फना की तरफ, खातमे की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं आपको बतलाऊं, बड़ी दर्दनाक कहानी है। इस प्रदेश के 75 फीसदी पावरलूम बन्द हो चुके हैं और 50 फीसदी हैन्डलूम आज मन्दी के शिकार हो कर पड़े हैं। इस प्रदेश के अन्दर 10 करोड़ रुपये का माल हैन्डलूम और पावरलूम का पड़ा है। इस समस्या की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया है। एक भौचाल आया हुआ है बुनकरों के अन्दर, चाहे वे बुनकर मेरठ के हों, चाहे मऊ-आजमगढ़ के हों, हम देख रहे हैं कि वे परेशानहाली के शिकार हैं।

सवाल यह है कि इस समस्या के हल की तरफ सरकार क्या कदम उठा रही है। लाखों रुपये का माल जगह-जगह पड़ा हुआ है। यह ठीक है कि सरकार नुमायशें लगवा रही है और उससे लाखों रुपये के माल की निकासी हो रही है, लेकिन यह समस्या बहुत बड़ी है। एक अरब 12 करोड़ 50 लाख मीटर कपड़ा सालाना हैन्डलूम के जरिये पैदा होता है और इसी तरह से पावरलूम से पैदा होता है लेकिन उनकी निकासी के लिये क्या ठोस कदम उठाया गया है? जाहिर है कि सरकार को उनको खरीद कर सस्ते रेट पर बेंचना चाहिये। जो मिल मालिक सस्ते रेट पर आज कपड़ा सप्लाई कर रहे हैं, मोहतरिम उपाध्यक्ष महोदय, 8 गिरह का मारकीन हमारे मारकेट में आया है जब कि हमारे पावरलूम्स का उससे अच्छा कपड़ा है और सस्ते दामों पर मिल रहा है। सरकार को इनको खरीद कर सस्ते रेट पर मारकेट में बेचना चाहिये। दूसरी बात यह कि हमारे हैन्डलूम की जो कारीगरी है, जैसे तौलिये हैं, बेडशीट्स हैं उनकी अरब मुल्कों में तथा सोशलिस्टिक मुमालिक में बहुत मांग है। जाहिर है कि वहां डेलिगेशन बाहर भेजे जाने चाहिये। मेरे कहने का मतलब यह नहीं है कि उस तरह के डेलीगेशन भेजे जायं जैसे पहले भेजे गये थे जिनमें आई0 सी0 एस0, पी0 सी0 एस0 के लोग थे और जो अमेरिका और जापान से वापस आकर आज तक नहीं बतला सके कि वहां पर कितना माल सप्लाई हुआ। मेरा मतलब तो यह है कि ऐसा डेलीगेशन जाना चाहिये जिसके अन्दर बुनकर लोग हों, सरकार के लोग भी हों, और वे आपस में सलाह करके बतलावें कि बाहर के मुल्कों को माल सप्लाई करने के सिलसिले में क्या कदम उठाने चाहिये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अब्बुल बाकी]

हमारे कुछ मेम्बरों ने कहा कि बुनकरों की तालीम का मसला बहुत अहम है और उस पर तवज्जह दी जानी चाहिये। इस पर मेरा सुझाव यह है कि बुनकरों के बच्चों को ग्रेजुएट तक बिना फीस तालीम दी जाय। जहां तक मुलाजिमत का हाल है, उसमें भी उनकी तरफ ख्याल रखा जाय। हमारे यहां एक जैपुरिया काटन मिल है। जाहिर है कि वहां बुनकरों की आबादी ज्यादा है लेकिन एक भी बुनकर को उसके अन्दर मुलाजिम नहीं रखा गया है। उसके अन्दर एक भी बुनकर को सूत के एलाटमेंट का कोटा नहीं दिया गया है। तमाम बड़े-बड़े व्यापारियों और महाजनो को दिया गया है। इसलिये इसमें सलाह होनी चाहिये। दूसरी बात, सूत से हमारे प्रदेश में सेल्स टैक्स खत्म कर देना चाहिये, जैसे तामिलनाडू, आंध्र प्रदेश, केरल में खत्म किया गया है। एक बात और कहना चाहता हूं, वह बुनकर कालोनियों के बारे में है। बनारस बुनकर कालोनी का मसला हल किया जा रहा है। मऊ में भी कालोनी है। जिस पैमाने पर आपने बनारस में बुनकर कालोनी का मसला हल किया है उसी तरह से मऊ में भी इस मसले को हल करें।

श्री उपाध्यक्ष--

अब आप समाप्त करें। समय समाप्त हुआ।

श्री मुहम्मद हयात (जिला मुरादाबाद)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे लघु उद्योग के बजट पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, मैं इस बजट का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, यह उत्तर प्रदेश जो घरेलू उद्योगों का एक गढ़ है और उन घरेलू उद्योगों में हैन्डलूम और पावरलूम एक बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। लेकिन प्रदेश की आर्थिक स्थिति हमें इस बात की इजाजत नहीं देती है कि हम इन घरेलू उद्योगों को कम करें या उनमें इजारेदारों को काबिज होने का मौका दें। मान्यवर, हैंडलूम और पावरलूम के साथ एक नयी समस्या सामने खड़ी है। वह समस्या है हैन्डलूम और पावरलूम पर इजारेदारी और पूंजीपति जो है कब्जा किये हुये हैं, इस उद्योग को खत्म करने की बात सोच रहे हैं। मान्यवर, हैन्डलूम और पावरलूम के साथ एक और समस्या भी है और वह है नम्बर 2 रा-मैटीरियल का न मिलना। कच्चे माल का उपलब्ध नं0 2 जो माल तैयार होता है उसकी निकासी का प्रबन्ध न होना। इसके साथ-साथ एक समस्या और भी है और वह है हैन्डलूम को पावरलूम खाये जा रहा और पावरलूम को क्लाथ मिल यानी कपड़े की मिलें खाये जाने का प्रयास कर रही हैं। अगर सरकार ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया तो आप देखेंगे कि एक बहुत बड़ा झगड़ा खड़ा हो जायगा।

(एक सदस्य के सदन में कुछ सदस्यों को पर्चा वितरित करने पर)

श्री उपाध्यक्ष--

यहां सदन में परचे नहीं बांटे जायेंगे। माननीय सदस्य अपना स्थान ग्रहण करें, यहां परचे नहीं बांटे जायेंगे।

श्री मुहम्मद हयात--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार को कुछ सुझाव देना चाहता हूं। पहला नो यह कि हैन्डलूम पावर लुम, और मिलों को, तीनों को मिलाकर अपने नेतृत्व में एक कमेटी

का गठन करें। उसके जरिये ऐसी व्यवस्था की जाय कि जो माल हैन्डलूम वाले बनाते हैं वह पावरलूम वाले न बनायें। जो माल पावर लूम वाले बनाते हैं वह माल मिल मालिक न बनायें। अगर इस तरह की व्यवस्था की जायगी तो जो गरीब जनता है उसको राहत मिलेगी और तीनों उद्योग भी चलते रहेंगे।

दूसरा सुझाव है जो माल सरकार अपने काम के लिये परचेज करती है, कपड़ा लेती है, अपने प्रयोग के लिये खरीदती है उसका कम के कम 50 प्रतिशत कपड़ा हैन्डलूम और पावरलूम वालों से खरीदा जाय।

तीसरे मान्यवर, मेरा सुझाव है कि पावरलूम पर केन्द्रीय सरकार की ओर से जो 10 रुपये से 200 रुपये की इक्साइज ड्यूटी बढ़ायी गयी है उसके लिये कम से कम उत्तर प्रदेश की सरकार केन्द्रीय सरकार से आग्रह करे, निवेदन करे कि ऐसी यूनिटें जहां कम से कम 4 यूनिट हैं उन पर इक्साइज ड्यूटी जो पहले थीं, 10 रुपया वही, लगायी जाय और जो ऐसी यूनिटें हैं जहां 4 से ज्यादा यूनिटें हैं वहां पर 200 रुपया प्रति यूनिट ले।

चौथा सुझाव यह है कि विदेशों से हमारे कपड़े का व्यापार होता है। इस देश का कपड़ा बाहर जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है। उसमें सरकार ऐसी व्यवस्था करे कि हैन्डलूम और पावरलूम का कपड़ा जो सरकारी एजेन्सियों द्वारा विदेशों को बिकने के लिये भेजा जाये और साथ में जो प्रतिनिधि मन्डल इस देश के विदेशों को जाते हैं व्यापार वार्ता करने के लिये, तो उनमें बुनकरों के भी प्रतिनिधि होने चाहिये।

मान्यवर, आखिरी बात यह है कि सरकार बुनकरों के राहत के लिये प्लानिंग करती है लेकिन उस पर अमल नहीं होता है। इसलिये एक ऐसी कमेटी का गठन सरकार द्वारा किया जाय जो यह मालूम करें कि जो प्लानिंग बुनकरों के लिये सरकार ने अभी तक किया उस पर अमल हुआ है कि नहीं। इसके साथ मैं पुन: इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

*श्री भामी (जिला आजमगढ़)—

उपाध्यक्ष महोदय, लघु उद्योग मन्त्री जी द्वारा जो अनुदान पेश किया गया है उसके विरोध में और जो कटौती का प्रस्ताव है उसकी मन्शा को देखते हुये उसके समर्थन में मुझे निवेदन करना है।

श्रीमन्, यह भली भांति विदित है कि अपने देश और प्रदेश में आमदनी के साधनों में उद्योग का बड़ा महत्व है। 27 साल आजादी के बाद भी आज बड़े उद्योग छोटे उद्योगों का हक लेकर बैठे हुये हैं। गांधी जी और डा0 लोहिया कहते थे कि जब तक लघु उद्योग नहीं बढ़ेगा तब तक मुल्क की बेकारी में कमी नहीं आयेगी। लेकिन 27 सालों में इस सरकार ने बड़े उद्योगपतियों और बड़े उद्योगों को ही बढ़ाया और लघु उद्योगों में कमी किया। मैं मन्त्री जी को साफ बता देना चाहता हूं कि आपका जो प्रस्ताव है ग्राम और लघु उद्योग पर खर्च करने का तो यह भलीभांति विदित है कि करीब गांव में 80 फीसदी आदमी गरीब रहते हैं। हमारे आजमगढ़ में बुनकर लोग और पिछड़ी जाति के लोग हैं जो बुनकर कहे जाते हैं उनकी बड़ी इच्छा हुई कि आजादी मिलने के

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री भामी]

बाद हमारा उद्योग बढ़ेगा, सरकार हमको बढ़ावा देगी। लेकिन आपको जानकारी देना चाहता हूं कि जो हालत छोटे उद्योगों की थी वह और मर गयी है। जो हरिजन कपड़े का उद्योग करते थे उनको विशेष सहायता नहीं की गयी और कुटीर उद्योगों को नहीं बढ़ाया गया। इसलिये मैं कह देना चाहता हूं कि जिस क्षेत्र से मैं आता हूं उसमें मुबारक नगरपालिका का चर्चा कर देना चाहता हूं। वहां मुसलमान बुनकरों की जन संख्या है। वह पावर लूम और हथकर्घा के बारे में चाहते हैं कि सरकार की तरफ से सूत की व्यवस्था हो, लेकिन आज तक कोई व्यवस्था नहीं हुई। जो बुनाई से माल तैयार हो उसके खपत की सरकार व्यवस्था करे लेकिन वह नहीं हुई। विदेशों से सूत मंगाना पड़ता है लेकिन सरकार की ओर से व्यवस्था न होने के कारण बीच में दलाल लोग काफी पैसा खा जाते हैं। आजमगढ़ में बुनकरों की संख्या ज्यादा है उसमें 1/4 हरिजनों के बेकार लोग बुनाई का काम मजदूरी पर करते हैं। उनके घर पर हथकर्घा की व्यवस्था नहीं है जिससे वह अपना काम कर सकें।

पिछड़ी जाति के जो लोग हैं जिनके पास आमदनी का जरिया नहीं है, उनके पास खेत नहीं हैं, नौकरी नहीं है, यह लोग तरसते हैं कि हमारे लिये कोई उद्योग करने की व्यवस्था हो जाय जिससे आमदनी का जरिया बन सके। क्योंकि समय कम है इसलिये में अधिक न कह कर इतना निवेदन आपके जरिये मन्त्री जी से करना चाहता हूं कि जिन क्षेत्रों का जिक्र मैंने किया है उनकी तरफ आप ध्यान दें। एक कहावत है कि समुद्र में पानी बरसता रहा रेता बेचारा तरसता रहा। इसलिये जो छोटे लोग हैं उनको बहुत परेशानी है। उनके लिये आप सहूलियत दें और छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन दें। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव की मंशा का समर्थन करता हूं।

श्री मोहम्मद शकील अहमद (जिला लखनऊ)—

माननीय उपाध्यक्ष जी, मन्त्री जी, ने जो प्रस्ताव रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं। जो बात कटौती के प्रस्ताव में माननीय सदस्य ने रखी है वह महज एक रस्म है। वैसे उन्होंने भी बोलते हुए कहा कि यह होना चाहिए वह होना चाहिये। इस सबके लिये पैसा चाहिये और इसलिये उनकी भी मंशा नहीं है कि कटौती की जाय। यह तो एक बात है। मैं कुछ खास बातों की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। इस विभाग में भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर है, अगर किसी को प्राइज दिया जा सकता है तो यही विभाग है जिसको पहला इनाम दिया जा सकता है। पिछले वर्षों में इस विभाग के माध्यम से हजारों-लाखों रुपये का कर्जा बांटा गया लेकिन जिनको रुपया दिया वह इन्डस्ट्री नहीं है और उन लोगों का पता चल रहा है। मुझे सरकार से कहना है कि जिन लोगों ने हजारों रुपया, लाखों रुपया की गड़बड़ी करायी उनको क्या सजा दी? वह अधिकारी आज भी वहीं बैठे हैं। दूसरी तरफ आप कहते हैं कि हम यह यह करने जा रहे हैं। आपने कहा कि रोजगार देंगे। मैं बड़े अदब से कहना चाहता हूं कि आगे कदम बढ़ाने के बजाय इस विभाग के अन्दर और छोटी इन्डस्ट्री के अन्दर जो बेसिक प्राबलम्स हैं पहले उनको हल करें और फिर आगे कदम बढ़ावें। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान चिकन की ओर दिलाना चाहता हूं क्योंकि मन्त्री जी ने चिकन का जिक्र किया। लखनऊ राजधानी है, यहां सरकार है, मन्त्रियों के बंगले हैं। लेकिन लखनऊ जिन उद्योगों के लिये जाना पहचाना जाता था पिछले वर्षों में वह

बरबाद हो गये। कामदारी, चिकन, मिट्टी के बर्तन, परदे जो बाहर जाते थे और ढाका की मलमल का मुकाबला करते थे वह सब खत्म हो गये। सरकार ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया।

चिकन के बारे में एक दिलचस्प बात कहना चाहता हूं। मोतीमहल में गोमती के किनारे एक चिकन का सेन्टर बनाया गया है। पर्देनशीन औरतें वहा पर काम लेने के लिये आती हैं। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, वह लखनऊ का पश्चिमी क्षेत्र है। वहां 80 प्रतिशत औरतें चिकन बनाती हैं। कौनसा लाजिक है कि 5 मील चलकर वे मोतीमहल में काम लेने के लिये आयें? क्यों इतनी दूर यह स्थान रखा गया? बड़ी कोशिश इस सम्बन्ध में की, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। सुचेता कृपालानी ने जिस वक्त सेन्टर को खत्म किया, उसके पहले अब्दुल अजीज रोड पर सेन्टर था जिसके कोई सिद्दीकी साहब इन्चार्ज थे। कितने का काम दिया गया? कितनी औरतें को मिलता रहा? जिनका कोई मतलब चिकन से नहीं, जो गांठ तक नहीं लगाना जानतीं, उनको सारा काम दिया जाता है और हजारों रुपये का कपड़ा गड़बड़ में पड़ा है। इस बात की ओर सरकार का ध्यान जाना चाहिये।

मैं तो यह भी कहना चाहता हूं क्यों नहीं आप चिकन का निगम बनाते? हमारे चिकन की मांग फ्रान्स, इंग्लैन्ड और अमेरिका आदि में है। आज स्थिति यह है कि कितने लोग उगाही का काम चलाते थे, चांदी सोने का काम करते थे, वे सभी चिकन का व्यापार करने लगे हैं। मुझे बस इतना ही अर्ज करना था।

श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, यह सभी को मालूम है कि हमारा प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है। यह भी सभी को मालूम है कि कृषि में लगे हुये किसान तब तक नहीं पनप सकते जब तक लघु उद्योग पर नहीं जोर दिया जायगा। बापू ने बार-बार इस पर जोर दिया कि कुटीर उद्योगों का जब तक विकास नहीं होगा गांवों की हालत नहीं सुधरेगी। वैसे तो इस सरकार ने कुटीर उद्योग के लिये एक बहुत बड़ी फौज खड़ी कर रखी है, जिसका प्रदर्शन आप लोग देखा करते हैं। नाम तो कुटीर उद्योग और लघु उद्योग का होता है, लेकिन फायदा उससे केवल बड़े अफसरों और बड़े आदमियों को होता है।

आज बुनकरों की हालत देखें तो मालूम होगा कि इनकी हालत कितनी दयनीय है। ये बेचारे अपनी उस कारीगरी से, जिससे कि पहले खुशहाल रहा करते थे, आज भूखों मर रहे हैं। उनकी मजदूरी नहीं बढ़ायी गयी। कपड़े का दाम काफी बढ़ गया, लेकिन उनकी मजदूरी नहीं बढ़ी। मिल से जो सूत तैयार होता है, वह सीधे बुनकरों को नहीं मिलता। मुझे याद है, आज से 4 साल पहले हमारे माननीय लघु उद्योग मन्त्री जी, जो संघर्ष समिति बनी थी, उसके एक सेनानी थे। हम लोगों को यह आशा हुयी कि चूंकि यह काम अब एक सेनानी के हाथ में गया है, बुनकरों को लाभ होगा। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज भी हालत वही है। आज भी मिल मालिकों द्वारा सूत बनाकर आढ़तियों को दिया जाता है। वे मनमाने ढंग से उसके दाम चार्ज करते हैं। जब कपड़ा और कालीन तैयार होता है, तो फिर उसे कम दाम पर आढ़तियों को दे देना पड़ता है, जो दूने-ढाई गुने दाम पर बेंचते हैं, और बुनकर बेचारा सही कीमत भी नहीं पाता। सरकार की

[श्री अब्दुल रऊफ लारी]

इतनी बड़ी मशीनरी है जिसमें तमाम कर्मचारी और अधिकारी लगे हुये हैं। कोई व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं कि सीधे कच्चा माल बुनकरों को मिले और जो माल वे तैयार करें, वह गवर्नमेंट के माध्यम से या सीधे कोआपरेटिव से बेचवाया जाय और उसका मिल के साथ जो मुकाबिले कम्पटीशन हैं, उससे बुनकरों की रक्षा की जाय। हमारे चौधरी साहब का भी यही कहना है कि जब तक मिलों से कम्पटीशन से गृह उद्योग को नहीं बचाया जायेगा, तब तक सफलता नहीं मिलेगी। हमारे एक साथी ने ठीक ही कहा कि करघों को पावरलूम खाते जा रहे हैं और पावरलूम को बड़े-बड़े मिल मालिक निगलते जा रहे हैं।

मान्यवर, भ्रष्टाचार की बात कही जाती है लेकिन भ्रष्टाचार खाली कहने से खत्म नहीं होता। जो बात सामने आ जाती है उस पर मजबूती से कार्यवाही नहीं होती है। कानपुर की हालत पहले से ही बड़ी खराब थी। संघर्ष समिति ने बड़ा जोर लगाया लेकिन जो माहौल पहले था वही आज भी है और जो अधिकारी अथवा कर्मचारी थे जिनके खिलाफ शिकायतें थीं आज भी बने हुये हैं। हमको कहते शर्म आती है लेकिन सुनने वाले को नहीं आती कि गांधी जी के इस पवित्र संस्थान में शराब पीने वाले, जुआ खेलने वाले भरे पड़े हैं लेकिन मन्त्री जी कुछ कर नहीं पाते, मजबूर हैं कुछ करने के लिये। चार-चार दफा ट्रान्सफर होते हैं लेकिन वे कार्यान्वित नहीं हो पाते। इन गरीबों को कौन सुनेगा और कैसे इन गरीबों की तरक्की होगी। इलाहाबाद में शुगर केशर लगाया गया। 6 लाख रुपया उसके लिये दिया गया। कहने को तो उद्योग है और धार्मिक संस्थान है लेकिन बड़े-बड़े लोग प्रेसीडेन्ट व सेक्रेटरी हैं। शुगर खांडसारी कौन कहे वहां गुड़ बनाया जाता है। गुड़ का अनुदान मिलता है लेकिन बजट आप देखे तो 2 परसेंट भी वहां नहीं मिलता। 98 परसेंट बाहर चला जाता है। जहां गरीबी है, पिछड़ापन है, गृह उद्योग तथा कुटीर उद्योगों की जरूरत है वहां कोई सुनने वाला नहीं है। दो चार महीने खेतों में मजदूरी करने के बाद वे बेकार होते हैं, भूखे रहते हैं जब कि वहां रा मेटीरियल भरा पड़ा है? चमड़ा, कागज और बांस भरा पड़ा है। सुझाव दिये जाते हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। मेरा यह दावा है कि यह जो बड़ी फौज कर्मचारियों व अधिकारियों की है इसे हटाकर गरीबों में रुपया तकसीम किया जाय, गृह एवं कुटीर उद्योग लगाये जायं तो इतने ही पैसे से बड़ी सफलता के साथ काम हो सकता है लेकिन सारा पैसा वेतन तथा भत्ते पर खर्च हो जाता है अथवा कर्जों में चला जाता है। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री अम्बिका प्रसाद सिंह (जिला सुल्तानपुर)—

मैं मन्त्री महोदय द्वारा प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करता हूं। कृषि के बाद यदि कोई बेकारी को दूर करने का साधन है, तो वह लघु उद्योग है उद्योग मन्त्री को ही यदि बल मिलता और उनके अनुदान में कटौती न करके उसमें वृद्धि करने का प्रस्ताव लाया गया होता तो ज्यादा अच्छा था। मैं सुल्तानपुर के बारे में कुछ सुझाव रखूंगा जो एक पिछड़ा हुआ इलाका है। वहां का बना बर्तन एक्सपोर्ट होता था लेकिन आज उसकी बुरी स्थिति है। वहां अलग से एलेक्ट्रोप्लान्ट लगाकर बर्तन उद्योग को बढ़ाया जा सकता है। वहां निहालगढ़ में नरी का जूता मशहूर था, वह आज भी बनता है लेकिन उसे कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जा रहा है। अलीगंज से ट्रक का ट्रक कानपुर चमड़ा लेकर जाते हैं। वहां चमड़ा पकाने का काम हो सकता है। सुल्तानपुर में मूंज का कार्य भी होता है इतना जितना कि उत्तर

प्रदेश में कहीं नहीं होता लेकिन आज उसको प्रोत्साहन नहीं दिया जा रहा है। इसके अलावा खरीदारों के जरिये काम करने वालों का जो शोषण होता है उनसे यह सरकार मुक्ति नहीं दिला सकी।

मेरा क्षेत्र इसीलिये इतना पिछड़ा हुआ क्षेत्र है कि वहां के सारे के सारे लड़के हमारे पास आते हैं कि हमको नौकरी चाहिये। मैं जानता हूं कि सरकार उनको नौकरी नहीं दे सकती है। उनको काम देना जरूरी है। इसके लिये आपको नियम बनाने होंगे कि जो ऋण या अनुदान आप उनको देते हैं वह सुलभता से उनको मिल जाय। इस तरह उन्हें रोजगार देने की कठिनाई दूर हो सकती है। कानपुर में राइस प्रशोधन और दाल प्रशोधन की मशीन है। यह मशीन 8-10 हजार रुपये में मिल जाती है और सैकड़ों लोगों को इससे रोजगार मिल सकता है। मैं समझता हूं कि ऐसा करने से उन लड़कों को 5 सौ—6 सौ की मासिक आमदनी हो जाती है। नौकरी न ढूंढ़ते। हमारा यह उद्योग मन्त्रालय यदि इस प्रकार के उद्योगों को प्रोत्साहन दे तो मैं समझता हूं कि हम काफी प्रगति कर सकते हैं। यदि हम 10,20,50 लोगों को ही इस काम में लगा सकें तो मैं समझूंगा कि हम अपने कार्य में सफल हो गये। इसके साथ ही मूंज का काम हमारे यहां होता है। इसको भी बढ़ावा देकर काफी रोजगार लोगों को दिलाने की व्यवस्था हो सकती है। हमारे यहां मोटी सीप अधिक मात्रा में पायी जाती है जिसके बटन बनाये जा सकते हैं और अच्छा उद्योग उससे चलाया जा सकता है। मैंने इक्सपर्ट्स को यह सीप के बटन जांच के लिये भेजे थे। जिन्होंने इन सीपों को उत्तम माना है। यह बटन नाइलोन के बटनों से अच्छे साबित हो सकते हैं। साथ ही हमारे क्षेत्र में मसरून अशरूम (भुंइफोड़) की भी खेती की जा सकती है। यह भी उद्योग की भांति चलाया जा सकता है। यह काम गांवों में भी हो सकता है। दाल प्रशोधन और फल संरक्षण का काम सुल्तानपुर में अच्छा हो सकता है। इस प्रकार छोटे-छोटे उद्योग लगाकर किसानों को और बेरोजगारों को काम पर लगाया जा सकता है। इन शब्दों के साथ मैं उद्योग मन्त्री द्वारा प्रस्तुत अनुदानों का समर्थन करता हूं।

श्री शिव सम्पत्ति राम (जिला मिर्जापुर)—

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में बोलने का मौका दिया। मान्यवर, मैं लघु उद्योग की मांगों के कटौती के प्रस्ताव पर बोल रहा हूं प्रदेश में कुल 27 हजार छोटे उद्योग हैं जिनमें कि 35 प्रतिशत जाली हैं। आप समझें कि गरीबों से पैसा लिया जाता है और इस तरह से जाली काम होता है। मैं आपको आंकड़े दे सकता हूं कि हजारों जाली उद्योग प्रदेश में चल रहे हैं। मेरे पास "स्वतन्त्र भारत" है जिसमें इसका विवरण दिया है। समय कम है, इसलिये उसे नहीं पढ़ूंगा। कुटीर उद्योग को गांवों में चलने चाहिये थे, वे बड़े बड़े लोगों के हाथ में दिये हुये हैं। बिड़ला को दिये हुये हैं। हमारे यहां बेरोजगारी की समस्या है, लोगों को जमीन नहीं मिलती, नौकरी नहीं मिलती, कोई उद्योग धन्धा उनके पास नहीं है। इसलिये सरकार को खासतौर पर कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना चाहिये और उनको काम दिलाना चाहिये।

खादी बोर्ड के बारे में लिखा है कि लाखों रुपये का उसमें इम्बैजिलमेंट है। मेरे पास दिनांक 7 दिसम्बर, 1974 का "पाइनियर" है इसमें लिखा है कि कितने रुपये का इम्बेजिलमेंट है। दुद्धी में एक विशिष्ट जाति पनिका थी जो कि खद्दर बनाती थी। उनको सरकार ने सूत नहीं दिया जिसकी वजह से वे सब बेकार हो गये। उनका जीवन मुश्किल

[श्री शिव सम्पत्ति राम]

में हो गया। सरकार को उनकी तरफ ध्यान देना चाहिये। हमारे क्षेत्र में बांस अधिक मात्रा में मिलता है। वहां पर इस हेतु सरकार लघु उद्योग लगा कर वहां के लोगों को काम पर लगा सकती है। कोई ट्रेनिंग भी वहां पर नहीं दी गई जिससे वहां के लोग लाभान्वित हो सकें। दुद्धी के अन्दर महुआ का तेल, सरसों का तेल आदि हर चीज मिलती है लेकिन सरकारी तेल पेरने का कोई कारखाना नहीं है। इसकी व्यवस्था सरकार को करनी चाहिये, साबुन बनाने का काम सरकार ने बड़े-बड़े उद्योगपतियों को दिया है। इससे वे ही लोग लाभान्वित हो सकेंगे इस प्रकार सरकार को समाजवादी नारा झूठा और गलत हो जाता है। हमारे यहां बहुत जंगल हैं उन पर आधरित कच्चे माल के लिये कोई उद्योग नहीं लगाया, इस पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया।

चुनार में मिट्टी के वर्तन सबसे अच्छे बनते थे जो कि हिन्दुस्तान में मशहूर थे जब से सरकार ने उसे अपने हाथ में कर लिया तब से कुम्हार बेकार हो गये और वह कुटीर उद्योग भी समाप्त हो गया। तो उसका नतीजा यह हुआ कि उनको प्रोत्साहन मिलना बंद हो गया और बर्तन बनने भी बंद हो गये।

बोगस फर्मों की बात बताता हूं और उनके नाम से कोयला जाता है वह ब्लैक में बिकता है यह 20 नवम्बर के पेपर में छपा है। तो वह बड़े-बड़े लोगों को दे दिया जाता है वह छोटे छोटे उद्योगों को नहीं मिल पाता है। पेपर की कटिंग मैं दे सकता हूं जिसमें यह छपा है।

श्री उपाध्यक्ष--

आपका समय समाप्त हो गया।

श्री शिव सम्पत्ति राम--

इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री भगवती प्रसाद (जिला फैजाबाद)--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान इस प्रदेश के लघु उद्योग की ओर ले जाना चाहता हूं। इस प्रदेश में लोगों का प्रथम कार्य कृषि है फिर दूसरे नम्बर पर लघु, या हथकरघा आता है। आज सौभाग्य से इस विभाग के मंत्री जो उसी वर्ग के हैं जिस वर्ग के आज 15 लाख आदमी उस उद्योग धन्धे में लगे हुए हैं।

मान्यवर, एक मेरे दोस्त ने कहा कि मंत्री जी बराबर उधर ध्यान ले जाते हैं। उन्होंने सन् 1972 में एक बहुत बड़ा जलसा उत्तर प्रदेश में किया था बुनकरों का लेकिन दुर्भाग्य से या सौभाग्य से कहिये वह मंत्री हो जाने के बाद जिस वर्ग पर वह घड़ों आसू बहाते थे वह भूल गये मैं जिस क्षेत्र से चुन कर आता हूं वहां पर 15 हजार से भी ऊपर बुनकर हैं। उन्होंने वहां पर एक तकरीर की थी तो उस तकरीर के दौरान मैंने कुछ प्रश्न किये थे। उस वक्त मालूम हो रहा था कि वह उनकी (बुनकरों) समस्या हल कर देंगे। मैं उनकी जानकारी के लिये एक बात की तरफ ध्यान ले जाना चाहता हूं यह जो बजट में बड़े-बड़े आंकड़े दिये जाते हैं तो मैं पूछना चाहता हूं बुनकरों को आपके बजट का एक चौथाई हिस्सा भी रुपया नहीं मिलता है। मैं आंकड़ों में नहीं जाऊंगा क्योंकि समय कम है। तो जितना बुनकरों को पैसा नहीं मिलता है उसका सौगुना बड़े-बड़े अधिकारियों को मिलता है।

मैं उद्योग कमेटी का सदस्य भी था मैंने सुझाव दिया था माननीय मंत्री को कि आपके विभाग में इस तरह के अधिकारी हैं। इस तिलक हाल में जिस समय मीटिंग हो रही थी तो मंत्री महोदय ने इशारा किया था अपने अधिकारी की तरफ कि आप उनसे अलग से बात कर लें। तो जब अलग से बात की तो उस अधिकारी नेकहा जो कारपोरेशन के मैनेजर हैं वह मेरे रिश्तेदार हैं आप भगौती सिंह जी उन्हें बक्स दीजिये। तो यह भ्रष्टाचार की बात है। तो पांच साल में उन्होंने कम से कम 10 लाख रुपये छोटे कारखाने चलाने वालों से कमा लिये जबकि मैं 3 साल से मुतवातिर कह रहा हूं। विधायक नहीं था, उस समय से ही कहता रहा हूं। जब आपने उच्च अट्टालिकाओं और तिजोरी वाले सेठों की आपने दावत खाई थी, लेकिन आप बात करेंगे हथकरघा उद्योग की। टांडा में पावरलूम तो जरूर हैं, लकिन वह किनके हाथ में हैं, यह भी तो आप देखिए, जिनके हाथ में लाखों की मिल्कियत है। जैसा कि एक सदस्य ने कहा आज हथकरघा उद्योग वास्तव में नेस्ताबूद होने जा रहा है। आप बाराबंकी का हाल देखिए, पश्चिमी जिलों की हालत देखिए। मैं अपने जिले की बताता हूं जहां आपने सेठों की दावत खाई, जिन सेठो की मीटिंग में आपने मुर्ग—मुसल्लम खाया, वहां पर के गरीब लोगों की आप असली हालत नहीं जानते हैं। आज आप का विभाग कलंकित है, आपका विभाग विलकुल दोजख में जा रहा है। जहां पर गरीब मुसलमान जो इसकी रोजी करतेहैं, उनके पेट पर आपने और आपके विभाग ने लात मारी है।

बुनकरों की आज वह हालत है जो आपके समझ के बाहर की चीज हो गई है, जब आपने उनका जलसा किया था तो आपको चारों ओर से घेरे रहने वाले दूसरे ही लोग थे, जिनके पास लाखों रुपया है। उन्होंने आपको अच्छी तरह से समझ लिया। जिनकी 3—3 लाख की अट्टालिकाएं टांडा में खड़ी हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जलालपुर में इतने बुनकर हैं, जिसका कुछ कहना नहीं। अकबर पुर में जलालपुर से आधे भी पावरलूम नहीं हैं। यह अवश्य है कि टांडा में ज्यादा हैं। आपने अकबर पुर के लिये बिजली का इन्तजाम कर दिया, लेकिन जलालपुर को जहां से मैं चुनकर आया हूं और चूंकि मैं विरोधी पार्टी से चुनकर आया हूं, इसलिये बिजली देने के मामले में वहां आपने बहुत ज्यादती की है। इसके लिये मैं दो-दो बार मुख्य मंत्री के यहां डांटा गया। मैंने अपने लिए नहीं, मैंने तो आपके ही वर्ग के मुसलमानों के लिये जद्दोजहद की, कोशिश की जो बेचारे अन्य कोई रोजगार नहीं कर सकते हैं। उनको आपने बिजली दिया 11 बजे से सुबह 7 वजे तक। मैं कहना चाहता हूं——मंत्री जी आप इ र मेरी तरफ मुखातिब हों——

श्री उपाध्यक्ष——

आपका समय समाप्त हो गया।

श्री भगवती प्रसाद——

मंत्री जी मेरी बात पर गौर नहीं कर रहे हैं. वह इधर मुखातिब हों (फिर भी मंत्री जी के माननीय सदस्य की बात पर ध्यान न देने पर) श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है——

श्री उपाध्यक्ष——

आप भाषण कर रहे हैं या व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं, आपका समय समाप्त हो गया, कृपया आप बै जायं।

श्री भगवती प्रसाद---

मंत्री जी को मुझे सुनना चाहिये। मैंने प्रार्थना की है अगर आपसे फिर कहता हूं कि वहां पर जलालपुर में 6 बजे से बिजली दी जाय, भले ही फिर उतनी बिजली बाद में आप काट लें।

अब समय नहीं है, इसलिये मैं इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री धर्मपाल सिंह (जिला अलीगढ़)---

मान्यवर, मैं लघु एवम् कुटीर उद्योग के बजट के समर्थन में खड़ा हूं। मान्यवर, जहां तक लघु उद्योग का सवाल है इसमें छोटे-छोटे उद्योग में जैसे हथकरघा विभाग है, उसमें एक बहुत ही सराहनीय कार्य उन लोगों के लिये हो रहा है जो कि गरीब हैं, भूमिहीन हैं, खेतिहर मजदूर हैं, क्योंकि उनको इससे काम मिलता है। इससे इनके बाल बच्चों को रोटी मिलती है इसमें करीब 15 लाख आदमी काम करते हैं और परिवार पलते हैं। मैं इस सिलसिले में कहना चाहता हूं कि बनारस की साड़ियां, हाथरस के गलीचे और प्रदेश के शहरों और ग्रामों में लघु उद्योगों के द्वारा हाथकर्घा का काम किया जा रहा है जिससे तमाम लोगों को रोटी रोजी मिलती है।

(इस समय 4 बजकर 20 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

मैं यह कहना चाहता हूं कि हाथरस के गलीचे के उद्योग को तेजी से चलाया जाये यह प्रदेश में ही नहीं सारे देश और विदेशों में भी जाते हैं तथा बनारस की साड़ियां और अंगौछे वगैरह जो चीजें तैयार होती हैं जो देश के लोगों के इस्तेमाल में आती है, इनमें तेजी लाई जाये। तमाम देश के लोगों के लिये भलाई के काम हो रहे हैं। सरकार बहुत सराहनीय कार्य कर रही है। ऐसे लोगों को इनसे रोजी मिलती है जिनको कोई पूछने वाला नहीं है, खेती में उनको काम नहीं मिलता है तो लघु उद्योगों के द्वारा हरिजनों और बुनकरों को इससे काम मिलता है। मैं कहना चाहता हूं कि इस विभाग को और तेजी से चलाया जाये जिससे हर प्रकार के कामों को लिया जा सके। हाथरस के वाकू, अलीगढ़ के ताले और खुर्जा की जो क्रॉकरी है, इन सब चीजों को गांवों में पहुंचाया जाये ताकि बेकारी दूर की जा सके।

इनकी छोटी-छोटी इकाइयां बनाइये और रुपया देने की व्यवस्था करिये जिनको बैंक रुपया नहीं देता है उनको सहकारी समितियों के द्वारा व्यवस्था की जाय और सहकारी समितियां बनाई जायें। जिन लोगों के पास कोई जमीन नहीं है उनको भी सहकारी समितियों से रुपया दिलाया जाये। इस विभाग के अधिकारी तहसील के क्षेत्र में तथा ब्लाक के क्षेत्र में सहकारी समितियां बनायें और इनको रुपया उचित ब्याज पर दिलाया जाये जिससे गरीब आदमी भी रुपया ले सकें। जब तक इनके पास रुपये की व्यवस्था नहीं होगी तब तक पूरा काम नहीं हो सकता है। इसके अलावा और भी उद्योग हैं जैसे चमड़े का उद्योग है। ऐसे उद्योग में काम करने वालों को भी रुपये दिलाने की व्यवस्था की जाये। यदि इनके पास रुपया होगा तो निश्चय ही इस विभाग की भी तरक्की होगी और प्रदेश की आय बढ़ेगी तथा गरीबी अमीरी की खाईं भी पटेगी। जब तक कोई रोजगार इन्सान को नहीं मिलता है तब तक उसकी हालत सुधर नहीं सकती है। हर गांव और हर तहसील में ऐसा जाल बिछाया जाये जिससे गरीब लोगों को रोटी रोजी मिल सके। सरकार ने बहुत कुछ किया है। इस विभाग को और तेजी से चलाया जाये। मैं इन शब्दों के साथ बजट का समर्थन करता हूं और मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री हरिकेवल (जिला देवरिया)—

अध्यक्ष जी, जो यह बजट सदन के सामने प्रस्तुत है मैं इसके कटौती के प्रस्ताव के पक्ष में बोल रहा हूं। समूचे प्रदेश में लघु उद्योग जिस भावना से चलाये जा रहे हैं वह केवल मंत्री जी के ही कागज में फल फूल रहा है। आज लाखों मजदूर जो अपना जीवन लघु उद्योगों के माध्यम से व्यतीत करते हैं आज वह केवल कागज में उसको रोजी मिल रही है। उसको सरकार की तरफ से कोई अनुदान इस रूप में नहीं मिल रहा है कि वह अपना उद्योग लगाये और अपने बच्चों का पालनपोषण करे, बल्कि सरकार उन्हीं लोगों को उद्योग चलाने केलिये धन देती है जोद रबार करते हैं और कागज के खाने की पूर्ति करके नीचे से ऊपर तक अफसरों का दरबार और मंत्री जी का दरबार करते हैं। जहां तक देवरिया जिले की बात है देवरिया जिले में उद्योग कई जगहों पर कागज में है और मौके पर कुछ नहीं है, इमारत और केवल वह इमारत आज से नहीं करीब 8—8, 10—10 वर्षों से खड़ी है, लेकिन वह केवल कागजों पर है। करोड़ों रुपया अनुदान मिला हुआ है, उन लोगों को, लेकिन आज उसमें कोई पैदावार हो, उसमें काम हो, वह नहीं है। हमारे यहां एक शुक्ला जी की फैक्ट्री रबर पैदा करने के लिए खोली गई, लेकिन वह कागज में ही रह गई। केवल उसकी इमारत दिखलाई पड़ती है। इस तरफ से पटेल ट्रेनिंग है वह कागज में ही है। इसी तरह से एक बर्तन बनाने वाला कारखाना है, अल्मोनियम फैक्ट्री है, जो आज तक मजदूरों को हिस्सा न देकर बंद पड़ी है।

हमारे यहां सलनपुर में एक कलकत्ता में बिजनेस करने वाले बहुत बड़े पूंजीपति थे, लाइसेंस लिये, लेकिन उसमें उन्होंने केवल दीवाल खड़ी कर दिया, उसी तरह से देवरिया, सलेमपुर पडरौना में है, जो बड़े लोग सरकार से पैसा लेते हैं कि हम काम करेंगे और उसमें छोटे-छोटे लोगों को रोजी भी देंगे, उत्पादन करेंगे, लेकिन कोई काम नहीं हो रहा है। एक विकास निगम खोला गया था, पूर्वी अंचल विकास निगम,जिसका काम था भट्ठा बनाना और लोगों को ईंटा देना। वह पूर्वी अंचल निगम कागज पर ही रह गया। गौरी बाजार में भट्ठा कौन चलाता है, जिसके पास नोट हैं। मैंने मंत्री जी से कहा था कि आप कम से कम देवरिया के फर्जी कागज पर,जिसके नाम से उद्योग चल रहा है उनकी केवल जांच करा लीजिए, मालूम हो जायगा कि कौन कौन सेउद्योग धंधे चालू हैं, किनमें उत्पादन हो रहा है। श्रीमन् आज हजारों लोग जो मजदूरी पर हाथकर्घा का काम करते थे, हमारे उस इलाके में छोटे-छोटे जो जुलाहे लोग हैं जो सूत का काम करते थे, वही आज बीड़ी का काम करके अपना पेट भर रहे हैं। अज वह बेकार होते जा रहे हैं। आज उनके पल्ले कोई धंधा नहीं है। उनके पास जमीन नहीं है। दूसरे उनके पास कोई रोजगार नहीं है, उनका जीवन कैसे रहे। आज प्रदेश के लाखों लाखों मजदूर चाहे वह जुलाहा हो, चाहे वर्तन बनाने वाले लोग हों, चाहे दर्जीगीरी करने वाले लोग हों, वह सब बेरोजगार पड़े हुए हैं और पूंजीपति को सरकार पालना चाहती है और उन गरीब छोटे छोटे-लोगों को सरकार निराश कर रही है। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि ऐसे उद्योगों की जांच करें और फर्जी नाम पर चलाये जाने वाले उद्योगों को बंद करे। और छोटे जुलाहों से लेकर बढ़ईगीरी का काम करने वाले अपने उद्योग से अपनी जीविका चला सकते हैं, अगर उनको प्राथमिकता दी जाय और वे लोग अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सकते हैं और उनका जीवन उज्ज्वल कर सकते हैं जिससे आपका जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति होगी। देवरिया जिले में लोगों ने उद्योग के नाम पर करोड़ों रुपया ले लिया है आप उसकी जांच करायें। उद्योग नहीं हैं केवल कागज पर रोजगार हैं।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—

समाप्त करें।

श्री हरि केवल—

इन शब्दों के साथ मान्यवर, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री भगवती चरण निर्मोही (जिला पौड़ी गढ़वाल)—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने उद्योग के बजट पर मुझे कहने का अवसर दिया। श्रीमन् हमारे यहां एक नीति का वाक्य है—

"उद्योगिनां पुरुष सिंह मुपैति लक्ष्मी :"

जिस देश में उद्योग है जिस प्रदेश में उद्योग हैं और जो पुरुष सिंह उद्योग करते हैं वही देश सबसे आगे बढ़ता है। उन्हीं को लक्ष्मी प्राप्त होती है। तो हमें यह देखना है कि हमारे यहां प्रदेश में बड़े उद्योग तो हैं लेकिन बड़े उद्योगों के साथ ही साथ अगर हम देहातों में लघु उद्योगों को भी पनपायें तो हमारी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो सकती है। श्रीमन् मैं आपको बतलाऊं कि एक तरफ तो उद्योग धंधे पनप रहे हैं लेकिन हमारे देश में और हमारे प्रदेश में जो पुराने उद्योग धंधे थे वह विलकुल विनष्ट हो गये हैं और उनकी ओर आज किसी का ध्यान नहीं जाता है। उदाहरण स्वरूप मैं कहना चाहता हूं कि गढ़वाल में ताबे की गगरी बनती थी और वहां पर यह एक बड़ा भारी उद्योग था, आज उनको तांबा नहीं मिलता है और गांव के गांव बेकार पड़े हुए हैं उनके पास कोई साधन नहीं है। श्रीनगर जो गढ़वाल की प्राचीन राजधानी थी वहां जूता का उद्योग था, वहां के जूते बड़े कीमती, सुन्दर, मजबूत और हल्के होते थे लेकिन आज वहां का उद्योग विनष्ट हो गया है।

गढ़वाल में कच्चे माल का इतना बड़ा भंडार है कि उसका उपयोग किया जा सके तो इस प्रकार से वहां की आर्थिक स्थिति में बहुत बड़ा सुधार हो सकता है। वहां नदियों के किनारे बालू के ढेर लगे हुए हैं। अगर वहां पर कांच के कारखाने खोले जायें तो अच्छा हो। लकड़ी इतनी है कि छड़ियां बन सकती हैं। हाथ का कागज बन सकता है और अगर सरकार चाहे तो जैसे स्वीटजर लैंड में घड़ियों के अलग अलग पुर्जे बनते हैं उसी प्रकार से छोटे छोटे कारखाने, मुनी की रेती और नरेन्द्र नगर में तथा अन्य स्थानों पर खोले जा सकते हैं। यहां बेलाकूची जहां पर बाढ़ आयी थी सेलखड़ी के पर्वत के पर्वत हैं उससे खिलौने बन सकते हैं, प्याले बन सकते हैं। जिलों में जो उद्योग अधिकारी हैं उनका केवल कार्य यही है कि वह लोन की सिफारिश करें और किसी काम से उनका सरोकार नहीं है। इनको जनता को प्रोत्साहित करना चाहिये जिस प्रकार से जामवन्त ने हनुमान को प्रोत्साहित किया था। जनता में प्रोत्साहन लाने की आवश्यकता है जनता हनुमान की तरह है, उसे जाम्बवन्त सरीखे प्रोत्साहन देने वालों की जरूरत है, अगर जनता को प्रोत्साहन दिया जाय तो वह गरीबी का समुद्र लांघ सकती है। लेकिन उनको प्रोत्साहित करने की जरूरत है। मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे तमाम जिलों के उद्योग अधिकारियों को आदेश दें कि वे स्थान-स्थान पर जाकर जनता को प्रोत्साहित करें और जहां पर कच्चा माल जिस प्रकार का मिल सकता है, उसी प्रकार के उद्योग लगायें और जितना काम वे अपने-अपने जिलों में करें, जितनी सहकारी समितियां वे खुलवायें, उनका प्रोमोशन किया जाय, उनको तरक्की दी जाय, और उनको पुरस्कार मिले। यह नहीं कि वे बैठे रहें और यहां पर अपनी रिपोर्ट भेज दें। इससे देश और प्रदेश के लघु उद्योग धंधों का काम नहीं चलने वाला है।

कुछ लोग गढ़वाल के मेरे पास आये। उनके पास लुधियाना में मशीने थीं। उन्होंने कहा कि वे गढ़वाल में किसी केन्द्रीय स्थान पर मशीन लगाकर ऊन का कारोबार करना चाहते हैं। वे 2-3 बार मेरे पास आये। मैंने इस पुस्तिका में, कि विभाग द्वारा वितरित हुई है जो पढ़ा कि कच्चे माल का भंडार जो कि लोगों को दिया जायगा, वह पौड़ी में भी है लेकिन मैंने 2-3 बार उनको कोटा देने के लिये विभाग को पत्र लिखा है लेकिन मेरे पत्र का उत्तर तक नहीं दिया गया। और मुझे पता नहीं है कि उस पत्र का क्या हुआ। हमारे यहां पर ऊन का उत्पादन होता था लेकिन तिब्बत के चीन में चले जाने से उस व्यापार में बहुत कमी आ गई है। वहां पर ऊन से गलीचे, थुलमें, सवदन और कालीन बन सकते हैं तमाम चीजें बन सकती हैं लेकिन इसको पनपाने और प्रोत्साहित करने की जरूरत है। लोगों के पास पैसा नहीं है, वे गरीब लोग कहां से पैसा लायें लेकिन उनको संगठित कीजिए और लोन को समय पर देने की व्यवस्था कीजिए। उसमें ज्यदा दिक्कत नहीं है। उससे उनका आर्थिक सुधार हो सकता है।

जहां तक कटौती के प्रस्ताव का सम्बन्ध है विरोध पक्ष की तो एक आदत ही बन गई है कि वे सरकार की बुराई दिखलायें और कटौती के प्रस्ताव पेश करें। बुराई दिखलाने से तो काम नहीं चलने वाला है। उनको तो इस प्रतिष्ठित सदन में क्रांतिकारी सुझाव रखने चाहिए और यह कहना चाहिये कि लघु उद्योग में ज्यादा से ज्यादा रुपया सरकार को देना चाहिये। अगर विपक्ष की ओर से ऐसा किया जाता तो हमें कितनी खुशी होती लेकिन कटौती का प्रस्ताव पेश करने की तो परम्परा इन्हें निभानी ही है। अन्त में मैं पुनः माननीय उद्योग मंत्री द्वारा प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

(धन्यवाद)

*श्री सत्यवीर सिंह (जिला बुलन्दशहर)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, लघु उद्योग के सम्बन्ध में सदन में काफी चर्चा हुई और उससे यही निष्कर्ष निकला कि लघु उद्योग उन लोगों के हाथ में है जिनका लघु उद्योग से कोई वास्ता नहीं रहा है। दूसरे उस उद्योग के बारे में न उन्हें कोई टैक्निकल एजूकेशन है और न वे उसका ज्ञान ही रखते हैं। न उसको वे चलाना ही जानते हैं, और न उनका यह पैत्रिक धंधा है। इस सम्बन्ध में समस्त माननीय सदस्यों ने कहा है कि विभाग में भ्रष्टाचार है और कोटा बांटने में भी दुरुपयोग हो रहा है। इस सम्बन्ध में मैं अपने कुछ सुझाव, आपके द्वारा, माननीय मंत्री जी को देना चाहता हूं। पहला सुझाव तो मुझे यह कहना है कि माननीय मंत्री जी स्वयं इस्तीफा दिए हुए हैं क्योंकि उनका नाम ही माननीय इस्तिफा हुसैन है। हमारे प्रदेश में करीब 27 हजार छोटे उद्योग हैं। दैनिक समाचार पत्रों जैसे नेशनल हैराल्ड है, पायनियर आदि हैं, उनमें निकला है कि 35 प्रतिशत जाली हैं। यहां पर 90 प्रतिशत लघु उद्योग जाली हैं। उन लोगों को कोटे दिए गये हैं, जो उनको बेचते हैं। उससे गरीब जनता को कोई लाभ नहीं होता है। दूसरे, प्रदेश की 80 प्रतिशत जनता ग्रामीण अन्चल में रहती है, जिनके लिये कुटीर उद्योगों का प्रबन्ध करना चाहिये लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि माननीय मंत्री जी ने बजट में उनके लिये कोई विशेष रुचि नहीं ली है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सत्यवीर सिंह]

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र के कुटीर उद्योग करीब-करीब समाप्त हो गये हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि बड़े उद्योगों से कम्पटीशन करने में छोटे उद्योग असमर्थ हैं। इसके लिये मेरा सुझाव है कि बड़े उद्योगों पर पाबन्दी लगाइये कि कुटीर उद्योग जिन चीजों को बनायें बड़े उद्योग उन चीजों को न बनायें। दूसरे; लघु उद्योगों को जो कच्चा माल दिया जाय उसके लिये विशेष व्यवस्था हो जिससे वह ब्लैक न किया जा सके। इसके अलावा इन उद्योगों की जांच के लिये स्टाफ और बढ़ाया जाय और कोई अलग से कमीशन नियुक्त किया जाय जो जांच करे कि कौन ब्लैक कर रहा है और कौन उद्योग को सही ढंग से चला रहा है। अगर सरकार ने इस बारे में कोई रुचि नहीं ली तो कुटीर उद्योग को इस बजट से कोई लाभ नहीं मिल पायेगा। इसके अलावा जो रा मैटीरियल कुटीर उद्योगों को दिया जाता है उसको गांवों तक पहुंचाने की कोई व्यवस्था नहीं है, न उसके वितरण की कोई व्यवस्था है। सिर्फ वे लोग जो राजनीतिक हैं, भ्रष्ट हैं, जिनकी एप्रोच है, जो इस भ्रष्ट सरकार का समर्थन करते हैं 90 परसेंट उन्हीं लोगों के पास लाइसेन्स हैं। अगर लघु उद्योग इस देश में नहीं पनपे तो इस देश के लोगों का जीवन-स्तर कभी नहीं उठ सकता है। खेती के बाद दूसरा नम्बर लघु उद्योग का है। भारत में लघु उद्योग से ही बेरोजगारी दूर हो सकती है। जिन लोगों को लघु उद्योगों के लिये सहायता दी जा रही है उनमें से 99 परसेंट ऐसे हैं जिनके पास स्वयं का इतना पैसा है कि वह उसमें लगा सकते हैं। उनकी हैसियत दो-दो, चार-चार लाख की है, लेकिन उन्हीं को सहायता दी जा रही है गरीबों को कोई सहायता नहीं दी जा रही है। मंत्री जी स्वयं देख लें कि कितने लोहार, कितने बढ़ई, कितने बुनकर ऐसे हैं जिनकी पीढ़ियां लघु उद्योग करते-करते बीत गयीं उनको कितनी सहायता दी गयी है। मैं फिर कहूंगा कि जो छोटी-छोटी चीजें हैं, जैसे तौलिया हैं, रुमाल हैं इनके बनाने पर बड़ी-बड़ी फैक्टरियों पर पाबन्दी लगायी जाय तभी कुटीर उद्योग पनप सकेंगे।

श्री अध्यक्ष--

अब आप समाप्त करें।

श्री सत्यवीर सिंह--

एक मिनट का समय और चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष--

अब समाप्त करें समय नही है।

श्री धीरेन्द्र सहाय--

अध्यक्ष महोदय, जो अभी चर्चा इन अनुदानों के संबंध में हुई उससे मैंने यह महसूस किया कि सभी की यह राय थी कि लघु उद्योगों के विषय में पूरी तरह से छानबीन नहीं की जा रही है और जिस प्रकार का प्रोत्साहन इन उद्योगों को मिलना चाहिये था वह नहीं मिल रहा है। कांग्रेस के एक साथी ने तो यहां तक कहा कि पुराने उद्योग सूख रहे हैं। यह सही है कि सरकार की गलत नीति के कारण पुरानें उद्योग धीरे-धीरे समाप्त होते जा रहे हैं। जैसाकि माननीय हरिकेवल जी ने कहा सरकार की नीति केवल कागज पर ही है, अमल में कुछ नहीं है। यही कारण है कि सारे लघु उद्योग सूख रहे हैं। एक तरफ सरकार उनको बढ़ावा देने की बात करती है, दूसरी ओर कार्य उसके विपरीत करती है। मैंने उसकी मिसाल भी दी है। कानपुर में एक बेकरी तो थी ही, एक नान की भी फैक्टरी खुलने वाली है। तो बढ़ावा आप ऊंचे उद्योगों

को दे रहे हैं और बात छोटे उद्योगों की कर रहे हैं। एक साथी ने स्वीटजरलैंड के बारे में कहा, एच0 एम0 टी0 के बारे में कहा, यह सबसे सफल उद्योग है, मगर छोटे उद्योगों की तरफ भी तो आप देखिये, आज यह सरकार बड़े-बड़े पूंजीपतियों के इशारे पर चल रही है। सिद्धान्तः आप यह बात मानते हैं कि बिना लघु उद्योगों के बेरोजगारी दूर नहीं हो सकती, मगर इस पर आप अमल नहीं करते। मैंने कहा था कि लघु उद्योगों की टैक्नोलाजी को इम्प्रूव करने के लिये रिसर्च होना चाहिये।

स्पिनिंग के बारे में किसी सदस्य ने कोई रोशनी नहीं डाली। आज सारे वीवर्स परेशान हैं। उनको धागा नहीं मिल रहा है। इस ओर भी सरकार को ध्यान देना चाहिये। इस उद्योग से भी काफी लोगों को काम मिल सकता है। समाजवाद और प्रजातंत्र में लघु उद्योगों के लिये गांधी जी ने भी महत्व दिया था। इससे सम्पत्ति के डिस्ट्रीब्यूशन की भी समस्या अपने आप हल हो जायेगी। प्रजातंत्र और समाजवाद एक दूसरे के पूरक हैं। लघु उद्योगों को अगर आप बढ़ावा देते हैं तो उससे प्रजातंत्र भी मजबूत होता है और महफूज रहता है। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि इसको सीरियसली लिया जाय। सारे सदन की भी यही मंशा है कि इस ओर पूर्ण रूप से ध्यान दिया जाय।

कागज उद्योग पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिये। पीलीभीत में लाखों इक्वीलिप्टस के पेड़ पाये जाते हैं। उसको कागज के उद्योग में ट्राई किया जा सकता है। हमने देखा कि कभी कागज की कमी के कारण कितनी परेशानियां सामने आयीं, स्कूल तथा कालिजों को बन्द करना पड़ा, स्टैम्प तक की कमी हो गयी। कापियों और किताबों तक की कमी हो गयी। उनके न रहने के कारण। उस मसले पर माननीय सदस्यों ने कोई ज्यादा रोशनी नहीं डाली। मैं चाहता हूं कि कागज उद्योग का ज्यादा से ज्यादा और जितनी जल्दी विकास इस लघु उद्योग के माध्यम से हो सकता हो किया जाय।

भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में सभी साथियों ने कहा। इसमें कोई सन्देह नहीं कि चाहे लघु उद्योग के मामले हों, चाहे किसी और विभाग के मामले हों, यह एक बहुत बड़ा मसला बन गया है। बिना दिये लिये कोई काम हो नहीं पाता है। इसका कारण तो मैं यही कह सकता हूं कि आप लोग खुद इसके लिये जिम्मेदार हैं और कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है। जब आपके सामने भ्रष्टाचार का कोई मसला लाया जाता है तो आप उस पर कड़ाई से कार्यवाही नहीं करते बल्कि उसको भूल जाने की कोशिश करते हैं। तो जब आपकी यह मंशा रहेगी तो भ्रष्टाचार कैसे दूर होगा? जब कभी आपके सामने ऐसा कोई प्रश्न आया, आप उसे छोड़ जाते हैं। भ्रष्टाचार का मसला बहुत बड़ा है। जब तक आप उस पर सख्त कार्यवाही नहीं करेंगे, आपकी कोई भी स्कीम कामयाब नहीं हो पायेगी। आपको इस मसले पर गम्भीरता के साथ सोचना चाहिये और उस पर अमल करने की आप पूरी तरह से कोशिश करें। इन शब्दों के साथ मैं चाहता हूं कि आप सब लोग हमारे प्रस्ताव का समर्थन करें।

श्री इस्तफा हुसैन—

अध्यक्ष जी, अभी कटौती का प्रस्ताव पेश हुआ और उसके उपरान्त इधर के और उधर के माननीय सदस्यों ने अपने-अपने विचार इस माननीय सदन में रखे। अपने विचारों को रखते समय कई एक माननीय सदस्यों ने सन् 1972 की बात मुझे याद दिलायी। अध्यक्ष महोदय, आपको याद होगा कि 1972 के पहले बुनकरों की हालत बहुत खराब थी और एक

[श्री इस्तफा हुसैन]

आन्दोलन भी छेड़ा गया जिसमें मैंने सक्रिय भाग लिया और कुछ मांग भी सरकार के सामने रखी। वह मांग स्वीकार भी हुई और जैसा कि एक माननीय सदस्य फैजाबाद–टांडा के श्री निसार अहमद साहब ने कहा कि कईएक मांगें जो स्वीकार हो चुकी थीं, उन पर अमलदरामद भी हुआ था। अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि बुनकरों की हालत सन् 72 के मुकाबले में आज बहुत अच्छी है। इस वास्ते नहीं कि मैं आज यहां हूं बल्कि हमारी सरकार ने या केन्द्रीय सरकार ने भी बुनकरों के वास्ते जो कुछ सन् 72 से अब तक किया है उसके परिणाम-स्वरूप जो बातें, जो तकलीफें बुनकरों की थीं, वे रफा हुईं। बुनकरों को कच्चे माल की जरूरत थी।

श्री भगवती प्रसाद (फैजाबाद)—

बुनकर जो हाथ से बुनते हैं या कारखाने लगा कर बैठे रहते हैं, आखिर बुनकर की परिभाषा क्या है ?

श्री इस्तफा हुसैन—

बुनकरों को कच्चे माल की जरूरत थी। उसके वास्ते कई एक कताई मिलें बनायी जा रही हैं। एक तो रायबरेली की जो है वह करीब-करीब तैयार है और इसमें सूत का उत्पादन आरम्भ होने जा रहा है। इसके अतिरिक्त 7 मिलें जो सरकारी क्षेत्र में हैं वहां भी जल्दी काम शुरू हो जायगा। जल्दी ही वहां पर सूत का उत्पादन करेंगे क्योंकि मशीनें वगैरह के आर्डर हो चुके हैं, कुछ आ भी चुकी हैं, काम चल रहा है। तो जल्दी ही उत्पादन शुरू हो जायगा। 4 सरकारी क्षेत्र में स्पिनिंग मिलें लगायी जा रही हैं। और आगे चलकर 8 स्पिनिंग मिलें बनाने का प्रस्ताव है। जिन मुकामों पर इनकी आवश्यकता होगी वहां लगायेंगे।

एक बात है और वह है कि आज बुनकरों को एक तकलीफ है कि उनके माल की, तैयार शुदा माल की निकासी अच्छे तरीके से नहीं हो रही है। लेकिन इस मामले में भी मैं दावा करता हूं कि जहां तक हमारे प्रदेश की बात है। हमारे प्रदेश में जिस तरीके से बुनकरों के तैयार शुदा माल की निकासी का बंदोबस्त किया गया है उस तरीके से भारत के किसी प्रदेश में ऐसा इन्तजाम नहीं किया गया है। तामिलनाड जहां पर यह कहा जाता है और यह वाकया भी है कि हैंडलूम का काम बहुत अच्छा और आर्गनाइज तरीके से होता है। लेकिन सबसे ज्यादा एक्यूमिलेशन आफ स्टाक, हैण्डलूम और पावरलूम का है। वहां एक बड़ी भारी समस्या हो गयी है। लेकिन हमने अपने प्रदेश में नुमाइशों के जरिये, दूकान लगाकर, बुनकरों के माल को आगरा में, इलाहाबाद, लखनऊ में, निकाला है। दूसरे मुकामों पर जैसे मुरादाबाद, काशीपुर में इक्जिबिशंश (नुमाइशें) लगाकर करीब सवा करोड़ के माल की निकासी करायी गयी है। सवा करोड़ के माल की निकासी की वजह से बुनकरों को पैसा मिला और फिर से वे दूसरा माल बनाने में लग गये हैं। ऐसी बात नहीं है कि माल की निकासी नहीं हुयी है। जैसा यहां कहा गया कि 70 फीसदी करघे बंद हैं और 50-75 फीसदी पावर लूम बंद है, ऐसी बात नहीं है।

एक बात और मान्यवर, मैं आपके सामने रखकर माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि जब किसी भी क्षेत्र में या किसी माल के तैयार शुदा हालत में, ऐसी हालत आयी है कि जबकि बहुत ज्यादा माल ठंसा पड़ा हो और वह निकलता न हो, निकासी का कोई प्रबंध न हो तो डिस्ट्रेस सेल होता है। डिस्ट्रेस सेल एक ऐसा थर्मामीटर है जिससे हम पता लगाते हैं कि माल

अनुदान संख्या 54--ग्राम एवं लघु उद्योग

की निकासी की क्या हालत है। आज डिस्ट्रेस सेल नहीं हो रहा है। आज अगर डिस्ट्रेस सेल होता तो जो हमारा माल है वह 25-30 फीसदी कम में बिकता, तो ऐसी बात नहीं है। हमने तजुर्बा किया है कि माल की बिक्री हुयी है। जो माल आज से 3 महीने-2 महीने पहले का था, जिसकी कीमत 20 रुपया थी वही अब 22-25 रुपये में बिक रहा है। इसकी वजह यह है कि माल की निकासी के बंदोबस्त के साथ-साथ ही मैंने यह उपाय किया है कि जो कपड़ा बुनकर बनाते हैं उसकी क्वालिटी अच्छी हो। कपड़े की क्वालिटी ऊपर उठी है। हमने अच्छे किस्म के कपड़े तैयार करने का प्रबंध किया है। हमारे प्रदेश मे 5 डिजाइन सेंटर्स हैं, जहां से डिजाइन की सुविधा उपलब्ध है। बुनकरों का माल अच्छे किस्म का होता है, आज बाजार मे उनकी एक शाख बन गयी है। लोग उनके माल को पसंद करते हैं और खरीद रहे हैं। इन शब्दों के साथ जहां तक हैंडलूम, पावरलूम का मामला है, बुनकरों के माल की निकासी का मामला है, इस पर ध्यान दिया गया है। मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

एक सदस्य--

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि छोटे उद्योगों को क्या बिजली की सुविधा . . . .

श्री अध्यक्ष--

नहीं, अब समय नहीं है।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-54 के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 54-ग्राम एवं लघु उद्योग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 4,70,70,200 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

नियम 51 में, जैसा सबेरे कहा था, श्री ओम प्रकाश सिंह, श्री आशाराम यादव और श्री शिव सम्पत्ति राम ने दिया है कि मिर्जापुर में रैनकूट स्थित हिंडालको में तैनात पुलिस उप अधीक्षक, श्री कुंवर सिंह यादव की असामाजिक तत्वों द्वारा लाठी प्रहार से मृत्यु। यह केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार किया गया है।

श्री हरि केवल, बाबा रामनाथ, श्री जनार्दन प्रसाद ओझा की सूचना है कि चकबन्दी योजना अन्तर्गत चकबन्दी आयुक्त के आदेशानुसार तथा कथित किये गये अनियमित कार्य से कर्मचारियों में व्याप्त क्षोभ है। इसको सबेरे वक्तव्य के लिये कह दिया था।

अब श्री नत्थूलाल जाटव की पुलिस द्वारा मारे जाने से मृत्यु की सूचना श्री राम मूर्ति की है इस पर शासन बयान देगा।

श्री मोती लाल देहलवी (जिला कानपुर)--

मान्यवर, मेरी सूचना पर . . . . .

श्री अध्यक्ष--

आपकी सूचना पहले से स्वीकार है, इस पर बयान होगा।

बिजनौर जिले में कालागढ़े स्थित रामगंगा परियोजना हेतु क्रय की गई मशीनों को अनुपयोगी घोषित करके नीलाम किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

मान्यवर, माननीय सिचाई मंत्री जी तो यहां पर हैं नहीं, और इन लोगों के सामने क्या कहें ।

श्री अध्यक्ष--

आप अपनी बात कहें ।

*श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मान्यवर, प्रारम्भ में मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्य श्री काशी नाथ मिश्रा जी जिनको ज्यादा दिलचस्पी इसमें थी आज पता नहीं क्यों गैर हाजिर रहे । मालूम पड़ता है कि जानबूझ कर वह गैर हाजिर हो गये ।

मान्यवर, कालागढ़ के संबंध में जो सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता था उसका तात्पर्य केवल एक था । वैसे तो बजट के दौरान बोला गया और आप फिर कहेंगे कि उस पर तो विचार हो चुका है । लेकिन इस पर बल देने के लिये मैं एक बात कहूंगा कि जो स्थिति इस सबसे बड़े गरीब प्रदेश की है जिसमें 61 फीसदी लोग गरीबी के स्तर के नीचे रहते हैं और टैक्स सबसे अधिक लगा हो वहां पैसे का उपयोग, इस सबमे महत्वपूर्ण सिंचाई विभाग मे, कैसे होता है उसका कालागढ़ एक नमूना है । सरकार ने इसमें सतर्कता बरती और इसलिये 3 कमीशन मुकर्रर किये गये थे । एक कमीशन खारिज हो गया है और दो का मुझे पता नहीं है क्योंकि अक्सर कमीशन के संबंध मे जानकारी प्राप्त नहीं होती है । कमीशन में रुपया दिया जाता है लेकिन उसमें एडमिनिस्ट्रेशन की क्या हालत है, उसके बारे में व्यक्तिगत रूप से लोगों ने मुझे बताया है और खबरों में भी पढ़ा हूं । नेशनल हेराल्ड में छपे समाचार का उद्धरण मैं करना चाहता हूं जो कि अंग्रेजी में है, लेकिन मैं उसकी हिन्दी भी करता चलता हूं ।

Machinery worth Rs. 67 crores may be declared junk and sold for a song when the Ramganga Project at Kalagarh is completed. Already most of the machines purchased as emergency requirements have never been used and are gathering rust.

67 करोड़ रुपये की मशीनरी जिसमें जंग लग गयी थी उसको सरकार ने नीलाम करके बेच दिया। वह मशीनें इमरजेन्सी दिखाकर मंगायी गयी थी । तात्कालिक आवश्यकता समझकर मशीनें बाहर से खरीदी गयी थीं ।

(Hundreds of crates of imported spare parts have not been opened,) सैकड़ों क्रेट्स जो बाहर से मंगाये गय स्पेयर पार्ट्स् वाले, खोले नहीं गये,(Several dumpers out of a lot of 76 have not been utilised and are said to be quite useless for any other development prejeot in India) बहुतेरे डम्पर्स का उपयोग नहीं हुआ और यह कहा जाता है कि दूसरी विकास प्रायोजनाओं के लिये यह बेकार हैं। (One Automation Printing Press purchased at a heavy cost could never be installed and is rusting in an overstaff godown) एक ऑटोमेशन प्रिंटिंग प्रेस जो कीमती दर पर खरीदा गया था, वह जंक खा रहा है गोदाम में । According to a knowledgeable source, a bogus firm of Moradahad was given a contract to convert scrap into Bars. About 500 tons of scrap has been taken away by the firm but not a single bar has been delivered. The firm does not have any rolling machinery.

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

ऐसा कहा जाता है कि मुरादाबाद की एक फर्म जो 500 टन स्क्रेप दिया गया था सरियां बनाने के लिये, लेकिन उस फर्म ने एक भी सरिया नहीं दी क्योंकि उसके पास रौलिंग मशीन ही नहीं थी ।

(इस समय 5 बजकर 4 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री रामसुन्दर पांडेय पीठासीन हुए ।)

मान्यवर, यह था मेरा चार्ज, परन्तु इसके बारे में कुछ जबाव नहीं दिया है, लेकिन सरकार ने अपने बयान में यह स्वीकार किया है, जैसा कि सरकार का बयान होता है कि वह बचाव करके बयान देती है, कि 68 करोड़ के स्थान पर 18 करोड़ का माल खरीदा गया और यह भी बयान में कहा है कि इमरजेंसी में खरीदा गया । उन्होंने यह भी कहा कि इसका इस्तेमाल वहां न होकर दूसरे स्थानों पर ऋषीकेश और हरिद्वार तथा अन्य प्रायोजना में काम करने के लिये भेज दिया । इससे यह बात स्पष्ट हो गई, करोड़ों रुपयों की मशनीरी बेकार पड़ी थी और जिस काम के लिये वह मंगाई गई थी, उसका उसमें सही उपयोग न होकर दूसरी जगह भेजी गई और बेकार पड़ी रही । कालागढ़ में 21 करोड़ रुपये की विदेशी मशीन है और यह सब बिलकुल बेकार पड़ी हुई है और मजबूर होकर दूसरी प्रायोजना में भेजने की बात कर दी गई है जब कि उन प्रायोजनाओं के लिये नहीं खरीदी गई । इसका मतलब यह है कि उतना रुपया ब्लाक पड़ा रहा और सूद का भी नुकसान हुआ । यही मान्यवर, चार्ज है कि विदेशों से जो मशीनें आईं, उनका भुगतान हो गया लेकिन उनके स्पेयर पार्ट्स नहीं आये, इसलिये वह मशीनें बेकार पड़ी हुई हैं । दूसरी सूचना यह भी मेरी थी कि अमेरिका की एक कम्पनी यूकेलाक से जो मशीनें मंगाई गई उसमें टूल्स और स्पेयर पार्ट्स शामिल हैं लेकिन उनका कहीं पता नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय मोती लाल देहलवी आप नेता विरोधी दल की सीट पर न बैठें ।

श्री मोती लाल देहलवी (जिला कानपुर)—

मैं बैठा हुआ नहीं हूं ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

जाहिर है, मान्यवर, रुपयों का भी गोलमाल हो गया । दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि रामपुर रेलवे स्टेशन पर एक ओटोमेशन प्लान्ट लगाया गया जो कालागढ़ को विशेष रूप से सीमेंट पहुंचायेगा । सन् 1964 में यह लगा, लेकिन अभी तक चालू नहीं हो सका और माल ट्रक द्वारा भेज दिया जाता है । इसका कारण यह है कि जो ट्रक सामान भेजती है उससे कमीशन मिलेता है, इसमें भी लाखों रुपयों का गोलमाल हुआ ।

तीसरी चीज यह है कि स्क्रेप गलाने के लिये जो मुरादाबाद की फर्म को 500 टन स्क्रेप दिया गया था वह बोगस फर्म थी । उसको गलाकर सरिया बनाना था, लेकिन उसके पास चलाने के लिये मशीन नहीं थी और ऐसा अधिकारियों ने जानबूझकर किया । तो मैं पूछना चाहता हूं कि उन अधिकारियों के खिलाफ क्या जांच हुई या उनका जवाब तलब किया गया

[श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी]

लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन जवाब म यह कहा गया है कि एक लाख रुपया जो सिक्योरिटी का उस फर्म का जमा था उसको जब्त कर लिया गया है और मामला आरबीट्रेशन के लिये भेजने के लिये कहा गया है। मैं कहता हूं कि इसमें आरबीट्रेशन की क्या आई। उसको लगाने के लिये स्क्रेप दिया लेकिन जब सरिया नहीं मिली तो आरबीट्रेशन की क्या बात है।

इसके अतिरिक्त मुझे जो सूचना दी गई है कि सेण्ट्रल वर्कशाप से 45 चाबी चोरी गईं जो कि स्क्रेपर्स मशीन में सी० बी० प्वाइन्ट बनाने के काम आती थी। इसका भी कहीं पता नहीं। इसमें कौन अधिकारी था, यह बात मैं पूर्ण रूप से नहीं कह सकता। इतनी बड़ी गड़बड़ी हो जाने के बाद भी कोई अधिकारी सस्पेंड नहीं हुआ और जो सस्पेंड हुआ वह एक चौकीदार था। जैसा कि इस सरकार में होता है कि बड़े-बड़े अधिकारी दण्डित नहीं होते और छोटे कर्मचारी को बलि का बकरा बनाया जाता है।

एक रात 5 हजार लीटर डीजल कानपुर में बेचा गया। विभाग को खबर दी गई और वहां के सुरक्षा अधिकारी बी० सी० गोयल गये और छापा मारा और पकड़ा, लेकिन जो मुझे सूचना है उसके अनुसार आज तक उसकी जांच पूरी नहीं हुई।

26 हजार रुपये का एक लोहे का गाटर शेरपुर के पास पकड़ा गया एक सरकारी गाड़ी से अनलोड होता हुआ, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ।

एक दुख की बात यह है कि सिंचाई विभाग के बारे में सिंचाई मंत्री ने कहा था कि पौने 7 करोड़ रुपये का गोलमाल था और सिंचाई विभाग में कई दल बने हुये हैं, कुछ इन्जीनियर मंत्री जी के खिलाफ हैं और मंत्री जी कुछ इन्जीनियर के खिलाफ हैं। जो चीफ इन्जीनियर आये हैं उन्होंने कड़ाई के लिये कहा था, लेकिन जहां तक मेरी नालिज है आज तक कोई ऐसी बात नजर में नहीं आई जिससे यह मालूम हो कि कड़ाई अमल में लाई जा रही है।

यह बात मैंने सरकार के ध्यान में लाने की इसलिये कोशिश की है ताकि उस पर विचार किया जाय क्योंकि सिंचाई विभाग का ही मामला नहीं है बल्कि सरकार की नोटिस में यह बात आई है कि पौने 7 करोड़ रुपये का घुटाला हुआ है, ट्यूबवेल्स में भी घुटाला हुआ है, बनारस में ट्यूबवेल्स में कई लाख रुपये की गड़बड़ है। मैं सरकार की नोटिस मे यह बात लाना चाहता हूं कि जनता की गाढ़ी कमाई का रुपया है और माननीय मंत्री जितनी कड़ाई के साथ इसकी छान-बीन करेंगे तो हम सबको संतोष होगा और जितने अधिकारी इसमें दण्डित हों सब सदन के सामने आने चाहिये और यह बात भी सदन के सामने आनी चाहिये कि कौन से तथ्य सही हैं और कौन से गलत। मैं ऐसी आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी एवम् चीफ इन्जीनियर इसमें कड़ाई करेंगे और सदन के सामने तथ्य प्रस्तुत करेंगे।

श्रम मंत्री (श्री राजमंगल पाण्डेय)---

मान्यवर, इस सम्बन्ध में पहले भी चर्चा हो चुकी है और इस समय एक नई बात यह सामने आई है कि 21 करोड़ रुपये की मशीने बगैर स्पेयर पार्ट्स के बेकार पड़ी हुई हैं जब कि कुछ मशीनरी 18 करोड़ रुपये की खरीदी गई.....

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

मैंने यह कहा कि 68 करोड़ रुपये की मशीनरी खरीदी गई है और मंत्री जी ने अपने जबाब में कहा है कि 18 करोड़ की खरीदी गई है.....

श्री राजमंगल पांडेय--

कुछ मशीनरी 18 करोड़ रुपये की खरीदी गई है तो यह कहना कि 21 करोड़ रुपये की मशीनरी स्पेयर पार्ट्स की वजह से बेकार पड़ी हुई है यह गलत है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मेरे आंकड़े गलत हो सकते है। आपके पास सारे साधन मौजूद हैं। वैसे आंकड़ों पर बल देने का मेरा मतलब नहीं था। आखिर भ्रष्टाचार है तो उसको ठीक करें।

श्री अधिष्ठाता--

आंकड़ों में न पड़े स्थिति साफ करें।

श्री राजमंगल पांडेय--

आंकड़ों में इसलिये पड़ना पड़ता है क्योंकि आप आंकड़ों से बताते है कि भ्रष्टाचार है, इतना गबन हो गया। अगर इस हिसाब से देखें तो फिर माथो बाबू के अनुसार कुछ हुआ ही नहीं। सन् 62 में यह प्रोजेक्ट 68 करोड़ का था। 74 तक यह 133 करोड़ का हो गया क्योंकि चीजों की कीमतें बढ़ गयीं। 127 करोड़ 74-75 तक खर्च हो गया। इतनी बड़ी धनराशि लगी तो यह था कि इससे 14 लाख एकड़ की सिंचाई होगी। 24 दिसम्बर, 74 तक करीब 4 लाख एकड़ की सिंचाई हो जायगी। अब यह प्रक्रिया करीब-करीब शुरू हो गयी है। तीन मशीनें 66-66 की थीं। इनमें से एक कमीशन हो चुकी है। मई 75 में एक और कमीशन हो जायगी और बाकी कुछ-कुछ महीनों में हो जायंगी। जो डम्पर्स खरीदे गये वह कुल 76 डंपर्स खरीदे गये। इनमें 25 वाटर डम्पर थे, 25 रेयर डम्पर थे, 5 एथे डम्पर थे, 4 टूरना डम्पर थे और 17 और थे। यह सभी डम्पर्स काम कर रहे हैं जहां तक मेरी जानकारी है। दूसरी जगह भी मशीनों का प्रयोग किया जाता है जैसे रामगंगा प्रोजेक्ट पर। टिहरी भी ले जाने के आदेश हो गये हैं। कुछ पैरलल लोअर गंगा कैनाल के लिये हैं। कुछ ऋषिकेश-हरिद्वार परियोजना और दूसरी योजनाओं में काम करने के लिये हैं। एक चीज जरूर हुई कि 50 मिलीमिटर की छड़ों के लिये स्क्रेप दिया गया। यह भी था कि 600 रुपया दिया जायगा। अगर नहीं देंगे तो 600 रुपया प्लस दस प्रतिशत सरचार्ज करके उनसे काटा जायगा।

मान्यवर, जिस व्यक्ति को कंट्रेक्ट दिया गया उसने कोई लोहे की छड़ नहीं दी और इसके फलस्वरूप 1,58,400 रुपया उसका सिक्योरिटी का काट लिया गया इसी सम्बन्ध में यह मसला विजीलेंस में भी दिया गया। इन्होंने वहां कुछ आर्बीट्रेशन के लिए सप्लाई किया और कहा कि इस सिचुएशन में नहीं दे पाये। हमने यह भी कहा कि 1,829 रुपया प्रति टन के हिसाब से सरिया खरीदी है और आपकी गलतफहमी की वजह से सरकार को यह व्यय करना पड़ा इसलिये इतने के हम मुस्तहक हैं। मान्यवर, इसमें किसी बदनियती का सवाल नहीं है। 1,58,400 की सिक्योरिटी थी वह ले ली। मामला विजीलेंस के सामने है। व स्वत: आर्बीट्रेशन में गया है। इसमें ऐसी कौनसी चीज है कि सारे विभाग को भ्रष्ट कह दें। अब रह गयी सरिया देने की कन्ट्रैक्ट की बात तो वह जिस आधार पर सरिया का कन्ट्रैक्ट दिया जाता है, वह उस आधार पर दिया गया। यह नहीं कि किसी इन्जीनियर ने उस कन्ट्रैक्ट के देने में हमदर्दी दिखाई हो। हजारों बड़े-बड़े काम होते हैं। अब उसमें यह नहीं हो सकता कि हर आदमी के ईमान की गारेण्टी ले ली जाय। अब कीमत बढ़ने के कारण कोई आदमी काम छोड़कर चला

[श्री राज मंगल पांडेय]

जाय, तो दूसरी बात है। हमारे देवरिया में पुल प्रस्तावित था। कुछ काम होने के बाद कन्ट्रैक्टर काम छोड़कर भाग गया, क्योंकि बढ़ी हुयी कीमतों को देखते हुये जिस धनराशि में उसको पूरा करना था, वह पूरा नहीं हो सकता था। बिल्डिंग मटेरियल के कास्ट बढ़ते रहते हैं। अब इसमें कोई कहे कि डिपार्टमेन्ट में भ्रष्टाचार है, तो यह, मान्यवर, ऐसा नहीं।

दूसरी चीज यह है कि जितनी मशीनरी है वह सब काम पर है। हां, यह सम्भव है कि कोई मशीनरी, जो फारेन की है, स्पेयर पार्ट्स न होने के कारण इस्तेमाल में न हो। अगर पार्ट नहीं मिल सके, तो उतने समय के लिये उसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर कोई ऐसा प्रमाण माधव बाबू देते कि हम यह काम कर सकते थे और नहीं किया, या हमारे इन्जीनियर की बेईमानी की वजह से या नेगलीजेंस की वजह से किसी जगह काम नहीं हुआ, तो मैं आवश्य उसकी जांच कराता। उन्होंने तो केवल एक जनरल चार्ज भ्रष्टाचार का लगा दिया। अब यह तो ऐसी शिकायत है कि जिसके बारे में क्या जवाब दूं। इससे तो माधव बाबू भी सेफ नहीं। जिस तरह से हमसे लोग नाराज होकर, यह चार्ज हमारे ऊपर लगा सकते हैं, उसी तरह से माधव बाबू से या चौधरी साहब से नाराज होकर यह चार्ज उन पर भी लगाया जा सकता है। लेकिन मैं इस बात की घोषणा इस माननीय सदन में करना चाहता हूं कि अगर चार्जेज के बारे में माधव बाबू के पास कोई डाकूमेंट हो, तो मैं 15 दिन के अन्दर वह कार्यवाही कर सकता हूं, जो आज तक किसी ने न की होगी। लेकिन वह तो केवल कहते हैं कि भ्रष्टाचार है। 21 करोड़ की मशीनरी पड़ी है। तो भ्रष्टाचार का नाम सुनते-सुनते कान ऊब गये। जितने का बजट नहीं उससे कई गुने का घोटाला बता रहे हैं माधव बाबू।

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि क्या उनके पास कोई ऐसा रिकार्ड है जिससे मालूम हो कि कितने घंटे मशीनों ने काम किया ?

श्री राज मंगल पाण्डेय—

मान्यवर, चूंकि इसमें केवल चर्चा की बात थी। कितनी मशीनें कितने घंटे चलीं, इस पर पूरे एक दिन की बहस रख दी जाय, तो मुझे कोई एतराज नहीं। हमें डेटवाइज, मशीनवाइज, कितने घंटे कौन मशीन चली, इसको बताने को एतराज नहीं। लेकिन चूंकि मूल प्रश्न यह नहीं था, और सवाल सिर्फ इतना था कि क्या किसी इन्जीनियर की नेगलीजेंस की वजह से मशीनें काम नहीं कर पायी, या स्पेयर पार्ट्स के न होने के कारण काम नहीं कर पायीं। इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि कोई मशीन बेकार नहीं पड़ी है। अगर किसी पर काम नहीं, तो उसको दूसरे प्रोजेक्ट में प्रयोग होता है।

*श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल)—

मान्यवर, माधव बाबू ने कुछ कन्क्रीट एग्जाम्प्ल गिनाये, 1, 2, 3 और 4 बात नेशनल-हेराल्ड में छपी। बिल्टज में छपी। माननीय मंत्री जी को जबाब देना पड़ रहा है, क्योंकि नियम 52 की चर्चा प्रारम्भ हो गयी। मैं पूंछना चाहता हूं जब अखबारों में चर्चा छपी है, तो उसका कन्ट्राडिक्शन क्यों नहीं किया गया ? आपका विभाग चार्जेज के बारे में क्यों खामोश रहा

---

*वक्ता ने भाषण का पुर्वीक्षण नहीं किया।

और क्यों नहीं बताया गया कि उसके क्या कारण थे ? पांडेय जी बड़ी चालाकी से कहते हैं कि कुल 18 करोड़ की मशीनें खरीदी गयीं तो 21 करोड़ का घुटाला कहां से हो गया और दूसरी सांस में कहते हैं कि 68 करोड़ का प्रोजेक्ट था वह 135 करोड़ का अब हो गया। अगर उसी अर्थमेटिक के हिसाब लगाया जाय तो 18 करोड़ की मशीनें आज कितने करोड़ की हो गयी होंगी? पांडेय जी हिम्मत के साथ जवाब देते कि जो तमाम एलिगेशस लगाये गये हैं उनके बारे में विभागीय जांच होगी। हर चीज के बारे में एवेजिव रिप्लाई है। उनसे पूछा गया कि 18 करोड़ की जो मशीनें खरीदी गयीं उन मशीनों का कोई कोटेशन आपके विभाग ने पहले नहीं लिया और करोड़ों रुपये का गोलमाल आपके इंजीनियर्स ने किया। यह एक कांक्रीट एग्जाम्पिल है। हर प्रोजेक्ट के अन्दर देखिये करोड़ों रुपये का घोटाला किया गया है। कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी योजना देश के निर्माण के लिये होती हैं लेकिन निर्माण के अन्दर आपके भ्रष्ट इंजीनियर लाखों का घुटाला करते हैं।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय नेगी जी प्रश्न करें। भाषण नहीं होना चाहिये।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

पहले आप नियम 52 देख लें।

श्री अधिष्ठाता—

उसका मतलब यह नहीं है कि आप भाषण देंगे।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

यह सही है कि आपने न टेंडर इन्वाइट किये। माननीय मंत्री जी ने कहा कि सेक्योरिटी हमने जब्त कर ली। सेक्योरिटी कितनी थी ? 1 लाख 58 हजार की तो मैं माननीय मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि यह ठेका कितने का था ?

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य सवाल करें तो मंत्री महोदय जवाब देंगे। उनको चर्चा करने का अधिकार नहीं है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

नियम 52 में मान्यवर, देख चर्चा करने का ही अधिकार है। माननीय मंत्री जी उत्तर देते वक्त कहेंगे कि आर्बिट्रेशन के लिये भेज दिया। वह यह भी बतलायेंगे कि उस इंजीयिनर के खिलाफ क्या कार्यवाही की जिसने इस टेंडर को मंजूर कर लिया और यह नहीं देखा कि फर्म के पास सरिया बनाने का प्लांट था या नहीं था और इसके अलावा माधव बाबू ने बताया कि स्पेयर पार्ट्स के लिये फर्म को पेमेंट हो गया लेकिन स्पेयर पार्ट्स पहुंचे या नहीं। इसका स्पष्ट उत्तर माननीय मंत्री अपने उत्तर में देंगे।

(इस समय 5 बजकर 30 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

अगर आपके पास इस समय उत्तर नहीं है तो आप कृपया इसकी जांच करवा लें।

मान्यवर, आपने कहा कि एक अटोमेटिक प्रिंटिग प्रेस खरीदी गई। मैं पूछना चाहता हूं कि यदि इस विधान सभा के लिये कोई आटोमेटिक प्रिंटिंग प्रेस खरीदते तब तो कोई बात थी लेकिन कालागढ़ रामगंगा परियोजना के लिये यह प्रेस खरीदी गई तो इसका वहां पर क्या महत्व

[श्री गोविन्द सिंह नेगी]

है। इसे आप स्पष्ट करें। यह कहा गया कि बहुत सी मशीनें बेकार नहीं है दूसरी सांस में मंत्री जी यह भी कह गये कि कुछ मशीनें टेहरी परियोजना के काम आयेंगी। इस टेहरी परियोजना के बारे में, जिसके सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी को स्वयं ज्ञात नहीं है कि वह योजना कब शुरू होगी, उसके लिये इन मशीनों का प्रयोग किया जायगा। मान्यवर, कहा जाता है कि छठी और सातवीं योजना में यह परियोजना शुरू होगी। तो क्यों मंत्री जी लोगों की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहे है। माननीय मंत्री जी इस बात को स्वीकार करें कि राम गंगा परियोजना बन चुकी है और बहुत सी उसकी मशीनें रस्टेड पड़ी हुई हैं जिनकी कीमतें लाखों में नहीं करोड़ों में हैं। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि कृपा करके अपनी आंख न मूंदकर डिपार्टमेंट के अधिकारियों की वकालत न करें। इतने राष्ट्रीय धन का दुरुपयोग हो रहा है, अपहरण हो रहा है, इसकी आप जांच करायें ताकि प्रदेश की जो दिवालियेपन की स्थिति जो आ गई है उसे रोका जा सके। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सत्य प्रकाश (जिला बरेली)—

मेरा निवेदन यह है कि माननीय मंत्री जी ने बयान में दर्ज किया है कि परियोजना पर खरीदी गई हाईड्रोइलेक्ट्रिक प्रेस दूसरे वर्कशापों में काम कर रही है। इसकी आप जांच करवा लें कि यह कीमती प्रेस इतनी कीमत का है और क्यों इसके खरीदने के लिये टेन्डर नहीं मांगे गये। मेरी जानकारी है कि यह प्रेस इमरजेन्सी टेन्डर के द्वारा खरीदा गया और मनमाने भाव पर लोगों ने आपके हाथ बेचा। हाईड्रोइलेक्ट्रिक प्रेस आप कह रहे हैं काम कर रही है, लेकिन मेरी सूचना है कि वह बेकार पड़ी हुई है। इस बात को आप दिखवा लें कि मेरी सूचना सही है या मंत्री जी की सूचना सही है.....

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

कोरम का अभाव है।

श्री उपाध्यक्ष—

देख लिया जाय।

(घंटी बजाई गई और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री सत्य प्रकाश—

इसमें जो दूसरा पक्ष है वह यह है कि इस ठेके को स्क्रेप किया गया, यह कहा गया है कि आप सरिया बनाकर हमको दे दें। जो कि 6 सौ रुपया प्रति टन होगा। विभाग ने 220.755 टन स्क्रेप उनको दिया। मान्यवर, 18 सौ टन के हिसाब लगाया जाय तो स्क्रेप चार लाख रुपये का बैठता है। तो उनसे केवल 1 लाख 58 हजार रुपये जमानत के लिये गये। मान्यवर, बताइये ढाई लाख विभाग में घाटा हुआ। तो उसके लिये सरकार ने कौन सी कार्यवाही की। ठेकेदार से ज्यादा जमानत क्यों नहीं ली गई?

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, जब कभी भी मैंने चर्चा की है मैं समझता हूं कि मैं दोषी हूं कि मैं भावावेश में आ जाता हूं। लेकिन आज इतने संयम से मैंने कहा जितना मैंने अपने को दबा कर कहा मैं कह नहीं सकता हूं। और जो तथ्य सामने रखे हैं उसके बारे में सरकार जांच कराये और उससे

सदन को अवगत कराये वह सच है या गलत है। यह तथ्य इसलिये रखे है पेपरों में भी मान्यवर, आये हैं नेशनल हेराल्ड में भी निकले हैं। कुछ तथ्यों को तो उन्होंने रिवट नहीं किया जैसे प्रेस के बारे में या लोहे के बारे में। उनको तो उन्होंने मान लिया है। बाकी सुन्दर जबाब नेगी जी ने दे दिया।

मान्यवर, मुझे एक बात से तकलीफ हुई मैंने किसी इंजीनियर का नाम नहीं लिया और न मेरी आदत है लेकिन प्रसंगवश बात आजाय और पांडेय जी उस पर कहें कि उनके खिलाफ भी मेंम्बर आरोप लगायेंगे। खैर यह रिफरेंस से बाहर हैं। मान्यवर, मैं बोलते हुए बहुत दबाकर कहता हूं, दामन को बचा कर कहता हूं जितना कहना चाहिये उतना भी नहीं कह पाता हूं। आपके विभाग में सब हरिश्चन्द्र बन कर नहीं बैठे है। माननीय मंत्री जी खुद कहते हैं कि करोड़ों रुपये का घुटाला है फिर आप कैसे कहते है कि सिंचाई विभाग बिलकुल स्वच्छ है। यह मामला अखबार में भी आया है कि राज्य सरकार के सिंचाई विभाग में करोड़ों का गोलमाल हुआ है और स्टाक में अनावश्यक गड़बड़ियां हुई हैं उसमें लिखा है कि 3 अधिशासी अभियंताओं को निलम्बित किया गया उनके विरुद्ध सतर्कता अधिष्ठान द्वारा जांच जारी है, दो अधीक्षण अभियंता, एक अधिशासी अभियंता तथा 12 सहायक अभियंताओं जिनके विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप सिद्ध हो गये हैं दंडित किये गये हैं। तो इसका क्या मलतब है? मैं पुनः दोहराता हूं कि यह आंकड़े कहां तक सत्य हैं और कहां तक गलत है इसकी जांच हो, यह मैं जो सूचनायें अखबारों में भी आई हैं और दूसरी सूचनायें हैं उनके आधार पर कह रहा हूं मैंने दो अधिकारियों का नाम लिया पता नहीं वह अधिकारी वही हैं या दूसरे आदमी हैं। मेरी आज की चर्चा का अभिप्राय केवल यह है कि आप खराबी का पता लगाये, कृपा करके उसकी जांच करें और उस जांच से सदन को अवगत कराये कि यह एलोगेशन जो लगाये है यह कहां तक सत्य हैं। व्यक्तिगत किसी पर यह बात उठायें यह बात नहीं है आपके कमिश्नर ने भी रिपोर्ट में कहा हैं। मैं कहता हूं कि आपको किसी ने ब्रीफ कर दिया है और उसी आधार पर आप जबाब दे रहे हैं और सही जबाब नहीं दे पा रहे हैं। मैंने कहा था कि सिचाई मंत्री आये तो वह जबाब दें क्योंकि उनको आपसे ज्यादा जानकारी है उनका विभाग है। जिस प्रकार परिवहन विभाग के बारे में उनसे ज्यादा जानकारी आपको होगी उसी तरह से उस विभाग की जानकारी उनको होगी। मेरा मतलब किसी से कुछ व्यक्तिगत रूप से कहने का नहीं था।

हमारे नेगी जी ने टेहरी गढ़वाल की जो योजना है उसके बारे में कह ही दिया है कि वह शायद आपकी कब बनेगी। यह पांचवी योजना चल रही है आप उसको 6 ठी या 7 वीं में बनाने का विचार रखते हैं। इसमें भी तर्क है। हम भी उसके मान्यवर, पक्ष के हैं। वह कब शुरू होगी। लाखों-करोड़ों रुपया लगा हुआ है, उसका इन्ट्रेस्ट कौन देता है। यदि अनावश्यक, फालतू चीजें, वस्तुएं मंगा ली जांए और उनके बारे में यह कहा जाए कि यह सब काम में आ जाएंगे, तो यह उचित नहीं है। मेरा कहना है कि इतना न मंगाया होता तो ज्यादा अच्छा होता। यह भी न कहा जाए तो क्या सरकार के तलुवे घोकर पिए जाएं। किन रीतियों और नीतियों से इस पर कहा जाए। विभाग को आप इस तरह से डिफेंस करेंगे तो यह ठीक नहीं होगा, यह एक मंत्री का कर्त्तव्य नहीं है। अपनी पब्लिक ड्यूटी समझकर आपको जवाब देना चाहिये। मुझे बड़ा क्लेश हुआ आपकी इन बातों से। आपका यह रवैइया ठीक नहीं प्रतीत होता है। इस सदन में बातें बहुत होती हैं और अपने कर्त्तव्यवश मजबूरी

[श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी]

में कुछ आपको अप्रिय लगने वाली बात भी कहनी होती है, लेकिन हमारी मंशा वैसी नही होती है। इसलिये आपको मेरी बात को ध्यान से सुनना चाहिये, जब मैं बोलता हूं। यदि मैं आप पर या किसी पर कोई व्यक्तिगत प्रहार करता तो मुझे इस बात से कोई तकलीफ न होती। मैं अपनी पार्टी का लीडर हूं और उसके नाते मुझे पब्लिक ओपीनियन समझकर बहुत सी बातें कहनी होती हैं। लेकिन उसको इस तरह लेना कोई अच्छी बात नहीं है, मुझे बड़ी तकलीफ होती है। पुनः मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरी कोई भी भावना आप लोगों के प्रति नहीं है, केवल आप लोग जांच करें और जांच करके इस सदन को अवगत कराएं तथ्यों से। मैंने तो आपके चीफ इन्जीनियर और इर्रीगेशन मिनिस्टर को ऊपर ही उठा लिया कि मैं उनकी ईमानदारी की कद्र करता हूं। अब यह इन पर था कि यह अपनी ईमानदारी का नमूना दिखायें, और जांच करायें। मैंने तो ऊपर उठा लिया बजाए डिस्करेज करने के। इतना कहकर मैं इस चर्चा को अपनी ओर से समाप्त करता हूं।

श्री राजमंगल पाण्डेय--

मान्यवर, मैं उन बातों का उत्तर तो नहीं देना चाहता हूं, लेकिन जो प्रश्न हैं, उनके बारे में बता देना चाहता हूं। 220.755 टन सरिया बनाने का ठेका दिया गया था। जब एक फर्म ने इन्कार कर दिया था तो दूसरी फर्म को यह ठेका दिया गया, जिसका टेन्डर था। उस पर शर्त थी कि जो सरिया बनाई जाएगी, उसको 6 सौ रुपया टन के हिसाब से बनवाएंगे। किन्तु यदि वह नहीं देगा तो उससे 635 रुपया टन प्लस 10 परसेंट सरचार्ज काटेंगे। 1,58,400 रुपया सिक्योरिटी के रूप में जमा हुआ था। कोई भी इंजीनियर इस बात की कैसे गारेन्टी करे कि वह नहीं देगा। जो अनुबन्ध था वह विभाग के रूल्स ऐण्ड रेगूलेशंस के विपरीत नहीं था। पर यदि कीमत के बढ़ने से या ठेकेदार की बेईमानी से उसने वैसा नहीं किया तो जो काटा गया, वह मिल गया और उससे पूरा हो गया। जब वह आर्बिट्रेशन में जाता तो दूसरी बात थी। 1,829 रुपये टन के हिसाब से सरिया काटा है, हमें तो घाटा नहीं। 635 और 1,234 को देखते हुए 1,829 काटेंगे। हमारा घाटा नहीं है। यह मामला विजीलेंस में भी गया। उसने कहा जो 1,829 रुपया कीमत है वह होना चाहिये। इस सरिया के बनाने के बारे में जो कुछ मैंने बहुत स्पष्ट कहा, उसको शायद उन्होंने गौर से सुना नहीं। जो वह कहता है, वह कार्यवाही भी हुई। समाचार पत्र इस बात का द्योतक है कि डिपार्टमेंट ने दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही भी की। आप यह भी देखेंगे कि जो रिपोर्ट मेरे पास है स्टोर कीपर्स इत्यादि की, तो उनको भी नोटिस दी गई कि उन्होंने स्टाक के वेरीफिकेशन में गड़ बड़ी की। अब जो कार्य टेक्निकल है, उस पर हम किसी अथारिटी के साथ नहीं बोल सकते हैं, जिसके साथ वह बोल सकते हैं और बोल रहे हैं। जो बात उनके दिमाग में साउन्ड है हम उसे साउन्ड ही मानेंगे। जब टाप इंजीनियर ने रिपोर्ट दी कि 18 करोड़ रुपये की मशीनरी 21 करोड़ रुपये की मशीनरी के स्पेयर पार्ट्स न होने की वजह से पड़ी है।

इस संबंध में मैंने निवेदन किया कि इस तरह से बातें कही जाती हैं। इसमें जैसा कि मैंने कहा उस चीज को माधव बाबू ने दूसरे माने में लिया। इसके ऊपर माननीय नेगी साहब ने कहा कि जब आपका 68 करोड़ का प्रोजेक्ट 133 करोड़ का हो सकता है तो मशीनरी की कीमत भी बढ़ सकती है। 18 करोड़ की मशीनरी के लिये यह कहना कि स्पेयर पार्ट्स के बिना

वह बेकार पड़ी हुई है। मैं उन दोनों से प्रार्थना करूंगा कि इस तरह से अर्थमेटीकल कैलकुलेशन न करें।

मान्यवर, यह ठेका 1 लाख 32 हजार 600 रुपये का था और हमने एक लाख 58 हजार 400 रुपये काटे हैं। मैं यह कहूंगा कि अगर अखबार को बेस माना जाये तो कई जगह उनको पश्चाताप होगा। हम उसको नहीं मानेंगे।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मान्यवर, मैंने यह कहा था इस माननीय सदन को वह अवगत करायें कि इसमें कहां तक सच्चाई है। यह नहीं हो सकता है कि सोलह आने गलत हो। हां अतिशियोक्ति हो सकती है।

श्री राजमंगल पांडेय--

मान्यवर, इस संबंध में कार्यवाही हुई है। टेहरी योजना छठी पंच वर्षीय योजना में बने यह बात माननीय नेगी साहब ही कह सकते हैं। हम लोगों का तो बराबर यह निरंतर प्रयास रहा है कि यह योजना सब से बड़ी योजना है और इसके लिये हम भारत सरकार से धन लेने का बराबर लगातार प्रयास कर रहे हैं और जैसे हमको धन उपलब्ध होगा हम इसको शुरू कर देंगे। जब तक धन नहीं है तब तक हमारी विवशता है। एक ही उपाय रह जाता है कि हम इस मशीनरी को बेच दें और फिर ड्यौढ़ी दुगनी कीमत में खरीदें।

मान्यवर, यह मशीनरी भारत सरकार के इंडियन सप्लाई मिशन द्वारा खरीदी गई है और इसमें डायरेक्टर आफ इंडस्ट्रीज का भी हाथ है। इसमें विभाग कहीं पिक्चर में नहीं आता है। यह इम्पोर्टेड मशीनरी उनसे खरीदी गई है। इसलिये इसमें लेनदेन की कोई बात नहीं है। वहां पर जो सेवा लगाई गई थी उनमें कुछ इन्जीनियर्स भ्रष्ट हो सकते हैं, कुछ लापरवाह हो सकते हैं। उनके बारे में मेरी जानकारी नहीं है। हम उनको विश्वास दिलाते हैं। उन्होंने हमारी बातों को दूसरे रूप में लिया। व्यक्तिगत प्रतिष्ठा में कोई कमी नहीं आ सकती है और हम उनको आश्वस्त कराना चाहते हैं कि सारे मुद्दों पर इंक्वायरी करवा कर उनको पूरी तरह से संतुष्ट कर देंगे। विभाग ने किसी भी अधिकारी को बचाने की कोशिश नहीं की है।

एक चीज और कही गई कि सिंचाई मंत्री होते तो ज्यादा अच्छा होता। इसके लिये तो मैं यही कह सकता हूं कि यह तो कैबिनेट की ज्वाइंट रिस्पांसीबिलिटी है। यह चीज जब वे मंत्री थे उनके साथ भी रही होगी। इसलिये इन बातों के ऊपर न जाया जाये तो ज्यादा अच्छा होगा। किसी अखबार पर हम बेस नहीं कर सकते हैं। हम उनको विश्वास दिला देना चाहते हैं कि अगर किसी और जांच की जरूरत होगी तो उसको हम अवश्य करायेंगे। मशीनरी खरीदने में कोई नहीं कह सकता है कि विभाग से उसका कोई ताल्लुक था। वह तो इम्पोर्टेड मशीनरी थी और इंडियन सप्लाई मशीन के द्वारा खरीदी गई थी। डायरेक्टर आफ इण्डस्ट्रीज सारे स्पेसीफिकेशन्स को कंफर्म करते हैं तो यह मुनासिब बात नहीं है और न इसमें कोई तथ्य ही है। यदि और कोई तथ्य हों तो माननीय माधव बाबू और नेगी साहब मुझे दे दें।

श्री उपाध्यक्ष—

अब हम उठते हैं, कल प्रातः 11 बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 50 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
16 अप्रैल, 1975।

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नलकी 'क'

[देखिये नियम 38 (2) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या 7 का उत्तर पीछे पृष्ठ 136 पर]

जनपद वाराणसी में वर्ष 1974-75 में निर्मित नलकूपों की सूची

क्रम-सं0	ग्राम का नाम
1	तातेपुर
2	रसूलहा
3	कुरु
4	सिसवां
5	खन्दक
6	जोगापुर द्वितीय
7	रान रठौना
8	खरगरामपुर
9	बेलोड़ी
10	गजेपुर
11	करवट मिसैड़ी
12	गोटइया
13	अरता
14	लखनो द्वितीय
15	गोलखरा
16	बारी
17	अमिलहरा
18	खयोखर
19	गरमोहनी
20	गोदमा

अनुबंध 'ख'

[देखिये नियम 38(2) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या 14 का उत्तर पीछे पृष्ठ 140 पर]

क्रम-संख्या	वर्ग	संख्या	कारण
1	2	3	4
1	प्रसार–अध्यापक	177	गोपनीय आख्याओं एवं उत्पादन आंकड़ों का प्राप्त न होना ।
2	शिल्प शिक्षक]	51	31 के संबंध में गोपनीय आख्याओं का प्राप्त न होना। तथा 20 शिल्प शिक्षकों का लोक सेवा आयोग द्वारा अनुमोदित न होना ।
3	कृषि सुपरवाइजर	4	3 के विषय में स्थायीकरण के संबंध में लोक सेव आयोग से मांगी गयी सहमति का प्राप्त न होना । तथा एक पदधारी का मानसिक संतुलन ठीक न रहने के आधार पर लगभग तीन वर्ष तक अवकाश पर रहना एवं तत्पश्चात् लगभग 4 1/2 वर्ष तक अन्य पद पर कार्य करना।

अम्मार रिजवी,
शिक्षा मंत्री ।

नत्थी 'ग'

[देखिये नियम 38 (2) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या 24 का उत्तर पीछे पृष्ठ. 147 पर]

सूची (क)

पदनाम	संख्या
1--नलकूप चालक	22
2--अमीन	2
3--मेट	1
4--हरकारा	1
5--तार चपरासी	1
6--पतरौल	3
7--अवर अभियन्ता	1
योग ..	31

सूची (ख)

1--दूसरे खंडों से तबादले पर आये कर्मचारी जिनकी सेवा पुस्तिकायें संबंधित खण्डों से देर से प्राप्त हुई या अभी तक प्राप्त नहीं हुई हैं ।

2--सेवा-पुस्तिकाओं का पूर्ण न होना ।

3--कर्मचारी के अब तक लगातार छुट्टी पर रहना ।

4--पुराने वेतनमान में दक्षतारोक पर निर्णय लेने के पश्चात् नये वेतनमान में वेतन निर्धारित में विलम्ब ।

5--रिटायर हो जाने के कारण सेवा पुस्तिका महालेखाकार से प्राप्त करने में विलम्ब ।

परिशिष्ट 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 8 का उत्तर पीछे पृष्ठ 152 पर)

तालिका

उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ की मांगे

1—राज्य के अन्य विभागों के कर्मचारियों को पुनरीक्षित वेतन का अवशेष बांट दिया गया है। बेसिक शिक्षा परिषद् के शिक्षकों को वितरण कार्य विलम्ब से किए जाने के कारण केवल 25 जनपदों में ही वितरण का कार्य सम्पन्न हो सका। शिक्षा निदेशक महोदय के आदेश पत्र संख्या 32479-540, दिनांक 7-2-1975 द्वारा इस वितरण पर रोक लगादी गई है। कुछ जनपदों में इस धन का वितरण होना तथा शेष के लिये रोक लगाना दुखद है। कृपया अविलम्ब इस धन के वितरण हेतु आदेश देने की कृपा करें।

2—बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित जूनियर हाई स्कूलों के शिक्षकों को प्राइमरी स्कूलों के प्रधानाध्यापकों का ग्रेड दिया जा रहा है। माध्यमिक विद्यालयों के इन्हीं कक्षाओं को पढ़ाने वाले शिक्षकों को सी0 टी0 ग्रेड दिया जा रहा है। ज्ञात हुआ है कि प्राइवेट जूनियर हाई स्कूलों के शिक्षकों को सी0 टी0 ग्रेड देने की योजना सरकार के विचाराधीन है। जूनियर हाई स्कूलों के शिक्षक जो बेसिक शिक्षा परिषद् के अन्तर्गत हैं, उपेक्षित किए जा रहे हैं। समान कार्य के लिये समान वेतन नीति के आधार पर इन शिक्षकों को भी सी0 टी0 ग्रेड मिलना चाहिये। कृपया इस मामले में हस्तक्षेप करके जूनियर हाई स्कूलों के शिक्षकों को जो बेसिक शिक्षा परिषद् के अन्तर्गत कार्यरत हैं, सी0 टी0 ग्रेड प्रदान करें।

3—नगर एवं महानगर शिक्षकों को निकायों के स्रोत से मिलने वाली महगाई भत्ते को वेतन में जोड़कर उपलब्धि का निर्धारण कराया जाय। अन्य इन शिक्षकों को कटौती का सामना करना पड़ रहा है। इन्हें नगर आवास भत्ता भी दिया जाय।

4—बेसिक शिक्षा परिषद् के अन्तर्गत कार्यरत शिक्षकों को राजकर्मचारी घोषित करके समस्त सुविधायें प्रदान करें। इन्हें पुनः निकायों को सौंपने का प्रयास न करें।

पी0 एस0 यू0 पी0—एल0 125 वि0 सभा—(935)—1975—845।